दशम माला, खंड 11, अंक 36

बुधवार, 22 अप्रैल, 1992
2 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 63
Date 26.7.93

(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 11 — तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 36, बुधवार, 22 अप्रैल, 1992/2 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्न काल का निलम्बन किए जाने के बारे में	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—242
तारांकित प्रश्न संख्या : 694 से 703, 705 से 707 और 709 से 715	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7365 से 7377, 7379 से 7413, 7415, 7524, 7526 7527, 7529, 7531 से 7533 और 7535 से 7604	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	242—272
सभा पटल पर रखे गए पत्र	272—275
नियम 377 के अधीन मामले	275—278
(एक) कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन आने वाली कोयला खानों में भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटाए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही	275
(दो) कालीकट रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री के० मुरलीधरन	275—276
(तीन) आंध्र प्रदेश में एल्युमीनियम संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृष्ण कोंताला	276
(चार) पान की खेती को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	276—277

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(पांच) टोंक जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम नारायण बैरवा 277

(छः) जल विवाद का शीघ्र समाधान ढूंढने के लिए रिहन्द जल समझौते का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान 277

(सात) उड़ीसा में सालबनी अथवा अन्य किसी स्थान पर मुद्रा मुद्रण प्रेस स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपी नाथ गजपति 278

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1992-93 278—302

विदेश मन्त्रालय

श्री पी० जी० नारायणन 278—281

प्रो० के० वी० थामस 281—282

श्री गुमान मल लोढा 282—287

श्री इन्द्र जीत 287—293

श्री ई० अहमद 293—296

डा० एस० पी० यादव 296—298

श्री विजय एन पाटिल 298—300

डा० सुधीर राय 300—302

लोक-सभा

सोमवार, 22 अप्रैल, 1992/2 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नकाल का निलम्बन किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने प्रश्नकाल स्थगित करने और स्थगन प्रस्ताव को लेने के लिए पूर्व सूचना दी हुई है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय यहां सभा में आएं और स्पष्ट करें। हमने प्रश्नकाल स्थगित करने की पूर्व सूचना दी हुई है। देखिए स्टेट्समैन में आज क्या छपा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्नकाल को सस्पेण्ड करने का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : जब प्रधानमन्त्री महोदय ने सभा में बोफोर्स के बारे में बताया, तब उन्होंने सभा को गुमराह किया हैं। उन्होंने श्री सोलंकी को टिप्पण (नोट) दिया था। उन्होंने स्विस सरकार को कहा है··· (व्यवधान)

प्रधानमन्त्री को यहां आकर स्पष्ट करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जब तक प्रधानमन्त्री महोदय नहीं आते सभा को जारी नहीं रहने दिया जाएगा। यह एक अत्यन्त गम्भीर आरोप है। (व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : कृपया प्रश्नकाल स्थगित कर दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा) : हमने भी क्वश्चन अवर को सस्पेण्ड करने का नोटिस दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : प्रश्नकाल स्थगित करने के बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री लाल कृष्ण आडवानी (गांधीनगर) : मेरे मित्र, श्री जसवन्त सिंह तथा विपक्ष से मेरे अन्य कई साथियों ने आपको विधिवत् पूर्व सूचना दी है जिसमें आपसे अनुरोध किया गया है कि उन्हें इस विषय में अपना मत व्यक्त करने की अनुमति दी जाए कि वे बोफोर्स मामले पर विचार के लिए प्रश्न-काल को क्यों स्थगित कराना चाहते हैं।

मैं पूर्णतया सहमत हूं कि आमतौर पर प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और विपक्ष की ओर से कोई भी आमतौर पर ऐसा करने को उत्सुक नहीं है। लेकिन आप मानेंगे कि यह एक असाधारण स्थिति है। आज 22 अप्रैल है। 24 अप्रैल को एक सुनवाई है, जोकि अब तक हुई समूची जांच-पड़ताल को सम्भवतः निष्फल कर देगी। हम महसूस करते हैं कि यह इस सरकार की गलतियों और खामियों की वजह से हुआ है।

पिछले दिनों हमें यह आभास कराया गया था कि इस टिप्पण के लिए केवल श्री सोलंकी ही जिम्मेदार हैं। लेकिन आज जो रहस्योद्घाटन हुए हैं, उनसे सारे देश को धक्का लगा है। हम हैरान हैं। हम तो केवल इतना ही चाहते थे कि आज सुबह की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात सरकार स्वयं, प्रधान मन्त्री स्वयं ही सभा में आए होते तथा इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं, के बारे में सभा को विश्वास में लेते बोफोर्स मामले पर चर्चा समाप्त होने के तुरन्त बाद मैंने उन्हें स्वयं एक लम्बा-चौड़ा पत्र लिखा था। लेकिन आज इस समय मैं केवल दलील देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि श्री जसवंत सिंह तथा अन्य मेरे साथियों ने जिन्होंने प्रश्नकाल स्थगित करने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना दे रखी है वे अपनी बात रख सकें और आपको इस बारे में सभा की राय जाननी चाहिए कि क्या सभा को प्रश्नकाल स्थगित करना चाहिए अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर सभी माननीय सदस्यों के विचार सुनूंगा प्रश्नकाल को क्यों स्थगित कर दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : मैं इसी पर मान्यवर निवेदन कर रहा हूं। यह जो प्रश्न-काल है, उसको साधारणतः जैसा अभी आडवाणी जी ने कहा, पोस्टपोन करने के लिए हम लोग दबाव डालते नहीं हैं और न होना चाहिए लेकिन एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने आया है जो प्रश्न-काल से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है और यह प्रश्न चलता ही आ रहा है, इसके काल की कोई अवधि ही नहीं लग रही है। **(व्यवधान)**

इसकी गम्भीरता यह है कि आज एक ऐसे अखबार में जो एक सम्मानित अखबार है, उसमें ऐसे आया है प्रधानमन्त्री तक के लिए बात आई है, हम नहीं जानते कि उसमें क्या तथ्य हैं क्या नहीं हैं, लेकिन जो बातें आई हैं, वे इतनी गम्भीर हैं कि कम-से-कम इतनी मर्यादा तो होनी चाहिए कि प्रधान मन्त्री आकर स्वयं इसका तत्काल अविलम्ब, इस प्रश्न का उत्तर दें, फिर कोई प्रश्न हो, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी दोनों ही ने जिस प्रश्नकाल का हवाला दिया है, उसके बारे में सावधानी का मुझे पूर्णतय: ध्यान है । प्रश्नकाल एक ऐसा अधिकार है, जिसे संसद ने कार्यपालिका में से निकाला है । यह एक बहुस महत्त्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार को आसानी से नहीं छोड़ा जाना है । इस संस्थान की मेरी काफी वर्षों की सेवा अवधि में, यह प्रथम अवसर है, जबकि मैंने प्रश्नकाल के स्थगन की विधिवत् पूर्व सूचना दी है । इससे पहले मैं अपने आपको विधानमण्डल के इस अधिकार, जिसे बड़ी कठिनाई और विश्व के अन्य विधानमण्डलों में से वर्षों के अध्ययन के पश्चात् निकाला गया है, को छोड़ने के लिए कभी भी राजी नहीं कर पाया । तिस पर भी, मैं यह असाधारण कदम उठाने को इसलिए मजबूर हुआ हूं क्योंकि मैं सहमत हूं कि लोक महत्त्व की बड़ी विकट स्थिति, एक ऐसी स्थिति जोकि अति आवश्यक है, पैदा हो गई है ।

मैं अपने तर्क को मात्र अखबारी रिपोर्ट पर ही आधारित नहीं कर रहा हूं । मेरी पार्टी के नेता इसके साक्षी हैं । मैंने अभी तक इस पर किसी और से कभी चर्चा नहीं की है । यहां तक कि सोलंकी-प्रसंग कही जाने वाली इस दुःखद घटना पर पहले हुई चर्चा में, हमने अपनी तरफ से अत्यधिक आत्म-संयम बरता है । हम सत्तापक्ष के साथ बैठे और उनके साथ इसके समाधान पर विचार-विमर्श किया, ताकि भारत के स्वच्छ नाम पर कलंक न लगे । हमें इस मामले को दोबारा उठाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि उस समय भी हमारे पास वह तथ्य मौजूद थे जिन्हें सरकार ने पूर्णत: स्पष्ट नहीं किया था । हमने अपने आपको संयम में रखा है । हमारे पास यह तथ्य मौजूद था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की फाइलों में वह पत्र था, जिससे कि सरकार के मुख्य कार्यपालक का आचरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा था तथा जिसमें यह वर्णित था कि सदन में अपने हस्तक्षेप में सरकार के मुख्य कार्यपालक ने सभा को विश्वास में नहीं लिया था ।

इसमें दो मुद्दे शामिल हैं । एक तो यह कि 24 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय में बोफोर्स मामले की अन्तिम सुनवाई होनी है और यह अन्तिम सुनाई इस विधानमण्डल तथा इससे पूर्ववर्ती विधानमण्डल, जन जीवन में व्याप्त भष्टाचार के इस कैंसर को समाप्त करने हेतु जो प्रयास करते रहे हैं, वे पूर्णतया निष्फल हो जाएंगे 24 तारीख की इस सुनवाई में हमें यह आशंका है कि सरकार ने आश्वासनों के बावजूद संतोषजनक-व्यवहार नहीं किया है और न ही यह संतोषजनक व्यवहार करने जा रही है ।

दूसरे, प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए हम इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि इन पिछले दिनों हमारे ध्यान में यह रहा है और वास्तव में हमारे नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो ने चर्चा समाप्त होने के तुरन्त बाद प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा था, बहुत ही शानदार और बहुत ही सीमित शब्दों में, उन्हें मैं इस क्षण उस पत्र में उद्धृत अथवा संदर्भ नहीं देने जा रहा हूं, यह व्यक्त किया है कि यह सरकार के लिए आवश्यक है कि वह सोलंकी प्रसंग पर पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करे । सोलंकी टिप्पण (नोट) के इस अप्रसिद्ध प्रश्न के बारे में हम क्यों चिंतित हैं ? यह चिंता इसलिए है कि हमारे पास उस समय भी वह तथ्य मौजूद था कि सोलंकी नोट कुछ अस्पष्ट टिप्पणी नहीं थी जिसे एक अज्ञात वकील ने आकर भूतपूर्व विदेश मंत्री को दिया था, जो कि अनजाने में इस टिप्पण को स्विटजरलैंड सरकार के विदेशी सम्पर्क के फैडरल चान्सलर को सौंप बैठे । सोलंकी टिप्पण के साथ कुछ आश्वासन भी दिए गए थे, जिन्हें श्री सोलंकी ने उस समय के फैडरल चांसलर को मौखिक रूप से दिया था । उसके पश्चात् फैडरल

ने यह कहा है कि वह ऐसा भारत के प्रधानमन्त्री के आदेश पर कर रहे हैं, एक संदेश भेजा था। यह तथ्य हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम यह सब कुछ बताना नहीं चाहते क्योंकि हमारा यह मत है कि सरकार स्वयंमेव आगे आए और कहे : "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अथवा, हां, ऐसी ही बात है, लेकिन यह सारा श्री सोलंकी की कल्पनाओं की जालसाजी है।" इसके बाद क्या हुआ? मेरे नेता द्वारा लिए गए पत्र जिसके कि उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है, बावजूद श्री सोलंकी अपने राज्य में जाते हैं और यह वक्तव्य देते हैं : "जब मैं स्पष्ट बोलूंगा तो एक विस्फोट हो जाएगा, अथवा इसका एक कुप्रभाव पड़ेगा कि मैंने केवल अपने कर्त्तव्य की पालना की है इत्यादि..." यह ऐसा लगता है कि जैसे उसका विदेश जाना कर्त्तव्य था तथा वहां जाकर एक ऐसे मामले के बारे में जिसमें भारत काफी लम्बे अरसे से उलझा हुआ है, किसी अज्ञात वकील से अहस्ताक्षरित टिप्पण को सौंपना।

इसके कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हम समझते हैं कि देरी नहीं की जा सकती है। 24 तारीख आने ही वाली है। यदि हम प्रश्नकाल को स्थगित करके स्थगत प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करते है जिसे मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने चर्चा के लिए रखा है तब हम राष्ट्र और पूर्ववर्ती सांसदों का अपमान करेंगे जिन्होंने इस विषय में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि क्या स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही क्यों हों; स्थगन प्रस्ताव को किस प्रकार स्वीकार किया जाए और यही एक रास्ता है जिस प्रकार चर्चा की जा सकती है। मैं केवल प्रश्नकाल के स्थगित किए जाने के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि बोफोर्स घोटाले का मुद्दा इतना महत्त्वपूर्ण है कि इस चर्चा के लिए प्रश्नकाल को स्थगित करके तुरन्त स्थगन प्रस्ताव को लिया जाना चाहिए जिससे इस महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। मैं आपको इसकी अनुमति दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे वह कारण बताएं जिसके आधार पर प्रश्नकाल स्थगित किया जाए। प्रश्नकाल को किन मामलों में स्थगित किया जाता है? क्या आप कुछ मामलों या नियमों या अधिनियमों को बताकर इस सम्बन्ध में मेरी मदद करेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : हम आपकी मदद करेंगे (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्नकाल को क्यों स्थगित किया जाए इस सम्बन्ध में जो अपनी चिंता व्यक्त की है। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त प्रकट करता हूं। मैं आपकी चिंता ओर सावधानी को समझता हूं। यह प्रश्न इस मामले की वैधानिकता या इसकी संभावनाओं का नहीं। मैं विषय विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल प्रश्नकाल के स्थगन की बात कर रहा हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि प्रश्नकाल का किसी कानून द्वारा स्थगित किया जाना एक गम्भीर कदम है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अपवाद है।

श्री जसवन्त सिंह : इसे हल्के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इसे अति महत्त्वपूर्ण मामला माना जाना चाहिए और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इसके दो पक्ष हैं, या तो विपक्ष या सदन सामूहिक तौर पर विषय की गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुए आपसे यह कहें : यह इतना महत्त्वपूर्ण मामला है कि इसमें देरी नहीं की जा सकती इसलिए कृपया प्रश्नकाल को स्थगित कर दीजिए और जिस किसी भी प्रावधान के अनुसार जिसे आप अपने विवेकानुसार ठीक समझते है इस प्रावधान विशेष के अन्तर्गत

प्रश्नकाल को स्थमित कर दीजिए । मैं यह कहूंगा कि विधायिका के इस अधिकार को बहुत मुश्किलों से कार्यपालिका के दांतों तले से निकाला जा सका है । इस मामले में मामले, या पूर्ववर्ती उदाहरण लागू नहीं होते इस प्रकार का अन्य कोई उदाहरण नहीं है जोकि अध्यक्षपीठ या पीठासीन अधिकारियों को विवेकानुसार निर्णय लेने में उनकी मदद कर सकें । यह तो मामले की गम्भीरता अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुत्तेमवार जी मैं आपको भी अवसर दूंगा कि प्रश्नकाल को स्थगित न किया जाये यदि आपको कुछ और भी कहना है तो उसे भी कहने का मैं आपको अवसर दूंगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : जब तक लैटर देंगे । यह ऐसे ही चलेगा ।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । महोदय, मैं इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं । यह आपकी ओर से बहुत ही प्रासंगिक और अति महत्वपूर्ण बात है जोकि हमारे प्रति आपका आदर भाव भी है । आपको इस विषय पर सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है फिर भी आप सलाह लेना चाहते हैं और हमारी सलाहनुसार चलना चाहते हैं यह हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है मैं पहले ही बता दूं कि पूर्ववर्ती मामलों, पूर्ववर्ती उदाहरणों, उल्लेख इत्यादि जिन्हें मेरे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी देंगे । मैं अनुरोध करूंगा कि यह केवल मामले या पूर्ववर्ती उदाहरण नहीं है जिसे सदन की कार्यवाही का निर्धारण होना चाहिए । यह बहुत ही असमान्य परिस्थितियों और असमान्य स्थितियों में जिसका कोई पूर्ववर्ती उदाहरण नहीं मिलता हो और तब अध्यक्ष-पीठ और सदन का सामूहिक विवेक को ऐसे असमान्य परिस्थितियों और स्थितियों पर गौर करके इस पर निर्णय लेना होगा ।(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने का चांस दूंगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : जहां तक पूर्ववर्ती उदाहरणों, मामलों, उदाहरणों इत्यादि का संबंध है इसे मैं विपक्ष के नेता के ऊपर छोड़ता हूं जो इस पर प्रकाश डालेंगे । (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आप आने को स्थगन से संबंधित नियमों तक ही सीमित रखूंगा । नियम 388 कहता है कि :

> "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होता निलम्बित कर दिया जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जावेगा ।"

यह वह नियम है जो आपको यह अधिकार देता है कि यह निर्णय करे कि प्रस्ताव स्वीकार्य योग्य

है या नहीं। और यदि यह तुच्छ है तो इसकी अनुमति देने से आप मना भी कर सकते हैं। स्थगन का निर्णय अध्यक्षपीठ द्वारा न लेकर सदन द्वारा लिया जाएगा। मैं दूसरे सदन का भी वर्षों तक सदस्य रहा हूं और मैं यह जानता हूं कि कई अवसरों पर इस प्रकार के प्रस्तावों को प्रस्तावित कर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया चाहे बाद में इन्हें अस्वीकृत कर दिया गया हो लेकिन स्वीकृति को तब तक नहीं रोका गया जब तक प्रस्ताव किसी काम का नहीं। इस मामले में मैं समझता हूं कि सदन का एक बड़ा पक्ष इस मामले पर चर्चा करने के पक्ष में है। (व्यवधान) हमें इसे प्रमुखता देना चाहते हैं। स्थगन प्रस्ताव की तरह यह आवश्यक है कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके किसी अन्य प्रस्ताव को पहले अवसर दिया जाये। यह एक प्रकार का स्थगन प्रस्ताव है जिसे सैंसर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सैंसर निन्दा करने वाली कोई बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इससे सहमत हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह तथ्य की सदन प्रश्न के अलावा अन्य किसी मामले पर चर्चा करना चाहता है तो यह सदन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतएव मैं उससे अनुरोध करूंगा कि जहां तक अध्यक्षपीठ का सम्बन्ध है उन्हें अपने आपको स्वीकृति देने तक सीमित रखना चाहिए।

इसे छिछोरेपन के आधार पर नियमाविरुद्ध घोषित करने अथवा न करने का निर्णय लेना आपका कार्य नहीं है। (**व्यवधान**)।

[हिन्दी]

एक आकेजन ऐसा भी था इस सदन में हमारी तरफ से ससपेंशन की मांग की गई थी तो उधर से तुरन्त मान लिया गया और उसके आधार पर चर्चा शुरू हो गई। मुझे लगता था कि—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चांस दे रहा हूं, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं आपको चांस दे दूंगा।

[अनुवाद]

तब तक आप यह जरा सोचिये तो आपको क्या कहना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं बोल रहा हूं। कृपया जो मैं कह रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। निश्चित रूप से पीठासीन अधिकारी के पास विवेकाधिकार है और उस विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है, तो इसे एक न्यायसंगत तरीके से प्रयोग करना होता है। विवेकपूर्ण ढंग क्या है? यह न्यायसंगत होना चाहिए। एक न्यायसंगत बात क्या है?

पहले भी, जहां तक मुझे पता है, ऐसे मामले रहे हैं जब प्राकृतिक विपत्तियां आई थीं अथवा युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई थी और प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। ऐसे मामले

रहे हैं, जब पार्टियां सहमत हुई हैं, तब भी प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया था। ऐसे मामले भी हैं जब पार्टियां सहमत नहीं हुई और कोई बड़ी गम्भीर बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया था। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीन विकल्प हैं।

पहला, आप केवल गुण-दोष के आधार पर प्रश्नकाल स्थगन के इन प्रस्तावों पर निर्णय करें। जब आप अपने विवेक से इस निर्णय पर पहुंच जायें कि यह पूर्णतयः छिछोरापन है, तब आप इसे तत्काल यह कहकर नामंज़ूर कर दें कि इस पर विचार-विमर्श करना बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हैं। मेरा कहना है कि प्रश्नकाल स्थगन हेतु इस प्रस्ताव को मैंने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने छिछोरेपन में ही प्रस्तुत नहीं किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी यह नहीं कह रहा है कि यह छिछलापन है। कोई यह कह सकता है कि क्या प्रश्नकाल को स्थगित करना इतना महत्वपूर्ण है?

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, यह बिल्कुल सही है। यह इतना महत्वपूर्ण है अथवा नहीं, यह निश्चित करने के लिए तथा क्या यह युद्ध जितना महत्वपूर्ण है, उदाहरणार्थ प्रश्नकाल-स्थगित करने के जिस युद्ध को आपने उद्धृत किया है, यह एक व्यक्तिपरक निर्णय है आप चाहें तो इसका निर्णय व्यक्तिपरक-निर्णय के आधार पर कर सकते हैं अथवा तीसरा विकल्प है। विपक्ष के नेता ने दोबारा तीसरा विकल्प सुझा दिया है कि आप सदन की सामूहिक राय लें तथा मतदान द्वारा सभा को यह निर्णय लेने दें कि वे प्रश्नकाल को स्थगित करना चाहते हैं अथवा नहीं? इसके केवल यही तीन विकल्प हैं और अन्य कोई चौथा विकल्प नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले श्री जार्ज फर्नान्डीज और उसके बाद मैं श्री बंसल को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मैं अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने सूचना दी हुई है। आपको पहले हमें बोलने की अनुमति देनी चाहिए। कृपया पहले हमारी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने नोटिस दिया हुआ है, उन पर भी आप विचार करिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि मैं आपको अवसर दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया पहले हमारी बात सुनिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री दिघे को बोलने की अनुमति दूंगा और यदि अन्य सदस्यगण बोलना चाहते हैं, मैं उन्हें भी अनुमति दूंगा। श्री बूटा सिंह भी यहां बैठे हैं। मैं उन्हें भी बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आपने नियमों का प्रश्न छेड़ा है, इसके पहले कितनी बार प्रश्न-काल को ससपेंड किया गया है, उसका इस वक्त सबूत देने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने खुद कहा है कि तीन प्रकार के केसिज आ गये हैं और उसमें सब कवर होते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम चौथी लोक सभा से इस सदन में आते जाते रहे हैं। मुझे चौथी लोक सभा से याद है कि प्रश्न-काल को अनेक बार ससपेंड करने का काम हम लोगों के आग्रह पर अध्यक्ष ने किया। अब आपने इसमें तो तकनीकी बात छेड़ी कि कौन नियम किस तरह से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा उसका जवाब आपको मिल चुका है, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं प्रधानमंत्री को गवाह रख कर आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक तो आज जो अभी प्रश्नकाल है तो इस क्वश्चन पेपर में जो पहला नाम लिखा है वह प्रधानमत्री का है और प्रधानमंत्री सदन में नहीं हैं, क्यों नहीं हैं? (व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : हम तो हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको तो कौन नहीं जानता। (व्यवधान) कमाल है इन लोगों की, जैसे आप सब प्रधानमंत्री हो गए हैं। मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बोलने की मुझसे अनुमति ली है।

(व्यवधान)

श्रीमति मार्गरेट अल्वा : यह उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में सभा में उनकी आलोचना की जाये क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, अतिथि के साथ व्यस्त हैं। (व्यवधान) वह प्रधानमंत्री का नाम क्यों ला रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, मैं उस बात को छोड़ देता हूं। (व्यवधान) मैंने जो कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को गवाह रख कर अपनी बात को कहूंगा। अध्यक्ष जी, आप एक अप्रैल के प्रोसिडिंग्स को मंगा लीजिए और पेज नं० 15905 को देख लीजिए, प्रधानमंत्री का बयान है, बोफोर्स के बहस पर प्रधानमंत्री का बयान है

[अनुवाद]

"मैं नहीं चाहता कि सरकार गलतफहमी में कार्य करे। सार्वजनिक जीवन और सरकार में अपने लम्बे अनुभव के बाद···(व्यवधान)

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : प्रश्न यह है कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाना चाहिए अथवा नहीं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : परन्तु वह विषय पर आगे बढ़ चुके हैं। हम सुनना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : "सार्वजनिक जीवन में अपने लम्बे अनुभव के बाद मैं केवल यही समझ पाया हूं कि किसी भी सरकार को गलतफहमी में कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए।"

प्रो० पी० जे० कुरियन : मेरा कहना है कि इसमें केवल एक बात है यह कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाना चाहिए अथवा नहीं। वह मूल विषय पर नहीं बोल रहे हैं। परन्तु उन्होंने पहले ही विषय पर चर्चा आरम्भ कर दी है। वह हम सुनना नहीं चाहते हैं···(**व्यवधान**)···यदि आपने उसकी अनुमति नहीं दी है, तो वह इस विषय पर नहीं बोल सकते हैं।···(**व्यवधान**)···आपको अपनी व्यवस्था देनी है। आप अलग से चर्चा की अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन बिल्कुल सही कह रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : केवल कांग्रेस वाले ही शोर कर रहे हैं। उनके पास देने को कोई दलील तो है नहीं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, जब मैं प्रधानमन्त्री को गवाह करके कह रहा हूं, मैंने नम्बर वन उनके इस सदन में हुए निवेदन को आपके सामने रखा है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्रधान मन्त्री के न होने का कारण इन्होंने मुझे बताया कि बाहर से जो 'सेक्रेट्री-जनरल' वगैरह गैस्ट आए हुए हैं···

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ठीक है, मैंने उस बात को छोड़ दिया है। मैंने आपको बताया कि प्रधान मन्त्री का यह निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे यह बताना है कि क्वेश्चन-आवर क्यों और कैसे ससपेंड करना है।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सरकार एक संकट में फंसी हैं। (**व्यवधान**) लेकिन प्रधान मन्त्री ने बोफोर्स मामले पर चर्चा के दौरान सभा पटल पर यह घोषणा की है :

"मैं नहीं चाहता कि यह सरकार एक परछाई के अन्तर्गत कार्य करे।" लेकिन, सरकार एक परछाई के अन्तर्गत है और मैं आपको यह बताऊंगा कि यह परछाई के अन्तर्गत कैसे है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, सदन में एक अप्रैल को बहस हुई थी और उस बहस के दौरान प्रधान मन्त्री जी ने जो निवेदन वहां पर किया था, उसको मैं बता रहा हूं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

महोदय, आप नियम की भावना को नहीं देख रहे हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह बताइये कि किस रूल के अन्तर्गत क्वेश्चन-आवर ससपेंड करना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। यह इस प्रकार से नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी ने मुझ से एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। मैं जानता हूं कि पीठासीन अधिकारी को विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है। लेकिन, इसके साथ ही, आप सभी इस बात से भी सहमत होंगे कि यदि पक्ष-विपक्ष मैं अपने विवेकाधिकार का बिना किसी तर्क और कारण के प्रयोग करना शुरू कर देता हूं, तो वह भी उचित नहीं होगा। जहां तक सम्भव हो, मुझे सांवैधानिक उपबन्धों, सांविधिक उपबन्धों, नियमों और प्रथाओं पर दृढ़ रहना चाहिए। सभा के लाभार्थ, मैं दी गई व्यवस्था को पढ़ता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, मैं आपकी बात भी सुनने जा रहा हूं।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : कृपया अपनी व्यवस्था के पश्चात् मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक व्यवस्था नहीं दे रहा हूं। एक अंतरिम व्यवस्था है। यह अन्तिम व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं अंतरिम-व्यवस्था भी नहीं दे रहा हूं; लेकिन मैं दी गई व्यवस्था को केवल पढ़ रहा हूं। यह व्यवस्था 23-9-1965 को लोक सभा में दी गई थी। इसके बाद भी, मैं आपको सभा-पटल पर आपकी बात रखने और मुझे जानकारी देने अथवा दी गई व्यवस्था की व्याख्या करने की अनुमति देने जा रहा हूं।

> "यदि उस मामले पर सदस्यों की राय सर्वसम्मत नहीं है, तो अध्यक्ष प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए सहमत न हो।"

मैं 23-9-1965 की डिबेट में से पढ़ रहा था। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इस तरह से नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस ओर के सदस्य भी तर्कसम्मत युद्ध के लिए तैयार हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने अपने नोटिस में असल में सारी बातें आपके सामने रखी। जिस नोटिस को मैंने आपको दिया उसमें मैंने कहा था :

[अनुवाद]

"मैं आज प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। स्टेट्समैन में बोफोर्स मामले में हुई प्रगति का बहुत ही कटु शब्दों में रहस्योद्‌घाटन किया गया है। बोफोर्स सौदे पर बहस के दौरान प्रधानमन्त्री को सभा को गुमराह करने तथा वास्तव में इस घोटाले में संलिप्त होने के बारे में छपा है। इस मामले को अन्य सभी मुद्‌दों से ज्यादा प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। प्रधानमन्त्री को सभा के समक्ष स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करनी ही चाहिए, उसके बाद ही वे अन्य मामले को ले सकते हैं..."

प्रधानमन्त्री केवल प्रधानमन्त्री ही नहीं है, बल्कि वह सभा का नेता भी है।

"यदि सभा का नेता ही गलतफहमी में है तो शेष क्या रह जाता है?"

[हिन्दी]

यह मैंने आपको आज सुबह पत्र के द्वारा भेजा है। इसलिए आपका जो डिस्क्रीशन का सवाल है, मेरे ख्याल से आज तक किसी भी स्पीकर के सामने इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आयी होगी, यहां पर प्रधानमन्त्री द्वारा इसी महीने की पहली तारीख को इस सदन में किए हुए एक-एक बयान से आज न केवल हमारे देश के भीतर बल्कि समूची दुनिया में चुनौती देने जैसी बात आयी हो। जो मामला इस सदन में आज हम लोगों ने उठाया और जो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं और जिसमें नियम की बात आपने हमारे सामने छेड़ी है, मैं आपकी बात समझता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी भी यह नहीं कह रहा हूं कि यह मेरा अन्तिम कथन है। आप मुझे इस बारे में और जानकारी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह सदन के नेता की यहां व्यक्त की हुई अपनी राय है। उनकी राय है।

[अनुवाद]

"मैं नहीं चाहता कि यह सरकार ऐक गलतफहमी में कार्य करे।"

[हिन्दी]

अगर आज यह सिद्ध हो गया।

[अनुवाद]

सरकार गलतफहमी में है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब, ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए मुझे इधर-उधर मुण्डी हिलाने में बहुत तकलीफ होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के मैटर पर डिसकशन करने के लिए यही आवर है, ऐसा आपको लगता है क्या ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सच तो यह है कि सरकार गलतफहमी में है । हम लोगों के यहां प्रथा है । हमें अनुकूल नहीं लगता है, ऐसी कोई चीज अखबार में आए तो हम लोग बोलते हैं अखबार में बहुत कुछ आता है । लेकिन बोफोर्स का मामला पिछले दो महीनों से यहां जब-जब छेड़ा गया वह अखबारों के चलते छेड़ा गया और किसी के चलते छेड़ा नहीं गया । इससे इंकार नहीं किया जा सकता । अगर अखबारों में नहीं आया होता, अगर इण्डियन एक्सप्रेस ने बोफोर्स काण्ड में हुई घटनाओं को नहीं छापा होता तो क्या इस सदन में एक अप्रैल को यह मामला उठ जाता ? एक अप्रैल को यह मामला उठाने की स्थिति तब आयी जब एक अखबार ने इसको छापा । अगर इण्डियन एक्सप्रेस ने तथ्यों को दूसरे अखबारों ने तथ्यों को देश के सामने रखने का काम नहीं किया होता तो क्या सोलंकी का इस्तीफा होता ? इस-लिए अखबारों में कोई चीज आई उसको इस तरह से देखना, इसके दो मतलब नहीं हैं । मेरा आपसे बड़े आग्रह से कहना है ।

[अनुवाद]

सरकार गलतफहमी में है । हम प्रश्नकाल को नहीं चलने देंगे । हम आसानी से प्रश्नकाल नहीं चलने देंगे तथा इस सरकार को जब तक यह अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर देगी, तब तक हम इसे कोई भी कार्य करने की कोशिश करने की अनुमति नहीं देंगे । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति देने जा रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगित होने ही वाला है । अतः, उन्हें भी बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमने सूचनाएं दी हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया बैठ जायें ।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, विपक्ष के सदस्य यही चाहते हैं कि प्रश्नकाल स्थगित हो । अब जहां तक प्रश्नकाल का प्रश्न है, यह नियम 32 के अन्तर्गत सभा का अधिकार है :

> "जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, प्रत्येक बैठक के आरम्भ के एक घन्टे का समय प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा ।"

अब वे इस नियम को स्थगित करना चाहते हैं । प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए अलग से नियमों में अन्य कोई उपबन्ध नहीं है । लेकिन, संक्षेप में बात यह है कि वे उस नियम—नियम 32—को जो कि दिया हुआ है को स्थगित करना चाहते हैं—और यह नियमों को स्थगित करने की शक्ति केवल नियम 388 के तहत प्रदत्त है ।

नियम 388 के अनुसार :

> "कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि किसी नियम का निलम्बित कर दिया जाये······"

अतः, पहले स्थान में···**(व्यवधान)**

श्री राम कापसे (ठाणे) : यदि श्री शरद दिघे मतदान के पक्ष में हों, तो हम इसका स्वागत करते हैं···(व्यवधान)

श्री शरद दिघे : जहां तक प्रश्नकाल के निलम्बन का सवाल है, इस नियम का प्रयोग करके, कौल और शकधर ने अपनी पुस्तक में विभिन्न स्थानों पर बहुत से पूर्वोदाहरण दिए हैं। मैं पृष्ठ 393 से उद्धृत करता हूं : --

> "बहुत ही असाधारण मामलों में, और अधिक समय उपलब्ध कराने के लिए प्रश्नकाल, निलम्बित किया जा सकता है···"(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आपको बाद में बोलने दिया जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री शरद दिघे : मैं कौल और शकधर की पुस्तक में से उद्धृत कर रहा हूं :

> "बहुत ही आसाधरण मामलों में, सभा के समक्ष जो अन्य कार्य है, उसके लिए और अधिक समय उपलब्ध कराने के लिए, प्रश्नकाल निलम्बित किया जा सकता है।"

अब, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, उन्होंने एक दिन विशेष को स्थगन-प्रस्ताव दिया है और वे प्रश्नकाल निलम्बित करना और स्थगन-प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सभा के समक्ष अभी भी स्थगन प्रस्ताव नहीं है। यह प्रस्ताव सभा के समक्ष है ही नहीं। अतः ऐसे कार्य के जो की सभा के सामने है ही नहीं के लिए प्रश्नकाल को निलम्बित नहीं किया जा सकता।

आप हमेशा यह कहकर प्रश्नकाल को निलम्बित करने की मांग कर सकते हैं कि प्रश्नकाल के बदले, अन्य कार्य जिस पर तुरन्त ध्यान देने और अधिक समय देने की आवश्यकता है, उस विषय को लिया जाए। मान लो कि मैं प्रश्नकाल को निलम्बित करने के लिए कहता हूं कि विदेश मंत्रालय की मांगों को लिया जाय, क्योंकि वे अत्याश्यक है और उनकी अधिक समय की जरूरत है, तो ये न्याय-संगत नहीं होगा। लेकिन इधर आपने स्थगन प्रस्ताव को अभी तक स्वीकार नहीं किया और सभा के समक्ष है ही नहीं। अतः किसी भी नियम को निलम्बित करने की मांग करना, ताकि ऐसे कार्य के लिए समय दे सके, जोकि सभा के समक्ष अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ, यह नियमनुसार नहीं है। नियमों को रद्द करने के सम्बन्ध में 'शकधर' पेज 842 पर क्या कहते हैं :

> "कोई सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से, प्रस्ताव कर सकता है कि सभा के समक्ष किसी प्रस्ताव विशेष पर किसी नियम का लागू किया जाना निलम्बित किया जाये।"

इसलिए, पहले से ही, सभा के समक्ष एक प्रस्ताव होना चाहिए। प्रश्नकाल, सभी सदस्यों का अधिकार है और जब तक इस बात पर सर्वसम्मत्ति नहीं होती कि प्रश्नकाल को निलम्बित कर देना चाहिए, क्योंकि सदस्य अन्य अत्यावश्यक मुद्दों पर शीघ्र ही चर्चा करना चाहते हैं और उस मुद्दे पर अधिक समय देना चाहते हैं तब तक प्रश्नकाल को निलम्बित करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इसलिए, प्रश्नकाल को निलम्बित करने के इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमान, इस ओर से कई सदस्यों ने प्रश्नकाल को निलम्बित करने के लिए एक सूचना दो है। हम यदा-कदा ही, प्रश्नकाल को निलम्बित करने की नोटिस देते हैं क्योंकि हम इस

समय को अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन आज, जब हमने "दि स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार को देखा···

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात पर बोलिए कि प्रश्नकाल को क्यों निलम्बित करना चाहिए। कृपया उस विषय पर बात कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमान जी, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। अभी श्री दिघे ने कौल और शकधर से कुछ उल्लेख किया और कहा कि यदि विषय बहुत महत्वपूर्ण है तो नियम को रद्द किया जा सकता है।

श्रीमान, हमारे पास एक पूर्वोदाहरण है। मुझे याद है, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई थी और जबकि 'इण्डियन एक्सप्रैस' ने उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तब मैंने दस बजने के बाद भी प्रश्नकाल को निलम्बित करने की मांग की। तत्कालीन अध्यक्ष एक नोटिस देना चाहते थे। तत्काल ही मैंने एक सूचना दी और उसको अनुमति दी गई तथा तत्काल ही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। अतः इस संदर्भ में हमारे पास एक पूर्वोदाहरण है।

अतः श्रीमान जी, हम यह मानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रधानमन्त्री ने, बोफोर्स के वाद-विवाद पर उत्तर देते समय सभा को गुमराह किया है। उन्होंने सभा को गुमराह किया है और कहा कि श्री सोलंकी द्वारा नोट दिए जाने के बारे में वे नहीं जानते थे। वास्तव में, श्री सोलंकी को बलि का बकरा बनाया गया था।

उनको इस्तिफा देना पड़ा, जबकि प्रधानमंत्री जी इसके जिम्मेदार थे। प्रधानमंत्री जी ने श्री सोलंकी को एक नोट दिया था कि वे उसे स्विट्जरलैंड के विदेश मन्त्री को दे, ताकि वो जांच जिसकी हम मांग कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि आप मुझे इस बात से अवगत करा सकते हैं कि मुझे प्रश्नकाल को क्यों निलम्बित करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमान, जांच को रोकने के उद्देश्य से ही विदेश मंत्री को नोट भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमान, प्रधानमंत्री जी ने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा कि वे ऐसा नहीं चाहते हैं कि सरकार संदेह के घेरे में रहे। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : श्रीमान, मैंने भी एक नोटिस दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं, श्री बूटा सिंह के बाद आपको अनुमति दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम प्रश्नकाल को निलम्बित कर देना चाहते हैं और हमने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया था उस पर तुरन्त ही चर्चा शुरू कर देना चाहते हैं।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, विपक्ष की ओर से कुछ माननीय सदस्य, जिसमें विपक्ष नेता भी शामिल है, वे प्रश्नकाल को निलम्बित करने के लिए आपकी सहमति प्राप्त करना चाह रहे हैं।

मैं पहले तो यह निवेदन करता हूं कि नियम पुस्तक में प्रश्नकाल को निलम्बित करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। प्रश्नकाल, सभा की कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह अध्यक्ष के प्राधिकार के अंतर्गत आता है। (**व्यवधान**)

कृपया, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सभा में मेरा भी कुछ सम्मान है। मैं कुछ नियमों को जानता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके लिए एक प्रावधान है।

श्री बूटा सिंह : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप मुझे नियम में दिए गए किसी प्रावधान के बारे में बताइए। प्रश्नकाल को निलंबित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नियम को रद्द करने के लिए एक प्रावधान है। आप सभा की कार्यवाही से नियम को रद्द कर सकते हैं लेकिन आप प्रश्नकाल को निलम्बित नहीं कर सकते। ये, अध्यक्ष के द्वारा सभा की कार्यवाही की व्यवस्था की शुरूआत है और आप अध्यक्ष के प्रशासनिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सभा की कार्यवाही की सूची को व्यवस्थित करना अध्यक्ष के अधिकारों में से एक भाग है। प्रश्नकाल कार्यवाही की सूची का पहला मद है। अतः आप नियम का विस्तार करके अथवा नियम की व्याख्या करके प्रश्नकाल को निलम्बित नहीं कर सकते। आप नियम को रद्द कर सकते हैं। और श्रीमान, अध्यक्ष की सहमति से, नियम को रद्द करना पड़ता है। आपने कृपा करके एक नियम को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों से कुछ लोग 1965 की सभा में उपस्थित थे, तो 3-9-65 को, अध्यक्ष द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय था।

उसमें कहा गया कि "यदि सदस्य सर्वसम्मत हैं तो अध्यक्ष सम्मति देंगे।"

श्री बसुदेव आचार्य : हमने वो सुना है।

श्री बूटा सिंह : श्रीमान, इसलिए, अब यह आप को निश्चित करना हैं कि यह मांग सभा के एक वर्ग की हो सकती है लेकिन इसे सर्वसम्मत नहीं कहा जा सकता।

श्रीमान, वे जब हस्ताक्षेप कर रहे थे और जब वे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, उस दौरान, उन्होंने बहुत ही गंभीर अभियोग लगाया था। उन्होंने इस विषय पर टिप्पणी की थी। मेरा यह अनुरोध है कि आप कृपया, इस विषय पर जो कुछ कहा गया है, उसे रिकार्ड से निकाल दें। क्योंकि, यह सभा की कार्यवाही का भाग नहीं हो सकता। यह नियमानुसार नहीं है। नियमों के अनुसार केवल उनको ही रिकार्ड किया जाता है जो नियम को रद्द करने से संबंधित होता है।

यदि मैंने उन्हें ठीक से समझा है, माननीय विपक्ष के नेता नियम 32 को रद्द करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : तब तो आपको स्पीच भी एक्सपंज करनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : क्योंकि वह सम्बद्ध है। क्योंकि वह नियमानुसार है।

नियम 32 को रद्द नहीं किया जा सकता जैसा कि श्री शरद दिघे ने अभी कहा था। मानलो, यदि हम नियम 32 को रद्द कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद कार्यसूची पत्र का सवाल उठेगा। श्रीमान, अब तक आपने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जब तक आप माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये नोटिसों के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप किसी नोटिस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक सभा

के समक्ष, आज के लिए निश्चित कार्य-सूची के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रखा जा सकता। कार्य-सूची में "विदेश मंत्रालय से अनुदानों की मांगों पर चर्चा" लिखा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आप नियमों को रद्द नहीं करा सकते क्योंकि वो नियम पहले में ही वहां पर दिए गए हैं। इसलिए, वो कार्य-सूची का पहला मद है ।

अतः मेरा ये निवेदन है कि चर्चा को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि ये, विषय से सम्बद्ध ही नहीं है। कार्य-सूची के विषयवस्तु से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। प्रश्नकाल के तुरन्त बाद ही, सभा के समक्ष, इस विषय के प्रस्तुत होने के अधिक अवसर हैं। यदि वे इच्छुक हैं तो वे वहां पर अपने विचार रख सकते हैं। अतः हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। ये सभा राष्ट्रीय विज्ञता की निधि है। भारत की जनता ने हमें समय को व्यर्थ करने के लिए निर्वाचित नहीं किया है। कृपया समय को नष्ट न करें। कार्य सूची के अनुसार ही कार्य आरम्भ करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : श्रीमान, मैं नियमों का उल्लेख करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद एक को अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के और ट्रेजरी बैंचेज के साथ बोल रहे हैं, आपने स्वयं भी कहा है कि इसी सदन में कई बार क्वश्चन आवर सस्पेंड किया गया है तथा और चर्चाएं हुई हैं। यह अध्यक्ष का अधिकार है। इस तरह से यह तो अध्यक्ष के अधिकार पर हथौड़ा चलाना है। आप इस बात को देख सकते है कि जो मामला आपके सामने उठाया गया है, यह राष्ट्रीय महत्व का है या नहीं ? नियम 388 के तहत आपको अधिकार दिया गया है कि अध्यक्ष की परमिशन से हमारे सामने किसी भी बिजनैस को सस्पेंड करके हम और चर्चा चला सकते है। चूंकि यह अधिकार आपका है, इसलिए इतना ही हम आपसे कहना चाहते हैं कि इससे महत्वपूर्ण सवाल इस देश में इसके पहले कभी नहीं उठा होगा जिसमें पूरी की पूरी सरकार—एक प्राईम मिनिस्टर—एक विदेश मन्त्री को चले जाना पड़ा और हो सकता है कि कल प्राईम मिनिस्टर को जाना पड़े। पार्लियामेंट देश का प्रतिनिधित्व करती है और हम देश के प्रतिनिधि हैं। इस तरह से जो सवाल हमारे सामने आया है, मैं यह समझता हूं कि इससे महत्वपूर्ण सवाल कभी इस सदन में नहीं आया होगा। मैं डिटेल्ज में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने भी अखबारों में पढ़ा है और यह सब साबित हो चुका है कि कौन एडवोकेट था, कौन इस में इंवाल्व था ? इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि क्वश्चन आवर को सस्पेंड करें। वैसे भी अब 5 मिनट समय बचा है। आप इसके ऊपर चर्चा चलाने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं केवल संबद्ध नियमों का उल्लेख करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। श्री रवि राय जी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : श्रीमान, मैं केवल एक ही मिनट लूंगा।

श्रीमान, अब तक, नियम 388 और नियम 32 का उल्लेख किया गया था।

नियम 388 नियमों को रद्द करने की अनुमति देता है और नियम 32 में प्रश्नकाल का उल्लेख किया गया है। इस पर संदेह व्यक्त किया गया। मैं नियम 39 (उपनियम 3) की ओर आकर्षित

करता हूं। जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि नियम को रद्द किया जा सकता है अथवा नहीं, उसके विषय में यूं कहा गया है।

"यदि किसी दिन प्रश्नकाल समाप्त या निलंबित किया जाता है—जो लोग 'निलम्बित' शब्द पर आपत्ति कर रहे हैं मैं उनके लिए, अधिक समय देने के लिए मैं, इस शब्द का उल्लेख कर रहा हूं···"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं पृष्ठ 17 पर नियम 39 (उप-नियम 3) पढ़ रहा हूं।

~~यह~~ उस पुस्तक से लिया गया है, जिसे तुमने कभी नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है :

"यदि किसी दिन प्रश्नकाल किसी अन्य कार्य के लिए, अधिक समय देने के लिए समाप्त अथवा निलंबित किया जाता है···"

(व्यवधान) उसी को तो पढ़ा गया था। उसमें ये जोड़ा गया है। उसमें आगे ऐसा लिखा हुआ है :

"किसी अन्य कारण से अथवा किसी अन्य समय देने के लिए।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरे मुद्दे पर बात कीजिए। यह अतारांकित प्रश्नों तथा तारांकित प्रश्नों के बारे में है। यदि किसी कारणवश प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं तो वे अतारांकित प्रश्न बन जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जब अधिक समय देने के लिए या अन्य कारणों से नियम को रद्द किया जाता है तो वो एक परिस्थिति को जन्म देती है। यह यह महत्त्वपूर्ण बात है कि 'कोई अन्य कारण' इतना महत्त्वपूर्ण होना चाहिए जिससे नियम को रद्द करने के लिए आपकी सहमति प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों की व्याख्या वकीलों के लिए छोड़ सकते हैं। आप हमें आर्थिक विषयों पर दिशा-निर्देश दे सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपने हमसे सहायता मांगी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्षमा कीजिए, यह लागू नहीं होता।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि 'अन्य किसी कारण से' नियम को रद्द किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। ये नियम कहता है कि यदि प्रश्नकाल को निलंबित किया जाता है, तो उन प्रश्नों का क्या होगा, जो सूची में है। यह नियम कहता है कि ये प्रश्न रिकार्ड के अंश है लेकिन इनको अलिखित प्रश्न माना जाता है। बस इतना ही है, इससे अधिक नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : लेकिन बात ये है कि 'अन्य कारण से' प्रश्नकाल को निलम्बित किया जा सकता है। इस मामले में 'कोई अन्य कारण' देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। (व्यवधान) इसलिए तो हम उसकी मांग करते हैं क्योंकि जैसाकि पहले कहा गया इससे प्रधानमन्त्री द्वारा इस्तीफा देने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये विषय इतना महत्त्वपूर्ण है कि यदि यह प्रमाणित हो गया तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। यह एक कारण हो सकता है कि··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, वहां जाखड़ साहब भी आ गए हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं जो हाउस में इस बारे में कनफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए आपकी सहायता करना चाहता हूं क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी के भीतर नहीं जाना चाहता हूं। मैं देख रहा था कि यहां लोक सभा के सबसे ओल्डेस्ट मेम्बर अटल जी बैठे हैं। **(व्यवधान)**···अच्छा इंद्रजीत बाबू हैं। मैं कहता हूं कि इंद्रजीत बाबू और अटल जी हमसे सहमत होंगे और मुझे मालूम हुआ कि प्रधानमन्त्री आपसे छुट्टी लेकर चले गए हैं···।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यू० एन० सेक्रेटरी जनरल आए हैं।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के पूर्व प्रधानमन्त्री और प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू जब विदेश यात्रा पर जाते थे, उसके अलावा अन्य दिनों में तब भी वे क्वश्चन अवर यहां बैठते थे। हमको लगता है पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के वे एक स्तम्भ थे। मैं आपके जरिए नरसिंह राव जी को, जो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और परम्पराओं को मानने वाले हैं, उनसे कहूंगा कि—

[अनुवाद]

उनकी अनुपस्थिति से संदेह हो रहा है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं उनके बिनती करूंगा कि···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझसे कहा था कि वे यहां पर आ रहे हैं और जो चर्चा हुई है, उसकी जानकारी देने वाले हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनको भी आदत डालनी चाहिए जवाहर लाल नेहरू जैसे क्वश्चन अवर में बैठने की। जिस दिन उनका प्रश्न हो सिर्फ उसी दिन नहीं, हरेक दिन उनको रहना चाहिए।

मैं उसी तरफ आ रहा हूं, इस सवाल की तरफ ही आ रहा हूं और इसी के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि आपने, अध्यक्ष महोदय, यहां दो सवाल उठाए हैं—एक सवाल आपने उठाया है नियम 65 के अन्तर्गत, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं···(व्यवधान)··· मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज है, जिस पर मैं चाहूंगा, रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स से भी मैं कह रहा हूं कि यह युनैनिमिटी का सवाल है, इसको युनैनिमस करने के लिए, मैं चाहता कि रूलिंग पार्टी भी सहमत हो कि क्वश्चन आवर की अपनी इम्पोर्टेंस है, क्वश्चन आवर की मर्यादा है, लेकिन मेरा कहना है कि कई बार बहुत से फिलम्सी ग्राउन्डस पर भी इस सदन में क्वश्चन आवर स्थगित हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट के अवसर पर भी, जहां तक हमारी जानकारी है, क्वश्चन आवर सस्पेंड हुआ था। ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट का जितना महत्त्व था, उससे बढ़कर महत्त्व आज जो प्रश्न हमारे सामने आया है, वह ज्यादा महत्त्वपूर्ण सवाल है। बोफोर्स के सवाल पर जो कुछ आज सामने आया है, वह कम महत्त्व का नहीं है क्योंकि हमारे भूतपूर्व विदेश मन्त्री ने स्विटजरलैंड में मिस्टर फ्रैंबलर से जो मुलाकात की, मैं यहां कोई

शिकायत नहीं कर रहा हूं, आप सुनिए, मैं आपकी सहायता करने के लिए ही कह रहा हूं। उनकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बारे में अखबारों में जिस तरह से आया है, प्रधानमंत्री के बारे में मिस्टर फैबलर ने कहा है, मिस्टर फैबलर ने नोटिंग किया है···**(व्यवधान)**···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी भूतपूर्व अध्यक्ष मेरी सहायता करते रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मिस्टर फैबलर ने जिस तरह नोटिंग की है कि सोलंकी साहब उनको बता चुके हैं कि जो नोट वहां दिया गया था, वह प्रधानमन्त्री की जानकारी में है, प्रधानमंत्रीके निर्देश के अनुसार दिया गया है। इसलिए में चाहता हूं कि प्रधानमंत्री यहां आकर बताएं कि वे इसमें शरीक नहीं हैं, मैं आपके जरिए उन्हें कहना चाहता हूं क्या ऐसा तब होगा, जब इस मामले पर यहां डिबेट होगी। इसलिए मेरा कहना है कि···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को बात करने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : इसलिए जब तक इस मामले पर यहां बहस नहीं होती है उस समय तक तमाम अपोजीशन टेंशन में रहेगी और रूलिंग पार्टी के लोग भी टेंशन में रहेंगे क्योंकि उनके प्रधानमन्त्री के बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए, वह जिक्र यहां हुआ है। इसलिए रूलिंग पार्टी भी टेंशन में है। अपोजीशन भी टेंशन में है। अब इस हाउस को टेंशन-रहित करने का काम आपका है। यहां जो सवाल है, सारा हाउस उसने टेंशन-रहित हो, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं यहां किसी रूल बुक को नहीं पलट रहा हूं बल्कि आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप दुनिया में जो सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत के अध्यक्ष हैं, आपकी जो इनहेरेंट पावर्स हैं, उन इनहेरेंट पावर्स के तहत, इस सदन को, देश को टेंशन-रहित करने के लिए, आपको क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर देना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जब रूल्स के तहत कर रहा हूं तो भी नहीं सुन रहे हैं, यदि इनहेरेंट पावर्स का प्रयोग करूंगा तो क्या होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब दूसरी बात है। मैं सब की चांस दूंगा।

[अनुवाद]

प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। एक और विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। प्रश्नकाल अब समाप्त हो चुका है। बिना प्रश्नों का प्रश्नकाल।

श्री राम नाईक : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। प्रश्नकाल अमर रहे। वह हमेशा रहेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नागरिक पूर्ति निगमों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

*694 श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

राव राम सिंह : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के नागरिक पूर्ति निगमों को गोदाम के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) 1992-93 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) इस मन्त्रालय की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विशेषकर भीतरी इलाकों में गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना इस समय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लागू है। लक्षद्वीप को भी इस योजना के तहत सहायता दी गई है। नागरिक आपूर्ति निगमों आदि को सीधे सहायता नहीं दी जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1989-90, 1990-91 व 1991-92 में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	मंजूर राशि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1989-90	2.46	नागालैंड
1990-91	20.00	असम
1991-92	31.00	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
		लक्षद्वीप

वर्ष 1992-93 में इस प्रयोजन के लिए 1.02 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण

*695. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अन्तर्गत राज्य-वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक उपकरण सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) 1990-91 के दौरान ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं की संख्या :

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रशिक्षित युवा
1.	आंध्र प्रदेश	15020
2.	अरूणाचल प्रदेश	355
3.	असम	6487
4.	बिहार	21734
5.	गोआ	3546
6.	गुजरात	15681
7.	हरियाणा	2453
8.	हिमाचल प्रदेश	1350
9.	जम्मू व कश्मीर	907
10.	कर्नाटक	9070
11.	केरल	5657
12.	मध्य प्रदेश	23212
13.	महाराष्ट्र	18016
14.	मणिपुर	599
15.	मेघालय	47
16.	मिजोरम	750
17.	नागालैंड	138
18.	उड़ीसा	12726
19.	पंजाब	10287
20.	राजस्थान	4007
21.	सिक्किम	161
22.	तमिलनाडु	9725
23.	त्रिपुरा	347
24.	उत्तर प्रदेश	57195
25.	पश्चिम बंगाल	14916

1	2	3
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	474
27.	दादरा और नगर हवेली	36
28.	दमन और दीव	110
29.	दिल्ली	886
30.	लक्षद्वीप	13
31.	पांडिचेरी	272
	अखिल भारत	236177

(ख) और (ग) ट्राइसेम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के ग्रामीण युवाओं को हुनर प्रदान करना है ताकि वे स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार कर सकें। इस बात के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित लोग स्वरोजगार शुरू करें अथवा मजदूरी रोजगार पा सकें। ट्राइसेम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए ऋण आवेदनों की प्रक्रिया को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही पूरा करना होता है ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के तुरन्त बाद उन्हें ऋण दिया जा सके।

(घ) प्रशिक्षण संस्थान उपकरण और प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त हेतु इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ही 600 रुपए से अनधिक मूल्य की टूल-किट निःशुल्क प्रदान की जा सकती है।

[हिन्दी]

माईनिंग एन्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन काकोल इंडिया लिमिटेड के साथ विलय

*696. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन का कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ विलय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन (एम० ए० एम० सी०) को विलय किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। किन्तु, एम० ए० एम० सी० को उद्योग मंत्रालय से असंयोजित करके और इसे कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रखे जाने के एक प्रस्ताव की जांच की गई थी। इस प्रस्ताव में उद्योग मंत्रालय को कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई ओर इसलिए प्रस्तावित परिवर्तन नहीं किया गया।

राज्यों को सोफ्ट कोक की सप्लाई

*697. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितने-कितने सोफ्ट कोक की सप्लाई की गई ;

(ख) क्या इस कोक की सप्लाई में वृद्धि की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह वृद्धि कब तक किए जाने का विचार है और राज्यवार कितने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों आदि को प्रेषित किए गए साफ्ट कोक की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

(आंकड़े, 000 टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990-91
1. बिहार	436.4
2. पश्चिमी बंगाल	244.4
3. उत्तर प्रदेश	26.0
4. मध्य प्रदेश	3.8
5. गुजरात	1.7
6. राजस्थान	0.4
7. दिल्ली	40.8
8. हरियाणा	0.2
9. कर्नाटक	0.8
10. जम्मू एवं कश्मीर	0.3
11. हिमाचल प्रदेश	0.2
12. असम	9.5
13. सिक्किम	9.2
14. नागालैंड	5.7
15. अरुणाचल प्रदेश	0.5
16. मिजोरम	3.3
17. अन्य	29.3
जोड़ :	812.5

(ख) और (ग) कोयला कम्पनियों के साफ्ट कोक के उत्पादन में, पिछले कुछ वर्षों से कोयले के उत्पादन के लिए अपेक्षित रेलवे साईडिंग उपलब्ध नहीं होने और पर्यावरणीय समस्याओं के होने के कारण गिरावट आई है। अतः कोयला कम्पनियों के साफ्ट कोक के उत्पादन तथा आपूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती है। किन्तु कोयला कम्पनियां साफ्ट कोक की आपूर्ति में आई कमी को स्टीम कोयले के द्वारा पूरा करती हैं। राज्य सरकारों को "विशेष धुंआ रहित ईंधन" (एस०ए० एफ०) तथा कोयले के ब्रिकेट्स का उत्पादन किए जाने के लिए निजी यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है, जोकि घरेलू ईंधन के रूप में साफ्ट कोक का विकल्प बन सकता है।

[अनुवाद]

कोयले पर आधारित उद्योग

*698. **श्री अनिल बसु :**

श्री राजेश कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) नई औद्योगिक नीति के तहत, सुरक्षा तथा सामारिक महत्त्व आदि से सम्बन्धित उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर शेष सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कोयला-आधारित किसी उद्योग की स्थापना के लिए आशय पत्र की मंजूरी हेतु केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम का कोई प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय के पास लम्बित नहीं है।

मौसम पूर्वानुमान केन्द्र

*699. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ मौसम पूर्वानुमान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि यहां, तो इनके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान को अपेक्षाकृत अधिक सही बनाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) पहले ही देश के विभिन्न भागों में सामान्य मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात चेतावनी, विमानन पूर्वानुमान और कृषि मौसम विज्ञानी परामर्श सेवाओं जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए 70 मौसम पूर्वानुमान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। फिलहाल ये केन्द्र देश की मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

(ग) मौसम पूर्वानुमान में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अपनी गति बनाए रखने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग अपनी प्रेक्षण, संचार, संगणात्मक और मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को निरन्तर बढ़ाता रहता है।

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बकाया धनराशि

*700. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कोष में नियोजकों के शेयर के रूप में देय मिल मालिकों पर बहुत अधिक धनराशी बकाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989 से वर्ष-वार बकाया धनराशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों, प्रतिष्ठानों पर 30 सितम्बर, 1991 को नियोजकों के अंश के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा देय का 104.50 करोड़ रुपया बकाया था। 1989 से बकाया राशि का वर्ष-वार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बकाया राशि (रु० करोड़ों में) का अनुक्रमिक योग
1989	82.93
1990	93.16
1991 (सितम्बर तक)	104.50

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) भू-राजस्व के बकाया देय की वसूली करने के लिए जिला कलकटरों को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा देयों के भुगतान न करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत अभियोजन मामले दायर किये गये हैं।

(iii) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में राजस्व वसूली सैल स्थापित किए गए हैं।

(iv) निगम ने 1-1-1992 से छः राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपना राजस्व वसूलीतंत्र स्थापित किया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पूर्व सोवियत संघ के साथ सहयोग

*701. डा० राजागोपालन श्रीधरण : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पूर्व सोवियत संघ के साथ सहयोग किया था और जो उपभोक्ता मदों का उत्पादन कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम ने जनवरी, 1988 से आज की तारीख तक उपभोक्ता मदों के उत्पादों का विनिर्माण करने के लिये पूर्व सोवियत संघ के साथ कोई सहयोग करार नहीं किया है।

केरल में परम्परागत उद्योग

*702. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केरल में केन्द्रीय सहायता से परम्परागत उद्योगों को पुनः अर्थक्षम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) परम्परागत उद्योगों सहित सभी उद्योगों के संवर्धन की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। फिर भी, केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में मदद करती है।

खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत आने वाले परंपरागत उद्योगों के विकास के लिए निम्न-लिखित योजनाएं चलाई गयी हैं :—

(क) खादी के विकास के लिए खादी बोर्डों को अनुदान;

(ख) खादी के बिकास के लिए खादी संस्थानों को अनुदान;

(ग) खादी के विकास के लिए संस्थानों को बिना ब्याज का ऋण;

(घ) ग्रामोद्योगों के विकास के लिए खादी बोर्डों को अनुदान;

(ङ) ग्रामोद्योगों के विकास के लिए खादी बोर्डों तथा संस्थानों को 4% ब्याज की दर पर ऋण; और

(च) खादी बोर्डों तथा संस्थानों के लिए ब्याज राज सहायता योजना।

इसके अलावा, केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड केन्द्र सरकार की सहायता से निम्नलिखित योजनाएं चला रहा है :—

(क) सहकारीकरण के लिए केन्द्रीय योजना;

(ख) नारियल जटा श्रमिकों के लिए कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम; और

(ग) नारियल जटा उत्पादों के लिए छूट योजना।

केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत वैज्ञानिक

*703. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री शंकरसिंह वघेला : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में कितने कर्मचारी कार्यरत रहे;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनमें से कितने वैज्ञानिक देश छोड़कर चले गए हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क)

वर्ष	वैज्ञानिकों की संख्या
1989-90	256
1990-91	250
1991-92	259

(ख) से (घ) इन तीन वर्षों में संस्थान का केवल एक वैज्ञानिक यू० के० में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ओवरसीज स्कोलरशिप प्राप्त करने के लिए गया, जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए था । अतः इस संस्थान से कोई प्रतिभा पलायन नहीं हुआ है ।

आदिवासियों का सामाजिक-आर्थिक विकास

*705. **श्री भाग्य गोवर्धन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता दर्शाने हेतु लागू की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके क्या परियाण निकले हैं;

(ख) खाद्य जंगली सब्जियों, फलों, कंद-मूलों आदि की खेती करने और उसको बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु आदिवासियों को शिक्षित-प्रशिक्षित करने के लिए चुनी गयी विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत अभी तक कितने आदिवासियों को शामिल किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) और (ग) "आदिवासी क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी अंतरण" स्कीम के तहत ऐसे स्थान विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यों को आरम्भ करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे आदिवासी लोगों को फायदा पहुंचेगा ।

आदिवासियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए तथा साथ ही खाद्य जंगली सब्जियों, फलों, कंद-मूलों आदि जैसे कि अनुबंध "क" की क्रम संख्या में उदाहरण दिया गया है, की खेती करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण के सम्बन्ध में कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं । बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को इस स्कीम से फायदा मिला है । (देखिये विवरण)

विवरण

आदिवासियों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास स्कीमों का विवरण

क्रम सं०	परियोजना का शीर्षक	कार्यान्वयनकर्त्ता संगठन	परिणाम/उपलब्धियां
बिहार			
1.	बिहार के गया, हजारीबाग, पलाम और औरंगाबाद जिलों के 90 गांवों के लिए एक संपूर्ण योजना का समन्वित विकास	सोसाइटी फारकरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रांची	मार्च, 1992 के अंत में परियोजना को स्वीकृत किया गया और परिणामों की प्रतीक्षा है।
2.	आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक विकास	ग्राम निर्माण मंडल, सर्वोदय आश्रम, डाकखाना—सौखोदेओरा, जिला—नवादा	आदिवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने योग्य बनाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए तालाबों की खुदाई। उन सूखा पीड़ित क्षेत्रों में आदिवासी, जहां कि यह परियोजना लागू की गई थी, सब्जियों को उगाकर अतिरिक्त आमदनी कर सके। जल-कृषि की नई विधि को इस परियोजना के माध्यम से एक कार्यात्मक मांडल के रूप में प्रदर्शित किया गया।
3.	संथाल परगना के आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जंगली	कृष्णचन्द्र मिश्र रिसर्च इन्स्ट्रीयूट आफ बाइल्ड	आदिवासी पट्टी में जंगल में उगने वाली सब्जियों की लगभग 60 प्रजातियों में हार्मोनों और उर्वरकों

1	2	3	4
	सब्जियों की फसल की परीक्षणात्मक खेती	वेजीटेबल क्राप्स, वन्दनवार, गोड्डा	की सहायता से कटान और अंकुरित कंदों के द्वारा तीव्रता से गुणात्मक वृद्धि की उपयोगिता के बारे में शिक्षित करने और इसके प्रदर्शन को हाथ में लिया गया। लगभग 120 परिवारों को सब्जियों के रूप में पत्ते, फूल और फल की खेती और उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया गया।
4.	शफरी प्रजनन और पोना पालन का चक्रीय विस्तार	सोसाइटी फार रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रांची	शफरी प्रजनन के लिए स्थान की भू-आकृतिमान विशेषताओं को प्रयोग में लाते हुए लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकी का क्षेत्र में आदिवासियों के समक्ष प्रदर्शन किया गया तथा आदिवासियों को इस प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस परियोजना का गुणक प्रभाव पड़ा जिसमें कुछ राज्यों के अनेक स्वैच्छिक संगठन शामिल थे जो कि एक माडल के साथ ही प्रशिक्षण आधार के रूप में कार्यरत हैं। इस परियोजना को बिल्कुल हाल ही में एक अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया गया है।
5.	खगड़िया की ग्रामीण महिलाओं के लिए एकीकृत रेशम कीटपालन परियोजना	बिहार दलित विकास समिति, खगड़िया	महिलाओं को शहतूत के पेड़ लगाने तथा रेशम के कीड़े पालने का प्रशिक्षण दिया गया।

1	2	3	4
	6. वनस्पति रंगाई, रंजन और छपाई कार्यक्रम	नवभारत जागृति केन्द्र, चंपारन	इस परियोजना को अभी फरवरी, 1992 में ही स्वीकृत किया गया है और इसके परिणामों की प्रतीक्षा है।
	7. भू और जल संसाधनों का एकीकृत विकास	सोसाइटी फार रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन, रांची	परियोजना अप्रैल, 1991 में आरम्भ हुई थी। आरंभिक परिणाम यह दर्शाते हैं कि इस परियोजना से प्रौद्योगिकी विकास हुआ तथा आदिवासियों के लिए नई तकनीक में प्रशिक्षण दिया गया और प्रदर्शन किया गया।
मध्य प्रदेश			
	8. मशीनों की सहायता से पत्ता दोने/पत्तलें बनाने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत आरण्यक विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्ष, जगदलपुर	अनेक आदिवासी महिलाओं को पत्तों के दोने एवं पत्तलें बनाने में प्रशिक्षण दिया गया जिससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार में सहायता मिली।
	9. कुकुरमुत्ते की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत आरंयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्ष, जगदलपुर	कुकुरमुत्तों की खेती में आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसमें उन्हें अपने खाली समय में अतिरिक्त आयोपार्जन में मदद मिली।
	10. कॅंकेर तहसील (जिला बस्तर) के चुने हुए स्थानों में उन्नत कुम्हारगिरी तकनीकों	मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल	उत्पादकता में वृद्धि तथा कठोर परिश्रम में कमी लाने के लिए नई और कोटिउन्नत प्रक्रियाओं,

1	2	3	4
	और उत्पादों का इस क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन को स्थापित करने की दृष्टि से प्रदर्शन		तकनीकों, औजारों और उपकरण के प्रयोग द्वारा कुम्हारगिरी में प्रदर्शन-व-उत्पादन कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों को प्रशिक्षित किया गया। कुम्हार आदिवासियों को नये कम लागत के उपभोक्ता उत्पाद उपलब्ध करा सकें, इसके लिए बड़ी संख्या में विविधतापूर्ण उत्पादनों हेतु नये उत्पादों को पेश करना भी प्राप्त किया गया जो एक अतिरिक्त लाभ था।
11.	ग्राम मुड़पन, तहसील कॅंकेर, जिला बस्तर (मध्य प्रदेश) में ग्रामीण चमड़ा शोधन यूनिट की स्थापना	मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल	इस परियोजना की मुख्य बातें थीं, प्रौद्योगिकी और उत्पादकता कोटिउन्नयन के लिए स्थानीय दशाओं के अनुकूल उन्नत ग्रामीण चमड़ा शोधन प्रक्रियाओं को आरम्भ करना, स्थानीय चर्मकारों और चमड़ा उतारने वालों को कोटिउन्नत प्रौद्योगिकी में तथा साथ ही केन्द्रीय चमड़ा शोधनशाला यूनिट के निर्माण और संचालनात्मक में प्रशिक्षण।
12.	मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले में चुनिंदा वन उत्पाद पर विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट को ग्राम स्तर पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य यूनिटों की स्थापना की दृष्टि से तैयार करना	मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल	इमली, आंवला, लाख, फूल बोहारी, साल, बीज, हरी-तकियों तथा औषधीय पौधों पर संभाव्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं। इस रिपोर्ट से दिलचस्प कारणों को प्रदर्शित किया जिससे प्रत्येक उत्पाद की विपणन क्रियाविधि, इसके प्रक्रियण के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन, उत्पादन की उपयुक्त

1	2	3	4
			रीति का निर्धारण, लागत फायदा विश्लेषण तथा आय सृजन आदि हो सका।
	13. बाघमेरा गांव, जिला दुर्ग में बांस के कामकारों के लिए प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र की स्थापना	मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल	इस परियोजना से बांस की चीजों के उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकों, नये यांत्रिक औजारों के उपयोग, बांस के उत्पादों नामतः सजावट की वस्तुओं में विविधता तथा अंत में, उत्पादन और विपणन प्रणाली की सहकारी रीति को आरम्भ किया गया।
उड़ीसा			
	14. ढेंकनाल जिले आंगुर प्रखंड में महिलाओं को उनके आयोपार्जन के स्तर को उठाने के लिए प्रशिक्षण	इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक डिवेल्पमेंट, ढेंकनाल	अनेक महिलाओं को रस्सी तथा पत्ता दोना बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।
	15. आदिवासी महिलाओं द्वारा मधुमक्खी-पालन के जरिये आयोपार्जन	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ यूथ एण्ड डिवेल्पमेंट फूलबनी	महिलाओं को मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण दिया गया जिससे उन्हें इसे एक घरेलू कार्यकलाप के रूप में आरम्भ करने में मदद मिली। इससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो सकी।
	16. महिलाओं को मधुमक्खी-पालन और बांस के उत्पादों में प्रशिक्षण के लिए महिला-विज्ञान केन्द्र	रूरल टैक्नोलोजी डिवेल्पमेंट एण्ड रिसर्च सैंटर, जिला ढेंकनाल	आदिवासी महिलाओं को मधुमक्खी पालन और ताड़-गुड़ उत्पादों का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें उन्हें अतिरिक्त आयोपार्जन के लिए अवसर प्रदान किए।

1	2	3	4
17.	कोरापुट जिले के आदिवासी और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आधुनिक रेशम-कीटपालन तकनीकें	इन्टीग्रेटेड रूरल डिवेल्पमेंट आफ वीकर सैक्शन्स (वीडा), कोरापुट	आदिवासियों को शहतूत के पेड़ लगाने, रेशम-कीड़े को पालने तथा रेशम के रीलन में प्रशिक्षित किया गया ।
18.	जलकृषि विकास कार्यक्रम	—वही—	परियोजना को मार्च, 1992 में स्वीकृति दी गई और इसके परिणामों की प्रतीक्षा है ।
19.	शहरी और ग्रामीण धन्धों में आदिवासी युवा को प्रशिक्षण देना	—वही—	परियोजना को अप्रैल, 1992 में स्वीकृति दी गई और इसके परिणामों की प्रतीक्षा है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कोयला खानें

*706. श्री भवानी लाल वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में कोयला खानों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां पर हैं;

(ख) वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान इनमें से प्रत्येक खान से कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया;

(ग) लाभ और घाटे का, वर्षवार, ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर डिवीजन के अन्तर्गत कोयला क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अन्य स्थानों का सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्तमान में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, मध्य प्रदेश राज्य में 89 कोयला खानें चला रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अन्तर्गत कोयला खानों के ब्यौरे के साथ-साथ ऐसे क्षेत्र जिनमें यह खानें स्थित हैं और इन खानों से 1989-90, 90-91, 91-92 में हुए कोयले के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-91 की अवधि के दौरान कोयला कीमत विनियमन लेखा (सी० पी० आर० ए०) को अंशदान दिए जाने से पूर्व और सी० पी० आर० ए० को अंशदान दिए जाने के बाद साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा कमाया गया लाभ/उठाए गए घाटे को नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	सी० पी० आर० ए० से पूर्व	सी० पी० आर० ए० के बाद
1988-89	+159.82	—47.56
1989-90	+294.80	—32.32
1990-91	+265.08	—20.79

लाभ (+), घाटा (—)

वर्ष 1991-92 से सम्बन्धित लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) और (ङ) : जी, हां। मध्य प्रदेश क्षेत्र के कोयला क्षेत्रों को पहले ही विनिर्दिष्ट कर लिया गया है। वर्तमान में, भारतीय भू-सर्वेक्षण विनिर्दिष्ट किए गए कोयला क्षेत्रों में कोयले के सम्भावित ब्लाकों का पता लगाने में कार्यरत है।

विवरण

क्रम सं०	खान का नाम	उत्पादन (लाख टन में)		
		1989-00	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	गोविन्दा	6.98	6.79	6.24
2.	मीरा			
3.	जमुना 1 और 2	2.10	2.51	3.02
4.	जमुना 3 और 4	3.99	3.89	3.82
5.	जमुना 7 और 8			
6.	कोटमा	1.66	1.59	1.56
7.	भद्रा	1.47	1.40	1.56
8.	जमुना	6.80	8.38	8.44
	विश्रामपुर क्षेत्र : जिला सुरगुजा			
9.	कुमड़ा (पुराना)	विसरामपुर भूमिगत	5.13	5.75
10.	कुपडा (नया)	खान को शामिल करके		
11.	बलरामपुर			
12.	जयनगर (पुराना)	9.29	5.12	5.12
13.	जयनगर (नया			
14.	विश्रामपुर ओ० सी०	11.84	11.72	11.29
15.	भटगांव (भूमिगत)	5.80	5.28	5.07
16.	डुग्गा ओ० सी०	—	—	1.75
	चिरीमीरी क्षेत्र : जिला सुरगुजा			
17.	कुरसिया (भूमिगत)	3.17	3.04	3.01
18.	कोनावनी			
19.	कुरसिया ओ० सी	8.18	7.92	7.40
20.	कोरिया (भूमिगत)	2.57	2.35	2.75
21.	कोरिया पेच			
22.	डुमनहील	6.85	6.45	5.79
23.	डुमदहील पेच			

2	2	3	4	5
24.	न्यू चिरीमीरी			
25.	पोन्ड्रीहिल (एन० सी० पी० एच)	5.20	5.23	5.26
26.	एन० सी० पी० एच० (न्यू)			
27.	वेस्ट चिरीमीरी	3.40	3.55	3.90
28.	वेस्ट चिरीमीरी पेच			
29.	नार्थ चिरीमीरी	3.48	3.46	3.65
30.	चिरीमीरी	3.32	3.94	4.68
31.	चिरीमीरी ओ० सी०	3.91	3.41	3.15
	बैकुण्ठपुर क्षेत्र : जिला सुरगुजा			
32.	चुरचा	7.31	7.36	6.89
33.	चुरचा वेस्ट	2.04	2.92	2.47
34.	कटकोना 1 और 2	2.12	2.20	2.13
35.	कटकोना 3 औम 4			
	सहागपुर क्षेत्र : जिला शहडोल			
36.	बुरहार नं० 1	5.81	5.19	4.76
37.	धानपुरी भूमिगत			
38.	सुभाष इन्केलाइन			
39.	बुरहार नं० 3	2.01	1.90	1.60
40.	अमलाई	2.15	1.92	1.99
41.	बचाई	3.43	3.08	3.26
42.	विवेक नगर			
43.	कंमटा	1.76	1.57	1.77
44.	धानपुरी ओ० सी	8.22	6.85	10.16
45.	शारदा ओ० सी०	4.22	4.67	4.39
46.	अमलाई ओ० सी०	पूंजी (2.57)	पूंजी (3.24)	1.34
	हसदेव क्षेत्र : जिला शहडोल			
47.	नार्थ झागराखंड	0.81	0.84	0.79

1	2	3	4	5
48.	साउथ झारखंड (न्यू)	2.09	1.65	1.82
49.	साउथ झारखंड (ओल्ड)			
50.	बिजुरी	4.56	4.17	3.82
51.	बाहराबांध	1.14	1.61	1.88
52.	राजनगर ओ० सी	13.00	2.85	1.46
53.	झोला ओ० सी०	0.03	9.90	11.73
54.	पालकी मारा	—	परत "बी" में शामिल	0.64
	हसदेव क्षेत्र : जिला सुरगुजा			
54.	बी० सीम	2.03	2.40	1.75
56.	वेस्ट झागराखंड	2.94	3.13	2.49
57.	राज नगर	6.69	8.26	7.60
58.	नार्थ राजनगर			
59.	राजनगर 7/8			
60.	रामनगर	7.81	7.55	6.76
61.	झिमर (ओल्ड)			
62.	झिमर (न्यू)			
63.	साउथ झिमेर			
64.	मल्गा			
	कोरबा पूर्वी क्षेत्र : जिला बिलासपुर			
65.	बलगी	2.38	3.43	4.20
66.	राजगमार	3.27	3.03	2.87
67.	बंकी	3.82	3.94	4.12
68.	सुरकाचर	4.53	4.29	4.44
69.	सुरकाचर 3 और 4			
70.	सुरकाचर 5 और 6			
71.	माणिकपुर	20.00	20.97	18.08
	कोरबा वेस्ट क्षेत्र : जिला बिलासपुर			
72.	गेवरा	97.00	112.11	132.00
73.	कुसमुंडा	40.00	42.29	41.09

1	2	3	4	5
74	दीपिका	14.90	21.18	20.21
75.	लखनपुर	15.10	20.91	24.12
	जोहिला क्षेत्र : जिला शहडोल			
76.	बीरसिंहपुर	1.66	1.61	2.32
77.	बीरसिंहपुर 3 और 4			
78.	उमरिया	1.53	1.51	1.54
79.	पाली	2.34	3.00	3.06
80.	नौरोजाबाद (ई)	4.72	4.21	4.65
81.	नौरोजाबाद (डब्ल्यू)			
82.	मिनौरा	0.05	0.62	1.50
	सोहागपुर क्षेत्र : जिला शहडोल			
83.	राजेन्द्र भूमिगत	शून्य	शून्य	शून्य
84.	बंगवार भूमिगत	0.10	0.54	0.93
85.	नवगांव भूमिगत	शून्य	शून्य	शून्य
	बैकुण्ठपुर क्षेत्र : जिला सुरगुजा			
86.	पाण्डवपारा	शून्य	शून्य	शून्य
	हसदेव क्षेत्र : जिला शहडोल			
87.	सोमना इंक्लाइन	शून्य	शून्य	शून्य
88.	कुरजा	शून्य	शून्य	शून्य
	कोरबा पूर्वी क्षेत्र : जिला बिलासपुर			
89.	धुलवाडीह	शून्य	शून्य	शून्य
	कोरबा पश्चिमी क्षेत्र : जिला बिलासपुर			
90.	दीपिका ओ० सी	शून्य	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

उर्वरक उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता जुटाना

*707. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद के वर्षों की वार्षिक योजना में उर्वरक उत्पादन

की क्षमता में कितनी-कितनी वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस अवधि के दौरान वास्तव में कितनी अतिरिक्त क्षमता जुटाई गई तथा जहां निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कमी रही, वहां किन-किन कारणों से कितनी-कितनी कमी रही; और

(ख) देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) सातवीं योजना के अंत में 1990-91 के अन्त में प्राप्त आयोजित और वास्तविक क्षमता निर्माण तथा 1991-92 के अंत में अनुमानित क्षमता निम्नानुसार है :—

(लाख टन में)

	सातवीं योजना के अन्त में (1989-90) आयोजित	वास्तविक	1990-91 के अन्त में वास्तविक	1991-92 के अंत में अनुमानित
(1) नाइट्रोजन	92.53	81.48	81.48	82.50
(2) फास्फैटस	28.50	27.50	27.50	27.51

सातवीं योजना के दौरान वास्तवविक रूप से प्राप्त क्षमता निर्माणा ने नाइट्रोजन में 46% तथा फास्फेट में 75% का सुधार दर्शाया है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की क्षमता में आयोजित विस्तार में कमी एच० बी० जे० पाइप लाइन पर निजी क्षेत्र में गैस पर आधारित तीन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन में विलम्ब के कारण हुई है।

फास्फेटिक क्षमता में कमी मामूली थी और वह मुख्यतः हल्दिया उर्वरक परियोजना को चालू न किये जाने के कारण और पूर्व में नियोजित विकेन्द्रीकरण परियोजना के कारण थी।

(ख) कच्चे माल की उपलब्धता के रहते उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कदम प्रस्तावित है उनमें शामिल हैं :—

(1) सातवीं परियोजना में आरम्भ की गई परियोजनाओं को जल्दी पूरा करना।

(2) पुरानी ईकाईयों का पुर्नस्थापन और उनमें सुधार।

(3) चालू संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

(4) नये उर्वरक संयंत्रों की स्थापना।

[हिन्दी]

दिल्ली में चल रही अनधिकृत फैक्टरियां

*709. मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनेक अनधिकृत फैक्टरियां चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 के दौरान दिल्ली में ऐसी कितनी फैक्टरियां पकड़ी गयी हैं और वे कहां-कहां चल रही थीं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं/किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) 1991 में दिल्ली नगर निगम ने 629 और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 22 मामलों की सूचना दी है। ऐसी फैक्टरियों की विशिष्ट अवस्थिति की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) अनधिकृत एकक के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर उसकी जांच की जाती है तथा संगत कानूनों के अन्तर्गत मुकदमे की कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

1991 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में पता लगाए गए अनधिकृत फैक्टरियों के 22 मामले इस प्रकार थे—

कालोनी का नाम	मामलों की संख्या
सावित्री नगर	5
मानसरोवर गार्डन	2
हरि सिंह पार्क (न्यू मुलतान नगर)	3
रमेश नगर	6
अशोक विहार	1
शकूरपुर	2
रानी बाग	1
किलोकड़ी	1
ग्रेटर कैलाश	1
योग	22

2. दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 1991-92 में मुकदमा चलाए गए 629 एककों के जोन-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं—

जोन	मामलों की संख्या
सिविल लाइन	35
नई दिल्ली	
नई दिल्ली दक्षिण	42
सदर पहाड़गंज	50

1	2
करोलबाग	163
शाहदरा दक्षिणी	60
शाहदरा उत्तरी	30
रोहिणी	42
शहरी	43
पठारी	40
योग	629

[अनुवाद]

औद्योगिम इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी का आयात

*710. श्री विजय नवल पाटिल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी का आयात केवल उन औद्योगिक इकाइयों के लिए सीमित कर दिया है जिन्होंने "विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों" को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हल्के वाणिज्यिक वाहनों के दुपहिया गाड़ियों के निर्माताओं पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाया है;

(ग) प्रौद्योगिकी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विचार किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियान) : (क) से (घ) नयी औद्योगिक नीति के अधीन विदेशी प्रौद्योगिकी के अन्तरण की स्वत: आधार पर अनुमति दे दी जाती है, बशर्ते कि प्रस्ताव विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप हों। अन्य प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और अनुमोदन दिया जाता है। विदेशी सहयोग के समझौतों के विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों जिनमें हल्के वाणिज्यिक वाहनों तथा दुपहियां वाहनों के प्रस्ताव भी शामिल है, पर अलग-अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है जिसमें प्रौद्योगिकी अन्तर्लयन के लिए भारतीय उद्यम द्वारा किए गए उपायों, समझौता जारी रखने की आवश्यकता आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन की नई तकनीक

*711. श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने कोयले की उतनी ही मात्रा से 50 प्रतिशत अधिक विद्युत उत्पादन करने की नई तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तकनीक को विकसित करने वाला भारत विश्व में पहला देश है; और

(घ) यदि हां, तो विद्युत उत्पादन के लिए यह तकनीक कब तक उपलब्ध कराने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ सहकार करके 1985 में तिरूचिरापल्ली में एक चुम्बक द्रवगतिकीय विद्युत उत्पादन तकनीक का विकास सिद्धांततः इस सम्भावना के साथ किया था कि इससे कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले संयंत्रों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकेगी।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांड जारी करना

*712. **श्रीमती वासवाराजेश्वरी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को अपनी निवेश योजनाओं हेतु धन जुटाने के लिए बांड जारी करने के लिए अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के क्या नाम हैं;

(ग) इस माध्यम से प्रत्येक उपक्रम द्वारा कितना धन एकत्रित किया गया है; और

(ग) उनके निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों के लिए यह किस हद तक सहायक होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (घ) दिनांक 29 फरवरी, 1992 को संसद में रखे गए 1992-93 के बजट दस्तावेजों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों ने पूंजी-निवेश सम्बन्धी अपनी योजनाओं के आंशिक वित्तीयन के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान बन्धपत्रों/ऋणपत्रों (बाण्ड्स/डिबेन्चर्स) को जारी करने की योजना बनाई है। इन उपक्रमों के नाम के साथ-साथ प्रत्येक उपक्रम द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान बन्धपत्रों/ऋणपत्रों के माध्यम से एकत्रित की जाने वाली राशि तथा योजनागत कुल परिव्यय के भाग के रूप में उक्त राशि, जो पूंजीनिवेश सम्बन्धी प्रस्तावों के लिए उपयोग होगी, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	उद्यम का नाम	योजनागत कुल परिव्यय (92-93)	बांण्ड्स/डिबेन्चर्स (92-93)	योजनागत कुल परिव्यय में बांण्ड्स/डिबेन्चर्स का भाग (%)
1	2	3	4	5
1.	कोल इंडिया लि०	1850.00	400.00	21.62
2.	नेवेली लिग्नाईट कारपो० लि०	401.00	236.00	58.85
3.	महानगर टेलीफोन निगम लि०	641.00	193.00	30.11
4.	भारतीय सीमेंट निगम लि०	77.00	11.00	14.29
5.	एचएमटी लि०	86.76	7.70	8.88
6.	आईबीपी कम्पनी लि०	28.00	28.00	100.00
7.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो० लि०	1238.00	500.00	40.39
8.	राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम० लि०	441.00	250.00	56.00
9.	नेशनल थर्मल पावर कारपो० लि०	2298.00	697.00	30.33
10.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	2232.00	500.00	22.40
11.	आवास एवं शहरी विकास निगम लि०	516.00	400.00	77.52
12.	न्यूक्लियर पावर कारपो० लि०	950.00	557.40	58.67
जोड़		10758.76	3780.10	35.14

[हिन्दी]

तिल्लैयाडैम-चन्दवाड़ा क्षेत्र में गुरू जल संयंत्र

*713. श्री रतिलाल वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार के हजारीबाग जिले के तिल्लैयाडैम-चन्दवाड़ा क्षेत्र में गुरू जल संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

[अनुवाद]

आदर्श किराया विधेयक

*714. श्री अन्ना जोशी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न राज्य सरकारों के मार्गदर्शन हेतु एक आदर्श किराया विधेयक लाने का है;

(ख) इस आदर्श किराया विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक पुरःस्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ब्यौरे विचार-विमर्श के अधीन हैं ।

रिसाव रोकने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा नई प्रौद्योगिकी

*715. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने बांधों और जलाशयों से रिसाव रोकने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नई प्रौद्योगिकी लागत की दृष्टि से कहीं अधिक उपादेय है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी को और अधिक उन्नत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने बांधों और जलाशयों से होने वाले रिसाव को रोकने के लिए उपचारी उपाय करने के उद्देश्य से इस बारे में आवश्यक सूचना देने के लिए कि उनमें रिसाव किस स्थान से हो रहा है और वह किस प्रकार का है, रेडियोआइसोटोप अनुज्ञापक तकनीकों का विकास किया है । यद्यपि ये तकनीकें रिसाव के रास्तों का पता लगाकर रिसाव को रोकने के लिए कारगर उपचारी कदम उठाने में मदद करती हैं, तथापि ये अपने आप से रिसाव को नहीं रोक सकती है । रेडियोआइसोटोप अनुज्ञापक तकनीकी से इस देश के दस से अधिक बांधों में रिसाव की परिस्थितियों को सुलझाया जा सका है, और इससे अभियन्ताओं को उपचारी उपायों का पता लगाने में मदद मिली है ।

(ग) जी, हां । नई तकनीक से एक अन्वेषण पर केवल 20,000 रुपए से 30,000 रुपए खर्च आता है । यह राशि इसके अनुप्रयोग से होने वाले लाभ की तुलना में नगण्य है ।

(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले अभिकरणों की

सूचना के लिए इस तकनीक के तकनीकी विवरण प्रकाशित किए हैं। इस तकनीक के महत्व को विस्तार से बताने के उद्देश्य से अभिभाषण, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गई। परिणामस्वरूप कई राज्यों में केन्द्रीय जल आयोग और सिंचाई विभाग जैसे मुख्य प्रयोक्ता संगठनों को इस तकनीक की उपयोगिता के बारे में जानकारी है।

सरकारी कर्मचारियों को रियायती आवास

7365. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास रियायती दर पर दिया जाता है जो इसके हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो किस श्रेणी अथवा वर्ग के आवंटियों को यह रियासत दी जाती है और कितनी;

(ग) सरकारी आवास के लिए किराया और आवंटियों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं का शुल्क किस आधार पर निर्धारित किया जाता है; और

(घ) किराये और सेवा शुल्क में इससे पूर्व कब संशोधन किया गया था ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सभी सरकारी रिहायशी आवास की परिवर्द्धन/परिवर्तन सहित कुल पूंजीगत लागत का 6 प्रतिशत इन क्वार्टरों के लिए वार्षिक लायसेंस शुल्क के रूप में लिया जाता है। यह राशि इन क्वार्टरों के आवंटियों से आवास के टाइप तथा उस आवास में रहने योग्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यथानुपात ली जाती है। इस प्रकार से निर्धारित लायसेंस शुल्क समय-समय पर संशोधित किया जाता है तथा पिछला संशोधन 1-7-1990 से लागू किया गया था। प्रचलित बाजार किरायों की तुलना में सरकार द्वारा निर्धारित लायसेंस शुल्क काफी कम है। यह रियायत सभी आवंटियों के लिए समान अनुपात में है तथा विशेष रूप से आवंटियों की किसी विशिष्ट श्रेणी या वर्ग को नहीं दी जाती है।

लायसेंस शुल्क के अतिरिक्त, उन क्वार्टरों, जहां स्थानीय निकायों द्वारा पानी के अलग मीटरों की व्यवस्था नहीं की गई है, के आवंटियों से वास्तविक व्यय आधार पर पानी प्रभार वसूल किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में व्यय में वृद्धि होने पर, पानी प्रभाव की दरें तदनुसार संशोधित की जाती हैं।

[हिन्दी]

उत्तरी दिल्ली में वैकल्पित भूखण्ड

7366. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनवरी 1991 से उत्तरी दिल्ली में कितने लोगों के भूखंड बदले गए हैं; और वैकल्पिक भूखण्डों के स्थान तथा आकार का ब्यौरा क्या है;

(ख) दक्षिण दिल्ली में डी०डी०ए० के स्ववित्त पोषित योजना-II और III तथा निम्न आय वर्ग के क्षेत्रवार और श्रेणीवार कितने फ्लैट खाली पड़े हैं; और

(ग) जनवरी 1991 से फ्लैटों के आवंटन के कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किए गए और अब तक कितने आवेदकों को फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि निम्नलिखित आठ मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन की अनुमति दी गई थी :—

क्रम सं०	कालोनी		आकार
	से	को	
1.	रोहिणी	प्रशांत विहार	122.76 वर्ग मीटर
2.	रोहिणी	वही	वही
3.	रोहिणी	वही	वही
4.	रोहिणी	पीतमपुरा	166 वर्गमीटर
5.	रोहिणी	वही	126 वर्गमीटर
6.	रोहिणी	शालीमार बाग	207 वर्गमीटर
7.	रोहिणी	वही	वही
8.	रोहिणी	वही	वही

(ख) निम्न आय वर्ग श्रेणी—शुन्य

स्ववित्त पोषित योजना

	क्षेत्र	श्रेणी II	श्रेणी III
1.	वसंत कुंज	226	166
2.	किशनगढ़	1	3
3.	सरिता विहार	168	118
4.	कटवारिया सराय	—	1
5.	सुखदेव विहार	1	—

(ग) जनवरी, 1991 से बिना बारी के आबंटन के 182 आवेदन अनुमोदित किए गए थे जिनमें के 136 मामलों में आबंटन कर दिया गया है।

बिहार के बैटरी निर्माता

7367. श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों के लगभग 100 बैटरी निर्माताओं तथा अनेक दूसरे स्व-नियोजित ग्रामीण औद्योगिक उद्यमियों के कुछ आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास क्रमशः 13-14 फरवरी, 1991 और 15-16 फरवरी, 1991 से विचार हेतु लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन आवेदन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियान) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

सरकारी खर्च में बचत

7368. श्री मोहन रावले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमन्त्री द्वारा सरकारी खर्च में कटौती करने के आह्वान के पश्चात 31 मार्च, 1992 तक उक्त खर्च में कितनी कटौती की गई; और

(ख) सरकारी वाहनों का प्रयोग कम करके पेट्रोल की खपत में और अन्य मदों में बचत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1991-92 के लिए शहरी विकास मंत्रालय के तीन अनुदान मांगों का कुल बजटीय अनुमान 913.50 करोड़ रुपये था। व्यय कम करने के मितव्ययिता अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए व्यय का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया गया था। वर्ष 1991-92 के लिए अंतिम व्यय अनुमान 861.15 करोड़ रुपये का है। 1991-92 के बजट अनुमानों में से, शहरी विकास मंत्रालय से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में विदेशी सहायता से समतुल्य रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियों को मुहैया करने के पश्चात भी 52.35 करोड़ रुपये की बचत दिखाता है।

(ख) सरकारी वाहनों में पेट्रोल की खपत पर बचत करने के लिए भी कदम उठाए गए। रविवार को स्टाफ कारों के प्रयोग और पेट्रोल की खपत की मासिक सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी वित्त मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों को मंत्रालय और इसके सम्बद्ध, अधीनस्थ कार्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में परिचालित किया गया। मंत्रालय में बहुत से दूरभाषों पर 10 प्रतिशत की कटौती भी की गई है।

खाड़ी के देशों में नौकरानियां

7369. श्री राम निहोर राय : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों में नौकरानियों को भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो खाड़ी के देशों में भारतीय नौकरानियों के नियमित रूप से भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) खाड़ी देशों को नौकरानियां भेजने पर कोई रोक नहीं है। खाड़ी देशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों को सलाह दी गयी है कि वे नौकरानियों सहित असंरक्षित श्रेणियों के कामगारों के दस्तावेज साक्ष्यांकित करते समय सतर्कता बरतें।

भूखण्ड स्वामियों के लिए समय-सीमा बढ़ाना

7370. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूखण्डों के आवंटिती विलम्ब की इस अवधि के समस्त लाभों के हकदार हैं जिसके अन्तर्गत निर्माण हेतु समय-सीमा में विस्तार के लिए मामला 4 महीने से अधिक समय तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आवंटितियों के लिए समय-सीमा में विस्तार में विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ बिना शुल्क वसूल किए या सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा किये बिना दिल्ली विकास प्राधिकरण भूखण्ड के आवंटितियों को निर्माण कार्य पूरा करने और "डी" फार्म जारी होने की तिथि तक की निर्माण अवधि को नियमित कराने के लिए निर्देश जारी कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) समाधेय शुल्क, निर्धारित अवधि के पश्चात जिसमें निर्माण अधूरा रहता है, की अवधि के लिए प्रभार्य होता है। आबंटिती पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से समाधेय शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते है । अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मामलों के विचारार्थ लिया गया समय प्रभार्य समाधेय शुल्क की राशि समाधेय शुल्क की राशि निर्धारित करने का वस्तुपूरक कारक नहीं है।

(ग) और (घ) प्रत्येक मामले में, लीज शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण को पूरा करना भूखण्डधारी का उत्तरदायित्व है । जहां, लीज की शर्तों के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है, बिलम्बित निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित समाधेय शुल्क का भुगतान करके लीज शर्तों के उल्लंघनों को नियमित कराना आबंटितों का उत्तरदायित्व है।

भूमि का इष्टतम उपयोग

7371. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बढ़ती जनसंख्या के लिए भूमि का इष्टतम उपयोग करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इष्टतम उपयोग हेतु वांछित उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल क्या है;

(घ) देश में ऐसी कुल भूमि कितनी है जो भू-कटाव के कारण तथा अन्य प्रकार से कृषि के अयोग्य हो गई है;

(ङ) क्या विगत 15 वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप हुई हानि का योजना आयोग ने कोई मूल्यांकन कराया है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि कृषि मन्त्रालय में राष्ट्रीय भूमि तथा संरक्षण बोर्ड देश में इस समय भूमि संसाधन संरक्षण के लिए भावी योजना की तैयारी तथा भूमि विकास एवं प्रबन्ध के कार्य में लगा हुआ है। भूमि का अनुकूलतम उपयोग प्रौद्योगिकी पैरामीटरों के आधार पर भूमि क्षमता/उपयुक्तता के द्वारा तय होती है।

(घ) राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि देश में भूमि कटाव तथा भूमि अपकर्ष की विभिन्न समस्याओं के अन्तर्गत लगभग 173.64 मिलियन हेक्टेयर है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

नई आयात-निर्यात नीति

7372. **श्री पी० सी० थामस :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक उद्योग ने शिकायत की है कि नए निर्यात आयात विनियम और नीति के कारण औद्योगिक प्रगति को गहरा धक्का पहुंचा है;

(ख) क्या कच्चे माल के आयात या इस पर नियन्त्रण हटाने का इस उद्योग पर प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नकद पूर्ति सहायता जैसे प्रोत्साहन और अन्य लाभ समाप्त करने के कारण इलेक्ट्रानिक सामान का निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले में सहायता देने और इलेक्ट्रानिक माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) निर्यात तथा आयात प्रमाण-पत्र की नई नीति में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियों के आयात को उदार बना दिया गया है। यह आशा की जाती है कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) निर्यात तथा आयात प्रमाणपत्र की नई नीति का निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन अभी करना सम्भव नहीं है।

(घ) जी, हां। इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए/शुरू किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए/शुरू किए गए उपाय

1. सामान्य नीति तथा कार्य-प्रणाली सम्बन्धी उपाय

लाइसेंसिंग

(क) समूचे ईलेक्ट्रानिकी उद्योग को अन्य उद्योग के मामले में लगाए गए स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया गया है।

(ख) सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में जिनमें एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां शामिल हैं, लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गयी है, लेकिन उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी तथा सामाजिक इलेक्ट्रानिकी के उपक्षेत्रों में इसे जारी रखा गया है।

(ग) अलग-अलग मामले में चरणबद्ध विनिर्माण कार्य (पी० एम० सी०) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

(घ) लघु उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुमोदनों/पंजीकरणों का पूरी तरह विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब राज्य स्तरीय उद्योग निदेशालयों के स्तर पर यह कार्य किया जा सकता है। इस क्षेत्र के लिए पूंजीनिवेश की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई है तथा सहयोगी इकाइयों के मामले में यह सीमा 75 लाख रुपये कर दी गई है।

(ङ) विद्यमान इकाइयों को एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति के अन्तर्गत किसी प्रकार के अतिरिक्त पूंजीनिवेश के बिना ही किसी भी वस्तु का विनिर्माण करने की अनुमति कुछ शर्तों के अंतर्गत दी जाती है।

(च) एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति (एम०आर०टी० पी०) अधिनियम में संशोधन होने के फलस्वरूप एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की सम्पत्ति की आरम्भिक सीमा समाप्त हो गई है।

विदेशी सहयोग

(क) विदेशी पूंजीनिवेश—उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत विदेशी साम्यपूंजी तक सीधे ही विदेशी पूंजी निवेश करने के लिए अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) विदेशी प्रौद्योगिकी—एक निश्चित भुगतान की सीमा तक के उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी करारों के लिए अलग से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रवासी भारतीय (एन० आर० आई०)

प्रवासी भारतीयों तथा मुख्यतः उनके आधिपत्य के विदेशी कार्पोरेट निकायों, (ओ० सी० बी०) को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में शत प्रतिशत विदेशी साम्यापूंजी तक सीधे विदेशी पूंजी निवेश के लिए अलग से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही उन्हें देश में वापस आने के पूरे लाभ भी दिए जाते हैं।

आयात तथा निर्यात नीतियां

(क) आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, कलपुर्जों तथा संघटक-पुर्जों के आयात के लिए 1992-93 के बजट में लागू की गयी आंशिक परिवर्तनशील प्रणाली के माध्यम से मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है।

(ख) औजार, सांचे, मोल्ड, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत घटे हुए सीमा शुल्क पर उपलब्ध हैं।

(ग) उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से आयात नीति को उदार बनाया जा रहा है।

वित्तीय तथा कर सम्बन्धी नीतियां

(क) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई०पी० जेड०)योजना के अन्तर्गत बिक्री के लिए अनुमोदित वस्तुओं के मामले में उत्पादन शुल्क घटा दिया गया है।

(ख) संघटक पुर्जा उद्योग के मामले में कच्ची सामग्रियों, अलग-अलग पुर्जों आदि पर आयात शुल्क को उदार बना दिया गया है।

(ग) पूंजीगत वस्तुओं, कम्प्यूटरों, दूरसंचार उपस्करों आदि के विनिर्माण में आवश्यक संघटक-पुर्जों पर लगने वाले सीमा शुल्क को उदार बनाया गया है तथा इसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। (आधारभूत तथा सहायक)

इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी पार्क

सरकार प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि अद्यतन प्रौद्योगिकी से विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की जा सकें। इससे भारतीय उद्यमों को प्रचालन के विश्वव्यापी स्तर को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार उनके उत्पाद तथा प्रक्रिया की गुणवत्ता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

व्यापार की गति

इलेक्ट्रानिकी उद्योग में व्यापार की गति में सुधार लाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास की गति में तेजी लाने के लिए लाइसेंसिंग, सीमा शुल्क, मूल संरचनात्मक सुविधाओं आदि से सम्बन्धित प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना है।

II. विशिष्ट क्षेत्रों में की गयी नीति-विषयक पहल

कम्प्यूटर साफ्टवेयर

(क) साफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० ई० के अन्तर्गत छूट दी गई है।

(ख) साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाई के रूप में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस० टी० पी०) स्थापित किए गए हैं।

(ग) आरम्भ में दिल्ली, बम्बई तथा बंगलौर से विश्व के सभी भागों में साफ्टवेयर के निर्यात की दिशा में सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक मूल्य सम्वर्धित आंकड़ा संचार नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर

वैज्ञानिक जनशक्ति को प्रशिक्षण देने और अनुसंधान तथा विकास कार्यों को करने के उद्देश्य से सस्थान की मूल संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिससे कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए औद्योगिक कठिनाइयों को हल किया जा सके।

III. मल संरचनात्मक तथा अन्य सुविधाएं

इलेक्ट्रानिकी का अनुप्रयोग

(क) सरकार उत्पादकता, गुणवत्ता तथा सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिकी के समुचित अनुप्रयोगों को बढ़ावा दे रही है।

(ख) सीमेंट, चाय, कागज तथा लुग्दी, चीनी वस्त्र तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों के उद्योगों की आवश्यकताओं को इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से विकसित प्रक्रिया यंत्रीकरण प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढालने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि उत्पादकता, कार्य-कुशलता, विश्वसनीयता, ऊर्जा संरक्षण इत्यादि में वृद्धि हो सके।

(ग) गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनमें से कुछ प्रयोगशालाएं गुणवत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मानकों के परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत हैं।

(घ) सरकारी विभागों तथा सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान तथा विकास

(क) प्रौद्योगिकी विकास परिषद, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी परिषद तथा इलेक्ट्रानिकी सामग्री विकास परिषद द्वारा उत्पाद डिजाइन तथा और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो किसी भी इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास के मूलभूत तत्व हैं, कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ख) चुने हुए इंजीनियरी तथा अनुसंधान तथा विकास के कार्य करने के लिए प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था, टेलीमेटिक्स के विकास के लिए राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, सामग्री के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री विकास केन्द्र तथा कई इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र जैसे विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों और प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है जो आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार का विकास करने का एक उपाय है।

यूरिया का उत्पादन

7373. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम विश्व बैंक की सहायता से यूरिया का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी मात्रा में यह आयात किस देश से किया जा रहा है और इसमें विदेशी मुद्रा के रूप में पूंजी परिव्यय कितना होगा;

(ग) राज्यों को इसके आबंटन का क्या मानदण्ड है और स्वदेशी उत्पाद की तुलना में इसका मूल्य कितना है; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा यह सहायता किस रूप में दी जा रही है ?

रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (घ) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) ने चार लाख टन यूरिया के आयात के लिए निविदा सूचना जारी किया है जिसका वित्त प्रबन्ध विश्व बैंक ऋण द्वारा किया जाना है। आपूर्ति के स्रोत और इसके मूल्य के बारे में जानकारी बोलियों को खोलने तथा ठेके प्रदान किये जाने के बाद ही ज्ञात होंगी। राज्यों को यूरिना की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी आवंटन के आधार पर की जाएगी।

नगर परिवहन नीति

7374. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक व्यापक राष्ट्रीय नगर परिवहन नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीवि के कार्यान्वियन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० अरुणाचलम) : (क) से (ग) नगर परिवहन क्षेत्र में भारत सरकार का सीमा उत्तरदायित्व बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों तक सीमित है। यद्यपि, दिल्ली में नगर परिवहन प्रणाली को सुधारने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करवाया गया है परन्तु, राष्ट्रीय नगर परिवहन नीति तैयार करने के निमित्त इस संबंध कोई प्रस्ताव नहीं है। नगर परिवहन प्रणाली में सुधार विशेषतः प्रत्येक नगर केन्द्र के स्वरूप और उसकी आवश्यकता पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

[हिन्दी]

पौड़ी, उत्तर प्रदेश में अनुसंधान संस्थान

7375. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश में भेरसर (जिला पौड़ी) में शीतोष्ण जलवायु के अध्ययन हेतु अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति कब गठित की गई थी और इसके द्वारा दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति की स्वीकृति के बावजूद भी उक्त संस्थान की अभी तक स्थापना नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त स्थान पर इस संस्थान की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इस प्रकार की समिति के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

7376. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु में द्वितीय खान विस्तार योजना की विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के ठेकेदारों को विदेशी तथा भारतीय मुद्रा में अब तक किए गए भुगतानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है तथा निर्माण लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) सभी प्रमुख खनन उपकरणों को चालू कर दिया गया है और जनवरी, 1992 से उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

(ख) द्वितीय खान विस्तार योजना के लिए विदेशी और देशी ठेकेदारों को किए गए भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. विदेशी ठेकेदारों को किया गया भुगतान—

(1) 2905.20 लाख डच मार्क	(22934.35 लाख रुपए)
(2) 14.21 लाख अमरीकी डालर	(182.04 लाख रुपए)
(3) 518-31 लाख जापानी येन	(42.55 लाख रुपए)
(4) 0.05 लाख स्विस फ्रैंक	(0.45 लाख रुपए)

2. देशी ठेकेदारों को किए गए भुगतान, जिसमें शुल्क और कर शामिल है :

60,093.61 लाख रुपए

(ग) और (घ) एन० एल० सी० की खान-II विस्तार योजना के सम्बन्ध में 1065.40 करोड़ रुपए (4/90 आधार) के द्वितीय संशोधित लागत अनुमान फरवरी, 1991 में सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए थे और योजना को अप्रैल, 91 तक चालू किया जाना था। तथापि योजना को दिसम्बर, 91 में लगभग आठ महीने देर से चालू किया गया। विलम्ब के कारण मुख्यतः भूमि अधिग्रहण में देरी होना था । विलम्ब के कारण 32.90 करोड़ लागत आई, अप्रत्याशित लागत 1098.30 करोड़ रुपए रही । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(1) रुपए की विनिमय दर में वृद्धि (9.30 करोड़ रु०)

(2) निर्माण के दौरान ब्याज में वृद्धि (15.70 करोड़ रु०)

(3) शुल्कों और करों में वृद्धि (7.90 करोड़ रु०)

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर कोड का मानकीकरण

7377. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर कोड का मानकीकरण करता है;

(ख) क्या वर्ष 1988 के लिए इलेक्ट्रोनिकी विभाग के मानक में किए गए परिवर्तनो को कम्प्यूटर सोसाइटी आफ इंडिया जैसी व्यावसायिक सोसाइटियों की पत्रिकाओं में प्रकाशित करने हेतु विशेषज्ञों की सलाह मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो तुलनात्मक विश्लेषण के साथ किन-किन पत्रिकाओं में ऐसे परिवर्तनों को प्रकाशित करने का प्रस्ताव है और क्या इस सम्बन्ध में कोई सलाह मांगी गई है; और

(ङ) किसी कोड को बदल दिए जाने की स्थिति में अब तक प्रयोग किए गए पुराने कोडों के बदलने की नीति क्या है और क्या यह कार्य किसी संस्था द्वारा पूरा करवाया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां। भारतीय मानक ब्यूरो ने आई० एस० 13194 : 1991 इन्डियन स्क्रिप्ट कोड फार इनफारमेशन इंटरचेंज—आई० एस० सी० आई० आई० के जरिए कुछ भारतीय भाषाओं के लिए कम्प्यूटर कोडों को मानकीकृत किया है।

(ख) मानकों में किए गए परिवर्तनों को पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकों को भारतीय ब्यूरो, नियम, 1987 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तैयार किया जाता है। आई० एस० : 13194 : 1991 को तैयार करने में भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

(घ) मानक आई०एस० : 13194 : 1991, जो इलेक्ट्रानिकी विभाग के 1983 के कोड को भी लेता है, आम जनता के लिए उपलब्ध है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इलेक्ट्रोनिकी विभाग को आई० एस० 13194 : 1991 के उद्धरणों को अपनी विभागीय पत्रिका में प्रकाशित करने की अनुमति दी है।

(ङ) इलेक्ट्रानिकी विभाग के 1988 के कोड में किए गए छोटे संशोधनों को सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांसड कम्प्यूटिंग द्वारा जिस्ट (ग्राफिक्स बेस इन्टेलीजेंट स्क्रिप्ट टेक्नालाजी) चिप 9000 में पहले ही शामिल कर लिया गया है, ताकि उसे 1991 मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। यह कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

(अनुवाद)

प्राथमिकता के आधार पर डी० डी० ए० फ्लैटों का आबंटन

7379. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० उन सभी आवेदनकर्त्ताओं को, जिन्होंने प्राथमिकताओं के आधार पर डी० डी० ए० फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन किया है, निर्धारित प्रार्थना पत्र भेजता है;

(ख) यदि नहीं, तो किस श्रेणी के आवेदनकर्त्ताओं को डी० डी० ए० द्वारा निर्धारित प्रार्थना-पत्र भेजे जाते हैं और उन्हें सम्बन्धित कागजातों और प्रक्रिया शुल्क जमा कराने को कहा जाता है;

(ग) उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें जनवरी 1, 1990 से 31 जुलाई, 1991 तक आवे भेजे गए हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें रद्द कर दिया और इसके विशेष कारण क्या है;

(ङ) क्या सरकार आवेदनकर्त्ताओं के मामलों को रद्द होने के आधार/कारणों से अवगत कराने का विचार रखती है; और

(च) यदि नहीं, इसके कारण क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बिना बारी के आबंटनों के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र सभी को नहीं बल्कि मात्र उनको भेजे जाते हैं जो बिना बारी के आबंटन हेतु आवेदन करते हैं और जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति मार्गनिर्देशों के दायरे में स्पष्ट तौर पर आते प्रतीत होते हैं।

(ग) तथा (घ) : 1-1-90 से 31-7-91 तक की अवधि के दौरान, 575 आवेदनों को प्रपत्र भेजे गए थे। इन मामलों में की गई कार्रवाई के बारे में ब्यौरे इस प्रकार हैं :

नियतन आबंटन हेतु अनुमोदित मामले	अस्वीकृत मामले	प्रक्रियाधीन मामले
280	269	26

अस्वीकृत मामलों में कारणों का उल्लेख इस प्रकार हैं :

(i) बिना बारी के आबंटन कोटे के अन्तर्गत फ्लैटों की अनुपलब्धता।

(ii) बिना बारी के आबंटन हेतु मामलों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त पाया जाना।

(iii) आवेदक की परिस्थितियों तथा अनुकम्पा के आधार बिना बारी आबंटन के हेतु न्यायसंगत न होना।

(ङ) और (च) चूंकि, बिना बारी के आधार पर आबंटित किए जाने वाले फ्लैटों की संख्या सीमित है, अत: अस्वीकृत मामलों में मात्र एक खेद पत्र भेजा जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया जा रहा है कि इस प्रकार के मामलों में अस्वीकृति के आधारों के समावेशन पर विचार करे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता

7380. प्रो० रमेश चन्द तोमर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पेयजल सम्बन्धी भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पड़ोसी क्षेत्रों में उपलब्ध जल संसाधनों पर कितना निर्भर रहना पड़ता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि

7381. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992 को कितनी सामूहिक आवास समितियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि के लिए आवेदन किया है; और

(ख) इस वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाने वाली समितियों के नाम क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सामूहिक आवास समितियों से भूमि के आबंटनार्थ आवेदन पत्र सहकारी समितियों के पंजीयक के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 1 जनवरी, 1992 को सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा भेजी गई ऐसी 400 समितियों की एक सूची दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास थी। जिन समितियों को इस वर्ष भूमि आबंटित की जाएगी, उनके नाम इस समय नहीं बताए जा सकते क्योंकि सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटन का मामला न्याय निर्णयाधीन है।

कोयला खानों को आग से बचाने के उपाय

7382. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया की कोयला खानों में लगी आग के कारण लगभग 37 करोड़ टन कोयला जल कर राख हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य कोयला खानों को आग से बचाने के लिए सरकार ने कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र की किन-किन कोयला खानों में यह व्यवस्था की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने से बहुत पहले से झरिया कोयला क्षेत्र के 17.32 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में 70 आगें लगी हुई हैं। इस कोलफील्ड्स में पहली आग 1916 में सूचित की गई थी। आगे से कोयला के भण्डारों की हुई हानि का सही अनुमान लगाया जाना कठिन है। किन्तु कोयला कम्पनियों ने अनुमान

लगाया है कि इन आगों से लगभग 37 मि० टन कोयले के भण्डारों का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) से (घ) कार्यरत कोयला खानों को आग से बचाए जाने के लिए बचाव उपाय किए जा रहे हैं, इनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—पतली परतों के नीचे पड़े कोयले का ओपनकास्ट खनन, वैज्ञानिक रूप में भूतिगत खनन, ऐसी कोयला सीमें जो कि स्पोनटेनियस कम्बुशन से ग्रस्त हैं, उनकी जलीय रेत भराई, सतही दरारों का भरा जाना और खानों के रोशनी सम्बन्धी पैरा-मीटरों पर उचित निगरानी रखा जाना। ये उपाय, खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा निर्धारित किए गए नियमों, विनियमों तथा मार्ग-निर्देशों के अनुरूप कोयला खानों में अनुपालन किए जाने की मानक पद्धति के रूप में है। ये उपाय देश की सभी कोयला खानों पर लागू होते हैं, जिसमें महाराष्ट्र की कोयला खानें भी शामिल हैं।

प्रति व्यक्ति आय

7383. **श्री भगवान शकर रावत** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1950 को प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय कितनी थी तथा इसके अनुरूप वर्ष 1990-91 के आंकड़े क्या हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों की औसत राष्ट्रीद आय और प्रति व्यक्ति औसत आय में उक्त दोनों अवधियों के दौरान ऐसी भिन्नता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1950-51 तथा 1990-91 वर्षों के लिए वर्तमान कीमतों पर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद) तथा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय को संलग्न में दर्शाया गया है।

(ख) विभिन्न समय तथा स्थान पर किए गए विकास प्रयासों विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास भिन्नता, वर्षा के असमान पैटर्न, सूखे तथा/या बाढ़ आदि कृषि जलवायु स्थितियों में जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारें लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विकास स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इसमें कृषि विकास, उद्योग, आधारिक संरचना, सिंचाई, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के लिए निवेश शामिल है। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन, गरीबी निवारण आदि के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार भी आवश्यक सहायता/अनुदान देती है।

विवरण

वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (1950-51 तथा 1990-91)

(रुपए)

क्रम सं०	राज्य	1950-51	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	4507
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	291*	3427
4.	बिहार	—	2460
5.	गोआ	—	7634
6.	गुजरात	—	6060
7.	हरियाणा	—	6936
8.	हिमाचल प्रदेश	240**	4813
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—
10.	कर्नाटक	—	4737
11.	केरल	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	3614
13.	महाराष्ट्र	—	7409
14.	मणिपुर	—	3708
15.	मेघालय	—	3443
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	—	3602
18.	उड़ीसा	148	3180
19.	पंजाब	—	8281
20.	राजस्थान	—	3983
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	204	3894/=
23.	त्रिपुरा	—	—

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	259	3553
25.	पश्चिमी बंगाल	—	—
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय		239	4974

*पूर्व असम से सम्बन्धित।

**पुराने हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित।

/=1989 से सम्बन्धित।

स्रोत : प्रति व्यक्ति आय के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

टिप्पणी : (1) विभिन्न राज्यों के लिए प्रयुक्त स्रोत सामग्री में विभिन्नता के कारण विभिन्न राज्यों के आंकड़े अक्षरश: तुलनीय नहीं हैं।

(2) अन्य राज्यों के सम्बन्ध में 1950-51 के प्रति व्यक्ति आय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ("—" द्वारा सूचित)।

[अनुवाद]

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि० में पूंजी निवेश

7384. श्री अनिल बसु : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के रिफ्रेक्ट्री ग्रुप के विभिन्न इकाइयों में इसके राष्ट्रीयकरण के बाद से कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद इसके रिफ्रैक्ट्री समूह के विभिन्न एककों में, दिनांक 31 दिसम्बर 1991 तक, किए गए एकक वार पूंजी निवेश का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	(रु० लाखों में)
(क) रानीगंज समूह	256.93
(ख) गुलफरबारी कारखाना	141.60
(ग) जबलपुर कारखाना	71.11
(घ) निवार कारखाना	101.32
(ङ) सेलम कारखाना	2393.41

[हिन्दी]

"कापार्ट" के धन का कथित गोलमाल

7385. **श्री मृत्युन्जय नायक : क्या प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1992 के "संडे मेल" में "कापार्ट के धन के कथित गोलमाल के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने ग्रामीण विकास कार्य हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को 4000 से अधिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। कुछ मामलों में निधियों का कुछ दुरुपयोग अथवा कम उपयोग किए जाने के मामले कापार्ट के ध्यान में आये हैं। ऐसे मामलों में जहां कहीं आवश्यक हुआ है, कापार्ट द्वारा आगे सहायता को रोक दिया गया है। कापार्ट ने ऐसे 50 स्वयंसेवी संगठनों को "काली-सूची" में डाल दिया है जहां निधियों का दुरुपयोग किए जाने का मामला ध्यान में आया है और कुछ मामलों में, निधियों की वसूली के लिए न्यायालय में मामले भी दायर कराये गए हैं।

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग से परमाणु संयंत्र

7386. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से परमाणु विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी सहयोग से लगाए जा चुके परमाणु विद्युत संयंत्रों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

संयंत्र	वर्तमान क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन शुरू किए जाने की तारीख	अभ्युक्ति
तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 और 2	2×160	अक्तूबर, 1969	अमरीका के सहकार से बनाकर सौंप दिए जाने वाली परियोजना
राजस्थान परमाणु बिजलीघर 1 और 2	1×100 1×200	दिसंबर, 1973 अप्रैल, 1981	कनाडा के सहकार से लगाई गई सहयोगी परियोजना

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निदेशक मंडल

7387. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने निदेशक मंडलों की नियुक्ति की;

(ख) इन नियुक्तियों के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं; और

(ग) क्या इन निदेशकों की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई कोटा आरक्षित किया गया था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के निदेशक मण्डलों के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए, अनुमोदित व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों सहित निदेशकों की संख्या
1989	185
1990	200
1991	195

(ख) और (ग) ऐसी नियुक्तियों के लिए उद्योग, वाणिज्य, वित्त, प्रशासन आदि क्षेत्र में प्रमाणित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के बारे में विचार किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तरीय नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

खाद्य तेलों का संकट

7388. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में खाद्य तेलों के संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके मूल्यों में हो रही अत्यधिक वृद्धि के कारण खाद्य तेल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(घ) क्या खाना बनाने के माध्यम के रूप में कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) देश में खाद्य तेलों की उपलभ्यता या उसके मूल्यों से सम्बन्धित कोई संकट नहीं है। वस्तुत: जनवरी, 1992 के अन्तिम सप्ताह से खाद्य तेलों के मूल्यों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले गिरावट का रुख रहा है।

(ग) तथापि, मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जैसे वनस्पति तेलों पर उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट को जारी रखना, खाद्य तेलों की भंडारण सीमाओं में कमी करना, रेल माल भाड़े में वृद्धि से खाद्य तेलों की छूट देना, जमाखोरी-विरोधी अभियान में तेजी लाना और खाद्य तेलों की उपलब्धता और मूल्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कड़ी निगरानी बरती जाना। आपूर्ति बढ़ाने के प्रयोजन से खाद्य तेलों का आयात भी किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेल मुहैया करने के साथ-साथ सरकार ने दिनांक 7 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 91 (अ) द्वारा सम्मिश्रित तेलों के विनिर्माण और विपणन की अनुमति दे दी है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश हटाने का द्वितीय चरण

7389. श्री राम नाईक : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में द्वितीय चरण में पूंजी निवेश हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों से पूंजी निवेश हटाने का प्रस्ताव है उनके क्या नाम हैं;

(ग) इन सरकारी उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी कितनी है और प्रदत्त पूंजी की कितनी राशि कम करने का प्रस्ताव है; और

(घ) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उपयुंक्त प्रस्ताव में पूंजी लगाई है तथा उनमें से प्रत्येक ने कितने शेयर खरीदे हैं?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से आंशिक रूप से पूंजी निकालने का दूसरा दौर फरवरी, 1992 में प्रभावी हुआ था।

(ख) और (ग) पूंजी निकालने के दूसरे दौर में जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से शेयर निकाले गये थे, उनके नाम तथा उनकी कुल पूंजी एवं प्रत्येक उपक्रम में प्रस्तावित चुकता पूंजी का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(घ) पूंजी निकालने के दूसरे दौर के दौरान जिन पार्टियों ने उपयुंक्त शेयर खरीदे हैं उनके नाम तथा उनमें से प्रत्येक पार्टी द्वारा खरीदे गये शेयरों की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	31-3-1991 की कुल चुकता पूंजी (करोड़ रुपयों में)	पूंजी निकालने के दूसरे दौर के दौरान बिक्री के लिए प्रस्तावित चुकता पूंजी (करोड़ रुपयों में)
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	63.84	6.54
2.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	50.00	4.26
3.	भारत अर्थ मूवर्स लि०	30.00	1.09
4.	विदेश संचार निगम लि०	60.00	4.85
5.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	244.76	27.04
6.	भारतीय नौवहन निगम लि०	261.23	25.23
7.	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०	186.00	20.09
8.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०	80.00	2.95
9.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	88.00	8.48
10.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	49.35	8.11
11.	मद्रास रिफाइनरीज लि०	114.13	5.85
12.	महानगर टेलीफोन निगम लि०	600.00	60.87
13.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	3985.89	108.11
14.	नेवेली लिग्नाईट कारपो० लि०	1435.82	20.11
15.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	403.73	33.80
16.	बोंगाई गांव रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि०	199.82	18.54

विवरण-II

क्रम सं०	संस्थान का नाम	1991-92 में निकाली गई पूंजी के दूसरे दौर के दौरान बेचे गए शेयरों की राशि (रुपये)
1.	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	13315000000
2.	भारतीय स्टेट बैंक सांझा कोष	130000000

1	2	3
3.	भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार	396200000
4.	इंडियन बैंक सांझा कोष	133272600
5.	बैंक आफ बड़ौदा	993000000
6.	इलाहाबाद बैंक	260200000
7.	कारपोरेशन बैंक	338500000
8.	केनबैंक वित्तीय सेवायें	130358700
9.	बैंक आफ इंडिया सांझा कोष	410300000
	जोड़	16106831300

[हिन्दी]

सरकारी मकानों में रह रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी

7390. डा० लाल बहादुर रावल :

श्री यशवन्त राव पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टाइप-I से टाइप-VI तक टाइप-वार सरकारी क्वार्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) सेवानिवृत्त ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो इस समय इन क्वाटरों में रह रहे हैं और ऐसे कितने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्त के पश्चात् एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि से इन क्वार्टरों में रह रहे हैं;

(ग) इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सरकारी क्वार्टर खाली कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क)

टाईप-I	17453
टाईप-II	25196
टाईप-III	18112
टाईप IV	5793
टाईप-IV (विशेष)	378
टाईप-V	1505
टाईप-V (डी 1 फ्लैट)	345
टाईप-VI	537

(ख) 454

(ग) और (घ) कुछ मामलों में आवंटियों के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमितिकरण/तदर्थ आवंटन के लिए आश्रितों के अनुरोध प्रक्रियाधीन हैं। अन्य सभी मामलों में लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

7391. श्री जीवन बर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने सम्बन्धी नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में ऐसे कितने मामले हुए हैं, जिनमें मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के लिए आवेदन दिया हो;

(ग) इनमें से कितने मामलों का निपटारा कर लिया गया है;

(घ) अन्य मामलों के सम्बन्ध में निर्णय न लेने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों का कब तक निपटारा कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति को शासित करने वाले दिशानिर्देश कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उक्त दिशानिर्देशों की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) 31-3-92 को समाप्त हुए पिछले एक वर्ष के दौरान, दिल्ली में स्थित भारत सरकार मुद्रणालयों के 21 मृत कर्मचारियों के आश्रितों से आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) से (ङ) आधुनिकीकरण के कारण भारत सरकार मुद्रणालयों, मिंटो रोड, नई दिल्ली के कर्मचारियों की संख्या में कमी तथा चार भारत सरकार मुद्रणालयों, इत्यादि को बन्द करने के पहले लिए गए निर्णय एवं कतिपय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अभिनिर्णयों के कारण किसी भी मामले को समायोजित करना सम्भव नहीं हो पाया है।

विवरण

अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों से संबंधित अनुदेश

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने से सम्बन्धित विषय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी अनुदेश/इन अनुदेशों की मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(I) प्रयोज्यता

आत्म-हत्या द्वारा मृत्यु सहित सेवाकाल में मरने वाले सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियां/निकट सम्बन्धी।

कुछ विशिष्ट मामलों में, बीमारी के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को भी अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है परन्तु ऐसी सेवानिवृत्ति समूह "ग" के पद के मामलों में 35 वर्ष की आयु और समूह "घ" पदों के मामलों में 57 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व होनी चाहिए।

सरकारी कर्मचारी, जो पुर्ननियोजित बल्कि बढ़ाई गई सेवा अवधि के दौरान मरते हैं, के पुत्र/पुत्रियां या निकट सम्बन्धी।

(II) **सक्षम प्राधिकारी**

(क) मंत्रालय/विभाग के लिए, प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव

(ख) सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय—विभगाध्यक्ष

(III) अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां केवल समूह "ग" या समूह "घ" पदों पर ही की जा सकती है।

(IV) (क) ऐसी नियुक्तियां सीधी भर्ती कोटे के प्रति की जानी है;

(ख) ऐसी नियुक्तियां केवल तभी की जानी चाहिए जब उम्मीदवार संगत भर्ती नियमों के अनुसार हर तरह से पद के लिए पात्र एवं उपयुक्त हो।

(ग) जहां परिवार की स्थिति दीनहीन हो, समूह "ग" पदों या अवर श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में शैक्षिक योगग्यताओं में अस्थायी तौर पर छूट दी जा सकती है। ऐसी छूट दो वर्ष की अवधि के लिए अनुमत्य है इसके बाद किसी छूट की अनुमति नहीं होगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(घ) किसी विधवा के मामले में जिसे समूह "घ" पद पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किया जाता है, उसे अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जाएगी बशर्ते कि भर्ती नियमों में निर्धारित अपेक्षित शैक्षिक योग्यताओं के बिना भी पद का कार्य संतोषजनक रूप से निष्पादित किए जा सकते हों।

(ङ) ऐसे परिवारों के मामले में जहां पहले से ही कोई अन्य कमाने वाला सदस्य है इन तथ्यों की सन्तुष्टि करने के बाद कि आश्रितों की संख्या सम्पत्ति और दायित्व। कमाऊ सदस्य की आय और उसके दायित्व और यह भी कि कमाऊ सदस्य मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार के साथ रहता है और परिवार के अन्य सदस्यों के सहारे का कोई अन्य स्रोत है या नहीं है, के सम्बन्ध में रियायत देना न्यायोचित है। विभाग के सचिव के विशिष्ट अनुमोदन से परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है।

(च) संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पद के लिए अपेक्षित तकनीकी योग्यताओं के सम्बन्ध में किसी छूट की अनुमति नहीं है।

(V) **सीमा जिस तक अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है**

सीधी भर्ती कोटे में होने वाली रिक्तियों के प्रति अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां की जानी है। किसी विशेष अवसर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिक व अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों के लिए कुल आरक्षण किसी भी समय उपलब्ध रिक्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

(VI) **छूट**

अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां निम्नलिखित छूट पर की जा सकती है :—

(क) भर्ती प्रक्रिया अर्थात कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार कार्यालय के माध्यम बिना; या

(ख) निर्धारित आयु सीमा बशर्ते कि न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष से कम न हो।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं—पिछले पृष्ठ के पैरा 4 में दर्शाई गयी सीमा तक।

(ग) कार्मिक विभाग या रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के सरप्लस सैल से मंजूरी।

(VIII) **चयनात्मक दृष्टिकोण**

(क) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशासनिक कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यताओं एवं अनुभव वाले व्यक्ति ही लिए जाएं।

(ख) यह आवश्यक नहीं है कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां केवल समूह "घ" पद ही की जाएं। मृत सरकारी कर्मचारी के शैक्षिक तौर पर योग्य आश्रितों को समूह "ग" में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हो।

(ग) अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां इस प्रकार वितरित की जाएं कि सहयोगी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को भी इस प्रकार की नियुक्तियों में उचित हिस्सा प्राप्त हो।

(घ) अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के लिए अनुरोध पर अंतिम निर्णय लेते समय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को प्राप्त हुए वित्तीय लाभों को भी ध्यान में रखा जाए। ये लाभ हैं—केन्द्रीय सरकार ग्रुप बीमा योजना, अवकाश नकदीकरण, मृत सरकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाता में पूर्व के तीन वर्षो के दौरान औसत बकाया के बराबर अतिरिक्त राशि की हकदारी, संशोधित पारिवारिक पेंशन और अनुग्रह कोष से सहायता, जहां भी लागू हो।

(VIII) **अन्य महत्वपूर्ण बातें**

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के लिए अनुरोध पर उन मामलों में भी विचार किया जा सकता है जहां पर कि मृत्यु बहुत पहले हो चुकी हो। किन्तु अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की धारणा वृहत्त रूप से उन परिवारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित है जिन्होंने अपना जीविकोपार्जक खो दिया है। अतएव, यह भी ध्यान में रखा जाए कि इस अवधि के दौरान परिवार ने येन-केन प्रकारेण अपना कामकाज चला लिया था। इस प्रकार के मामलों का निर्णय सचिव स्तर पर किया जाए।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में वन तथा खनिज पदार्थों पर आधारित एकक

7392. श्री बापू हरि चौरे : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के आदिवासी तथा पिछड़े जिलों, विशेष रूप से धुले जिले में वन तथा खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की बड़ी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए चालू पंचवर्षीय योजना दौरान क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) संसाधन आधारित औद्योगीकरण को प्राय: राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जो किसी जिले अथवा क्षेत्र विशेष के आद्योगीकरण के लिए मुख्यतया उत्तरदायी होती हैं। महाराष्ट्र सहित अनेक राज्य सरकारें पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए विभिन्न प्रोत्साहन व रियायतें देती हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने उद्योगों के छितराव के लिए चुनिन्दा केन्द्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विकास केन्द्र योजना आरम्भ की है। इस योजना के अधीन, राज्य के विकास केन्द्रों में महाराष्ट्र में धुले को चुना गया है जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विकसित किया जाना है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना

7393. श्री विश्व नाथ शर्मा : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशों में प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा पिछले दो वर्षों में प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अनुसार, विदेशों में प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने से विदेशी बाजारों में लघु उद्योग उत्पादों/परियोजनाओं के निर्यात को बढ़ाने में निरन्तर सहायता मिली है। निर्यात प्रत्येक वर्ष निरन्तर एवं संगत रूप से बढ़ रहा है। 1990-91 के दौरान निर्यात कारोबार 6 67 करोड़ रुपये का था और 1991-92 में यह 11 करोड़ रुपये हो गया।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेशकों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का आबंटन

7394. प्रो० के० वी० थामस :

श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1992 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के शेयरों को सरकार का निवेश कम करने की नीति के अन्तर्गत विदेशी निवेशकों को बेचे जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के शेयर, विदेशी निवेशकों को बेचे जाने के बारे में नीति सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नाफ्था क्रेकर काम्पलैक्स को डाउन स्ट्रीम परियोजना

7395. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नापथा क्रेकर काम्पलेक्स तथा इसकी डाउन स्ट्रीम परियोजना के निर्माण के लिए हाल ही में किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत विधवाओं को फ्लैटों का आवंटन

7396. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुक्त (आवास) के पास अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत विधवाओं को फ्लैट आवंटित करने सम्बन्धी कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ख) उन्हें ये फ्लैट कब तक आवंटित किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत विधवाओं को फ्लैट आवंटित करने सम्बन्धी लम्बित आवेदनों का कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत/पंजीकृत किए जाने वाले सभी 20,000 व्यक्तियों को 1994-95 तक फ्लैट आवंटित किए जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992-93 के लिए प्रति व्यक्ति योजना व्यय

7397. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992-93 के लिए प्रति व्यक्ति योजना व्यय कितना है;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत व्यय के बराबर है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) 373 रु० के अखिल भारतीय औसत के मुकाबले उत्तर प्रदेश का 1992-93 के लिए प्रति-व्यक्ति योजना परिव्यय 278 रु० है।

(ग) एक राज्य का प्रतिव्यक्ति परिव्यय/व्यय, राज्य संसाधनों तथा केन्द्रीय सहायता/केन्द्रीय समर्थन को मिलाकर समग्र संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं कार्यक्रमों के अन्तर्गत संसाधनों के अन्तरण के जरिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को प्रति व्यक्ति परिव्यय व्यय बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। राज्य योजना के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता आवंटन में (i) जनसंख्या (ii) प्रति व्यक्ति आय) (iii) विशेष समस्याओं आदि के मानदण्ड को महत्व दिया जाता है।

[अनुवाद]

परिवार पेंशन और आवधिक लाभों का भुगतान

7398. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार पेंशन की मंजूरी और आवधिक लाभों के भुगतान में असामान्य रूप से देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आखिरी कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने और अगले तीन महीनों में आवधिक लाभों को तय करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1991 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "डिले इन डिसीजन आन फेमिली पेंशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इस विषय से सम्बन्धित नियमों तथा अनुदेशों में उन सरकारी कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् होती है, के परिवारों को कुटुम्ब पेंशन की शीघ्र मंजूरी के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियमों में पेंशन की मंजूरी के समय ही कुटुम्ब पेंशन की हकदारी को भी नोट किए जाने की व्यवस्था है ताकि कठिनाइयों से बचा जा सके। कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी विकेन्द्रीकृत आधार पर कार्य करती है तथा शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए अनुदेश विद्यमान हैं।

कुटुम्ब पेंशन आगामी मास के प्रथम कार्य दिवस में भुगतान के लिए देय हो जाती है तथा बैंकों के माध्यम से भुगतान पाने वालों के मामले में मास के अन्तिम कार्य दिवस को उनके खातों में डाल दी जाती है।

(ग) और (घ) दिनांक 23-7-91 को "इण्डियन एक्सप्रेस" में उल्लिखित परिवार पेंशन के दो मामले दूर-संचार विभाग तथा सिविल विमानन विभाग से सम्बन्धित है, जिनसे शिकायतों की शीघ्र जांच करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

वेतन का भुगतान न किया जाना

7399. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामगरों को निर्धारित वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों के बारे में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों के नोटिस में जब भी कभी किसी प्रकार के उल्लंघन की बात आती है तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय त्रिपक्षीय निकायों जैसे भारतीय श्रम सम्मेलन, राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन आदि के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता के बारे में राज्य समकारों पर जोर डालती रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

7400. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए संशोधित मास्टर प्लान में क्या-क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) संशोधित मास्टर प्लान किस वर्ष से लागू किया गया;

(ग) संशोधित मास्टर प्लान कितनी अवधि के लिए बनाया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली के लिए संशोधित वृहद् योजना (दिल्ली बृहद योजना 2001) 1-8-90 से लागू की गई योजना, शहर के विकास के सभी पहलुओं को वस्तुतः शामिल करते हुए समन्वित नीतियों का एक सेट है योजना का कोईअन्तिम वर्ष नहीं है परन्तु, बृहद् योजना के सन्दर्भ में वर्ष 2001 तक की भू-उपयोग पद्धतियां, जनसंख्या संबंधी प्रक्षेपण और अधसंरचना आवश्यकताएं शामिल हैं।

रुग्ण एककों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

7401. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों तथा अन्य विदेशी निवेशकों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत करना औद्योगिक एककों में निवेश के लिए विशेष रियायतें देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) नयी औद्योगिक नीति के अधीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा एन० आर०आई० व ओवरसीज कारपोरेट निकायों द्वारा निवेश, जो प्रधानतया उनके स्वामित्व में है, की स्वतः अनुमति दे दी जाती है, बशर्ते कि प्रस्ताव विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप हो। जिन प्रस्तावों पर सरकार का अनुमोदन आवश्यक होता है उन्हें नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर अनुमति दे दी जाती है रुग्ण एककों के

पुनरुज्जीवन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा एन० आर० आई० द्वारा निवेश के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है ।

पश्चिम बंगाल के सामाजिक संगठनों को अनुदान

7402. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल के सामाजिक संगठनों को "कपार्ट" द्वारा कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या सरकार को इन संगठनों द्वारा राशि के दुरुपयोग करने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को 1991-92 के दौरान विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत 1,21,15,924 रुपये की धनराशि रिलीज की गई है ।

(ख) कापार्ट को इन संगठनों द्वारा निधियों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोल इण्डिया लिमिटेड का "कैश एण्ड कैरी सिस्टम"

7403. **डा० सुधीर राय :**
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :
श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री दिलीप भाई संघानी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने अक्तूबर, 1991 से "कैश एण्ड कैरी स्कीम" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली के आरम्भ होने के पश्चात् कोयले की आपूर्ति में सुधार हुआ है;

(ग) क्या सभी ताप विद्युत केन्द्रों हेतु संयुक्त नमूने की प्रणाली शुरू की गई है; और अगर नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इण्डिया लि० तथा उसकी सहायक कम्पनियां, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दिनांक 1-10-1991 से विद्युत क्षेत्रों के लिए "कैश एण्ड केरी" योजना क्रियान्वित कर रही हैं । यह योजना संतोषजनक ढंग से काम कर रही है ।

(ख) जी, हां । कोल इंडिया लि० के स्रोतों से विद्युत उपयोगिता क्षेत्रों को अप्रैल, 91 से सितम्बर, 1991 की अवधि के दौरान 9.37 मि० टन म एवज में अक्तूबर 91 से मार्च, 1992 के दौरान औसतन 10.75 मि० टन कोयले का मासिक प्रेषण किया गया ।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नमूने की कार्रवाई एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लदान स्थल पर, कोयला नियंत्रक के संगठन की देखरेख तथा नियंत्रण के अधीन की जाने चाहिए। इस निर्णय के क्रियान्वित होने तक विद्यमान संयुक्त नमूना लेने की व्यवस्था को जारी रखा जाएगा ।

[हिन्दी]

बिहार में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का पुनर्निर्माण

7404. **श्री राजेश कुमार** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 1991 में स्वीकृत धनराशि का उपयोग बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मकानों के निर्माण और धनराशि के समुचित उपयोग के लिए निर्धारित समय-सीमा के बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) राहत व्यय के वित्त पोषण की वर्तमान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए 75% केन्द्रीय अंशदान और 25% राज्य अंशदान के साथ आपदा राहत कोष का सर्जन किया गया है । बिहार के लिए 35 करोड़ रुपये का आपदा राहत कोष हैं। मदवार अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । वर्ष 199-92 के दौरान आपदा राहत कोष के प्रति केन्द्र सरकार ने 26.25 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं । वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार सरकार द्वारा आपदा राहत कोष से विभिन्न मदों पर व्यय के ब्यौरे सूचित नहीं किए गए हैं ।

[अनुवाद]

भविष्य निधि की अदायगी न करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

7405. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन भविष्य निधि की अदायगी न करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की पटबन्दारे परियोजना के लिए धनराशि

7406. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पिछले वर्ष योजना आयोग को पटबन्डारे को जल्दी पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य के प्रस्ताव के अनुसार, महाराष्ट्र का 70.61 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का अन्तिम लक्ष्य है । सातवीं योजना के अन्त तक लगभग 4620 करोड़ रु० के निवेश से, 1962 में अनुमानित सिंचाई के लगभग 50% संभावित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है । 4800 करोड़ रु० की शेष लागत के लिए महाराष्ट्र सरकार प्रतिवर्ष 3(0-350 करोड़ रु० परिव्यय की व्यवस्था करती है । प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक ऋण जैसी वैकल्पि व्यवस्थाओं के जरिए संसाधनों को बढ़ाना जरूरी हो गया । महाराष्ट्र सरकार के अनुसार 750 करोड़ रु० की न्यूनतम राशि को आठवीं योजना के दौरान बढ़ाना होगा तथा इस उद्देश्य के लिए आगे नौवीं योजना के दौरान 1500 करोड़ रु० या ऐसी अतिरिक्त व्यवस्था के लिए प्रयास करने होंगे ।

(ग) और (घ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों के लिए बाजार ऋण कार्यक्रम हेतु कुल निवेश योग्य संसाधन सीमित हैं । चूंकि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक यूनिटों के आमेलन के लिए भी बाजार प्रति रोध शक्ति बढ़ रही थी अत: राज्य सार्वजनिक क्षेत्रक यूनिटों (पी एस यू) को शामिल करने के लिए स्कीम का विस्तार करना कठिन हो गया है । तथापि, यदि एक क्षेत्र एवं परियोजना विशेष स्कीम, जो वृद्धि को स्थिर कर सके, शुरू की जा सकती है, और बांडों को जारी करने की मांग की जांच की जा सकती है ।

[अनुवाद]

असैनिक और रक्षा पेंशनभोगियों की पेंशन में असमानता

7407. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक पेंशनभोगियों और रक्षा पेंशनभोगियों की पेंशन निर्धारण में को असमानता है;

(ख) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1 जनवरी, 1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए असैनिक और रक्षा कर्मचारियों की पेंशन में समानता लाने की कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों पर लागू होने वाले पेंशन नियमों और सशस्त्र सेना के कार्मिकों को पेंशन सम्बन्धी प्रसुविधाओं को नियमित करने वाले नियमों में कुछ आधारभूत भिन्नताएं

विद्यमान है। मोटे तौर पर यह भिन्नताएं निम्न प्रकार हैं :—

(i) **पेंशन के लिए पात्रता :**

अधिकारी रैंक के नीचे के सशस्त्र सेना के कार्मिकों के मामले में सैनिक पेंशन अर्जित करने के लिए कम से कम 15 वर्ष की अर्हक सेवा अनिवार्य होती है। कमीशन अफसरों के मामले में यह अवधि 20 वर्ष निर्धारित है । जहां तक केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों का सम्बन्ध है वह अपनी सेवा-निवृत्ति पर मासिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं बशर्ते कि उनकी कम से कम 10 साल की अर्हक सेवा हो । केन्द्रीय सरकार का कोई सिविल कर्मचारी तब तक पेंशन अर्जित करने के लिए स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त नहीं हो सकता जब तक की उसकी 20 साल की अर्हक सेवा न हो ।

(ii) **पेंशन के लिए ली जाने वाली परिलब्धियां :**

अधिकारी रैंक से नीचे के सशस्त्र सेना के कार्मिकों के मामले में उस रैंक के अधिकतम वेतनमान की परिलब्धियों के अनुसार, जिन पर ऐसा कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है पेंशन की गणना की जाती है और इसके लिए उस कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय वास्तव में जो वेतन वह लेता था उसकी गणना नहीं की जाती केवल शर्त यह है कि कर्मचारी उसी रैंक में 10 महीने अथवा उससे अधिक अवधि के लिए कार्यरत रहा हो । 1-1-86 से पहले कमीशन अफसरों के मामले में वही कार्य प्रणाली लागू थी । परन्तु 1-1-86 तथा उससे आगे कमीशन अफसरों पर भी वही कार्य प्रणाली लागू की जाने लगी जो केन्द्रीय सरकार के उन सिविल कर्मचारियों पर लागू होती थी जिनके मामले में सेवानिवृत्ति से पहले के 10 महीने की अर्हक सेवा के दौरान ली जाने वाली वास्तविक परिलब्धियों को ध्यान में रखकर पेंशन की गणना की जाती है ।

(iii) **अर्हक सेवा :**

सशस्त्र सेनाओं में जल्द सेवानिवृत्ति की कार्य प्र ाली के कारण उनकी पेंशन के लिए अर्हक सेवा की गणना करने के लिए सेवा में वेटेज प्रदान करने की एक निर्धारित प्रक्रिया विद्यमान है । अधिकारी रैंक के नीचे के कार्मिकों के मामले में यह अवधि समान रूप से सभी के लिए 5 वर्ष है। कमीशन अफसरों के मामले में यह अवधि रैंक अनुसार 3 से 9 वर्ष तक की है । सिविल कर्मचारियों के मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया विद्यमान नहीं है ।

(iv) **पेंशन की गणना करने के लिए फार्मूला :**

उपरोक्त (i) से (iii) तक में उल्लिखित नियमों में भिन्नता होने पर भी सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों तथा सिविल कर्मचारिमों की पेंशन की गणना करने का फार्मूला एक ही तरह का है । 33 अथवा उससे अधिक वर्षों की पूरी अर्हक सेवा के लिए गणनीय परिलब्धियों का 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन होती है । उन कर्मचारियों मामले में जिन्होंने 33 वर्ष से तो कम सेवा की है परन्तु उपरोक्त मद संख्या (i) में उल्लिखित के अनुसार पेंशन के लिए पात्र बनने हेतु न्यूनतम अपेक्षित अवधि से कम सेवा न की हो, उसकी पेंशन की राशि को यथा-अनुपात कम कर दिया जाता है ।

(V) **पेंशन का सरांशीकरण :**

अधिकारी रैंक से नीचे के सशस्त्र सेना के कार्मिकों के मामले में कार्मिक अपनी पेंशन की राशि के 45 प्रतिशत का सरांशीकरण करा सकते हैं । कमीशन अफसरों के मामले संराशीकृत की जाने वाली राशि पेंशन का 43 प्रतिशत होती है। सिविल पेंशनभोगियों के मामले में संराशीकृत किए जाने वाला पेंशन का भाग केवल 1/3 होता है ।

(ग) जी, हां।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों की "समान रैंक समान पेंशन" की मांग पर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा हाल ही में विचार किया गया था। इस समिति में कुछ सांसदों तथा सशस्त्र सेना के कुछ सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी सहयोजित किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने उन भूतपूर्व सैनिकों को जो 1-1-86 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें पेंशन में एकमुश्त वेतन वृद्धि मंजूर करने की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय द्वारा 16-3-1992 को जारी किए गए आदेशों की एक प्रति संसद के पुस्तकालय को भी पृष्ठांकित कर दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन में एकमुश्त वृद्धि जिन कारणों के आधार पर मंजूर की गई है वे कारण सिविल पेंशन भोगियों के पेंशन वृद्धि के मामले में आधार नहीं माने जा सकते।

[हिन्दी]

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

7408. **श्री अवतार सिंह भड़ाना :**

श्री एस० एम० वेकोरिया : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में गांवों, शहरीकृत गांवों, पुनर्वास कालोनियों, अधिकृत और अनाधिकृत कालोनियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कलपक्कम

7409. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट कलपक्कम में स्थित फास्ट रिएक्टर, भारतीय फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम (एफ० बी० आर०) सफल नहीं रहा; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसको अधिष्ठापित किए जाने के पश्चात् प्रतिवर्ष कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर जैसाकि नाम से जाहिर है, अनुभव हासिल करने और फास्ट ब्रीडर पर आधारित बिजलीघरों का निर्माण करने हेतु प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए इस देश में तैयार किया गया पहला पूर्ण स्तरीय फास्ट रिएक्टर है। यह रिएक्टर प्रौद्योगिकी का विकास करने और जन-शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए परीक्षण आधार के रूप में काम करता है। यह फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम के अन्तर्गत इष्टतम ईंधन चक्र स्थापित करने के लिए भी तथा ऊष्मा को दूर करने के वास्ते और सोडियम पम्पों, ऊष्मा विनियामकों और भाप जनित्रों जैसे उपस्करों में सोडियम का इस्तेमाल करने के वास्ते प्रौद्योगिकी अपने ही देश में तैयार करने के लिए भी काम करता है ये सभी लक्ष्य बड़े पैमाने पर हासिल कर लिए गए हैं और ईंधन तथा अन्य उप प्रणालियों के सम्बन्ध में परीक्षण जारी हैं। टैस्ट रिएक्टर की

स्थापना से भारत फास्ट रिएक्टर प्रौद्योगिकी के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने वाले देशों में से एक देश हो गया है।

(ख) यद्यपि इस कार्यक्रम में विविध कारणों, मुख्यतः सातवें दशक के उत्तरार्द्ध में फ्रांस द्वारा सहायता मिलना बन्द हो जाने और नई प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित ठोस आधारभूत सुविधाओं की कमी, की वजह से देरी हुई, तथापि, वैज्ञानिकों और अभियंताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सिद्ध कर दिया कि वे नवीन प्रक्रिया बना लेंगे और समस्याओं को दूर कर लेंगे। इस रिएक्टर के लिए कार्बाइड ईंधन का विकास करना अपने आप में एक उपलब्धि है। पिछले वर्ष इस रिएक्टर के परिचालन से प्राप्त अनुभव ने यह दिया गया कि ऐसी प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए जोकि भविष्य में उपादेय हो, यह ठोस निवेश है। यह केवल एक टैस्ट रिएक्टर है और विद्युत उत्पादन के वास्ते न्यूक्लियर से लेकर भाप पैदा करने तक की सभी अवस्थितियों के लिए प्रौद्योगिकी तैयार करने के काम के लिए है। यह रिएक्टर अब मेगावाट विद्युत स्तर पर चलाया गया है और 8 मेगावाट तक के विद्युत स्तर पर चलाने की अनुमति ली जा चुकी है। विद्युत स्तर को और बढ़ाने से जनित्र के माध्यम से थोड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाना स्थापित हो जाएगा। इस रिएक्टर ने अभी तक वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया है। 15 मेगावाट विद्युत क्षमता का निर्धारण केवल प्रणाली को कारगर सिद्ध करने के लिए किया गया है, वाणिज्यिक और लगातार ऊर्जा स्रोत के लिए नहीं।

[हिन्दी]

दक्षिणी ध्रुव अभियान

7410. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी ध्रुव के लिए अब तक कितने अनुसंधान अभियान दल भेजे गए हैं और उनकी मुख्य उपलब्धियां क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1992 के दौरान कोई नया अनुसंधान अभियान दल भेजने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं और इस दल को कब तक भेजने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) भारत ने अब तक अंटार्कटिक को 11 वैज्ञानिक अनुसंधान अभियान भेजने की प्रबन्ध-व्यवस्था की है, परन्तु दक्षिण ध्रुव में, जोकि अंटार्कटिक में हमारे प्रचालन क्षेत्र से 3000 कि०मी० से भी अधिक दूर है, कोई भी अभियान दल नहीं भेजा गया है। इन अभियानों की उपलब्धियों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) 12वें अभियान के प्रमुख उद्देश्य विज्ञान की शाखाओं अर्थात् वायुमण्डलीय विज्ञान और पर्यावरण, मौसमविज्ञान, भूमिविज्ञान, [illegible] और [illegible], जीवविज्ञान, समुद्रविज्ञान और पर्यावरणीय शारीरिकी में विभिन्न अध्ययनों को जारी रखने के अतिरिक्त भारतीय केन्द्र मैत्री और वहां की विभिन्न सुविधाओं का रख-रखाव करना होगा इसके अतिरिक्त इस अभियान के एक नए दल को वर्तमान शीतकालीन कार्मिकों के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, इस अभियान को नवम्बर/दिसम्बर, 1992 में भेजा जाएगा।

विवरण

अंटार्कटिक अभियानों की उपलब्धियां

भूमि विज्ञान

1. भूविज्ञान

   * अंटार्कटिक में समस्त श्रिमाचर पर्वतशृंखलाओं और वोल्थाट प्रदेशो के लगभग 10,000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

   ** इस प्रदेश का पूरा भूवैज्ञानिक मानचित्र उपलब्ध है।

   *** प्रयोगशाला में, विश्लेषण के लिए कई चट्टानों के नमूने एकत्र किए गए।

2. भूभौतिकी

   * श्रिमाचार और पीटरमन पर्वतशृंखलाओं का भूभौतिकीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

   ** गुरुत्वविश्लेषण और भूरासायन के लिए चट्टानों के नमूने एकत्र किए गए हैं।

3. भूचुम्बकत्व

   पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन और चुम्बकीय प्राचलों की लगातार रिकार्डिंग।

4. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

   श्रिमाचार पर्वतशृंखलाओं में कई स्थानों पर भूगणितीय नियन्त्रण बिन्दुओं की स्थापना की गई है और श्रिमाचार पर्वतशृंखलाओं का स्थलाकृतिक मानचित्रण किया गया।

वायुमण्डलीय विज्ञान

* मौसमवैज्ञानिक प्राचलों का संग्रह और ओजोन होल परिघटना का अध्ययन।

** संभार कार्मिकों की सहायता के लिए मौसम वैज्ञानिक आंकड़े और शिविर सुविधाओं की स्थापना।

*** ग्रहीय सीमा परत का अध्ययन और ट्रेस गैसों के विश्लेषण के लिए वायु नमूनों का संग्रह।

जीवविज्ञान

* अंटार्कटिक को जाते हुए मार्ग में समुद्रवैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रह।

** मैत्री केन्द्र के निकटवर्ती झीलों से एकत्र किए गए नमूनों का अध्ययन।

*** जीवन के पुरातन रूपों के अस्तित्व को समझने के लिए नीली हरी शैवाल को जोड़ते हुए नाइट्रोजन का अध्ययन और शैवाल संग्रह।

पर्यावरणीय शारीरिकी

मौसम के शीतकाल और एकाकी परिस्थितियों में माननीय उपापचय और मनोदशाओं का अध्ययन। भारत में चरम दशाओं के लिए आंकड़ों का प्रयोग में लाना उपयोगी रहेगा।

प्र.बीय उद्यान कृषि

मैत्री में पादपगृह की स्थापना की गई है और कुछ पौधे उदाहरणतया—टमाटर, गाजर, खीरा उगाए गए।

[अनुवाद]

कृषि पर आधारित उद्योग

7411. **श्री अमल दत्त :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार कृषि पर आधारित उद्योगों को किस प्रकार प्रोत्साहन देने का है;

(ख) कृषि पर आधारित उद्योगों के किन उत्पादों को वरीयता दी जायेगी;

(ग) इस सम्बन्ध में बनायी गयी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा दूसरी संस्थाओं/निकायों की क्या भूमिका है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार देश में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास को बहुत महत्व दे रही है। ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र में (वी० एस० आई०) ये केन्द्रीय योजनाएं देश में ग्रामीण तथा लघु उद्योग एककों के साथ-साथ कृषि पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने एवं विकसित करने के लिए तैयार की गई हैं। सरकार किसी अन्य देश की तरह, कृषि पर आधारित उद्योगों को भी बुनियादी सहायता, प्रशिक्षण, रियायती वित्त, दुर्लभ कच्चे माल की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी का अंतरण, विपणन सहायता, उत्पाद सम्बन्धी लाभ, केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु मदों का आरक्षण, किराया खरीद आधार पर मशीनों की आपूर्ति तथा अन्य तकनीकी एवं परामर्शदायी सेवा इत्यादि जैसे प्रोत्साहन देती है।

कृषि पर आधारित उद्योगों में प्राथमिकता उन उद्योगों को दी जाती है जो स्थानीय कौशल, कच्चे माल तथा विपणन पर आधारित हैं और जिनसे रोजगार एवं आय का सृजन होता हो।

केन्द्र सरकार लघु उद्योगों एवं परम्परागत उद्योगों के विकास हेतु नीतियां एवं योजनाएं तैयार करती है जिसमें कृषि पर आधारित उद्योग भी शामिल हैं तथा इनका कार्यान्वियन जिला उद्योग केन्द्रों और अन्य संगठनात्मक व्यवस्थाओं के जरिये राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

पेट्रो-रसायन उद्योग

7412. **श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का रोहतक में एक पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया पदों का भरा जाना

7413. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभा में यह घोषणा की थी कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा 31 मार्च, 1992 तक भर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बकाया आरक्षित पदों को भी भर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सरकार ने सदन को सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को 31 मार्च, 1992 तक भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 6448 बकाया रिक्तियों के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए हैं। चूंकि मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश भर में फैले बहुत से क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जानी है, अतः अधिकांश मामलों में प्राप्त सूचना 31 मार्च, 1992 तक की नहीं है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले किसान

7415. **श्री बलराज पासी :**

श्री देवी बक्स सिंह :

डा० रमेश चन्द तोमर : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग कितने किसान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ख) इन किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी सफलता मिली है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले किसानों सहित ग्रामीण लोगों की संख्या क्रमशः 4.4 लाख और 373.1 लाख थी।

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले किसानों सहित ग्रामीण लोगों की दशा को सुधारने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। ग्रामीण पेयजल सप्लाई योजनाएं, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम आदि भी लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने में मदद करते हैं।

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 1977-78 से लेकर 1987-88 के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण लोगों की संख्या क्रमशः 10.2 लाख से कम होकर 4.4 लाख और 422.8 लाख से कम होकर 373.1 लाख हो गई है।

मध्य प्रदेश में जनजातीय गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना

7416. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य के 500 से ज्यादा आबादी वाले जनजातीय गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषकों के लिए अग्निरोधी आवास

7417. **डा० विश्वनाथम केनिथी :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और सीमान्त कृषकों को अग्निरोधी छत सामग्री से उनके आवास को और सुविधा-जनक बनाने तथा प्रतिवर्ष और अधिक लोगों को इसमें शामिल करने के लिए योजनाओं के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना अपनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी : (क) और (ख) आवास राज्य क्षेत्र का विषय है और राज्य अपनी आवास योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। अग्निरोधी छत सामग्री से विद्यमान आवासों को और सुविधाजनक बनाना, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी० बी० आर० आई०), रुड़की आदि जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा विकसित की गई कम लागत वाली तकनीकों और परि-कल्पित तकनीकों का एक अंग है। इसमें ग्रामीण मकानों के लिए अग्निरोधी छप्पर शामिल हैं। वे अपने प्रदर्शनी केन्द्रों के माध्यम से और विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करके विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी निर्माण तकनीकों का विस्तार और प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

तथापि, केन्द्रीय स्तर पर लघु तथा सीमान्त किसानों को अग्निरोधी छत सामग्री से उनके आवासों को और सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता देने की कोई अलग योजनाएं नहीं हैं।

लघु उद्योगों को सहायता

7418. **श्री जी० माडे गौडा :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में कावेरी जल विवाद के दौरान भड़की हिंसा से कितनी लघु औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हुईं;

(ख) इन इकाइयों को उत्पादन में अनुमानतः कितनी क्षति हुई;

(ग) इन लघु औद्योगिक इकाइयों ने कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(घ) इन इकाइयों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राहत पैकेज के रूप में कितनी राशि की सहायता दी गई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०जे० कुरियान) : (क) उद्योग निदेशक, कर्नाटक राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बंगलौर में कावेरी जल विवाद के कारण हुई हिंसा में 96 लघु एककों को क्षति पहुंची थी।

(ख) इन एककों को हुई उत्पादन की हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार ने पूरी तरह नष्ट हुए एककों के लिए एक पुनःस्थापना पैकेज तैयार किया है और इन्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए कर्नाटक सरकार के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समित का गठन किया है।

विदेशी पूंजी निवेश की सीमा

7419. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 51% से अधिक हो गई है तथा विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है;

(ख) क्या उक्त विदेशी कम्पनियां अब 50 प्रतिशत से अधिक मुनाफा कमा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) भारत में विदेशी निवेश सम्बन्धी नीति का उल्लेख 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति विवरण में किया गया है। उक्त नीति अनुसार, विवरण के अनुबंध-3 में सूचीबद्ध उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन दिए जा रहे हैं। विदेशी निवेश के अन्य प्रस्तावों पर सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार करके अनुमोदन किया जाता है।

नई औद्योगिकी नीति के अधीन, विदेशी इक्विटी पर लाभांशों का भुगतान उत्पादन आरम्भ होने के समय से सात वर्ष की अवधि के दौरान की निर्यात आय से संतुलित किया जाना है।

"टैल्को" द्वारा इंजनों का निर्माण

7420. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, विदेशी आटोमोबाइल कम्पनियों के लिए सहायक पुर्जों और इंजिनों का निर्माण करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जैसा मै० टेल्को द्वारा सूचित किया गया है, मैं० मर्सिडीज बेन्ज, जर्मनी, टेल्को को उच्च अश्व शक्ति के डीजल इंजनों के विनिर्माण के वास्ते तकनीकी जानकारी देने के लिए सहमत हो गए हैं। मर्सिडीज बेन्ज विदेशी उद्यमों के लिए इन इंजनों को पर्याप्त संख्या में खरीदेंगे। जर्मनी की कम्पनी की टेल्को समूह से एक्सिल्स, गियर बाक्स इत्यादि खरीदने की भी योजना है।

[हिन्दी]

गौरे मैग्नेटाइट परियोजना

7421. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू जिले में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की गौरे मैग्नेटाइट परियोजना जनवरी 1991 से बन्द हो गई है;

(ख) क्या इस परियोजना के बन्द होने से इस खनिज के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है; और

(ग) परियोजना को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उसमें कितना धन खर्च होगा ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर विचार किए जाने के बाद से० को०लि०के निदेशक बोर्ड ने गौरे मैग्नेटाइट खान को बन्द किए जाने का निर्णय लिया। इस सम्बन्ध में फालतू हुए कामगारों को पहले ही से० को० लि० की अन्य खानों में पुनः तैनात कर दिया गया है।

गौरे मैग्नेटाइट खानों की उत्पादन लागत मैग्नेटाइट की चालू बाजार की कीमत की तुलना में काफी अधिक थी। से० को० लि० विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मैग्नेटाइट सह-उत्पाद के सस्ते स्रोतों का भी पता लगा रही है ताकि आपूर्ति के एकाधिकार की निर्भरता में कमी लाई जा सके।

[अनुवाद]

एरो संयंत्र

7422. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ ऐरो संयंत्र हैं जिससे नमकीन पानी को पाने योग्य बनाकर देश के सूखा और अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्र किन-किन स्थानों में हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) बन्द संयंत्रों को फिर शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें कितना समय लगेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा लक्षद्वीप और पांडिचेरी केन्द्र शासित क्षेत्रों में 94 रिवर्स ओसमोसिस डिसेलिनेशन प्लांट्स चालू कर दिए गए हैं।

(ख) ऐसे संयंत्रों के स्थान उनकी वर्तमान स्थिति सहित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 2 संयंत्र नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं तथा 7 संयंत्र अनुबंध में बताए गए कारणों की वजह से नहीं चल रहे हैं। सैन्ट्रल मैकेनिकल तथा इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यट दुर्गापुर (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक विकास परिषद के नियंत्रणाधीन) जो कि इन संयंत्र की स्थापना के लिए नोडल संस्थान है, इन संयंत्रों को यथाशीघ्र कार्यशील बनाने हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा सप्लायरों के साथ सम्पर्क कर रहा है।

विवरण

चालू किए गए लवण दूर करने के संयंत्रों की स्थिति

(20-3-92 की स्थिति के अनुसार)

राज्य : आंध्र प्रदेश

क्रम सं०	गांव का नाम	क्षमता घ०-मी०/प्रतिदिन	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	डिबला पल्लीपालेम	20	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
2.	मोदी	20	—यथोपरि—
3.	चितरेवू	20	—यथोपरि—
4.	मोलापास	30	—यथोपरि—
5.	येतीमोंडी	20	—यथोपरि—
6.	तल्लापालेम	100	—यथोपरि—
7.	मंगीनापुडी	20	—यथोपरि—
8.	तरुपुल्लनका	20	कच्चे पानी में टी० डी० एस० की मात्रा 1400 पीपीएम तक बढ़ गई है। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। संयंत्र 5 जुलाई 1991 से बन्द हो गया है।

1	2	3	4
9.	गुम्मलावरम	20	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
10.	कुमिलिवारिपालेम	20	—यथोपरि—
राज्य : गुजरात			
1.	अरंबनडा	50	कच्चे पानी में क्लोरीन की अधिक मात्रा होने के कारण जाली क्षति ग्रस्त हो गई और जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र फरवरी, 1991 के मध्य से कार्य नहीं कर रहा है। राज्य सरकार ने चीफ जियोलोजिस्ट की राय जानने के लिए मामला उनके पास भेजा है। जियोलोजिस्ट की राय प्राप्त करने के पश्चात उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
2.	सूरजकरडी	100	—यथोपरि—
3.	सई देवालिया	30	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
4.	तरसई	100	वाष्पं स्राव प्रवाह की समस्या की वजह से संयंत्र अगस्त, 1991 से कार्य नहीं कर रहा है।
5.	गढ़वा	20	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
6.	वेद	100	कम कच्चे पानी की वजह से संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है। राज्य सरकार ने पाइपों द्वारा जल सप्लाई की व्यवस्था की है।
7.	सिदासर	50	संयंत्र नियमिन रूप से कार्य कर रहा है।
8.	गढ़ेदी	20	—यथोपरि—

1	2	3	4
9.	चुदेश्वर	30	प्रारम्भ में संयंत्र के संचलन में कुछ दिक्कतें आई थीं। तथापि, अप्रैल 1991 से सितम्बर, 91 तक संयंत्र सुचारू रूप से चलता रहा। टी० डी० एस० की अधिकता की वजह से (18000 पी पी एम) संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है।
10.	विभापर	50	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
11.	सचना	50	कच्चे पानी में टी डी एस की अधिकता जो कि 44000 पी पी एम से अधिक है की वजह से संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है।
राज्य : हरियाणा			
1.	धीडा	10	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
राज्य : महाराष्ट्र			
1.	वातीवारे	10	—यथोपरि—
संघ शासित क्षेत्र :			
	पांडिचेरी		
1.	किरुमाम्बकम	50	—यथोपरि—
2.	करसुमपेटा	50	—यथोपरि—
राज्य : राजस्थान			
1.	पिचकारी ताल	20	—यथोपरि—
2.	पिचकारी तिब्बा	10	—यथोपरि—
3.	मनासार	20	—यथोपरि—

1	2	3	4
4.	लुंच	20	संयंत्र नियमित रूप में कार्य कर रहा है।
5.	चाबरी सारी	20	—यथोपरि—
6.	भोजसार	20	—यथोपरि—
7.	बुधवाली	20	—यथोपरि—
8.	महारवनसार	20	—यथोपरि—
9.	राबिया	20	—यथोपरि—
10.	खंडवा पी चुरु	20	—यथोपरि—
11.	खंडवा पी झरिया	10	—यथोपरि—
12.	बलाल	10	—यथोपरि—
13.	सिरसाली	20	—यथोपरि—
14.	एपली राजपुरिया	20	—यथोपरि—
15.	लोहा सोना छोटा	20	—यथोपरि—
16.	लोहा सोना बड़ा	30	—यथोपरि—
17.	जोरी पट्टा सत्या	20	—यथोपरि—
18.	नांगल छोटी	20	—यथोपरि—
19.	भगेला	30	—यथोपरि—
20.	गोथनवाडी	20	—यथोपरि—
21.	धंधल लेखू	30	—यथोपरि—

1	2	3	4
22.	भंरवरन	20	—यथोपरि—
23.	जेलाई	100	—यथोपरि—
24.	मंडवासी	30	—यथोपरि—
25.	गौइंद	30	—यथोपरि—
26.	सौंमगरे	30	—यथोपरि—
27.	बंदानी	20	—यथोपरि—
28.	कलारी	20	—यथोपरि—
29.	कोलवा छोटा बास	20	—यथोपरि—
30.	बंडुला	20	अपर्याप्त कच्चे पानी की वजह से संयंत्र नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहा है।
31.	रामसर	20	संयंत्र केवल डी० जी० सेट पर ही नियमित रूप से काम कर रहा है।
32.	सियोपुरा	10	—यथोपरि—
33.	हैंसक	50	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
34.	सहुवाई	10	—यथोपरि—
35.	फांरसी	30	—यथोपरि—
36.	लुघांवी	100	—यथोपरि—
37.	पू घरी	10	—यथोपरि—
38.	घनधरिया सासर	10	—यथोपरि—

1	2	3	4
39.	कुकुंडा	20	—यथोपरि—
40.	गैखासर	10	कच्चे पानी की कम मात्रा की वजह से संयंत्र नियमित रूप से नहीं चल रहा है।
41.	बेवना	50	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
राज्य : तमिलनाडु			
1.	कुंडूकुलम	20	—यथोपरि—
2.	वनियाकुड्डी	20	—यथोपरि—
3.	इडावलंगयी	50	—यथोपरि—
4.	अल्लीनगुलकाई	30	—यथोपरि—
5.	[illegible]ली	10	—यथोपरि—
6.	करुमल	20	—यथोपरि—
7.	चिल्लसरापयू	30	—यथोपरि—
8.	कूलेरी	20	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
9.	सिवकल	50	—यथोपरि—
10.	कीरंडी	20	—यथोपरि—
11.	पडियलंगम	20	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है। कम खपत होने की वजह से कम जल शोधन हो रहा है।
12.	वैल्लोर मेन	20	—यथोपरि—

1	2	3	4
13.	कीलाचेरी	10	—यथोपरि—
14.	पल्लीपडाई	20	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।
15.	राधाविलगम	10	—यथोपरि—
16.	पुथूपुर	20	—यथोपरि—
17.	नंजलोर	20	—यथोपरि—
पश्चिमी बंगाल			
1.	दीघा	100	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहा है।

केन्द्र शासित क्षेत्र : लक्षद्वीप

क्रम सं०	द्वीप का नाम	संयंत्रों की सं०	क्षमता घन मी० प्रतिदिन	टिप्पणी
1.	आगाथी	2	50	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं।
2.	अमीनी	1	50	
3.	कवरत्ती	2	30	
4.	कलपेनी	1	30	
5.	चेतलट	1	30	
6.	मिनीकाय	3	50	
		10		

[हिन्दी]

राजस्थान की घंटेल-सोमासी जल संवर्धन योजना

7423. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को घंटेल सोमासी जल संवर्धन योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या चुरू तहसील के 80 प्रतिशत गांवों का पानी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पीने योग्य नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने चुरू तहसील में खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कुछ संयंत्रों को स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) राजस्थान में पेय जल सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत कितने गांव लाभान्वित हुए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना के लिए केन्द्र सरकार का तकनीकी अनुमोदन राज्य सरकार को 9 अप्रैल, 1992 को भेज दिया गया था ।

(ग) चुरू तहसील के कुछेक गांवों में भू-जल में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों (टी० डी० एस०) की मात्रा अधिक है । तथापि अच्छी तरह से शुद्ध करने के बाद गांवों को पेयजल सप्लाई किया जाता है । 44 गांवों को छोड़कर चुरू तहसील के अन्य सभी गांवों में पूर्ण रूप से स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं ।

(घ) "बिना जल स्रोत" वाले शेष समस्याग्रस्त गांवों में 31 मार्च, 1993 तक स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया करवा दिए जाने की संभावना है । इस प्रयोजन हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को विशेष सहायता दी गई है ।

(ङ) केन्द्र सरकार ने चुरू तहसील के निम्नलिखित गांवों में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए 9 रिवर्स ओसमोसिस डिसेलिनेशन संयंत्र अनुमोदित किए हैं :

क्रम सं०	गांव का नाम	संयंत्र की क्षमता (एम 3 1000 लीटर प्रतिदिन)	चालू होने की तारीख	टिप्पणी
1.	महरवानसर	10	21-2-90	संयंत्र नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं।
2.	रबिया	20	20-2-90	
3.	खंडवापट्टा चुरू	20	19-2-90	

1	2	3	4	5
4.	खंडवापट्टा झरिया	10	19-2-90	संयंत्र नियमित रूप से कार्य रहे हैं।
5.	सिरसाली	20	23-3-90	—यथोपरि—
6.	लालासरपट्टा राजपुरिया	20	16-3-90	—यथोपरि—
7.	लोहासोनाछोटा	20	21 8-90	—यथोपरि—
8.	लोहासोना बड़ा	30	19-3-91	—यथोपरि—
9.	जोरी पट्टा सुत्या	20	29-11-91	—यथोपरि—

(च) स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत मिनी मिशनों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है। 1-4-85 की स्थिति के अनुसार 7310 "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों में से फरवरी, 1992 के अन्त तक 7208 समस्याग्रस्त गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई है शेष "बिना जल स्रोत" वाले गांवों को 31 मार्च, 1993 तक पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिए जाने की संभावना है।

खानों में दुर्घटनायें

7424. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितनी खान दुर्घटनायें हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए;

(ग) मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितना धन दिया गया; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में खान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है, के अन्तर्गत यह विनियमित किया जाता है कि प्रबन्ध तन्त्र द्वारा मृत व्यक्ति के निकट सम्बन्धी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए। इससे सम्बन्धित सूचना श्रम मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती।

(घ) खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए उपबन्ध विद्यमान हैं। खान प्रबन्धनों द्वारा इन उपबन्धों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खान प्रबन्धकों द्वारा सांविधिक उपबन्धों के अनुपालन की जांच करने के लिए खानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में रंगीन ट्यूब फैक्टरी

7425. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें विजयवाड़ा में ट्यूब की फैक्टरी स्थापित करने की अनुमति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा विदेशी सहयोग करने का एक मिलाजुला प्रस्ताव मैसर्स आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड (ए० पी० ई० डी० सी०) से प्राप्त हुआ था। इस आवेदन-पत्र को औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा दिनांक 11-4-86 को पंजीकृत किया गया। यह प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। दिसम्बर, 1988 में मैसर्स ए० पी० ई० डी० सी० ने इस निर्णय के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस बीच, मैसर्स ए० पी० ई० डी० सी० के सहयोगकर्ता मैसर्स फिलिप्स, हालैंड ने भारत सरकार को सूचित किया कि उन्होंने मैसर्स ए० पी० ई० डी० सी० को सहयोग देने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबों से विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण से सम्बन्धित अपनी पिछली सभी व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया है। किन्तु बाद में मैसर्स फिलिप्स ने अपना निर्णय बदल दिया तथा मैसर्स ए० पी० ई० डी० सी० तथा/अथवा मैसर्स वीडियोकान को रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिये प्रौद्योगिकी अंतरित करने का प्रस्ताव रखा। मैसर्स फिलिप्स, हालैंड के सहयोग से रंगीन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने का लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स वीडियोकान के आवेदन-पत्र पर विचार करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार को तथा मैसर्स ए० पी० ई० डी० सी० को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते मैसर्स वीडियोकान आंध्र प्रदेश राज्य में अपना संयंत्र स्थापित करे। मैसर्स वीडियोकान ने रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में अपने संयंत्र के स्थापना स्थल की पुष्टि कर दी है। मैसर्स वीडियोकान का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

2. आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री से दिनांक 3 फरवरी, 1990 के पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए ए० पी० ई० डी० सी० की परियोजना विजयवाड़ा के समीप स्थापित की जाएगी।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मंजूरी के लिए लम्बित पड़े "कोयला सप्लाई" सम्बन्धी प्रस्ताव

7426. श्री अंदीपान भगवान थोराट : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार कितने कोयला-सप्लाई सम्बन्धी प्रस्ताव लम्बित पड़े थे;

(ख) वर्ष 1991-92 को दौरान राज्यवार कोयले की सप्लाई के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मंजूर किये गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है कि कोल इंडिया लिमिटेड ऐसे प्रस्तावों का शीघ्र निपटान करे; और

(घ) मौजूदा पणाली को कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/अब क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि० में 31-3-1992 को लम्बित पड़े संयोजनों सम्बन्धी प्रस्तावों की संख्या 143 थी वर्ष 1991-92 के दौरान 1527 उपभोक्ताओं के संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। इस सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

असम	—	2
बिहार	—	152
गुजरात	—	68
हिमाचल प्रदेश	—	1
हरियाणा	—	18
जम्मू एवं कश्मीर	—	2
मणिपुर	—	1
मध्य प्रदेश	—	186
महाराष्ट्र	—	119
नागालैंड	—	1
उडीसा	—	14
पंजाब	—	151
राजस्थान	—	32
सिक्किम	—	1
उत्तर प्रदेश	—	562
पश्चिम बंगाल	—	217
जोड़	—	1527

सामान्यता संयोजनों को सी० आई० एल० संयोजन सैल द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख के 21 दिन के अन्दर ही निपटा लिया जाता है, बशर्ते कि उक्त संयोजन पूरी तरह ठीक हो। तथापि बहुत से मामलों में आवेदन से स्पष्टीकरण मांगा जाना आवश्यक हो जाता है जिसमें स्पष्टीकरण देने में काफी समय लग जाता है। सी० आई० एल० ने संयोजन सम्बन्धी आवेदनों के तुरन्त निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

सोवियत संघ में भारतीय औषध बाजार

7427. **श्री आर० अनुबकोशी आदित्यन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों ने पूर्व सोवियत संघ में विघटन के कारण अपना औषध बाजार खो दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रमण्डल के देशों के साथ औषध व्यापार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन से उस क्षेत्र को औषधों समेत सभी वस्तुओं के निर्यात को अस्थाई तौर पर धक्का अवश्य लगा था। रुपया भुगतान वाले क्षेत्र के देशों को निर्यात के आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार एक बार फिर से उभर रहा है।

(ख) औषधों सहित सभी वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भूतपूर्व सोवियत संघ के रूसी परिसंघ और अन्य प्रभुसत्ता सम्पन्न गणराज्यों के साथ प्रोटोकोलों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास के लिए धनराशि

7428. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है;

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गत वर्ष के दौरान पूरी आबंटित राशि खर्च की थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 37,147.12 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1992-93 के लिए आबंटनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली से सम्बन्धित शिकायतें

7429. **श्री मोहन सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम तथा ऐसे निकायों सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु लोक शिकायत निदेशालय को क्या शक्तियां तथा अधिकार सौंपे गए हैं;

(ख) क्या निदेशालय शिकायतों की व्यक्तिगत सुनवाई करता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में, दिल्ली नगर निगम तथा ऐसे अन्य निकाय लोक शिकायत निदेशालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते है ।

(ख) और (ग) लोक शिकायत निदेशालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले केन्द्रीय सरकार के विनिर्दिष्ट संगठनों के विरूद्ध शिकायत करने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुनवाई का विकल्प दिया गया है ।

[हिन्दी]

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

7430. **श्री राम बदन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में विशेषकर चांदनी चौक और गांधी नगर क्षेत्रों में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अनधिकृत निर्माणों को हटाने का है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक हटाए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जैसाकि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधनों के अन्तर्गत अतिक्रमणों एवं अनधिकृत निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जाती है ।

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार की शहरी विकास सम्बन्धी रिपोर्टें

7431. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के "ख" श्रेणी के शहरों के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव मिल गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) छठी योजना के दौरान आरम्भ हुई छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना एक चालू योजना है । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु एक लाख से कम आबादी वाले नगरों के अतिरिक्त राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा अनुशंसित जी० ई० एम० एस० सूची में सम्मिलित, नगरों का चयन किया जाता है । सम्बन्धित राज्यों द्वारा ऐसे शहरों की प्राथमिकता सूची भेजी जाती है तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर सहायता दी जाती है ।

इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य को 918 लाख रुपये (लगभग) स्वीकृत किए गए है तथा

31-3-92 तक 98 कस्बों को लाभान्वित किया गया है। कस्बों के नाम और केन्द्रीय सहायता की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार सरकार ने प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कस्बों की सूची भेजी है:

1. मोतीहारी
2. गुम्ला
3. समस्तीपुर
4. बांका

मोतीहारी, गुम्ला और समस्तीपुर के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट पूर्ण नहीं हुई थी और केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सका। बांका को 15 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत हुई है तथा आदेश जारी कर दिए गए है।

(ग) बिहार शरीफ और दरभंगा नामक दो कस्बों को सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी। योजना के घटकों के संशोधन के प्रस्ताव 1991-92 के दौरान प्राप्त हुए थे तथा उनको भी अनुमोदित कर दिया गया है।

विवरण

छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत छठी, सातवीं योजना, 1990-91 और 1991-92 के दौरान दी गयी केन्द्रीय सहायता

क्रम स०	राज्य/कस्बा	6वीं योजना कुल रिलीज	7वीं योजना कुल रिलीज	1990-91 कुल रिलीज	कुल योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
बिहार					
6वीं योजना					
1.	हाजीपुर	37.180	5.000	—	42.180
2.	गोपाल गंज	27.150	19.000	—	48.150
3.	शहरशाहा	4.000	32.040	—	36.040
4.	दलतोन गंज	18.000	27.000	—	37.000
5.	छपरा	18.000	10.000	—	20 000
6.	दुमका	18.500	—	—	18.500
7.	छाईबासा	18.500	20.000	—	30.500

1 2	3	4	5	6
8. बेगू सराय	33.500	6.500	—	40.000
9. देवोघर	26.000	14.000	—	40.000
10. अर्राह	26.000	13.000	—	39.000
11. हजारी बाग	14.200	30.000		44.200
12. बेतिहा	36.870	4.000	—	40.870
13. गिरीधी	21.700	24.000	—	45.700
14. धनबाद	34.910	7.950	—	42.660
15. कटिहार	27.700	10.000	—	37.700
योग	332.210	222.490	—	554.700
7वीं योजना				
16. सिवान	—	51.220	—	51.220
17. किशन गंश	—	31.430	—	31.430
18. सीतामढ़ी	—	10.500	—	10.500
19. बकसर	—	20.000	—	20.000
20. पुरणियां	—	25.860	—	25.860
21. नवादा	—	44.390	—	44.390
22. बोधगया	—	20.000	—	20.000
23. मधुबनी	—	29.545	—	29.545
24. बिहार शरीफ	—	29.750	—	29.750
25. दरभंगा	—	29.750	—	29.759
योग :	—	292.445	—	292.445
1990-91				
26. जाहांनाबाद	—	—	27.500	27.500
27. साहिबगंज	—	—	20.000	20.000
योग :		—	47.500	47.500
कुल योग :	332.210	514.935	47.500	894.645

1991-92

वंका — 15.00 लाख रुपये।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति

7432. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान विभिन्न विभागों में कितने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की गई;

(ख) क्या सरकार ने इन परामर्शदाताओं के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मितव्ययी उपाय को ध्यान में रखते हुए परामर्शदाताओं की संख्या की समीक्षा करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में कार्यरत कन्सलटेंटों की संख्या के बारे में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) कन्सलटेंटों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा केवल तभी लगाया जाता है जब पर्याप्त औचित्य हो । प्रारम्भिक अवधि के बाद उनकी नियुक्ति उनके कार्य का समुचित मूल्यांकन करने के बाद ही जारी रखी जा सकती है ।

(ग) नियुक्त किए जाने वाले कन्सलटेंटों की संख्या को पहले से ही सीमित रखा जाता है । जिन मामलों में किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसी मंत्रालय/विभाग में नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा धारित पद को रिक्त रखना होता है । इस प्रकार कन्सलटेंटों की नियुक्ति की विद्यमान योजना के लिए सरकारी व्यय में किफायत की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है ।

डा० अम्बेडकर शताब्दी वर्ष में विशेष भर्ती

7433. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के शताब्दी वर्ष के दौरान विशेष भर्ती द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 31-3-1982 तक की बकाया कितनी रिक्तियों को भरा गया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को विशेष भर्ती द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे को भरते हुए कोई निर्देश दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) मत्रालयों/विभागों से प्राप्त अब तक की रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में 6448 पिछली बकाया रिक्तियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों तथा बीमा निगमों द्वारा क्रमशः 5599, 827 तथा 78 आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं । चूंकि सूचना मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश भर में बड़ी संख्या में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र की जानी है, इसलिए अधिकांश मामलों में अब तक प्राप्त हुई सूचना 31-3-92 तक की नहीं है ।

(ख) से (घ) मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया था कि वे मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों के समक्ष रखें तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करें। कुछ राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने इस आशय के लिए विशेष अभियान चलाए हैं।

[हिन्दी]

"स्कूटर इण्डिया लिमिटेड" को पुनः चालू करना

7434. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को पुनः चालू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कम्पनी को कब तक पुनः चालू कर दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सरकार के हाल ही के निर्णय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन मण्डल (बी० आई० एफ० आर०) को प्रेषित किए जाने अपेक्षित है। तदनुसार, स्कूटर्स इण्डिया लि० को अपना मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन मंडल को प्रेषित करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

नारियल बागान मजदूर

7435. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल बागान मजदूरों के लाभ और संरक्षण के लिए कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारियल बागान मजदूरों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और सामान्य भविष्य निधि योजनाएं लागू होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों में भविष्य निधि सम्बन्धी लम्बित मामले

7436. **श्री श्रीकांत जेना** :

श्री राम टहल चौधरी :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मजदूरों को भविष्य निधि का भुगतान करने सम्बन्धी कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) नियोजकों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भविष्य निधि की कितनी बकाया राशि जमा नहीं कराई गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) राज्यवार लम्बित भविष्य निधि दावों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है।

(ख) एक विवरण संलग्न II है।

(ग) लम्बित दावों, को शीघ्रता से निपटाने के लिए, जिसकी राशि कुल दावों को लगभग 7.6% है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दावों को निपटाने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यदण्ड निर्धारित किए हैं। समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इस कार्य की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है।

जहां तक भविष्य निधि की बकाया राशि का सम्बन्ध है, बकाया राशि की वसूली करने के लिए चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी तथा दण्डित कारंवाई की जाती है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कर्मकारों को भविष्य निधि अदायगी के लिए लम्बित दावों की संख्या (31-3-91 के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	8286
2.	बिहार	1232
3.	दिल्ली	563
4.	गुजरात	31!
5.	हरियाणा	785
6.	कर्नाटक	2507
7.	केरल	3047
8.	मध्य प्रदेश	3862
9.	महाराष्ट्र	13272
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	962
11.	उड़ीसा	1632
12.	पंजाब	2626

1	2	3
13.	राजस्थान	1440
14.	तमिलनाडु	14899
15.	उत्तर प्रदेश	3787
16.	पश्चिमी बंगाल	7155
	कुल	66365

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	31-3-1991 के अनुसार बकाया (रुपये लाखों में)
आंध्र प्रदेश (संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी सहित)	545.46
बिहार	458.94
दिल्ली	246.58
गुजरात (संघ राज्य क्षेत्र दमन और द्वीव, दादर और नागर हवेली सहित)	383.98
हरियाणा	441.82
कर्नाटक	361.02
केरल (संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्य द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के माहे सहित)	334.61
मध्य प्रदेश	1333.19
महाराष्ट्र और गोवा	1449.82
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, मनीपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं।	107.79
उड़ीसा	382.93

1	2
पंजाब (हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ सहित)	140.23
राजस्थान	227.37
तमिलनाडु (संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी सहित)	1036.68
उत्तर प्रदेश	1608.43
पश्चिम बंगाल (संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकाबार द्वीप समूह सहित)	544.00
कुल	9602.85

राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु केन्द्रीय समिति

7437. **श्री मुमताज अन्सारी :**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये: क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हो रहे घपलों की जांच के लिए एक केन्द्रीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन घपलों और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिज वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है । उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल और उचित कार्यान्वयन में मदद देने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । वे उक्त अधिनियम के तहत जमाखोरी और अन्य कदाचारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं । राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उपभोक्ताओं को उनके वितरण की देख-रेख करने के लिए उचित दर दुकानों का नियमित रूप से दौरा और अचानक जांच करते हैं । केन्द्रीय सरकार ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे उपभोक्ताओं, महिला लाभानुभोगियों और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों आदि को शामिल करके ग्रामीण/उचित दर दुकानों के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उनके द्वारा की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं ।

कोकिंग कोल का आयात

7438. **कुमारी उमा भारती :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोकिंग कोल का उत्पादन नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसका आयात कर रही है; और

(ग) इसके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामागोड) : (क) और (ख) देश में कोककर कोयले का उत्पादन किया जाता है। किन्तु कोककर कोयले की कुछ मात्रा में इस्पात संयंत्रों द्वारा आयात किया जाता है ताकि देशीय उपलब्धता और मांग के बीच के अन्तराल को पूरा किया जा सके और इस्पात संयंत्रों द्वारा समग्र रूप में प्रयोग किए जाने वाली मिश्रण की मात्रा को बेहतर बनाया जा सके।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस्पात संयंत्रों द्वारा आयात किए जाने वाले कोककर कोयले की अनुमानित कीमत 310 मिलियन अमरीकी डालर थी।

[अनुवाद]

दिल्ली में मेट्रो ट्यूब रेल सिस्टम

7439. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने संसद मार्ग, टी-जंकशन पर संसद मार्ग और जयसिंह रोड क्रासिंग पर मल्टी-लेवल इंटरसेक्शन निर्मित करने और कनाट प्लेस में पालिका पार्किंग और पालिका बाजार को सब-वे लेवल पर एक करने की अनुमति प्रदान की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कनाट प्लेस में दिल्ली मेट्रो ट्यूब रेल सिस्टम के प्रस्तावित नये रूट का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संसद मार्ग और कनाट प्लेस के टी-जंकशन पर एक भूमिगत पार पथ का पहले ही निर्माण किया जा चुका है। संसद मार्ग और जयसिंह रोड क्रासिंग पर मल्टि-लेवल इन्टरसेक्सन निर्मित करने का एक प्रस्ताव है। इसका कार्यान्वयन निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है। पालिका बाजार और पालिका पार्किंग के सम्बन्ध में मूल नक्शे में दोनों परिसरों को जोड़ने का एक घटक था। तथापि, कुछ तकनीकी कारणों से कार्य का यह भाग पूरा नहीं किया जा सका।

(ख) दिल्ली जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली के सम्बन्ध में व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार कनाट प्लेस क्षेत्र में एक इंटरचेंज सहित दो मैट्रो कोरीडोरों का प्रावधान है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्णय ले लिए जाने पर ही मैट्रो लाइनों के सटीक संरेखण को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

[हिन्दी]

नेशनल रिनियुबल फंड

7440. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "नेशनल रिनियुवल फंड" की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस फंड से राज्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इसके अन्तर्गत यदि कोई सहायता दी गई है तो उसकी राशि क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस निधि का उद्देश्य आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के परिणामस्वरूप श्रमिकों को दुबारा प्रशिक्षण देने और पुनः रोजगार देने की लागत को पूरा करने के लिए औद्योगिक उपक्रमों की सहायता करना तथा किसी औद्योगिक एकक की पुनर्संरचना से प्रभावित श्रमिकों की क्षति-पूर्ति करना है। अतः इस निधि का उद्देश्य राज्य सरकारों को नहीं अपितु औद्योगिक एककों को सहायता प्रदान करना है।

[अनुवाद]

रिहायशी मकानों को वाणिज्यिक परिसरों में बदलना

7441. **डा० ए० के० पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध निर्माण तथा रिहायशी मकानों को वाणिज्यिक परिसरों में बदलने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न बस्तियों के निवासियों से अवैध निर्माण और वाणिज्यिक परिसरों में बदलने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अनुरूप क्रिया-कलापों का पता लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फरवरी, 1991 में एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुरूप उपयोग के कुल 12,862 मामले इंगित किए। दिल्ली नगर निगम ने जनवरी 1991 से 31-3-1992 तक इसके द्वारा अनधिकृत निर्माण के दर्ज किए गए 8799 मामलों की सूचना दी है।

(ख) और (ग) सरकार तथा स्थानीय निकायों में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि इसने 40, हनुमान लेन में किए गए सभी अनधिकृत निर्माणों के बारे में पहले ही से कार्रवाई आरम्भ की है। दिल्ली नगर निगम ने भी बताया है कि इसके द्वारा दर्ज किए गए अनधिकृत निर्माण के मामले दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343 और 344 के अंतर्गत अभियोज्य है।

[हिन्दी]

चिकित्सीय आधार पर आवास

7442. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान चिकित्सीय आधार पर कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास दिए गए; और

(ख) इस सम्बन्ध में जांच करने पर कितने मामले फर्जी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) गत एक वर्ष के दौरान विशिष्ट चिकित्सा आधारों पर स्वीकृत किए गए तदर्थ आबन्टन वाले कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

टाईप I	—	35
टाईप II	—	57
टाईप III	—	2
	योग :	104

(ख) शून्य।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए आवास योजना शुरू करना

7443. **श्री उत्तम राव देव पाटिल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सेवानिवृत/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय है तथा सरकारें और संघ शासित प्रशासन अपनी प्राथमिकता तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आवास योजनाएं बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं। बहुत से राज्य अभिकरण उनके द्वारा निर्मित मकानों का एक निर्धारित प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखते हैं।

तथापि, विभिन्न श्रेणियों के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास की सुगम्यता और अधिक बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के तत्वाधान में एक संगठन नामतः केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (सी जी ई डब्ल्यू एच ओ) का गठन किया गया है। इस संगठन द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, जिनमें सेवानिवृत्त होने वाले तथा सेवानिवृत कर्मचारी और मृत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पति/पत्नी भी शामिल हैं, के लिए लाभ हानि रहित आधार पर मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस संगठन के केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए आवास योजनाएं प्रारम्भ करने हेतु बहुत से स्थानों पर भूमि का आबंटन पहले ही प्राप्त कर लिया है। हुडको द्वारा भी समूह बीमा आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास के निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए मकान

7444. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री रामलखन सिंह यादव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए मकान बनाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनायी गयी हैं;

(ख) इन योजनाओं से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमत इतनी अधिक है कि वे आम व्यक्ति की पहुंच के बाहर है, यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए और इन व्यक्तियों को आवास देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय होने के नाते विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने आयोजना निधियों और सांस्थानिक वित्त में से सामाजिक आवास योजनाओं को प्रतिपादित करने और कार्यान्वित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1985-92 के दौरान निम्न आय वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 2.53 लाख रिहायशी एककों का निर्माण किया गया था।

(ग) वहनीय आश्रय मुहैया करने की समस्या को मानते हुए राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप में केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाये जाने पर विचार किया है जो इस प्रकार है:—

(क) विभिन्न आय वर्गों के लिए विकसित भूमि की आपूर्ति में वृद्धि करना;

(ख) भूमि के अधिग्रहण और विकास पर बाधाओं का निराकरण करना;

(ग) मकानों के निर्माण और उन्नयन के लिए निम्न और मध्यम आय वर्गों के लिए आवास वित्त की पहुंच में वृद्धि करना;

(घ) कम लागत प्रौद्योगिकी और सामग्री का व्यापक प्रचार-प्रसार करना;

(ङ) पटरी निवासियों के लिए केन्द्रीय योजनाएं तथा शहरी निर्धनों द्वारा आश्रय उन्नयन;

(च) निर्धनों को सस्ता निर्माण कर सकने में समर्थ बनाने हेतु विनियमनों का सरलीकरण करना।

(घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशी सहायता से चलाई जा रही वैज्ञानिक परियोजनाएं

7445. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न संस्थानों में विदेशी सहायता से शुरू की जा रही वैज्ञानिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सहायता न मिलने के कारण कुछ योजनाएं लम्बित पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अनेक क्षेत्रों में अन्य देशों की सहायता से हमारे अनेक संस्थानों में वैज्ञानिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें नये और मिश्रित सामग्री, फाइबर प्रकाशिक लेजर, सुपरनोवा भौतिकी, मानक, निम्नतापिकी कोयला संसाधन, रबड़ प्रौद्योगिकी वेल्डिंग प्रौद्योगिकी, ट्रीबोलोजीकल कोटिंग, भूतल रसायन विज्ञान, लाइपिड्स, यकृतशोध कुष्ठरोग, रूमेठी हृदय रोग, एककलोनी प्रतिरक्षी, पुनर्योगज डी० एन० ए० और हाइब्रीडोमा प्रौद्योगिकियां, उर्वरता विनियमन, पेस्टीसाइड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, भूमि संरक्षण, तिलहन बीजों का रोग विज्ञान, शुष्क भूमि खेती शामिल हैं।

सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही समयबद्ध परियोजनाओं को यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जर्मनी, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्विट्रजरलैंड, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, भूतपूर्व सोवियत संघ सहित विभिन्न देशों की सहायता से किया जाता है।

इन परियोजनाओं को शैक्षिक, कृषि और आयुर्विज्ञान संस्थाओं और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन

7446. **श्री लाल बाबू राय** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने घरेलू उद्योगों के प्रोत्साहन और विकास के लिये क्या प्रयास किये हैं; और

(ख) 1991-92 के दौरान इन प्रयासों के कारण घरेलू उद्योग में कितनी प्रगति हुई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) खादी, ग्रामीण रेशम-उत्पादन, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा कयर जैसे घरेलू उद्योगों का संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार दुर्लभ व महत्वपूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी के अंतरण, वित्त उपलब्धता और अखिल भारतीय स्तर पर संस्थागत रूपरेखा के सृजन जैसे उपायों के जरिये राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद पहुंचाती है। इन उद्योगों को एक ही स्थान पर सेवाएं व सहायता उपलब्ध कराने के लिये देश में 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये केन्द्र स्वदेशी उद्योगों के विकास में लगे अभिकरणों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भी सुनिश्चित करते हैं।

(ख) इन विकासोन्मुख नीतियों के फलस्वरूप 1990-91 में खादी तथा ग्रामोद्योगों का कुल उत्पादन 2,280.02 करोड़ रुपये का था, जिनसे 48.57 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। वर्ष 1991-92 के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं।

मारुति कारों की डीलरशिप

7447. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति कारों की डीलरशिप का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सम्बन्धित फर्मों के नाम और उनके पते क्या हैं और उनके मालिक कौन हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मारुति डीलरशिप के आबंटन की श्रेणी-वार तथा राज्य-वार संख्या और प्रतिशतता क्या है;

(ग) मारुति कारों की डीलरशिप के आबंटन के लिये क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में डीलरशिप के नये आबंटन करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) एक विवरण I संलग्न है।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड ने किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को डीलरशिप के आबंटन में किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। मारुति उद्योग लिमिटेड की जानकारी के अनुसार, केवल एक डीलर, मै० प्रोग्रेसिव मोटर्स, दीमापुर अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित है।

(ग) एक विवरण II संलग्न है।

(घ) से (च) घरेलू बाजार के लिये कारों की घटी हुई उपलब्धता के कारण फिलहाल मारुति उद्योग लिमिटेड का किसी नये डीलर को नियुक्त करने का विचार नहीं है।

विवरण-I

1. श्री एम० के० सोमानी,
   आशीष इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड,
   15, रांची क्लब कम्पलैक्स,
   मेन रोड, रांची, बिहार-834001
2. श्री एस० एस० जोहल,
   जोहल ट्रैक्टर्स
   होटल स्काईलार्क बिल्डिंग बैंक मोरे, धनबाद,
   बिहार-826001
3. श्री बिपिन बी० पारीख,
   मिथिला मोटर्स लिमिटेड,
   पोस्ट बाक्स नं० 72
   एक्सीबिजन रोड, पटना
   बिहार-800001
4. श्री किशन एन० पारीक,
   पारीख इंजी० एण्ड बाडी बिल्डिंग कं०लि०,
   हिन्दुस्तान बिल्डिंग मैन रोड, बिस्तूपुर,
   जमशेदपुर, बिहार-831001

5. श्री के० एल० जालान,
जालान डिस्ट्रीब्यूटर्स,
28/3-ए कन्वेंट रोड,
मोलाली सी० आई० टी० रोड पर कलकत्ता,
पं० बंगाल-700014

6. श्री वाई० आर० गर्ग,
बी० के० मोटर कम्पनी
नेशनल हाई वे-31
माटीगारा, सिलीगुरी, प० बंगाल

7. श्री राजीव जिंदल,
मशीनों टेक्नों (सेल्स) लि०,
जिंदल हाउस, 8-ए अलीपुर रोड, कलकत्ता,
प० बंलाग-700027

8. श्री अशिवनी सूरी,
गंगा आटोमोबाइल्स लि०,
एस-II, ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन, नई दिल्ली,
केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली-110016

9. श्री जी० एल० कालरा,
अगनाल ट्रेडर्स लिमिटेड
45, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली
केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली-110055

10. श्री एच० डी० स्किन्द,
स्किंद एण्ड कम्पनी
30, जनपथ, नई दिल्ली
केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली-110055

11. श्री आर० के० अग्रवाल,
विकास मोटर्स लि०,
12 ए, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली

12. श्री राज चोपड़ा,
कम्पीटेंट आटोमोबाइल्स कं० लि०,
एफ-14, कम्पीटंट हाउस,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली
केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली-110001

13. श्री नरेन्द्र आनन्द,
क्लासिक मोटर्स लि०,
5, भीकाजी कामा प्लेस
आर के पुरम, रिंग रोड, नई दिल्ली
केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली-110066

14. श्री रमेश हांडा,
साया आटोमोबाइल्स (प्रा०) लि०,
389, जी० टी० करनाल रोड, आजादपुर, दिल्ली
केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली-110033

15. श्री ए० पी० अग्रवाल,
आनन्द मोटर एजेंसीस लि०,
21, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

16. श्री सी० आर० दास,
प्यारेलाल एण्ड सन्स (ई०पी०) लि०,
1205ए, सेन्ट्रल रोड,
रिवोली बिल्डिंग मेरठ कैण्ट, मेरठ,
उत्तर प्रदेश-250001

17. श्री रमेश सूरी,
रोहन मोटर्स प्रा० लि०,
44, अम्बेडकर मार्ग, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश-201001

18. श्री काशीनाथ शर्मा,
कविशा मोटर्स प्रा० लि०,
4 के० एम०, रामपुर रोड,
कलटरबकगंज, बरेली,
उत्तर प्रदेश-243502

19. श्री एम० के० अग्रवाल,
कानपुर ट्रैक्टर्स प्रा० लि०,
14/145, चुन्नी गंज, कानपुर,
उत्तर प्रदेश 280001

20. श्री दीपक भार्गव,
अमिलदीप मोटर्स,
26, सलेम सारी,
जी० टी० रोड, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश-211001

21. श्री संजीव एम० बाफना,
सेवा आटोमोटीव (प्रा०) लि०,
2954-ई, न्यू बोम्बे आगरा रोड,
नासिक, महाराष्ट्र-422001

22. श्री रेशम सिंह,
रेशम मोटर्स लि०,
गार्डन अपार्टमेंट्स,
साइन ट्राम्बे रोड, चेम्बर,
बम्बई महाराष्ट्र 400071

23. श्री मुकेश कलमाडी,
साई सर्विस स्टेशन लि०,
462, सेनापति बापत मार्ग,
पीछे, महालक्ष्मी रेस कोर्स
लोअर पारेल बम्बई,
महाराष्ट्र 500013

24. श्री बी० एम० संघवी,
आटोमोटीव मैन्यफैक्चर्स लि०,
574. कम्पटी रोड,
नागपुर, महाराष्ट्र 440026

25. श्री एम० के संघी,
विटेसी ट्रेडिंग लि०,
ट्रफ व्यु, हार्नबाय वेलार्ड
इस्टेट, नेहरू प्लेनेटेरियम रोड, वर्ली, बम्बई,
महाराष्ट्र 400018

26. श्री राजीव बहल,
रामा आटोमोबाइल्स, विशाल भवन,
जालना रोड, अहिंसा नगर, औरंगाबाद,
महाराष्ट्र 431001

27. श्री मुकेश पटेल,
इनपेक मोटर्स प्रा० लि०,
विकास सेंटर 104, एस० बी० रोड,
संताक्रुज (पश्चिमी)
बम्बई, महाराष्ट्र 400054

28. श्री एल० एन० माथुर,
नवनीत मोटर्स,
7, सिटी स्टेशन रोड,
उदयपुर, राजस्थान 313001

29. श्री राम जे० भाटिया,
भाटिया एण्ड कम्पनी
सी-16, बल्लभ नगर,
मेन रोड, कोटा,
राजस्थान 324007

30. श्री स्वराज सिंह,
अल्फा आटोमोबाइल्स,
4, ए, पार्क स्ट्रीट, एम० आई० रोड,
जयपुर, राजस्थान 302001

31. श्री संतोष सिंघानिया,
मारुति आटोमोबाइल्स,
जी० ई० रोड,
मोहाबा बाजार, रायपुर,
मध्य प्रदेश-492010

32. श्री के० एल० राजगरिया,
राधिका आटोमोबाइल्स, प्रा० लि०,
अमरप्रीत हाउस, महारानी लक्ष्मीबाई रोड,
ग्वालियर, मध्य प्रदेश

33. श्री राजीव गौतम,
जबलपुर ट्रैक्टर्स, त्रिपुरी चौक,
नागपुर रोड, जबलपुर,
मध्य प्रदेश 482003

34. श्री आर० के० टीकरीवाल,
फेयरडील मारवार गेरेजीस प्रा०
लिमिटेड, भोपाल इन्दौर रोड,
लालघाटी, न्यापुर, भोपाल, मध्य प्रदेश

35. श्री विनीत बेरीवाला,
विपुल मोटर्स प्रा० लि०,
27/5, के० एम०, मथुरा रोड,
फरीदाबाद, हरियाणा 121002

36. श्री एच० एल० विज,
माडर्न आटोमोबाइल्स,
माडल टाउन क्रासिंग के समीप,
जी० टी० रोड, अम्बाला,
हरियाणा 134003

37. श्री संजय पासी,
पास्को आटोमोबाइल्स,
177-डी, इण्डस्ट्रियल एरिया, चण्डीगढ़
चण्डीगढ़ (यू० टी०) 160002

38. श्री बी० एस० स्वानी,
स्वानी मोटर्स लि०,
81, कोर्ट रोड,
अमृतसर, पंजाब 143001

39. श्री नरेन्द सेनी,
सेनी मोटर्स,
शेरपुर बाई पास चौक
(हीरो चौ०) जी० टी० रोड,
लुधियाना, पंजाब

40. श्री आर० कौर भट्टल,
हीरा आटोमोबाइल्स प्रा० लि०,
13-बी, फैक्टरी एरिया,
पटियाला-पंजाब 147001

41\. श्री चेतन के० सिंह,
रोल्टा मोटर्स लि०,
रोल्टा हाउस, समीप खांड गिरी जंक्शन,
भुवनेश्वर उड़ीसा-751030

42\. श्री बी० सी० सवंगी
बिमल आटो एजेंसी
ए० टी० रोड, गोवाहाटी
असम-781001

43\. श्री टी० के० अंगानी,
प्रोग्रेसीव मोटर्स,
सामने, एयरपोर्ट
39, एन० एच० दीमापुर कोहिमा
रोड, दीमापुर, नागालैंड-797112

44\. डा० अमजद अंसारी,
अंसारी मोटर्स,
लोवर नेशनल हाइवे, श्रीनगर
जम्मू एण्ड काश्मीर 190001

45\. श्री तीर्थ राम अमला,
काश्मीर मोटर्स कारपोरेशन लक्ष्मी निवास,
बी० सी० रोड, जम्मू
जम्मू एण्ड काश्मीर 180005

46\. श्री महिन्द्रा सी० मेहता,
महालक्ष्मी मोटर्स प्रा० लि०,
प्लाट नं० 4, मोतीलाल नेहरू नगर,
बेगमपेट मेन रोड, हैदराबाद,
आंध्र प्रदेश 500016

47\. श्री सुब्रह्मण्यम,
दी मित्रा एजेंसी,
सामने आकाशवाणी, एम० जी० रोड,
लाबीपेट, विजयवाड़ा,
आंध्र प्रदेश 520010

48. श्री एस० मनीकम,
ए० बी० टी० लिमिटेड
102, माउंट रोड,
गोईंदी, मद्रास,
तमिलनाडु 600032

49. श्री एच० श्रीनिवासन,
दी यूनियन मोटर्स सर्विस लि०,
10-बी/1 और 2, एलेक्जंडरिया रोड, कंटोनमेंट, तिरुचि
तमिलनाडु 620001

50. श्री अशोक राव,
मंदोवी मोटर्स,
28, सेंट मार्कस रोड,
बंगलौर, कर्नाटक-560001

51. श्री जे० शंकर,
सोलर आटोमोबाइल्स,
विश्वाकर्ण बिल्डिंग
फालनियर रोड, मंगलौर
कर्नाटक 575001

52. श्री साजु के० थोमस,
पालुलर विकल्स एण्ड सर्विसस
लि०, कुट्टूकरन सेन्टर
मामंगलम, कोचीन,
केरला-682025

53. श्री पी० ए० हमजा,
इंडस मोटर्स कं० प्रा० लि०,
इंडस हाउस, पो० बा० 923,
चकोरथकुलम, कनोर रोड,
कालीकट, केरल-673005

54. श्री दलीप एल० चौगले,
चौगले इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
डी बी बंडोकर मार्ग, कम्पल
पणजी, गोवा-403001

55. श्री एस० एन० खन्ना,
किरण मोटर्स कं० लि०,
909/4, जी० आई० डी० सी०,
मकरपुरा इन्डस्ट्रियल एस्टेट,
मकरपुरा वाडाडरा (गुजरात)

56. श्री प्रवेश नन्दा,
कार्गो मोटर्स (गुजरात) लिमिटेड,
अविमेश सी० जी० रोड,
पंचवटी, अहमदाबाद (गुजरात)

विवरण II

मारुति डीलरों की नियुक्ति के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा अपनाई गई वर्तमान प्रणाली इस प्रकार है :—

1. सार्वजनिक विज्ञापनों द्वारा आकांक्षी पार्टियों से, उन शहरों के लिए, जहां डीलरों की आवश्यकता है, निर्धारित फार्मों पर आवेदन आमंत्रित करना।

2. निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर सभी वैध आवेदनों की संवीक्षा और मूल्यांकन किया जाना :—

(1) शो-रूम और वर्कशाप बनाने के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं/भूमि की उपलब्धता।

(2) ऊपर लिखी सुविधाओं का अवस्थिति सम्बन्धी लाभ।

(3) व्यापार में उम्मीदवारों का अनुभव (अधिमान्यतः, मोटरगाड़ी उद्योग में)।

(4) उम्मीदवारों की शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यताएं।

(5) उम्मीदवारों की वित्तीय स्थिति।

3. इस कार्य की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों की, साक्षात्कार के बाद एक संक्षिप्त सूची तैयार करना।

4. संक्षिप्त सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों से डीलरशिप प्राप्त करने के लिए मोहरबन्द निविदाएं मंगवाना, जिनमें मारुति के पास जमा की जान वाली राशि का उल्लेख हो।

5. उच्चतम बोलीदाता को डीलरशिप दिया जाना।

आवास वित्त कम्पनियां

7448. श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों की आवास वित्त कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ख) आवास वित्त कम्पनियों द्वारा आवासीय ऋण देने के लिये इन एककों द्वारा क्या नियम निर्धारित किये गये हैं;

(ग) प्रोत्साहकों, भवन निर्माताओं की तुलना में व्यक्तिगत आवासों के लिये दिये गये ऋणों का अनुपात कितना है; और

(घ) आवासीय निगमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आवासों के लिये दिये गये ऋणों तथा भूसम्पदा प्रोत्साहकों और भवन निर्माताओं को दिये गये ऋणों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक की सूचना के अनुसार, 53 आवास वित्त कम्पनियां होने की सूचना है जिसमें से दो सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 51 निजी/संयुक्त क्षेत्र में हैं।

(ख) आवास तथा नगर विकास निगम पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी होने के नाते, इसके वित्त पोषण मानदण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। विद्यमान मानदण्डों के अनुसार आवास तथा नगर विका स निगम की ऋण-योग्य 55% निधियां निम्न आय वर्ग/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग श्रेणी तथा शेष 45% अन्य श्रेणियों के लिये उद्दिष्ट की जाती हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक से पुर्नवित प्राप्त करने की इच्छुक जिन कम्पनियों राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरें अपनानी पड़ती है, इसके अतिरिक्त अन्य आवास वित्त कम्पनियों के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) एकैक आवास वित्त कम्पनियों के बारे में ये आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) आवास तथा नगर विकास निगम एकैकों को सीधे तौर पर आवास ऋण नहीं देता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको ने एक निजी बिल्डर को निम्नलिखितानुसार ऋण स्वीकृत किये थे :

1988-89	330.77 लाख रुपये
1989-90	शून्य
1990-91	489.97 लाख रुपये
1991-92	297.88 लाख रुपये

अन्य अनुमोदित आवास वित्त कम्पनियों (हुडको के अतिरिक्त) के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऋण आंकड़े इस प्रकार है :—

1988-89	888.4 करोड़ रुपये
1989-90	1335.7 करोड़ रुपये
1990-91	2159.99 करोड़ रुपये

एकैक आवास ऋणों और प्रवर्तकों तथा बिल्डरों को दिये गये ऋणों के अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली में साफ्ट कोक की कमी

7449. श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

श्री गुरुदास कामत : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पिछले दो महीनों से "साफ्ट कोक" की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण विशेष रूप से गरीब वर्ग प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को राजधानी में "साफ्ट कोक" उपलब्ध कराने के लिये अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का कब तक प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) पिछले दो महीनों के दौरान दिल्ली को साफ्ट कोक की आपूर्ति में कमी आने के कारण उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता में कमी आई है। सरकार ने दिल्ली के लिये साफ्ट कोक के प्रेषण को बढ़ाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। देश में साफ्ट कोक के उत्पादन में समग्र रूप से गिरावट आने के कारण दिल्ली समेत विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के साफ्ट कोक के प्रेषण में कमी आई है। प्रदूषण नियन्त्रण के आधार पर बिहार राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण भारत कोकिंग कोल लि० में साफ्ट कोक का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जोकि दिल्ली को साफ्ट कोक की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। साफ्ट कोक के उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए कोयला कम्पनियों ने आबंटित साफ्ट कोक के स्थान पर स्टीम कोयले की आपूर्ति द्वारा कमी को पूरा करने की पेशकश की है। कोयला कम्पनियों को इस आशय के निदेश भी जारी कर दिये गये हैं कि साफ्ट कोक के उत्पादन और प्रेषण को यथासम्भव बढ़ाने के प्रयास करें।

तमिलनाडु में कोयला स्टाकयार्ड

7450. डा० (श्रीमती) के० एल० सौन्द्रम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कोयला स्टाकयार्ड कहां-कहां बनाये गये हैं;

(ख) कोयला स्टाकयार्ड बनाने के मानदण्ड क्या-क्या हैं; और

(ग) तमिलनाडु में कितने नये स्टाकयार्ड बनाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इण्डिया लि० ने सूचित किया है कि इस समय वे तमिलनाडु में दो कोयला स्टाकयार्डों का कार्यचालन कर रहे हैं, जिसमें से एक मद्रास में और दूसरा कोयम्बत्तूर में है।

(ख) और (ग) वर्तमान स्टाकयार्ड नीति के अनुसार नये कोयला स्टाकयार्डों को स्थापित करने की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की है। अतः यह प्रत्येक राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वे इस सम्बन्ध में निर्णय लें कि उनके राज्य में कितने नये स्टाकयार्डों की स्थापना की जानी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पादुका विकास संस्थान

7451. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली ने भारत में एक राष्ट्रीय पादुका विकास संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप भारत में पादुका उद्योग को कितना प्रोत्साहन दिये जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त संस्थान की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) इटली सरकार से इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार द्वारा उसकी जांच की जायेगी ।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण उपाय

7452. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्या उपाय किये जाने का विचार है; और

(ख) इस अवधि में स्वयंसेवी एजेंसियों को कितनी सहायता प्रदान करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक केन्द्रक मन्त्रालय होने के नाते नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है :—

1. उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम, जिसमें श्रव्य दृश्य सामग्री तैयार करना, साहित्य का प्रकाशन करना आदि शामिल है;
2. उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता देना;
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना;
4. उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करना; और
5. उपभोक्ता उत्पादों के मूल्यांकन तथा परीक्षण के क्षेत्र में आधार-ढांचे का विकास करना आदि ।

मन्त्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भावी योजना तैयार करने के लिये केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वावधान में एक कार्य दल भी गठित किया है ।

( ) स्वैच्छिक एजेंसियों को कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के आयोजन, प्रचार साहित्य के मुद्रण, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसे जागरूकता कार्यक्रमों को चलाने तथा ऐसे अन्य अभिनव और शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाने हेतु सहायता जारी रखने का प्रस्ताव है । बजट आबंटनों का निर्णय वार्षिक आधार पर किया जाएगा और स्वैच्छिक एजेंसियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हुए उनमें वृद्धि की जा सकती है ।

[हिन्दी]

शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के शहरों का विकास

7453. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों का विकास किया गया;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में किन-किन शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) शहरी मूलभूत सेवा योजना 1990 में संशोधित की गई थी तथा निर्धनों के लिये शहरी मूलभूत सेवा नामक एक नई योजना 1990-91 में आरम्भ की गई थी । निर्धनों के लिये शहरी मूलभूत सेवा योजना निम्नलिखित दस नगरों, जो राज्य सरकार द्वारा 1990-91 और 1991-92 में हाथ में लिये गये थे, में कार्यान्वित की जा रही हैं :—

1. भोपाल
2. बेरसिया
3. जबलपुर
4. कटनी
5. रायगढ़
6. खरसिया
7. राजनन्दगांव
8. मन्दसौर
9. खंडवा
10 बरहनपुर

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान नगरों की शामिलता नियतित परिव्यय को देखते हुए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों पर छोड़ दी गई है । वास्तविक शामिलता चयनित नगरों की आकार श्रेणी पर निर्भर करेगी ।

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वियन के निमित्त 1992-93 के लिए मध्य प्रदेश हेतु 71.50 लाख रुपये का अंतरिम नियतन उद्दिष्ट किया गया है ।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या तथा आरक्षित पदों का भरा जाना

7454. श्री अनादि चरण दास :
श्री के० वी० तंग्काबालू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क, ख, ग और घ श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पदों को अनारक्षित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या आरक्षित रिक्तियों को एक निर्धारित अवधि में भरा जाता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) भारत सरकार के अधीन 1-1-1991 की स्थिति के अनुसार समूह क, ख, ग तथा घ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विस्तृत ब्यौरे जिसमें इन वर्गों की कमी भी दर्शाई गई है अर्थात सेवाओं के विभिन्न समूहों में अनु०ज०/अनु०ज०जा० के कर्मचारियों की अपेक्षित प्रतिशतता तथा वास्तविक प्रतिशतता के बीच अन्तर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित ऐसी रिक्तियां जो अनु०जा०/अनु०ज०जा० के उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरी जा सकी निधारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनारक्षित की जा सकती है। किन्तु, 1-4-89 से सीधी भर्ती के मामले में अनु०जा०/अनु०ज०जा० के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण पर प्रतिबन्ध है। इस सम्बन्ध में जारी अनुदेशों के उल्लंघन का कोई मामला अभी तक इस विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(च) और (छ) विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा जब कभी भी भर्ती की जाती है तो आरक्षित रिक्तियां इस प्रयोजन के लिए रखे गए रोस्टर के अनुसार भरी जाती है। फिर भी बकाया रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1989 से विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं तथा अभियान को पूरा करने के लिए नियत तारीख 31-3-1992 थी।

विवरण

श्रेणी		समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	योग
योग		62560	102532	2402089	1167836	3735017
अनुसूचित जाति		5989	12115	376015	248101	641920
	%	9.09	11.82	15.65	21.24	17.19
अनुसूचित जाति में कमी	%	5.91	3.18	—	—	—
अनुसूचित जनजाति		1584	2414	119666	79589	203253
	%	2.53	2.35	4.98	6.82	5.44
अनुसूचित जनजाति में कमी	%	4.97	5.25	2.52	0.68	2.06

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

7455. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी देने के लिए कोई टी० वी० धारावाहिक बनाया गया है;

(ख) क्या किसी अन्य श्रव्य-दृश्य सामग्री का निर्माण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कोई टेलीविजन सीरियल नहीं बनाया है ।

(ख) और (ग) मन्त्रालय ने अब तक "उपभोक्ता के अधिकार" शीर्षक से एक वृत्त चित्र, "मुबारक कदम" शीर्षक से एक वीडियो वृत्त चित्र जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की मुख्य बातें स्पष्ट की गई हैं और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरुकता लाने के लिए "उपभोक्ता के अधिकार", "खरीदारी कैसे करें", उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतितोष तंत्र" और "सार्वजनिक वितरण प्रणाली" पर एक-एक मिनट की चार वीडियो क्लिपें तैयार की हैं। उक्त वीडियो वृत्त चित्र सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके इस्तेमाल के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भेज दिए गए हैं ।

केन्द्रीय सेवाओं की समीक्षा

7456. **श्रीमती शीला वर्मा** :

श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान केन्द्रीय सेवा संगठन को परिणामोमुखी बनाने के उद्देश्य से उसकी समीक्षा कर रही है और साथ ही सभी स्तरों पर जनशक्ति की उच्चतम उपयोगिता सुनिश्चित कर रही है;

(ख) यदि हां, क्या इस सम्बन्ध में अधिकारियों और सेवा संघों के विचार मांगे जा रहे हैं; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूर्ण हो जाने की संभावता है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवाओं की समय-समय पर संवर्ग पुनरीक्षा के लिए एक योजना है जिसके अन्तर्गत समूह "क" संवर्ग की हर तीन वर्ष में और समूह "ख" अथवा "ग" अथवा "घ" संवर्ग की हर 5 वर्ष में पुनरीक्षा की जानी होती है। किसी भी संवर्ग की समय समय पर पुनरीक्षा किए जाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(क) अगले 3/5 वर्षों के लिए कार्मिकों की आवश्यकताओं की अग्रिम व्यवस्थाएं करना और भर्ती कार्यक्रम वैज्ञानिक आधार पर बनाना; और

(ख) दक्षमता तथा मनोबल में सुधार लाने और प्रमाणिकता में वृद्धि को ध्यान में रखते संवर्ग संरचना को युक्तिसंरचना बनाना।

संवर्ग पुनरीक्षा करते समय सेवा संघों के विचारों को, यदि कोई हों, ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

नियुक्तियों और पदोन्नतियों के बारे में संघ लोक सेवा की सलाह

7457. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला हुआ है जब नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामलों में केन्द्रीय सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों की अनदेखी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामलों की कुल संख्या जिनमें सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से असहमत थी जिनके लिए संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी, निम्नलिखित है :—

1987-88	1988-89	1989-90
17	10	6

उक्त वर्षों के लिए असहमति के मामलों के ब्यौरे संघ लोक सेवा आयोग की 38वीं, 39वीं तथा 40वीं वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है जो क्रमश: 27-4-89, 9-1-91 तथा 27-5-91 को लोक सभा पटल पर रखी गई थी।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग एसोसिएसन को अनुदान

7458. **श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग एसोसिएसन को वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य-वार कितना अनुदान और राजसहायता दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दी गई राशि से प्रत्येक राज्य में किये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संगठन की सभी राज्य शाखाओं की वर्ष 1989-90 और 1990-91 लेखा परीक्षा की गई है और यदि हां, तो यदि कोई मुख्य लेखा परीक्षा आपत्ति की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग और फाउन्ड्री लघु उद्योग

7459. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के इन्जीनियरिंग और फाउन्ड्री लघु उद्योगों में ढलवां लोहे की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन उद्योगों को ढलवां लोहे की सप्लाई कब तक करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) ढलवां लोहे की अत्यधिक कमी के कारण गुजरात के एककों सहित पूरे भारत में फाउन्ड्री एकक ढलवां लोहे की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) 1991-92 के दौरान गुजरात की मांग, किए गए आबंटन, प्रेषण का ब्यौरा इस प्रकार रहा है :

(मात्रा मी० टन में)

मांग	आबंटन	प्रेषण
3,50,000	1,29,250	1,19,100 (इसमें गुजरात लघु उद्योग निगम को आपूर्ति की गई 95,484 मी० टन की मात्रा शामिल है।)

(ग) सरकार ने, ढलवां लोहे की घरेलू उपलब्धता को पूरा करने के लिए, ढलवां लोहे पर आयात शुल्क 55% से कम करके 35% कर दिया है। निजी उद्यमियों ने देश में ढलवां लोहा संयंत्र स्थापित करने में रूचि दिखाई है। सरकार को उम्मीद है कि इन उपायों से फाउन्ड्री एककों की ढलवां लोहे की उपलब्धता में सुधार होगा तथा कमी दूर जायेगी।

[अनुवाद]

भारत में विकसित 'साफ्टवेयर पैकेज'

7460. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में साफ्टवेयर पार्क स्थापित करने का है;

(ख) प्रत्येक पार्क में निजी उद्यमियों को साफ्टवेयर पार्क स्थापित करने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) अब तक देश में इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा कौन-कौन से विभिन्न साफ्टवेयर विकसित किये गये हैं;

(घ) क्या इन पैकेजों की विदेशों और भारत में मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत सरकार ने पुणे, बंगलौर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर तथा नोएडा में सात साफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना पहले ही कर ली है। जयपुर स्थित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रानिक इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के तत्वाधान में की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रानिकी उद्योग विकास निगम (वेबेल), कलकत्ता के तत्वाधान में एक साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई आरम्भ कर दी है। पंजाब सरकार ने भी मोहाली में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। हरियाणा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार तथा असम की राज्य सरकारों से अपने-अपने साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) प्रत्येक पार्क में संचार, मुख्य कम्प्यूटर तथा निर्मित स्थान के रूप में मूल-संरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध करवाई गई हैं।

(ग) से (ङ) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अपनी प्रयोगशालाओं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संस्थाओं, तथा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कई साफ्टवेयर पैकेज विकसित किए हैं जैसे कि इंजीनियरी डिजाइन, विशेषज्ञ प्रणालियां, संचार, प्रतिरक्षा, परिवहन, अपराध संसूचन, प्रक्रिया नियन्त्रण तथा भारतीय भाषायें आदि। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों ने लगभग सभी क्षेत्रों में अनेक व्यावसायिक पैकेज विकसित किए हैं जैसे कि वित्त, प्रशासन, प्रबन्ध, इंजीनियरी, विनिर्माण आदि। इन पैकेजों का विकास भारत तथा विदेशों के विशिष्ट प्रयोक्ताओं के लिए या सामान्य अनुप्रयोगों के लिए किया गया है।

कोयला गैस की आपूर्ति

7461. **श्री तरित बरन तोपदार :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों को घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में कोयला गैस की आपूर्ति का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रति मिलियन क्यूबिक मीटर गैस से विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी धनराशि की बचत होगी ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कलकत्ता के समीप दानकुनी कोयला कम्पलैक्स को छोड़कर, जोकि कलकत्ता तथा हावड़ा के घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्रतिदिन लगभग 0.5 मि० क्यूबिक मीटर गैस और प्रतिवर्ष 0.35 मि० टन अर्ध-कोक

का उत्पादन किए जाने के लिए निर्मित की गई है, देश के किसी अन्य महानगर को कोयले की गैस की आपूर्ति किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

रोहिणी में भू-खण्डों का आबंटन

7462. डा० आर० मल्लू : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष पूर्व निकाली गई लाटरियों में सफल घोषित लोगों द्वारा भूमि की लागत तथा अन्य भुगतान किए जाने के बावजूद उन्हें भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब्जा देने में देरी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) डी० डी० ए० द्वारा ऐसे लोगों को प्लाटों का कब्जा कब तक दिए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1989 में आबंटित किए गए 4704 भू-खण्डों में से 914 आबंटितियों को कब्जा पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) 978 मामलों में आबंटन उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिए गए थे। स्थगत आदेश 9-3-92 को रद्द किया गया था और आबंटितियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के अध्यधीन कब्जा पत्र जारी किए जाएंगे। बकाया मामलों में, कब्जा लेने के लिए निर्धारित किए गए आवश्यक दस्तावेज आबंटितियों द्वारा अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।

(ग) आबंटितियों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही कब्जा दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को कब्जा देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में रोजगार

7463. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई आकलन किया है कि नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक में वर्ष में सृजित होने वाले संभावित रोजगार के अनुमान नहीं लगाए गए हैं तथापि, नई औद्योगिक नीति द्वारा (i) नए औद्योगिक प्रयासों को शुरू करने सम्बन्धी लाइसेंस तथा सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने; (ii) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक की उत्पादता तथा दक्षता में सुधार करने (iii) पिछड़े क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए संवृद्धि केन्द्रों को बढ़ावा देने तथा (iv) लघु पैमाने तथा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर दिए गए जोर से पर्याप्त रोजगार अवसरों के सृजित होने की संभावना है।

उर्वरक पर राजसहायता में कटौती

7464. श्री मोरेश्वर सावे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरक पर राजसहायता में वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान 30 प्रतिशत कटौती और करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उर्वरक पर राजसहायता में और अधिक कटौती करने के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए उर्वरक राजसहायता के लिए बजट प्रावधान 5,000 करोड़ रुपये है। इस आबंटन में किसी प्रकार की कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। नीति में कोई परिवर्तन करते समय इन सभी अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त एक संसदीय समिति भी इस समय उर्वरक मूल्य निर्धारण और राजसहायता के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योग

7465. **डा० देवी प्रसाद पाल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-91 की तुलना में पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों की कुल संख्या 1-1-92 को कितनी थी;

(ख) 1 जनवरी, 1991 और 1 जनवरी, 1992 को बेरोजगार हुए मजदूरों की संख्या कितनी है; और

(ग) राज्य में औद्योगिक रुग्णता समाप्त करने और प्रभावित मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सितम्बर, 1990 के अन्त तक पश्चिम बंगाल में लघु क्षेत्र में 35,877 एकक तथा गैर लघु क्षेत्र में 195 एकक रुग्ण थे।

(ख) केन्द्र द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। उनमें से कुछ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे। यह लघु तथा गैर लघु दोनों क्षेत्रों को लागू होता है।

(5) भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए एक पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य-स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियों का गठन किया।

(6) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को 1% वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(7) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमान्त धनराशि योजना भी चला रहा है जिसके तहत प्रति एकक सहायता की राशि 50,000/- रुपये तक की जाती है।

(8) अत्यन्त छोटे और लघु उद्योगों के लिए शोर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अप्रैल, 1990 में एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। जीव्य-क्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

उड़ीसा में नए उद्योग

7466. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास नए उद्योगों का पंजीकरण हेतु उड़ीसा से प्राप्त कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों पर कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 में घोषित की गई नई औद्योगिक नीति के अधीन उद्योगों के पंजीकरण की सभी योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

"स्कोप काम्प्लेक्स" में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालय

7467. **श्री सुखदेव पासवान :**

श्री नीतिश कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रम "स्कोप काम्प्लेक्स" में आबंटित कार्यालय के लिए भुगतान कर रहे हैं यद्यपि वे इसके उपयोग नहीं कर रहे हैं जैसाकि 13 मार्च, 1992 के "स्टेट्समैन" में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन उपक्रमों ने किराये और रखरखाव के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया;

(घ) इन उपक्रमों को आबंटित भूमि का कब तक उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त दो उपक्रम स्कोप काम्प्लेक्स में आबंटित कार्यालय स्थान हेतु रखरखाव शुल्क का भुगतान कर रहे हैं तथा उस स्थान का उपयोग भी कर रहे हैं। प्रशासनिक एवं संभरणगत कारणों से उपरोक्त दो निगमों के सम्पूर्ण कार्यालय को इस काम्प्लेक्स में स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, हुआ लाभ/घाटा

7468. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान केरल में स्थित सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में से किसी का और विस्तार करने के लिए उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) लगातार घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इन उपक्रमों को बन्द किए जाने की स्थिति में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 1990-91 के दौरान, केवल जिस

अवधि की जानकारी उपलब्ध है, केरल राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का शुद्ध लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	शुद्ध लाभ/हानि (—) (करोड़ रुपयों में)
1. कोचीन रिफायनरीज लि०	60.84
2. कोचीन शिपयार्ड लि०	(—) 20.97
3. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	23.61
4. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	2.76
5. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	21.12

(ख) और (ग) नई परियोजना की स्थापना करना, मौजूदा क्षमताओं का विस्तार करना, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम की निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं के विस्तार का ब्यौरा 5 मार्च, 1992 को संसद में प्रस्तुत किए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1990-91 के खण्ड-II से दिया गया है।

(घ) और (ङ) 1990-91 के कार्यनिष्पादन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यमों को उपयुक्त पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को भेजा जाना अपेक्षित है। इससे प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित किया है।

ई० सी० एल० द्वारा परियोजनाओं को चालू करना

7469. श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० सी० एल० द्वारा सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना 2 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कोई परियोजना चालू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले की छानबीन की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन में अनुसूचित जातियों को भूखण्ड

7470. **श्री जगबीर सिंह बरार** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन, हैदरपुर, दिल्ली में अनुसूचित जातियों को 1975-76 के दौरान अपने द्वारा आवंटित किए गए भूखण्डों पर तार लगा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आवंटितयों को वैकल्पिक भूखण्ड दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या आवंटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तार लगाए गए इन भूखंडों पर भवनों का निर्माण करने की अनुमति दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अम्बेडकर नगर एक्सटेंशन में उन्होंने न तो प्लाट अनुसूचित जातियों को आवंटित किए हैं और न ही उन्होंने ऐसे प्लाटों की घेराबन्दी की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए योजनाएं

7471. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के मझौले और लघु उद्योगों के सम्वर्द्धन के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है- और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिए गए लाभों/रियायतों का कितने उद्यमियों ने उपयोग किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं । मझौले उद्योगों के लिए कोई अलग योजना/कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) सरकार द्वारा दिए गए लाभों/रियायतों का उपयोग करने वाले ऐसे उद्यमियों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं किन्तु लघु उद्योग विकास संगठन के सम्बन्ध में पिछले 3 वर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II दिए गए हैं ।

विवरण-I

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं/कार्यक्रम

(क) लघु उद्योग विकास संगठन की योजनाएं और कार्यक्रम

(1) **उद्यमियता विकास कार्यक्रम** : इन कार्यक्रम के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण करने का प्रावधान है । अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों को प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम में जहां तहां लागू होती है, भाग लेने के शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है । अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों को शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दी जाती है ।

(2) **शिक्षित बेरोजगारों के स्वरोजगार के लिए उद्यमियता विकास कार्यक्रम** : शिक्षित बेरोजगार युवाओं के स्वरोजगार देने में सहायता करने की योजना के अधीन अ०जा०/अ०ज०जा० लाभार्थियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया है।

(3) **सिडो के परामर्श सहायता कार्यक्रम** : सिडो के तकनीकी परामर्श कार्यक्रमों के भुगतान में अ०जा०/अ०ज०जा० के उद्यमियों को 5 प्रतिशत रियायत दी जाती है।

(ख) **अ०ज०/अ०ज०जा० के उद्यमियों के लिए योजनायें** : एस० आई० डी० बी० आई० अ०जा०/अ०ज०जा० और शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को सहायता देने के लिए विशेष पुनर्वित्त योजनायें चलाता है। इन योजनाओं के अधीन अ०ज०/अ०ज०जा० और शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को दिये जाने वाले ऋण में उपकरण वित्त अथवा कार्यशील पूंजी अथवा दोनों प्रति परियोजना 50 हजार रुपये की राशि दी जाती है। एस०एफ०सी०/एस०आई०डी०एस० अथवा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए इन ऋणों के लिए एस० आई० डी० बी० आई० निम्नलिखित शर्तों पर पुनर्वित्त देता है :

(1) प्रवर्त्तकों का अंशदान : शून्य

(2) पुनर्भुगतान की अवधि : पुनर्भुगतान की अवधि निर्धारित करने में उदार दृष्टिकोण अपनाना। पुनर्भुगतान की अवधि 3 और 10 वर्षों के बीच होती है जिनमें ऋणस्थगन की प्रारम्भिक अवधि 12 से 18 मही होगी।

(3) ब्याज की दर : ऋण के आधार के अनुसार निम्नलिखित होगी :

ऋण की राशि	ब्याज	
	ऋण पर	पुनर्वित्त पर
(1) 7,500 रुपये तक शामिल	11.5%	8.5%
(2) 7,500 रुपये से अधिक और 15,000 रु० तक	13.0%	10.0%
(3) 15,000 रुपये से अधिक और 25,000 रु० तक	13.5%	10.5%
(4) 25,000 रुपये से अधिक और 50,000 रु० तक	14 0%	11.0%

4. अन्य शर्तें : समानान्तर सिक्योरिटी के लिए जोर नहीं दिया जाता।

(ग) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम योजना** : सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना 1989 में की गई थी ताकि राज्य स्तर पर विभिन्न अ०जा० और अ०ज०जा० निगम को सहायता दी जा सके। यह निगम 25 प्रतिशत तक परियोजना लागत को पूरा करने के लिए सीड कैपीटल देता है सीड कैपीटल पर कोई ब्याज नहीं लगता और केवल 1 प्रतिशत वार्षिक दर से सेवा प्रभार लगाया जाता है। इसके अलावा निगम परियोजना लागत का 75 प्रतिशत तक सर्वाधिक ऋण भी देता है जिसे 10 वर्ष के भीतर वापिस करना होता है। यह निगम अ०ज०/अ०ज०जा० के बीच उद्यमियता विकास के प्रशिक्षण आयोजित करने की लागत में रियायत देता है। इसने 24.29 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्र में 6,261 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। यह योजनायें विशेष रूप से और केवल अ०जा०/अ०ज०जा० के लाभ के लिए हैं।

विवरण-II

कार्यक्रम का नाम	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
औद्योगिक प्रबन्ध प्रशिक्षण	1988-89	185	41
कार्यक्रम (प्रशिक्षित)	1989-90	195	12
	1990-91	163	24
उद्यमियता विकास	1988-89	1073	728
कार्यक्रम (प्रशिक्षित)	1989-90	790	1033
	1990-91	1085	835

खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार

7412. श्री परसराम भारद्वाज : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'खादी और ग्रामीण उद्योग' क्षेत्र में कितने व्यक्ति नियुक्त हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर की विशाल क्षमता को देखते हुए इसके सम्वर्धन को प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा किए गए नये प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र को कोई नये 'प्रोत्साहन' देने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) के 1990-91 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग के अन्तर्गत देश में 48.57 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया है।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम का 1987-88 में संशोधन किया गया था जिसके अनुसार ग्रामोद्योग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया था। ग्रामोद्योग के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने से, के० वी० आई० सी० की अनुसूची में नये 70 ग्रामोद्योग शामिल किये गये हैं।

(ग) और (घ) के० वी० आई० सी० ने विभिन्न प्रकार की एकमुश्त योजनाएं तैयार की हैं। जिनका उद्देश्य कम समय में ग्रामों की और संख्या तथा कामगारों को शामिल करना है खादी तथा कुछ चुनिंदा ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए तेजी से चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। के० वी० आई० सी० को पहले ही से उपलब्ध प्रोत्साहन जारी रखने की सम्भावना है और नये प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पेयजल क्षमता में वृद्धि

7473. **श्री मानकूराम सोड़ी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जगदलपुर, कोंडागांव और कांकेर हेतु पेयजल क्षमता बढ़ाने संबंधी परियोजना केन्द्र सरकार को अनुमोदन और वित्तीय सहायता के लिए सौंपी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 1987 में कोंडागांव कस्बे को जलापूर्ति मुहैया करने के लिए 1.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे पुनरीक्षण और ग्रामीण विकास विभाग को पुन: प्रस्तुत करने के लिए जनवरी, 1988 में राज्य सरकार को वापस कर दिया गया था।

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के पास पैराक्सिलीम के भंडार

7474. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पाद शुल्क सहित आयातित पैराक्सिलीन की लागत कितनी है;

(ख) क्या करोड़ों रुपये की पन्द्रह हजार टन पैराक्सिलीन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के गोदामों में बिना उपयोग के ही पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरुप इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को ब्याज के रूप में कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित पैराक्सिलीन की लागत आयातित पैराक्सिलीन की तुलना में अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड को घाटा

7475. **श्री रवि राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड को मार्च, 1992 के अन्तिम सप्ताह के दौरान कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा नाकेबन्दी के कारण भारी घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृत्रिम वर्षा

7476. **श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बादलों को ठण्डा करके वर्षा में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) :(क) जी, हां।

(ख) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा किए गए मेघ बीजन परिक्षणों में अब तक हुई प्रगति से पता चलता है कि बादलों की 1 किलोमीटर से ज्यादा सघनता और 0.5 ग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा मेघ द्रव जल तत्व होने की कुछेक दशाओं में वर्षा में बढ़ोतरी की सम्भावना होती है।

[हिन्दी]

गुजरात को नमक पर रायल्टी देना

7477. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार को केन्द्रीय सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नमक पर रायल्टी के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार रायल्टी की दरों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) गुजरात सरकार द्वारा नमक उत्पादन करने के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के लिए नमक विनिर्माताओं से सीधे रायल्टी वसूल की जाती है। इसलिए केन्द्र के पास इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में रूग्ण इकाईयां

7478. **श्री बृजभूषण शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रूग्ण एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का इन एककों को सहायता देकर पुनः चालू करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन उद्योगों को कितनी सहायता दिये जाने का विचार है और कब तक उक्त सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उत्तर प्रदेश में सितम्बर 1990 के अंत तक लघु उद्योग क्षेत्र में 30,694 एकक और गैर लघु उद्योग क्षेत्र में 81 एकक रोगी थे।

(ख) और (ग) जहां तक गैर लघु उद्योग क्षेत्र के रोगी एककों का प्रश्न है, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को धन नहीं दिया जाता। सीमांत धन योजना के अधीन, लघु उद्योग क्षेत्र के रोगी एककों के पुनरुज्जीवन हेतु केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को धन उपलब्ध कराती है। सीमांत धन योजना के अधीन 1991-92 तक केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को कुल 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि

7479. **श्रीमती गिरिजा देवी :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी० डी० ए०) के पास आवंटन के लिए कितनी भूमि उपलब्ध हैं;

(ख) आबंटन के लिए विभिन्न पार्टियों/सामूहिक समितियों के कितने अनुरोध लम्बित पड़े हैं;

(ग) डी० डी० ए० के पास भूमि, भूखंड, श्रेणीवार फ्लेट के आबंटन के लिए कुल कितने लोग पंजीकृत थे;

(घ) डी० डी० ए० द्वारा इस भूमि, भूखंड और फ्लेटों का आबंटन कब तक किए जाने की सम्भावना हैं; और

(ङ) डी० डी० ए० की कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है, इसे खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिल्डरों के लिए संशोधित किराए का मूल्यांकन

7480. **श्री राम प्रकाश चौधरी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस सक्षम तकनीकी प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है जो सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा भाड़े पर लिए गए भवनों के लिए संशोधित किराये का मूल्यांकन और पुनमूल्यांकन कर सके;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सम्पदा अधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि वे किराए के उन भवनों को मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन न करें जिनकी पांच वर्षों की सरकारी किरायेदारी समाप्त हो गई हो; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (लाइसेंस शुल्क) की अगुवाई में किराया समिति और अधीक्षक इंजीनियरों की अगुवाई में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और शिमला की किराया समितियां इन स्टेशनों में केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किराये पर लिए गए भवनों के संशोधित किराये का मूल्यांकन और पुनर्मूल्याकन करने के लिए सक्षम तकनीकी प्राधिकारी हैं। अन्य सभी क्षेत्रों में, सम्बन्धित क्षेत्र के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस प्रकार के किराये का मूल्यांकन करने हेतु सक्षम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति

7481. **श्री के० वी० तंग्का बालू** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु महासागर विकास विभाग में कोई समिति मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों की क्या उपलब्धियां प्राप्त रही ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) महासागर विकास विभाग, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने योजना बजट से संसाधन प्रदान करता है। इस विभाग के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में कोई भी वैज्ञानिक संस्था नहीं है। फलस्वरूप, इन संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए यह विभाग सीधे उत्तरदायी नहीं है।

हालांकि, केन्द्रीय सरकार के पदों के चयन के लिए इस विभाग में निम्नलिखित व्यवस्था है :

(1) समूह "ग" एवं "घ" पदों के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति में अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य होता है।

(2) समूह "क" एवं "ख" के पदों पर चयन के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञों वाली चयन समितियां समय-समय पर नियुक्त की जाती है। ऐसे मामलो में, चयन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का एक विशेषज्ञ सदैव सम्मिलित किया जाता है।

मोन्टाना कारों में खामियां

7482. **श्री रोशन लाल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर द्वारा निर्मित मोन्टाना कार (डीजल) में निर्माण सम्बन्धी खामियों तथा कम्पनी से इन खामियों को दूर कराने में खरीददारों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में आम जनता/संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी प्रक्रिया तैयार करने का है जिससे निर्माण सम्बन्धी गम्भीर खामियों के मामले में खरीददार पूरी राशि की वापसी हेतु दावा पेश कर सकें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) मोन्टाना कारों के माडल में निर्माण सम्बन्धी खामियों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। ऐसी शिकायतें इस मामले में उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए विनिर्माता को मूल रूप में भेज दी जाती है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सामान्य वाणिज्यिक प्रक्रिया के रूप में, ऐसी खरीददारी वारंटी द्वारा पूरी की जाती है तथा प्रमुख हानि के मामले में ग्राहक कानूनी उपचार के लिए स्वतन्त्र है।

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध सेवाकाल का बढ़ाया जाना

7483. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वायत्त निकायों और केन्द्रीय सरकार के सचिवों, अपर सचिवों, उप-सचिवों और अवर सचिवों के सेवाकाल चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान बढ़ाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है तथा उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके सेवाकाल वर्ष 1988, 1989, 1990 और 1991 के दौरान बढ़ाए गए तथा इस नीति को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल को बढ़ाए जाने के बारे में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने कोई विशिष्ठ सिफारिश नहीं की है। पिछले चार वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के किसी भी अपर सचिव/उप-सचिव तथा अवर सचिव को अधिवर्षिता के पश्चात सेवा वृद्धि की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि केन्द्रीय सरकार में ऐसे 9 सचिव थे, जिन्हें लोक हित में, 1988 से 1991 के दौरान सेवा में वृद्धि की मंजूरी दी गई थी। जिन व्यक्तियों को सेवा में वृद्धि मंजूरी की गई थी, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सेवा में वृद्धि सम्बन्धी ऐसे मामलों से निपटने के लिए स्वायत्त निकायों के अपने उप-नियम तथा विनियम हैं। अतः स्वायत्त निकायों में सेवा काल बढ़ाए गए कर्मचारियों के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

विवरण

1988

1. श्री के० पी० पी० नम्बियार, सचिव इलेक्ट्रानिक्स विभाग।

1989

2. श्री के० पी० एस० मेनन, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय।
3. श्री एस० वेंकिटारमणन्, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय।
4. श्री बी० जी० देशमुख, वेतन, मंत्रिमण्डल सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
5. डा० ए० पी० मिश्रा, सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधार विभाग।

1990

6. श्री एस० के० सिंह, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय।
7. श्री एम० एन० प्रसाद, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा पदेन प्रधान सचिव।

8. श्री वी० सी० पांडे, सचिव, अन्तः राज्य परिषद, गृह मंत्रालय ।

1991

9. श्री एस० के० मिश्र, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय ।

मारुति कारों के निर्यात में कमी

7484. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों के निर्यात में धीरे-धीरे कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मारुति कारों के तुलनात्मक निर्यात और उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय में कमी की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों को मारुति कारों के निर्यात में कमी आई है और इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार ने निर्यात को बढ़ाने और मारुति कारों के लिए नए विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं। गत पांच वर्षों के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड के निर्यात और विदेशी मुद्रा आय इस प्रकार रहे :

वर्ष	निर्यात किए गए वाहनों की संख्या	विदेशी मुद्रा आय* (अमरीकी डालर-मिलियन)
1987-88	7.3	6.67
1988-89	1408	9.59
1989-90	5223	24.32
1990-91	4908	41.08
1991-92	22901	94.00 (अनन्तिम)

*इसमें विदेशी मुद्रा के बदले स्वदेशी बिक्री भी शामिल है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीरे पर नियन्त्रण हटाना

7485. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा अपने आवंटित कोटे को न उठाये जाने के कारण बड़ी मात्रा में चीनी का सीरा बर्बाद हो रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को कितनी-कितनी मात्रा में चीनी का सीरा आवंटित किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार सीरे पर से नियन्त्र हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक हटाया जायेगा ?

रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिंता मोहन) : (क) राज्य सरकारों द्वारा आवंटित मात्रा को नहीं उठाये जाने के कारण बड़ी मात्रा में शीरा बरबाद होने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) पिछले 2 वर्षों के दौरान कमी वाले राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पक्ष में किये गये शीरे के अन्तर-राज्यीय आवंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

(आंकड़े टनों में)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शीरे का राज्यवार किया गया आवंटन	
		1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,70,000	70,000
2.	असम	100	100
3.	चण्डीगढ़	500	860
4.	दादरा और नगर हवेली	500	230
5.	दमन	17,300	13,000
6.	दिल्ली	2,000	1,750
7.	गुजरात	40,000	—
8.	हिमाचल प्रदेश	5,000	9,800
9.	जम्मू और कश्मीर	14,700	12,300
10.	केरल	83,000	34,000
11.	मध्य प्रदेश	2,42,600	2,32,500
12.	मेघालय	25	1,025
13.	नागालैंड	7,000	—
14.	उड़ीसा	20,900	20,000
15.	पंजाब	59,000	45,500
16.	राजस्थान	35,200	33,500
17	सिक्किम	2,400	—
18.	त्रिपुरा	75	75
19.	पश्चिम बंगाल	1,02,300	65,000

मोरीगेट में मकानों की मरम्मत

7486. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या शहरी विकास मंत्री 18 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरी गेट और कश्मीरी गेट क्षेत्रों में मकानों की मरम्मत से संबंधित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4355 के लिये दिया गया आश्वासन संलग्न विवरण के अनुसार पूरा कर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके द्वारा मोरीगेट क्षेत्र में निजी मकानों की स्थिति के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता किन्तु खतरनाक/मरम्मत योग्य मकानों का पता लगाने के लिये एक पूर्व-मानसन सर्वेक्षण किया जाता है। खतरनाक मकानों के मामले में मकानों को गिराने के लिये दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 के अधीन नोटिस जारी किये जाते हैं। जिन मकानों की मरम्मत हो सकती है, उनके मालिकों/दखलकारों को अपने मकानों की मरम्मत कराने का परामर्श दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती स्कंध ने सूचित किया है कि मोरीगेट क्षेत्र में 4 मलिन बस्ती संपत्तियों को खतरनाक घोषित किया गया है तथा उनके दखलकारों को स्लम टेनामेंटों में जाने के लिये नोटिस जारी किये गये हैं।

2. मालिकों अथवा दखलकारों द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम में यथा परिभाषित मरम्मत कराई जा सकती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती स्कंध ने सूचित किया है कि उनके स्वामित्व में आने वाली सम्पत्ति में व्यय की अनुमेय प्रतिव्यक्ति सीमा में मरम्मत कराई जाती है।

3. दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पूर्व-मानसून सर्वेक्षण के समय दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरों द्वारा निर्दिष्ट भवनों के हिस्से की मरम्मत कराने के किए कोई अनुमति अपेक्षित नहीं है। दिल्ली में एकीकृत कानूनों के भवन-निर्माण उप-नियम सं० 6.4.1 में दी गयी परिभाषा के अनुसार भी मरम्मत कराई जा सकती है दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती स्कंध ने सूचिय किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती स्कंध के स्वामित्व में आने वाली संपत्ति की मरम्मत के लिए दिल्ली नगर निगम अथवा पुलिस की अनुमति अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के डीलरों को ऋण सुविधाएं

7487. **डा० एस० पी० यादव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के डीलरों को कोई सुविधा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त डीलरों से उस राशि की वसूली कर ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) स्कूटर्स इन्डिया लि० द्वारा, अपने बम्बई स्थित डीलर, मैसर्स अलीभाई प्रेम जी टायर वाला कं० को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

(ख) वर्ष 1982-83 से डीलर को स्कूटर/तिपहिये/कल-पुर्जे इस विश्वास पर उधार दिये गये थे कि डीलर सम्बन्धित माल के बिकने पर ऋण चुका देगा। अंतिम आपूर्ति 22 अगस्त, 1988 को की गई थी। दिनांक 18-4-92 की स्थिति के अनुसार 4.04 लाख रुपये की राशि डीलर से वसूल की जानी थी।

(ग) से (ङ) यह राशि अभी तक वसूली नहीं गई है क्योंकि डीलर द्वारा 1988-89 में जारी किये गये 8 चैकों का भुगतान नहीं हुआ था। अक्तूबर, 1990 में, इस बारे में, डीलर के विरुद्ध एक मुकदमा दायर कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भूमि न्यायाधिकरणों की स्थापना

7488. श्री जायमल अबेलिम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी समय पूर्व राज्य सरकारों को भूमिहीन/गरीब किसानों में भूमि विवादों और इसके वितरण के मामलों को निपटाने हेतु भूमि न्यायाधिकरणों की स्थापना करने सम्बन्धी निर्देश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक राज्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रत्येक राज्य में इन न्यायाधिकरणों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अन्य उपाय करने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ङ) भूमि सुधार से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 323-ख के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि न्यायाधिकरण स्थापित करने और/अथवा सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के परामर्श से उच्च न्यायालयों के परामर्श से उच्च न्यायालय में विशेष न्यायालय/बैंच बनाने की सलाह दी है। बिहार, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अन्तर्गत भूमि न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कानून बनाए हैं।

भूमि राज्य का विषय है, इसलिए यह राज्य सरकारों पर है कि वे ऐसे न्यायाधिकरण/न्यायालयों की स्थापना करें और की गई प्रगति की निगरानी करें।

रद्दी से पुनः कागज बनाने वाले उद्योग

7489. श्रीमती विजयकुमारी भंडारी : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार रद्दी से पुन: कागज बनाने वाले कुछ उद्योगों को वित्त उपलब्ध करांती है; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने उद्योग है और देश में राज्य-वार प्रतिवर्ष रद्दी से कितनी मात्रा में पुन: कागज बनाया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) यद्यपि कई लघु कागज मिलें रद्दी कागज पर आधारित हैं, केन्द्र सरकार किसी भी मिल को धन नहीं देती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

बिहार में औद्योगिक पूंजी निवेश

7490. **श्री ललित उरांव** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक निवेश की सीमा क्या है और इसका बिहार में कितना अनुपात है; और

(ख) बिहार के लिए वर्ष 1992-93 हेतु औद्योगिक निवेश का अनुमानत: कितना अनुपात होगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) औद्योगिक क्षेत्रक में निवेश के लिए आंकड़े वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के तहत एकत्रित और संकलित किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण में वे फैक्टरियों शामिल हैं जिनमें 10 या इसके अधिक कामगार लगे हुए हैं और जो विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं अथवा जिनमें 20 या उससे अधिक कामगार लगे हुए हैं और जो विद्युत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नवीनतम जानकारी केवल वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, उस वर्ष के सर्वेक्षण में अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दादरा व नगर हवेली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और लक्षद्वीप प्रायद्वीप को छोड़कर सम्पूर्ण देश को शामिल किया गया था। पिछले तीन वर्षों के लिए लगायी गयी पूंजी के अनुमानों को, जिसमें आंकड़े उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। यह कहा जा सकता है कि आंकड़े सम्बद्ध ए० एस० आई० संदर्भ अवधि में शामिल फैक्टरी के लेखा वर्ष के अन्तिम दिवस के अनुसार हैं। 1992-93 में संभावित औद्योगिक निवेश का अनुमान नहीं लगाया गया है।

विवरण

लगायी गयी पूंजी (वर्तमान कीमतों पर)* के मूल्यों को दर्शाते हुए विवरण फैक्टरी द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिपोर्ट** 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान ए० एस० आई० में शामिल

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88
1.	आंध्र प्रदेश	551745	604410	659668
2.	असम	88502	112670	101819

1	2	3	4	5
3.	बिहार	689177	743183	872155
4.	गुजरात	825712	966834	1114490
5.	हरियाणा	288686	316513	358559
6.	हिमाचल प्रदेश	79405	85669	104399
7.	जम्मू व कश्मीर	34492	41182	49947
8.	कर्नाटक	369450	400557	479473
9.	केरल	223420	237659	265251
10.	मध्य प्रदेश	698080	781430	890411
11.	महाराष्ट्र	1478202	1684736	1884265
12.	मणिपुर	158	151	128
13.	मेघालय	1815	283	1794
14.	उड़ीसा	228390	292036	485046
15.	पंजाब	374377	407520	546661
16.	राजस्थान	364877	400064	412766
17.	तमिलनाडु	833485	889941	1020461
18.	त्रिपुरा	1852	3224	3442
19.	उत्तर प्रदेश	850878	1041962	1207068
20.	पं० बंगाल	697831	641482	772952
21.	अंडमान व निकोबार	1365	1123	1867
22.	चंडीगढ़	5019	5737	5657
23.	दिल्ली	87902	69322	107953
24.	गोवा, दमन व दीव	27215	29736	30784
25.	पांडिचेरी	9146	11868	18378
	जोड़	8811181	9769297	11393385

*लगायी गयी पूंजी : निश्चित तथा वास्तविक कार्यशील पूंजी का जोड़ है।

निश्चित पूंजी : लेखा वर्ष के अन्तिम दिवस के अनुसार फैक्टरी के निजी स्वामित्व वाली निर्धारित परिसम्पनियों के घटते मूल्य का द्योतक है। निर्धारित परिसम्पतियों वे है जो एक वर्ष से अधिक सामान्य उत्पादी समय के लिए होती है।

वास्तविक कार्यशील पूंजी : को लेखा वर्ष के अन्तिम दिवस के अनुसार फैक्टरी के निजी स्वामित्व, उसके द्वारा धारित अथवा नियंत्रित सभी वास्तविक सूचियों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया जाती है।

**केवल रिपोर्टिंग फैक्टरियां।

[अनुवाद]

असम में विकास योजनाएं

7491. श्री प्रवीन डेका : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से असम में विकास योजनाएं शुरू करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान/राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में प्रवेश के लिए अर्हता

7492. श्री सुधीर सामन्त : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण हेतु राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में प्रवेश के लिए कौनसी मूल योग्यता आवश्यक है;

(ख) क्या उक्त संस्थानों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण विश्वविद्यालयों की पाठ् चर्चा में शामिल किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इम्टैक्स-92

7493. डा० सी० सिल्वेरा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन मशीन टूल मेनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने नवीनतम उपकरणों का प्रदर्शन करने के लिए मार्च, 1992 में नई दिल्ली में 'इम्टैक्स-92' आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें अन्य देशों ने भी भाग लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयोजक विदेशों से कुछ क्रयादेश प्राप्त करने में सफल हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां। "इम्टैक्स-92" इण्डियन मशीन टूल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा 7-16 मार्च, 1992 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी में परम्परागत मशीनों और सी० एन० सी० मशीनों, उपकरणों और सहायक सामान को प्रदर्शित किया गया था। लगभग 200 सी० एन० सी० मशीनें प्रदर्शित की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) "इम्टैक्स-92" में 16 देशों ने भाग लिया था जिसमें जर्मनी की अड़तालिस कम्पनियां शामिल थीं।

(ङ) जी, हां।

(च) लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार किया गया।

[हिन्दी]

पाइराइट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में करुणामूलक आधार पर रोजगार

7494. **श्री छेदी पासवान :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पाइराइट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, अमझोर में गत तीन वर्षों के दौरान करुणामूलक आधार पर कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया और इस समय अद्यतन पैनल में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) पैनल के सारे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में कितना समय लगने की सम्भावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) कार्य के दौरान मृत होने वाले व्यक्तियों के दो आश्रितों को पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पी० पी० सी० एल०) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान नियोजित किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियोजन के लिए इसी स्वरूप का कोई और मामला पी० पी० सी० एल० के पास लम्बित नहीं है।

करुणामूलक आधारों पर भारतीय उर्वरक निगम में रोजगार

7495. **श्री रामदेव राय :**

श्री ललित उरांव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय उर्वरक निगम के अन्तर्गत उर्वरक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय उर्वरक निगम में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को करुणामूलक आधारों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) इस समय इन एककों में करुणामूलक आधारों पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल इस प्रकार के लम्बित मामलों का एकक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मामलों में कर्मचारियों की मृत्यु किन तारीखों में हुई है, उनके आश्रितों ने किन

तारीखों को नियुक्ति के लिए आवेदन किया है तथा इनमें से प्रत्येक की अलग-अलग अद्यतन स्थिति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (एफ० सी० आई०) के अधीन कार्यरत एककों/कार्यालयों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) सिन्दरी एकक, बिहार ।

(2) गोरखपुर एकक, उत्तर प्रदेश ।

(3) रामागुण्डम एकक, आंध्र प्रदेश ।

(4) तालचर एकक, उड़ीसा ।

(5) कोर्बा प्रभाग, मध्य प्रदेश ।

(6) जोधपुर खनन संगठन, राजस्थान ।

(7) नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, कलकत्ता, पटना और भुवनेश्वर स्थित विपणन कार्यालय ।

(8) जहाजरानी खरीद और सम्पर्क कार्यालय, कलकत्ता ।

(9) केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली ।

(ख) सरकार ने एफ० सी० आई० द्वारा अनुकम्पा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार के नियमों का अनुसरण करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । सूचि में उल्लिखित सभी मामले रोजगार के लिए लम्बित है । फालतू जनशक्ति तथा गम्भीर वित्तीय प्रतिबन्धों के कारण कम्पनी इन लंबित मामलों पर विचार करने की स्थिति में नहीं है ।

विवरण

सिन्दरी एकक

रोजगार के लिए प्रतीक्षा सूची में पड़े मामलों के ब्यौरे

क्रमांक	मृत कर्मचारी का नाम स/श्री	मृत व्यक्ति का पदनाम	मृत्यु की तारीख	किस तारीख को मृत कर्मचारी के आश्रित ने एफ० सी० आई० में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था
1.	एस० मैन	आपरेटर ग्रेड-I	1-8-73	7-2-77
2.	कालीदासी	एफ/मजदूर	30-8-73	5-2-79
3.	एस० मण्डल	हैलपर ग्रेड-II	13-9-73	2-4-76

1	2	3	4	5
4.	एम० एल० धर	आपरेटर ग्रेड-I (डी)	4-10-73	14-6-78
5.	सूकू मांझी	मजदूर	10-10-73	29-9-77
6.	एप्पा दाव	टैक०ग्रेड-II	23-11-73	14-10-78
7.	ए० के० घोष	स्पे० ग्रेड टैक०	26-11-73	20-8-75
8.	डी० कर्माकर	टर्नर ग्रेड-III	8-12-73	29-3-85
9.	एन० नाइडू	मजदूर	31-3-75	
10.	गोपरधन माहुटी	ओप० ग्रेड-III	13-4-73	16-9-77
11.	एस० मांझी	हैल्फर ग्रेड-II	6-1-74	10-1-75
12.	पारस लाल	हैल्पर ग्रेड-I	12-1-75	19-8-85
13.	ए० के० भट्टाचार्जी	स्पे० ग्रेड० टैक (डी)	5-2-74	12-9-78
14.	बी० बनर्जी	हैल्पर ग्रेड-I	17-2-74	30-9-78
15.	जी० के० मैनन	ओ० एस०	3-8-74	11-1-78
16.	बी० एन० दत्ता	चार्जमैन	8-4-74	20-6-74
17.	जे० मेहतो	सी० वेल्डर	27-4-74	—
18.	बी० बी० सिंह	हैल्पर ग्रेड-I	4-7-74	28-11-78
19.	आई० सी० राव	ड्राईवर ग्रेड-II	31-7-74	16-1-75
20.	पी० गोपे	हेल्पर ग्रेड-II	17-8-74	2-11-77
21.	एस० पी० सिंह	मजदूर	19-9-74	13-9-75
22.	गोबिन्द मेहतो	ओप० ग्रेड-II	9-10-74	21-1-76
23.	काली चरण मेहतो	ओपरेटर	14-10-74	2-11-74
24.	एस० मैन	ड्राईवर	29-10-74	9-12-75
25.	घोष	स्पे० ग्रेड टैक०	26-11-74	20-8-75
26.	एस० के० राय	एम० ओ०	23-11-74	15-1-75
27.	एच० एन० दूबे	स्पे० ग्रेड ओपे०	9-12-74	9-75
28.	जी० के० सूबाकृष्णया	जेन० फोरमैन	21-12-74	6 1-75
29.	महेन्द्र प्रसाद	ओपरेटर-I	29-12-74	1-1 75
30.	राम जीवन	हैल्पर-I	दिसम्बर 74	7-1-75

1	2	3	4	5
31.	बाबू राम मेहतो	हैल्पर	4-2-75	1 9-80
32.	फिरंगी मेहतो	—	10-2-75	24-8-77
33.	बी० के० मुखर्जी	टैक-I	3-5-76	14-10-75
34.	जी० भण्डारी	सी० वक्तरी	13-5-75	11-10-77
35.	स्वापनी	एफ/मजदूर	18-6 75	22-7-75
36.	मंगल मांझी	मजदूर	1-7 75	16-8-75
37.	रसमोनी	मजदूर	10-7-75	9-10-77
38.	राम लोचन	एस/गार्ड	18-8-75	16-1-76
39.	आर० बी० दुबे	ओप० ग्रेड-I	1-9-75	—
40.	टी० मंडल	एफ/मजदूर	16-9-75	10-10-75
41.	सबतरी	एफ/मजदूर	22-9-75	14-7-76
42.	मो० अल्लाउद्दीन	मजदूर	10-10-75	7-12-75
43.	आर० मेहतो	हैल्पर-I	23-10-75	11-11-75
44.	एस० सिंह	हैल्पर-I	23-10-75	28-11-75
45	जी० लाल	ए० एस० के०	24-10-75	31-7-75
46.	आर० के० मिश्रा	हैल्पर	27-10-75	13-3-84
47.	रघुनाथ	ओप०-III	5-1-76	—
48.	एन० टी० चौधरी	यू० डी० सी०	9-1-76	3-2-76
49.	ए० के० उपाध्याय	ओप० ग्रेड-1	22-1-76	9-2-76
50.	एम० मेहतो	ड्राईवर	17-3-76	10-5-88
51.	खारी	एफ/मजदूर	21-4-76	28-11-77
52.	मोहर राजवर	खलासी (डी)	20-5-76	14-6-76
53.	बी० एल० मेहतो	सी० मजदूर	16-6-76	4-11-76
54.	झारी मेहतो	स्पे० ग्रेड० माली	14-7-76	20-12-76
55.	पी० सी० चक्रवर्ती	एस्सी० फोरमैन	28-9-76	28-9-76
56.	देवी दयाल	सी० वल्डर	25-10-76	21-12-89
57.	डी० डी० प्रसाद	सी/मैन	10-11-76	26-3-84
58.	डी० एन० चौधरी		14-11-75	30-11-76

1	2	3	4	5
59.	एस० साहू	मसन-I	17-12-76	14-7-87
60.	एस० के० पाण्डे		25-12-76	26-4-77
61.	बी० सिंह	टैक०-III	19-2-77	6-9-77
62.	टी० पी० सिंहा	फोरमैन	2-4-77	23-6-77
63.	आर० मल्लिक	स्पे० ग्रेड हैल्पर	6-5-77	24-6-77
64.	एस० के० मुखर्जी	स्पे० ग्रेड टैक०	10-5-77	16-5-88
65.	कार्तिक सिंह	हैल्पर-I	.3-6-77	24-6-77
66.	एस० के० बनर्जी	एफ/मैन	23-7-77	19-11-77
67.	बी० साहू	यार्ड गन्नर	24-7-77	10-9-77
68.	के० सी० पूनम	फोरमैन	15-8-77	23-8-77
69.	आर० एन० सिंह	यू० डी० सी०	19-8-77	9-77
70.	एस० कुमार		27-10-77	8-90
71.	किटू मल्लिक	हैल्पर-I	8 9-77	1-10-77
72.	के० एल० चक्रवर्ती	सी० आर० सोरटर	18-11-77	23-11-77
73.	अलीजान	हैल्पर ग्रेड-I	16-12-77	1-3-78
74.	कडू मांझी		24 12-77	10-3-78
75.	एस० देवी	पीइन	14-1-78	14-2-78
76.	टी० मांझी	मजदूर	17-1-78	2-79
77.	आर० सी० प्रसाद	पेन्टर-II	24-1-78	11-11-87
78.	जे० खान	हैल्पर-II	29-3-78	7-4-86
79.	ए० सिंह	स्पे० ग्रेड टेक०	25-5-78	20-6-78
80.	बी० सिंह	लोको फायरमैन	12-6-78	17-7-78
81.	उदीत्या	हैल्पर-II	22-6-78	24-4-78
82.	बी० बी० सिंह	हैल्पर	4-7-78	28-11-78
83.	जागू राम	हैल्पर-II	15-8-78	4-78
84.	जे० मल्लिक		24-7-78	1-9-78
85.	बी० सिंह	पीइन	27-7-78	12-8-78
86.	मोह० हनीफ	टैक-I	28-7-78	23-9-78

1	2	3	4	5
87.	जी० चौधरी	स्पे० ग्रेड० टेक	31-7-78	3-8-78
88.	जे० पी० सिंह	एल० डी० सी०	5-9-78	15-11-78
89.	डी० माझी	हैल्पर-II	23-9-78	22-11-78
90.	एल० राय	हैल्पर-II	14-10-78	12-78
91.	के० एन० राय	एल० डी० सी०	16-10-78	1979
92.	आर० सी० मंडल	आर/सोरटर	10-11-78	27-11-78
93.	एन० सी० सूतराधार	टैक-I	9-12-78	30-12-78
94.	एस० सी० मंडल	सी० दफ्त्री	11-12-78	3-1-79
95.	आर० पण्डित		11-12-78	19-1-79
96.	गोलक बीहुन	स्पे० ग्रेड टैक (डी)	11-12-78	1-2-79
97.	जी० चौधरी	टेक ग्रेड-II	12-12-78	3-2-79
98.	एस० सी० कर्माकर	सी० चपरासी	12-12-78	3-1-79
99.	बी० एम० साह	ओ० ग्रेड-II	12-7-78	30-1-79
100.	झूनू बोरी	हैल्प० ग्रेड-II	12-12-78	1-79
101.	मुकन्द लाल	सी० ड्रसेर	18-12-78	29-12-78
102.	लालू मेहतो	हैल्प० ग्रेड-I	21-1-89	2-79
103.	डी० डी० राय	ओप० ग्रेड-II	1-2-79	27-9 79
104.	एस० के० दत्ता	सी/मैन	2-2-79	5-3-79
105.	बी० मेहतो	सी० ए० एम० मैट०	5-2-79	9-7-85
106.	नाथू राम	सफाई सेवक	9-3-79	15-3-79
107.	एस० मैन	हैल्पर-II	10-3 79	1979
108.	एस० के० चटर्जी	जे० ओ०	10-4-79	25-4-79
109.	एन० के० मिश्रा	एफ/मैन (डी)	8-5-79	1979
110.	एस० के० चटर्जी	ए० एफ० एम०	9-5-79	14-9-81
111.	सुदामा सिंह	टेक० ग्रेड-II	19-5-79	14-6-79
112.	डी० डी० चक्रवर्ती	ओप० ग्रेड-I	19-5-79	3-10-79
113.	सीताराम	ओप० ग्रेड-III	21-5-79	10-8-79
114.	राम सूरत	एस/सूबेदार	25-6-79	20-3 84

1	2	3	4	5
115.	सी० आर० मेहतो	मजदूर	29-6-79	16-7-79
116.	पिरी	एस/एस	10-7-79	17-12-81
117.	एस० मण्डल	हैल्पर ग्रेड-I	15-7-79	22-8-89
118.	एम० एल० बनर्जी	हैल्पर-II	21-8-79	22 12-81
119.	बी० मेहतो	टेक० ग्रेड-III	24-9 79	1982
120.	लाल माझी	हैल्पर ग्रेड-II	15-10-79	26-11-79
121.	के० एन० राय	एल० डी० सी०	14-10-79	1979
122.	वासी मोहम्मद	स्पे० ग्रेड० टेक०	2-12-79	1-1-80
123.	जी० मेहतो	टेक० ग्रेड-II	17-12-79	12-8-87
124.	जी० आर० अंसारी	हैल्पर ग्रेड-I	18-12-79	21-12-79
125.	श्रीमती एस० देवी	आया	19-12-79	अक्टूबर 82
126.	पी० के० मोण्डल	ओप० ग्रेड-I	21-12-79	30-1-80
127.	रोहन महजतो	मजदूर	25-12-79	18-1-80
128.	ए० बोरी	मजदूर	13-1-80	1-9-80
129.	आर०एन० सिंह	मजदूर	17-1-80	17-12-84
130.	बी० झा	हेल्पर ग्रेड-II	30-1-80	10-2-84
131.	सी०आर० चकंवती	ओप-III	12-2-80	14-3-80
132.	के०एम० दास	ओप०ग्रेड-II	3-3-80	10-4-80
133.	एम० व्हिलर	ओप०ग्रेड-I	29-3-80	2-4-80
134.	बी०एन०सिंह	टैक०ग्रेड-II	11-4-80	24-8-90
135.	बी०एम०पांडे	सी०ए०टी०सी०	14-4-80	20-9-80
136.	एस०के०राय	ओप०ग्रेड-I	20-4-80	5-5-80
137.	बी०एन० मुखर्जी	टेक०ग्रेड-III	27-4-80	22-11-82
138.	मोह०अली शान	ओप०ग्रेड-I	31-5-80	4-7-80
139.	राम लखन प्रसाद	सी०अटनडेन्ट	28-6-80	11-8-80
140.	बी० के० सिन्हा	एका० एसीं०	13-7-80	24-7-80
141.	एम० सी० पोदार	एस० जी० टीचर	19-8-80	28-10-80
142.	के० सी० राय	सी/फिटर ग्रेड-I	24-8-80	1980

1	2	3	4	5
143.	सरण सिंह	टेक ग्रेड-I	28-8-80	9-6-83
144.	बी० सिंह	टेक० ग्रेड-I	3-10-80	12-11-80
145.	महेश प्रसाद	हेल्प० ग्रेड-I	10-10-80	18-12-90
146.	पी० के० डे	सी/मैन	9 11-80	18-9-82
147.	निरमा	एस/सेवक	25-11-80	25-6-86
148.	एस मेहतो	मजदूर	24-12-80	22-1-81
149.	बी० प्रसाद	मजदूर	29-12-80	30-1-81
150.	जे० डी० चौधरी	सी० इंजी०	29-12-80	4-2-81
151.	बी० झा	ड्राईवर-I	10-3-80	5 6-81
152.	जे० राम	ओप० ग्रेड-III	13-4-81	1981
153.	माती राम	हेल्पर ग्रेड-I	20-5-81	1990
154.	एस० के० चक्रवर्ती	फिट-ग्रेड-II	2-6-81	30-8-85
155.	ए० परमानीक	हेल्प० ग्रेड-II	29-6-81	20-7-81
156.	एस० पी० मंडल	जी/कीपर	15-7-81	27-7-81
157.	एम० एल० बोरी	हेल्पर-I	27-7-81	23-12-82
158.	ए० मेहतो	हेल्पर ग्रेड	11-8-81	28-8-81
159.	सुखलाल	लोको ड्राईवर	26-9-81	23-10-81
160.	सी० मंडल	स्पे० ग्रेड ओप०	3-11-81	1982
161.	टिपा मांझी	ओप० ग्रेड-II	11-11-81	22-12-81
162.	एम० सिंह	टेक० ग्रेड-II	15-11-81	28-12-81
163.	आर० ए० राम	टेक० ग्रेड-II	22-11-81	19-4-83
164.	एल० के० मांझी	हेल्प० ग्रेड-II	3-12-81	28-12-81
165.	एन० अहिर	वाचमैन	4-12-81	21-7-83
166.	एम० एल० मांझी	हेल्पर ग्रेड-I	25-12-81	1982
167.	भगवानदास	हेल्प०-I	10-1-82	17-2-82
168.	बी० गोराइन	स्पे० हेल्प० (डी)	15-1-82	10-2-82
169.	डी० मांझी	हेल्पर ग्रेड-II	25-1-82	26-4-82

1	2	3	4	5
170.	के० पी० धर	एसि० स्टो० कीपर	4-2-82	25-3-82
171.	बी० दास	जे० एम० ओ०	9-2-82	—
172.	जे० एन० प्रसाद	ओप० ग्रेड-I	27-2-82	1984
173.	डब्ल्यू मंडल	जे० ए० ओ०	1-3-82	23-3-82
174.	एच० एम० नाथ	सी० ड्रेसर	11-3-82	21-4-82
175.	जी० मंडल	स्पे० ग्रेड पीटीमैन	9-4-82	28-12-82
176.	एन० हक्क	स्पे० ग्रेड टेक०	16-3-82	20-7-82
177.	एम० मेहतो	हेल्प० ग्रेड-I	22-5-82	23-7-82
178.	चन्दर पाल	एस/एस	25-5-92	8-6-82
179.	आर० एन० सिंह	सी० टेक० (डी)	25-5-82	2-8-82
180.	पी० प्रसाद	स्पे० ग्रेड० ओप०	28-5-82	2-8-82
181.	एस० चटर्जी	स्पे० ग्रेड० ओ०	29-5-82	16-6-82
182.	बी० चौधरी	ओ० ग्रेड-I	9-6-82	14-7-82
183.	जादू राम	हेल्प० ग्रेड-I	8-7-82	5-11-82
184.	नन्द लाल	ओप० ग्रेड-III	19-7-82	28-9-82
185.	बरकर मांझी	टेक० ग्रे०-III	14-8-82	16-12-84
186.	बी० सहाय	एसी०	22-8-82	9-11-82
187.	बी० शर्मा	हेल्पर	7-9-82	9-10-82
188.	आर० के० गिरी	ओप० II	11-10-82	27-11-82
189.	एम० एम० दास	हेल्पर-I	11-10-82	2-2-83
190.	मन्टू डे	ओप०	6-12-82	6-2-84
191.	मोह० बीलाईत	टेक-II	10-11-82	4-1-83
192.	जी० जी० गिरी	फायरमैन	25-11-82	4-1-83
193.	बी० एन० प्रसाद	हेल्प० ग्रेड-I	1-1-83	27-1-83
194.	बी० एन० वर्मा	एपी-II	1-1-83	23-12-83
195.	डी० आर० राम	हेल्प० ग्रेड-I	3-1-83	7-3-83
196.	के० बोरी	हेल्प० ग्रेड०-I	8-1-83	9-7-81
197.	वी० जी० पी० सिन्हा	जे० ओ०	27-2-83	7-6-83

1	2	3	4	5
198.	आई० डी० राम	चार्जमैन	1-3-83	1983
190.	आर० चक्रवर्ती	ए पी एम	10-3-83	19-4-83
200.	रघुवीर सिंह	एस/एस डी आर	12-3-83	1983
201.	एस० आर० मांझी	हेल्प ग्रेड I	15-3-83	1-9-83
202.	देवी लाल	ऐसी०	27-5-63	8-6-83
203.	आर० राय	ड्राईवर	30-6-83	23-7-83
204.	मनबिहारी	टेक० ग्रेड 111	6-7-83	17-8-83
205.	विनोद प्रसाद	औप० 111	13-7-83	17-8-83
206.	झंडू रवानी		7-8-83	26-8-83
207.	डी० बी० धावल		7-8-83	24-2-88
208.	पी० डी० सिंह	स्टोर किपर	13-9-83	22-2-84
209.	सोनपत	सफाई सेवक	15-11-83	19-1-84
210.	अब्दुल वूडूड	कुक	20-11-83	12-3-84
211.	एन० एन० चक्रवर्ती	कुक	8-12-83	6-2-84
212.	वूधन राम	सी ग्रे० टेक०	15-12-83	3-2-84
213.	वी शर्मा	हेल्पर-1	5-1-84	2-2-84
214.	एम सिंह	हेल्पर ग्रेड 1	11-1-84	1-84
215.	एस सनदिल	हेल्प ग्रेड 1	25-1-84	10-2-84
216.	रामजीत सिंह	हेल्प ग्रे० 1	27-1-84	17-2-84
217.	पी एम मिश्रा	टैक-11	5-2-84	27-3-84
218.	करीमउल्ला	औप-111	2-3-84	18-12-84
219.	एस राजवार	औप-111	10-3-84	—
220.	बसनीं	एफ/मजदूर	12-3-84	—
221.	एम एन सरमर	जे ओ	15-3-84	3-4-84
222.	एम दास	टैक० ग्रे० 1	31-3-84	10-4-84
223.	बाबूराम टूडू	हेल्प० 1	6-4-84	29-4-84
224.	पूरन मांझी	हेल्प० 1	5-4-84	30-7-84
225.	पी सिंह		16-4-84	4-5-84

1	2	3	4	5
226.	बी मेहतो	ऐसी०	28-4-84	1990
227.	बी आर मिश्रा	हेल्प० 1	3-6-84	1984
228.	सी धीवर	टी० कलर्क	11-5-84	15-8-84
229.	सी डी सिह	ओप० 111	15-4-84	14-6-85
230.	मोह० कशनेम	टैक० 111	24-5-84	14-6-84
231.	ए के मुखर्जी	हेल्प० 1	4-6-84	25-6-84
232.	एल पल्लिक	हेल्प० 11	7-6-84	15-2-85
233.	जे झा	हेल्प० 1	9-6-84	23-7-84
234.	ए सिंह	टेक० 11	9-6-84	—
235.	मोह० अमीन	सी० टेक०	22-6-84	16-7-84
236.	जय करण कोइरी	ओप० 111	22-6-84	8-8-84
237.	एल आर मांझी	स्पे० ग्रेड माली	24-6-84	2-11-89
238.	सनतान प्रसाद	ऐसी० ग्रेड 11	24-4-84	19-7-84
239.	जे एन बनर्जी	सी मास रीडर	22-7-84	6-8-90
240.	पनथा	सफाई सेवक	17-8-84	—
241.	होपना मांझी	टेक० ग्रे० 11	9-10-84	—
242.	डी राम	ओप० ग्रेड 1	7-11-84	22-11-84
243.	एल के झा	टेक० ग्रेड 11	9-11-84	1985
244.	दूगई मण्डल	टेक० ग्रेड 11	12-11-84	1985
245.	राश मेहतो	ओप० ग्रे० 111	22-12-84	9-4-85
246.	बी के कर	ऐसी० फोरमैन	7-1-85	17-1-85
247.	श्रीमती रानी कुमारी	एफ/मजदूर	21-1-85	—
248.	श्रीमती सूरजमणी	सी०एफ/मजदूर	16-1-85	—
249.	जय राम	ओप० ग्रेड 11	7-2-85	5-85
250.	एम एल राय	ओप० ग्रेड 11	2-3-85	17-6-85
251.	डी डी मुखर्जी	स्टोर कीपर	9-3-85	6-5-85
252.	एम एम बाल	ए पी एम	9-3-85	12-4-85
253.	बी शर्मा	ओप० 111	10-3-85	30-5-85

1	2	3	4	5
254.	श्रीमती प्यारी	एफ/मजदूर	2-4-85	—
255.	महेश चौधरी	ओप० 1	3-4-85	1985
256.	वी आर रेड्डी	हेल्पर ग्रेड 1	13-4-85	24-4-85
257.	रामू राणा	एक्स० सूबेदार	1-5-85	11-6 85
268.	मदन मांझी	टेक ग्रेड 111	17-5-85	—
259.	जमना प्रसाद	स्पे० ग्रेड टेक०	28-5-85	31-10-85
260.	शेआबी ओझा	सी० डी कलर्क	7-6-85	5-.1-85
261.	ओ नागराज	टूल्समैन	18-6-85	8-85
262.	अन्नू देवी	हेल्पर ग्रेड 1	19-6-85	—
263.	एस के० गुप्ता	एम ओ	26-6-85	9-7-85
264.	श्याम लालजी	टेक ग्रेड 1	30-6-85	23-7-85
265.	एच वी सिंह	एक्स सूबेदार	18-7-85	1988
266.	एम सी राय	ओप० ग्रेड 1	26-7-85	2-9-85
267	आर के पी सिंह	स्पे ग्रेड टेक०	30-7-85	—
268.	डी के सिन्हा	एसी/एफ/एम	4-8-85	24-8-85
269.	एन० के० राय	ए० टी० सी०	4-8-85	11-1-88
270.	सी० आर० साही	ओम० III	10-8-85	27-6-86
271.	टी० वी० अधिकारी	सेक० सूबेदार	3-9-85	17-2-86
272.	श्रीमती मगरी	एस/एस	9-9-85	—
273.	ववन पाण्डे	एका० एसी०	19-9-85	4-10-85
274.	नूर मोह० खान	सी० ओप०	25-10-85	—
275.	ए० के० चक्रवर्ती	सी० ओप०	30-10-95	20-4-88
276.	श्रीमती सोमीनी	सी० एफ/मजदूर	5-11-85	—
277.	एम० एन० अंसारी	एसी० इंजी०	23-11-85	8-12-85
278.	छून्नू मांझी	एच-I	1-12-85	10-7-87
279.	देवी सिंह	रिजर-II	5-12-85	5-86
280.	आर० बी० शर्मा	टेक०ग्रेड I	7-12-85	13-7-87
281.	पृथ्वी राज	एच-II	12-12-85	22-1-86
282.	आर० एम० प्रसाद	टेक ग्रेड-I	26-12-85	—

1	2	3	4	5
283.	एस० के० मुखर्जी	एसी० एफ/एम	22-1-86	18-2-86
284.	रतन भोरी	एच-I	23-1-86	21-7-87
285.	वूत राम	सी० इन० ओप०	23-1-86	1989
286.	प्रभु दास	टेक० III (डी)	23-1-86	—
287.	एस०के० चक्रवर्ती	एसी० एफ/एम	4-2-86	25-4-88
288.	बन्दन बनसौर	एस/सेवक	20-2-86	4-12-86
289.	बिसून	ओप० ग्रेड III	24-2-86	—
290.	दुर्गा लोहर	टेक० I	27-2-86	1995
291.	गया प्रसाद	ए० एस० आई०	13-3-86	25-4-88
292.	शेवो मंगल सिंह	जी० कीपर	14-3-86	30-4-86
293.	श्रीमती सुखी मंझीन	मजदूर	16-3-86	4-6-86
294.	मरघन मेहतो	टेक० I	20-3-86	28-6-86
295.	मदन हेमराज	हेल्पर ग्रेड I	14-5-86	24-6-86
296.	एन० भंडारी	टेक० ग्रेड II	29-5-86	23-6-86
297.	नजीरूद्दीन	टेक० II	8-6-86	10-7-87
298.	रानी	सी०एफ/मजदूर	10-6-86	—
299.	अरूण सिंह	टेक० II	11-6-86	24-7-87
300.	एस० एन० सिंह	एसी० टीचर	11-6-86	11-2-87
301.	गोरी ठाकुर	ओप० III	26-6-86	16-7-86
302.	श्रीमती गोहनी मालिकानी	एफ/मजदूर	19-6-86	24-11-86
303.	एन० सी० कार	टेक० I	8-7-86	23-8-80
304.	छतीश शर्मा	सी० टेक०	8-7-86	4-8-86
305.	रामचन्दर सिंह	सी० ओप०	9-7-86	10-9-86
306.	के० एन० निगमनाथण	डिप्टी० सी० इंजी०	21-7-86	30-8-86
307.	बाबू लाल सिंह	ओप० III	12-8-86	—
308.	एन० पी० नन्दी	सी० ओप०	16-9-86	24-10-86
309.	बी० पी० श्रीवास्तव	टेक० II	18-9-86	7-10-86
310.	ए० मांझी	ओप० II	27-9-86	2-7-89

1	2	3	4	5
311.	आर० एन० परमानिक	सी० टेक०	11-10-86	17-5-87
312.	जे० सी० दासांदी	ए० पी० एम०	20-10-86	8-11-86
313.	श्रीमती खाण्डी	एफ/मजदूर	8-11-86	27-2-87
314.	ए० के० सिन्हा	ए/फोरमैन	8-11-86	25-3-87
315.	आर० शर्मा	सी० सब० इंस्प०	8-11-86	—
316.	ए० भोरी	हेल्प० I	5-12-86	17-7-87
317.	गोपी दास	सेल्स मैन	7-12-86	24-10-87
318.	एन० एन० सिंह	सी० टेक०	24-12-86	—
319.	बी० एन० सिन्हा	ए० ओ० एस	6-1-87	19-1-87
320.	जी० सी० परमानिक	सी० ड्रेसर	9-1-87	14-2-87
321.	जे० एल० राय	स्पे० माली	14-1-87	—
322.	राम कवल	ओपेरेटर	15-1-87	27-2-87
323.	बी० डूडू	ओप० III	29-1-87	24-8-87
324.	राम चरण	वर्क सरकार	1-2-87	—
325.	एस० महतो	ओप० I	3-2-87	26-3-88
326.	एल० प्रसाद	टेक II	7-2-87	24-2-87
327.	एन० के० मुखर्जी	सी० ओप०	7-2-87	24-2-87
328.	जी० सी० बनर्जी	हेल्पर I	12-2-87	20-3-87
329.	आर० एन० सिंह	ओप० I	19-2-87	28-3-87
330.	बी० मांझी	टेक० III	22-2-87	—
331.	जी० के० राय	सी० टेक०	5.3.87	19-7-87
332.	टी० आलम	सी० ओप०	20-3-87	24-6-87
333.	एस० सिंह	ओप० II	22-3-87	8-11 87
334.	एच० चौधरी	टेक० III	27-3-87	—
335.	जे० सिंह	टेक० I	14-4-87	19-6-87
336.	मुखी	एफ/मजदूर	17-4-87	—
337.	मोहन नायक	हेल्प०I	2-5-87	30-7-87
338.	ए० के० मेहतो	हेल्प० I	12-5-87	1988

1	2	3	4	5
339.	जे० मेहतो	केमैन	26-5-87	26-4-88
340.	सी० बोरी	एफ/मजदूर	29-5 87	22-9-87
341.	सी० प्रसाद	टैक्नी० 1	14-7-87	8-8-87
342.	गुलाबी	एस/मजदूर	28-6-87	25-9-87
343.	एम० के० चक्रवर्ती	आपरेटर 2	20-7-87	14-10 87
344.	एम० पी० सिंह	टैक्नी० 3	29-7-87	21-8-87
345.	एस० पी० सिंह	ए० ओ० ग्रेड 2	29-7-87	12-10-87
346.	वी० मोंडल	हैल्पर 1	7-8-87	23-9-87
347.	राखी	वरि० सफाई सेवक	9-8-87	—
348.	यू० एन० एस० नरोनी	वरि० टैक्नी०	22-8-87	1988
349.	वाई० पासवान	फायर लीडर	24-8-87	9-12-87
350.	के० मांझी	आपरेटर 2	22-9-87	—
351.	चम्पाई मांझी	हैल्पर	6-10-87	—
352.	ए० मांझी	हैल्पर 1	6-10-87	—
353.	डी० तिवारी	वरि० टैक्नी०	8-10-87	29-10-87
354.	भूनी	एफ/मजदूर	11-10-87	26-5-88
355.	के० मल्लिक	आपरेटर 3	15-10-87	25-4-88
356.	वी० एन० सिंह	वरि० आपरेटर	18-10-87	5-1-90
357.	पानु	एफ/मजदूर	22-10-87	—
358.	कारू	वरि० एस/सेवक	5-11-87	—
359.	वाई० पी० कत्याल	अति० सी० ई०	8-11-87	7-12-87
360.	एस० घोष	सी० ई०	22-11-87	—
361.	दुर्गी	एस/सेवक	2-12-87	7-5-88
362.	एस० सी० मोंडल	टैक्नी० 1	5-12-87	1988
363.	आर० हरी	एस/सेवक	15-12-87	5-9-90
364.	बी० पी० सिंह	वरि० टैक्नी०	24-12-87	22-3-88
365.	रूपलाल टुडू	आपरेटर 3	12-1-88	22-4-88
366.	ए० के० राय	टैक्नी 2	15-1-88	9-4-90

1	2	3	4	5
367.	बृज मोहन	वरि० एस/सेवक	24-1-88	24-4-88
368.	डी० डी० चौधरी	सहा०सी०एच० इंजी०	25-1-88	1-2-88
369.	सरजीत सिंह	ए० एफ० एम० (एस आर)	31-1-88	18-2-88
370.	सतीश मोंडल	आपरेटर 2(डी)	10-2-88	13-6-88
371.	केशव पांडे	वरि० आपरेटर	15-2-88	21-5-88
372.	एन० पी० सिन्हा	वरि० पियन	24-2-88	18-3-88
373.	लखीराम टुडु	हैल्पर 1	12-3-88	22-7-88
374.	मतला राम	टैक्नी 3	25-3-88	26-7-88
375.	पारादेव	वरि० एन/सेविका	29-3-88	—
376.	एस० सी० राय मजूमदार	वरि० ग्यास ब्लोवर	2-4-88	16-10-90
377.	खल्सेन मोंडल	सी/फीटर (एस०ओ०)	14-4-88	4-5-88
378.	नागेश्वर शर्मा	वरि० वाचर	15-4-88	27-7-88
379.	चरण सिंह	सहा०एफ/एम(डी)	12-6-88	8-7-88
380.	शम्भुनाथ सिंह	सहा० फोरमैन	30-6 88	25-7-88
381.	डी० के० बोस	सहा० फोरमैन	30-6-88	7-11-88
382.	नेपाल रजवार	आपरेटर 2	15-7-88	6-7-89
383.	जे० एल० पाठक	टैक्नीकल ग्रेड 1	17-7-88	1988
384.	लड्डु मांझी	हैल्पर ग्रेड 1	20-7-88	—
385.	डा० एच० एल० सिन्हा	वरि० चिकि० अधि०	27-7-88	29-7-88
386.	सुबोध हरी	वरि० एस/सेवक	27-5-88	21-12-89
387.	हप्ना मांझी	टैक्नी० ग्रेड 1	24-6 88	13-1-88
388.	डी० के० बोस	सहा० फोरमैन	30-6-88	—
389.	केशव लाल महातो	शटिंग टैक्नी 2	5-8-88	6-10-88
390.	त्रिणी बोवरी	टैक्नी ग्रेड 3	8-8-88	1-10-88
391.	एच० एन० सिंह	सहा० कैंटीन सुपर०	10 8-88	—
392.	मांझी लाल	टैक्नी०—1	12-8-88	12-12-88
393.	मिथिला रजवार	एफ० मजदूर	18-8-88	8 9-88
394.	दसरथ मांझी	आपरेटर ग्रेड 2	28-8-88	—

1	2	3	4	5
395.	एस० एम० सरकार	टैक्नी० ग्रेड (वारि०)	1-9-88	1-11-88
396.	ननकु हेमराम	टैक्नी० ग्रेड 3	1-10-88	14-1-89
397.	महादेव दत्ता	स्पे० ग्रेड टैक्नी०	8-10-88	—
398.	तारापाडा खमराय	आपरेटर ग्रेड 3	14-10-88	1-6-90
399.	खखन मलिक	हैल्पर 1	31-10-88	7-8-90
400.	काजल मोंडल	वरि० आपरेटर	7-11-88	7-12-88
401.	के० एल० बनर्जी	उप एफ० एम०	26-11-88	10 12-88
402.	रमेश	वरि० एस/सेवक	9-12-88	28-8-90
403.	सागर मांझी	तकनीकी ग्रेड 2	27-12-88	—
404.	बी० घटवारी	सहा० इंजी०	26 12-88	—
405.	रामगोविन्द	टैक्नी० ग्रेड 3	2-1-89	2-8-89
406.	नथुनी राम	आपरेटर ग्रेड 2	16-1-89	28-3-89
407.	सल्तनुल मोबिल	टैक्नी० ग्रेड 1	18-1-89	30-1-89
408.	नकुल रजवार	आपरेटर ग्रेड 2	22-1-89	12-9-89
409.	मोहन प्रसाद	टैक्नी० ग्रेड 3	1-2-89	1-3-89
410.	डी० एन० झा	वारि० आपरेटर	3-2-89	23-2-89
411.	मोही खान	आपरेटर 2	28 12-88	—
412.	रेणुका बिंद	वारि० आया	8-2-80	5-6 89
413.	जे० एन० गोराधन	वारि० टैक्नी०	17-2 89	6-1-90
414.	वासुदेव तिवारी	वरि० आपरेटर	15-3-89	24-10-89
415.	जामे मंडल	सिस्टर इंचार्ज	26-3 89	3-11-89
416.	ए० पी० चोधरी	टैक्नी० 1	2-4-89	—
417.	एल० के० महातो	आपरेटर 1	3-4-89	—
418.	ए० के० सिन्हा	स्पे० ग्रेड टैक्नी०	4-4-89	17-4-89
419.	नुन्की	वारि० एफ/मजदूर	20-4-89	—
420.	चम्पा	वारि० एफ/मजदूर	23-4-89	—
421.	आम० एस० पवार	टी० एस० (डी)	5-5-89	—
422.	कमला	वारि० एफ/मजदूर	8-5-89	—

1	2	3	4	6
423.	फगुनीराम	वारि० एस/सेवक	10-5-89	—
424.	सुन्दरमणि	एफ/मजदूर	10-5-89	—
425.	एम० एम० सिंह	वरि० आपरेटर (डी)	16-5-89	29-8-89
426.	एन० एन० बनर्जी	सहा० सी० ई०	26-5-89	13-9-89
427.	बी० के० सिन्हा	ए० वाई० एस०	8-6-89	30-7-90
428.	एस० सी० झा	ए० पी० एम०	11-6-89	जुलाई 90
429.	दोमन मांझी	टैक्नी० 1	7-7-89	—
430.	के० एन० मंडल	—	13-7-89	8-11-89
431.	आर० पी० सिंह	वरि० टैक्नी० (डी)	9-8-89	13-9-89
432.	मोती	वरि० एस/सेवक	10-8-89	—
433.	किस्तोमोनी	वरि० एफ/मजदूर	26-8-89	2-1-90
434.	बालक राम	आपरेटर 2	28-8-89	23-10-89
435.	ए० सिन्हा	हैल्पर 1	21-9-89	28-9-89
436.	मंगा बंसफोरे	वरि०एस/सेवक	30-9-89	16-1-90
437.	मारी सेनगुप्ता	सिस्टर-इंचार्ज	19-10-89	—
438.	रूपलाल मांझी	स्पेशल ग्रेड टैक्नी० (डी)	28-10-89	—
439.	लालमोनी	वरि० एफ/मजदूर	29-1-89	8-1-90
440.	पी० के० पांडे	टैक्नी० ग्रेड 2	6-11-89	12-12-89
441.	डी० डी० राम	आपरेटर 2	19-11-89	6-4-90
442.	आर० एन० सिंह	जे० ओ० (डब्ल्यू)	10-11-89	31-7-90
443.	चंगरा मोहन मांझी	वरि० फोरमैन (डब्ल्यू)	2-12-89	18-1 90
444.	भटत राम	आपरेटर 1 (डी)	24-12-89	22-1-90
445.	भूषण मलिक	आपरेटर ग्रेड 3 (डी)	28-12-89	29-1-90
446.	के० सी० परामानिक	आपरेटर 2	2 1-90	3-3-90
447.	चन्ना हरिजन	एस/सेवक	14-1-90	—
448.	जी० सी० प्रसाद	स्पे० ग्रेड टैक्नी०	17-1-90	1-8-90
449.	डी० एन० सिंह	वरि० टैक्नी० 2 (डी)	19-1-90	21-4-90
450.	जे० एन० पांडे	आपरेटर 3	24-1 90	14-2-90

1	2	3	4	5
451.	भादी	वरि० एफ/मजदूर	21-1-90	7-8-90
452.	डी० महातो	आपरेटर-2 (डी)	31-1-90	5-6-90
453.	जे० के० सिंह	स्पे० ग्रेड टैक्नी०	2-2-90	31-7-90
454.	फकरूद्दीन	आपरेटर-1 (डी)	3-2-90	19-3-90
455.	हरी हादी	वरि० एस/सेवक	15-2-90	23-5-90
456.	वर्षा मांझी	टैक्नी० 2	24-2-90	—
457.	रानी देवी	वरि० एफ/मजदूर	28-2-90	—
458.	सी० गोपाल	आपरेटर-2 (डी)	3-3 90	—
459.	जे० के० नंदी	ए० ओ० एस०	6-3-90	4-10-90
460.	एस० पी० मांझी	सहायक-2	21-3-90	—
461.	कुन्दन मांझी	आपरेटर-3	27-3 90	7-9-90
462.	पलतु मल्लिक	हैल्पर-2	13-4-90	—
463.	एस० मजूमदार	कनि० ट्रेनिंग सुपरवाइजर	9-5-90	22-1-91
464.	एल० आर० मांझी	टैक्नी० 1	10-5-90	—
465.	जी० सी० नपित	जे० ए० ओ०	16-5-90	3-8-90
466.	गोविन्द मांझी	टैक्नी०-3	5-6-90	9-12-91
467.	एस० के० गुप्ता	टैक्नी०	17 6-90	17-11-90
468.	दुखन हरी	वरि० एस/सेवक	1-7-90	सित० 90
469.	आई० एम० पी० सिन्हा	टैक्नी० 1	30-7-90	24-8-90
470.	बीरू महातो	टैक्नी० 1	4-8-90	18-9-90
471.	एस० बी० आचार्य	जे० ओ० ए० (डब्ल्यू)	11-8-90	15-11-90
472.	भुक्ला	आपरेटर-2	19-8-90	15-3-91
473.	नन्कु मांझी	आपरेटर-3	20-8-90	28-12 90
474.	लतनी	एफ/मजदूर	24-8-90	16-9-91
475.	डी० टी० शिट	यार्ड आपरेटर (डी)	31-8-90	21-9-90
476.	टी० पी० सिंह	वरि० आपरेटर	7-9-90	12-2-91
477.	एस० एन० प्रसाद	टैक्नी-3	17-9-90	3-12-90
478.	एच० सी० ओझा	वरि० आपरेटर	17-9-90	—

1	2	3	4	5
479.	देबी लाल महातो	टैक्नी-3	1-10-90	13-11-90
480.	झारी मुर्मु	आपरेटर-2	5-10-90	10-11-90
481.	ओ० पी० बतरा	सहा० इंजी०	10-10-90	दिस० 90
482.	निताय मंडल	आपरेटर-1 (डी)	15-10-90	15-3-91
483.	बांका मांझी	आपरेटर-2	1-11-90	—
484.	झिंगी	वरि० एफ/मजदूर	1-11-90	—
485.	राम गोपाल	वरि० एस/सेवक	1-11 90	जून, 91
486.	बृजनाथ	स्पेशल ग्रेड आपरेटर (डी)	2-11-90	19-1-91
487.	एस० एन० मुखर्जी	कनि०एम०ओ०(एस०जी०)	8-11-90	—
488.	चंद्रिका प्रसाद	आपरेटर	15-11-90	19-4-91
489.	मो० हनीफ	वरि० आपरेटर (डी)	24-11-90	12-2-91
490.	मो० जान	सहा० फोरमैन (डी)	12-12-90	—
491.	लोदगा मांझी	आपरेटर-3	20-12-90	—
492.	रूदल चौधरी	टैक्नी-2	29-12-90	13-2-91
493.	सुकु मांझी	हैल्पर-1	29-12-91	—
494.	सी० पी० लाल	ए० ओ० एस०	3-1-91	18-3-91
495.	जिटनी	वरि० एस/सेविका	12-1-91	26-3-91
496.	बनारसी	वरि० एस/सेवक	20-1-91	—
497.	एच० पी० बनर्जी	टैक्नी-1	21-1-91	8-6-91
498.	बी० एन० सिंह	जे० ओ० (डब्ल्यू)	24-1-91	21-6-91
499.	राम बोउरी	टैक्नी-3	21-1-91	—
500.	रामाशिष	आपरेटर ग्रेड-2	12-2-91	29-6-91
501.	दुलाली	वरि० एफ/मजदूर	12-2-91	—
502.	शांति	वरि० एस/सेविका	23-2-91	—
503.	टी० के० राय	सहा० इंजी०	6-3-91	—
504.	डी० जी० धीवार	टैक्नी-2	14-3-91	18-3-91
505.	आर० डी० गुप्ता	सहा० लेखा०	8-4-91	16-6-91
506.	मारखंडा	आपरेटर-2	14-4-91	2-8-91
507.	गोबरधन मंडल	आपरेटर-2	1-5-91	20-6-91

1	2	3	4	5
508.	सीता राम	आपरेटर-3	14-5-91	—
509.	सुदामा तिवारी	टैक्नी-1	18-5-91	20-7-91
510.	मंगल राम	आपरेटर-3	9-6-91	—
511.	अप्पा राव	सेल्समैन	12-6-91	—
512.	अर्जुन मिश्रा	एस०जी० अध्यापक (डब्ल्यू)	23-6-91	7-8-91
513.	एन० एन० मालाकर	आपरेटर-3	3-7-73	4-7-91
514.	मर्मचन्द महातो	वरि० टैक्नी-2	14-7-91	—
515.	जनार्धन सिंह	स्पेशल ग्रेड टैक्नी	2-8-91	22-8-91
516	भोला महातो	टैक्नी-1	8-8-91	3-9-91
517.	सुदामा सिंह	वरि० टैक्नी० (डी)	28-8-91	11-2-92
518.	डौली राम	आपरेटर-3	16-9-91	—
519.	राजपति देवी	वरि० एस/सेविका	12-10-91	—
520.	एन० एन० दत्ता	एस०जी०अध्यापक (डब्ल्यू)	28-12-91	6-2-92
521.	बाबन प्रसाद	आपरेटर ग्रेड-1	23-6-74	1-12-75
522.	राम देव सिंह	आपरेटर-1	14-3-73	28-12-76
523.	आर० एन० सेन	महायक	6-4-79	3-12-84
524.	बी० डी० मिश्रा	वरि० टैक्नी०	6-5-83	4-8-83
525.	आर० के० धर	टैक्नी० ग्रेड-2	3-2-81	12-3-84
526.	एस० सी० सेन	चार्जमैन	16-12-81	3-3-82
527.	रामधर राम	सहायक-1	25-1-88	24-2-88
528.	सुरेन्द्र प्रसाद	सहायक फोरमैन	19-3-89	23-5-89

गोरखपुर एकक

रोजगार के लिए प्रतीक्षा सूची में पड़े मामलों के ब्यौरे

क्रमांक	मृत कर्मचारी का नाम सर्वश्री	मृत कर्मचारी का पदनाम	मृत्यु की तारीख	किस तारीख को मृत कर्मचारी के आश्रित ने एफ०सी० आई० में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था
1.	सी० पी० चौबे	फायरमैन	20-7-67	12-9-85
2.	राम लगन	मजदूर	1969	27-9-84
3.	कोडाई	मजदूर	19-9-74	18-6-90

1	2	3	4	5
4.	आर० एस० थापा	सिक्यूरिटी सूबेदार	26-3-76	5-9-85
5.	आर० आर० सी० सिन्हा	एसके० ग्रेड II	28-7-81	1-5-89
6.	गति राम	कारपेन्टर	25-7-78	12-9-90
7.	आर० एन० सिंह	आप० ग्रेड II	2-10-81	आवेदन पत्र में तारीख नहीं दी गई
8.	नर बहादुर	गेंगमैन	3-10-81	—उक्त—
9.	लालू	सफाई सेवक	19-10-82	8-8-87
10	सी० बी० थापा	असिस्टेंट सुपर०	1-2-83	6-4-89
11.	उमाशंकर सिंह	सीनि०आपरेटर	8-8-83	25-8-83
12.	बी० पी० धवन	गेस्टेटनर आपरेटर	5-9-83	कोई आवेदन नहीं
13.	लहरी	कैंटीन वेटर	12-3-87	10-4-87
14.	श्रीमती सफीबुन्निशा	अयाहा	10-1-84	30-1-84
15.	श्रीमती रमा देवी	वार्ड हेल्पर	17-4-84	2-5-84
16.	रामसमझ एस० एस०	मजदूर	26-1-84	आवेदन पत्र में तारीख नहीं दी गई
17.	मिथू	रीगर ग्रेड III	27-2-84	—उक्त—
18.	रच्छा बहादुर	गेंगमैन	26-5-84	17-7-84
19.	लाला	पाइट्समैन	10-6-85	26-2-88
20.	बचनू दूबे	गेंगमैन	14-4-85	तारीख नहीं दी गई
21.	बिशम्भर लाल	उफोलेस्टर II	30-3-84	11-5-89
22.	आर० एस० गुप्ता	टैक्नी० ग्रेड II	8-9-84	27-9-84
23.	राजा	रीगर ग्रेड III	2-12-84	6-2-85
24.	सी० पी० मेटी	टैक्नी० ग्रेड II	3-2-85	18-3-85
25.	विंध्याचल	रीगर ग्रेड III	1-7-85	तारीख नहीं दी गई
26.	बी० डी० पाण्डे	टैक्नी० ग्रेड III	7-2-86	—उक्त—
27.	हरि लाल	रीगर ग्रेड I	25-9-86	12-12-86
28.	आर० ओ० प्रसाद	सीनियर टैक्नी०	10-1-86	1-5-89
29.	राम दास	आप० ग्रेड II	7-11-84	25-8-90
30.	जी० एस० कलसी	टैक्नी० ग्रेड I	11-12-85	तारीख नहीं दी गई

1	2	3	4	5
31.	यमुन	सैम्पल टेकेर	17-10-86	22-5-87
32.	आर० आर० विश्वकर्मा	आपरेटर ग्रेड I	22-7-97	29-5-89
33.	फूलचन्द	टैक्नी० ग्रेड II	27-10-87	8-11-90
34.	राम सुभाग	रीगर ग्रेड II डी	15-1-87	तारीख नहीं दी गई
35.	आर० एन० गौरैया	चपरासी	25-7-87	22-6-87
36.	झिनू	टैक्नी० ग्रेड II	17-9-88	तारीख नहीं दी गई
37.	राम सूरत	आपरे० ग्रेड II(डी)	9-9-88	24-5-89
38.	गौरी शंकर	कारपेंटर ग्रेड II	23-7-84	31-1-91
39.	ईशा लाल	सफाई सेवक	17-1-89	तारीख नहीं दी गई
40.	सीता राम	टैक्नी० ग्रेड I	5-6-88	—उक्त—
41.	श्रीमती नह्निजन	सफाई सेविका	31-12-89	13-7-90
42.	के० एच० अंसारी	फार्मासिस्ट	27-7-88	तारीख नहीं दी गई
43.	राम बरन	चार्जमैन	19-10-88	—उक्त—
44.	आर० पी० शर्मा	कारपेंटर ग्रेड II	19-5-89	—उक्त—
45.	राम वृक्ष	एस० एस० मजदूर	13-6-90	10-8-90
46.	जितन झापी	सिनी० टैक्नी०	27-3-88	16-8-88
47.	रहमत अली	पम्प आपरे०ग्रेड II	25-4-90	16-5-91
48.	मौहम्मद हनीफ	लेखाधिकारी	30-7-80	19-1-87
49.	एस० सी० श्रीवास्तव	सुपरिंटे० ट्रेगं	5-3-87	31-3-87
50.	सी० ए० कुदरी	जूनि० लेखाधिकारी	19-3-86	21-6-88
51.	आर० आर० सिंह	ट्रे० आफिसर	24-4-88	9-6-88
52	एल० पाण्डे	पे ओ(एस)	24-4-86	आवेदन पत्र नहीं
53	बी० एल० गुप्ता	ए एफ एम (डी)	19-7-87	3-11-87
54.	एस० एन० चौबे	सीई (पी)	18-6-87	2-10-87
55	बी० पी० एम० त्रिपाठी	असि० इंजीनियर	3-10-89	5-6-90
56.	श्रीमती आर०एस०बन्टूरा	मेटरान	9-5-90	24-5-90
57.	कनही राम	असि० इंजीनियर	22-5-90	2-8-90
58.	एस० एन० सिंह	टैक्नी० ग्रेड II	25-8-90	आवेदन पत्र नहीं
59.	जोक डेकरिड	इक्वी० आप० ग्रेड I	7-1-91	—उक्त—

1	2	3	4	5
60.	बनाती	रीडर ग्रेड I	3-4-91	5-6-91
61.	ए० ए० सिदकी	जूनि० आफिसर	8-4-91	12-4-91
62.	टी० एन० चौहान	लीडिंग फायरमैन	10-4-91	आवेदन पत्र नहीं
63.	जी० बी० पाण्डे	स्टैंपार्ड-डाइट क्लर्क	12-6-91	5-8-91
64.	के० के० मन	प्लांट मैनेजर	10-9-91	7-10-91
65.	श्रीकृष्ण प्रसाद	आपरेटर ग्रेड I	3-10-91	26-12-91
66.	डी० पी० पाण्डे	सीनि० एकाउट असि०	4-11-91	आवेदन पत्र नहीं
67.	बृजलाल	डीसीटीपीओ ग्रेड I	5-11-91	—उक्त—
68.	लाभू	आप० ग्रेड III	19-12-91	—उक्त—
69.	जी० डी० श्रीवास्तव	ट्रे० आफिसर	23-1-92	29-1-92
70.	बाबूराम सिंह	ए० एम० ओ०	23-2-92	30-3-92

रामागुण्डम एकक

रोजगार के लिए प्रतीक्षा सूची में पड़े मामलों के ब्यौरे

क्रमांक	मृत कर्मचारी का नाम सर्वश्री	मृत कर्मचारी का पदनाम	मृत्यु की तारीख	किस तारीख को मृत कर्मचारी के आश्रित ने एफ० सी० आई० में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था
1.	ए० बी० एस० मणी	आपरेटर ग्रेड I	26-4-84	9-5-84
2.	बी० एम० एम० राव	आपरेटर ग्रेड III	6-10-84	25-3-85
3.	एम० डी० याकूब	हैल्पर ग्रेड I	1-9-88	20-12-88
4.	एन० एल०एन० मूर्ति	एसीई (एमडीटी)	15-6-88	20-6-88
5.	पी० औदी राजू	सीनि० आपरेटर	7-1-89	25-3-89
6.	पी० गुरुवुलू	हैल्पर ग्रेड I	7-6-90	17-9-90
7.	ए० रामाराव	टैक्नी० ग्रेड III (डी)	25-5-90	3-4-91
8.	जी० बुजंगराव	सीनि० टैक्नी० (एम)	12-1-88	8-3-88
9.	आर० कुमार	टैक्नी० ग्रेड I (एम)	17-9-92	22-5-83
10.	एम० ए० समीस	मैकेनिक-II	10-11-80	—

1	2	3	4	5
11.	के० चन्द्रैया	सैनेटरी असि० ग्रेड III	10-12-88	6-5-89
12.	सन्तरी सिंह	होर्टी० असि० III	23-2-89	6-6-89
13.	ए० प्रकाश रेड्डी	ओपरे० ग्रेड II	20-12-90	12-2-91
14.	डी० सुब्बाराव	एकाउंट्स असि०	6-1-91	4-3-91
15.	एम० रामुलु	रीगर II	1-3-91	8-3-91
16.	के० वी० आर० चौधरी	सीनि० टैक्नी (एम)	16-4-91	6-7-91
17.	एम० चन्नारेड्डी	हैल्पर ग्रेड I	1-6-91	27-6-91
18.	वी० प्रसादराव	असि० यार्ड मास्टर	21-6-91	12-8-91 को प्राप्त
19.	जी० हनुमानयु	रीगर ग्रेड III	14-1-92	27-3-93

तालचर एकक

रोजगार के लिए प्रतीक्षा सूची में पड़े मामलों के ब्यौरे

क्रमांक	मृत कर्मचारी का नाम सर्वश्री	मृत कर्मचारी का पदनाम	मृत्यु की तारीख	किस तारीख को मृत कर्मचारी के आश्रित ने एफ०सी०आई० में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था
1.	चंचला देई	अटैन्डैन्ट	19-2-86	—
2.	एस० सी० गौड	एफ० एम०	8-8-87	12-12-87
3.	के० ए० कुमारन	स्पेशल ग्रेड टैक्नी० (एम)	23-9-87	—
4.	[illegible]कारा देवी	अटैन्डैन्ट	31-1-88	7-6-89
5.	एस० के० साहू	लेखाधिकारी ग्रेड I	18-3-88	—
6.	जी० गोचायात	अटैन्डैन्ट	28-3-88	17-1-90
7.	एस० के० ए० रहमान	कुक	8-11-89	—
8.	पी० प्रथा सारथी	सीनि० पी० ओ०	22-3-90	—
9.	बी० मिरा	प्लम्बर फिटर ग्रेड II	1-7-90	—

1	2	3	4	5
10.	डा० ए० के० त्रिपाठी	सीनि० एम० ओ० (मैडि०)	14-11-90	20-3-91
11.	पी० प्रधान	मजदूर-II	1-11-90	—
12.	डी० गोछायत	मजदूर-II	3-4-91	—
13.	पी० के० मोहापात्रा	असि० आफिसर	5-9-91	—
14.	एस० बहेरा	सीनि० मजदूर	16-8-91	—
15.	एस० के० गुहाथाकुर्ता	एपीई (आई)	24-8-91	—
16.	वाई० एन० मूर्ति	एसीई (एम)	17-2-92	—

कोरबा प्रभाग

रोजगार हेतु प्रतीक्षा सूची में पड़े हुए मामलों के विवरण

क्रमांक	मृत कर्मचारी का नाम सर्वश्री	मृत कर्मचारी का पदनाम	मृत्यु की तारीख	किस तारीख को मृत्यु कर्मचार के आश्रित ने एफ० सी० आई० में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था
1.	टी० एल० नवानी	प्रशासनिक अधिकारी	23-12-89	4-1-90
2.	एन० के० पांडे	सहा० सम्पदा अधि०	12-12-89	8-2-90
3.	कन्हैया लाल	सिक्योरिटी गार्ड	मृत कर्मचारियों के आश्रितों ने आवेदन नहीं किया है।	
4.	केशर सिंह	सिक्योरिटी गार्ड		

जोधपुर खनन संगठन

रोजगार हेतु प्रतीक्षा सूची में पड़े हुए मामलों के विवरण

क्रमांक	मृत कर्मचारी का नाम स/श्री	मृत कर्मचारी का पदनाम	मृत की तारीख	किस तारीख को मृत कर्मचारी के आश्रित ने एफ० सी० आई० में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था
1.	जी० के० दास	क्वारी फोरमेन	4-7-77	3-6-88
2.	हीर सिंह	आपरेटर	17-9-78	24-11-86

1	2	3	4	5
3.	गोपु राम	हैल्पर	1-3-80	26-11-86
4.	रघुनाथ सिंह	मैकेनिक	15-7-82	31-10-82
5.	अब्दुल गनी	वरि० डब्ल्यू/मैन	19-7-88	10-5-89
6.	राम लाल	वरि० डब्ल्यू/मैन	21-9-88	3-12-90
7.	बी० एल० चौधरी	सेल्स अधिकारी	25-10-88	15-11-88
8.	लक्ष्मण भटनागर	वरि० डब्ल्यू/मैन	31-10-88	14-11-89
9.	श्री वी० स्वरूप	लोडिंग इं०	1-11-88	4-6-89
10.	मोहन लाल	जे० ओ० (एल)	23-3-90	5-4-90
11.	श्री अमर सिंह	ड्राइवर	29-8-90	3-2-91
12.	ओ० पी० शर्मा	एल० सुपर०	15-8-91	22-11-91
13.	तुलसी राम	वरि० डब्ल्यू/मैन	15-4-91	1-6-91

विपणन कार्यालय

रोजगार हेतु प्रतीक्षा सूची में पड़े हुए मामलों के विवरण

क्रमांक	मृत कर्मचारी का नाम स/श्री	मृत कर्मचारी का पदनाम	मृत की तारीख	किस तारीख को मृत कर्मचारी के आश्रित ने एफ० सी० आई० में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था
1.	मेवा लाल	वरि० मजदूर	14-6-87	11-11-87
2.	डी० एम० तिवारी	ड्राइवर ग्रेड-2	9-8-87	11-8-87
3.	डी० के० मल्होत्रा	एस० ए०	10-4-88	23-5-88
4.	टी० आर० शर्मा	एम (एस)*	14-10-88	23-10-88
5.	एस० एन० राय चौधरी	पी० ए०	10-6-90	19-4-91
6.	एस० एन० मिश्रा	एस० पी० ओ०	19-7-90	20-7-90
7.	आर० के० जैन	पी० ए०	26-12-90	जनवरी, 91
8.	डी०आर०टी०एस० प्रसाद	एस० ओ०	30-12-90	5-8-91
9.	एन० एन० राम	सेल्स अधिकारी	8-10-91	28-1-92
10.	सी० एल० कुरील्स	सेल्स अधिकारी	27-6-91	नियुक्ति हेतु आवेदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ।

* प्रबंधक (बिक्री)।

केन्द्रीय कार्यालय

रोजगार हेतु प्रतीक्षा सूची में पड़े हुए मामलों के विवरण

क्रमांक	मृत कर्मचारी का नाम स/श्री	मृत कर्मचारी का पदनाम	मृत्यु की तारीख	किस तारीख को मृत कर्मचारी के आश्रित ने एफ०सी०आई० में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था
1.	बी० एस० लाम्बा	जे०ओ० (एस०जी०)	28-12-86	13-5-89
2.	जोगा राम	हैड डब्ल्यू/मैन	23-3-90	
3.	शेर सिंह	हैड मैसेन्जर	28-11-88	22-10-90
4.	टी० एन० सिन्हा	ला आफिसर	2-1-91	10-1-91

[अनुवाद]

पेंशन का विनिमय

7496. श्री के० कोण्डा राव : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत सरकार द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कितनी अवधि के लिए पेंशन के विनिमय को स्वीकार किया जाता है तथा किस दर पर इसका भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या विनिमय की दर में वृद्धि करने तथा इसकी अवधि को कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जिस सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों ने अपनी पेंशन के एक भाग के संराशीकरण के लिए विकल्प दिया हो, उसे देय एक मुश्त राशि की संगणना, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के अधीन निर्धारित संराशीकरण दर सम्बन्धी सारणी तथा रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा सशस्त्र सेना कार्मिकों पर लागू तत्सम्बन्धी नियमों के अधीन, की जाती है प्रतिवर्ष पेंशन प्रत्येक रुपये की राशि अलग-अलग होती है जिसे संराशीकरण समाप्ति की तारीख के बाद अगले जन्मदिन की तारीख की आयु को ध्यान में रखकर हिसाब में लिया जाता है जैसे-जैसे आयु बढ़ेगी वैसे-वैसे मूल्य कम होता जाएगा। विद्यमान उपबंधों के अनुसार पेंशन के संराशीकरण की तारीख के 15 वर्ष पूरे होने के बाद संराशीकृत की गई पेंशन के भाग की पुनः बहाली भी की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन सेटों का निर्यात

7497. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रुपये की आंशिक परिवर्तनशीलता और दूसरे देशों से प्रतियोगिता करने के लिए टेलीविजन निर्यातकों को दिए जा रहे लाभ की वापसी बजट प्रस्तावों के कारण उत्पन्न विसंगति से टेलीविजन सेटों के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 1992 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० ४-आई टी सी (पी एन)/92-97 के अनुसार अब टी० वी० सेटों के निर्यातकर्त्ता अब सघन, भरे हुए तथा घने मुद्रित परिपथ बोर्डों और वीडियो टेप डेक मैकेनिज्म, जिसमें सामने से तथा ऊपर से भरे जाने वाले कैसेट मैकेनिज्म शामिल हैं, के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं। आयात लाइसेंस का मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर निर्यात से होने वाली आय के 30 प्रतिशत तक सीमित होगा।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का दर्जा बदलना

7498. **श्री पृथ्वीराज डी० चौहान** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का दर्जा बदलकर इसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय प्रयोगशाला बनाने का है;

(ख) क्या किसी क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को बन्द करने अथवा उसे राज्य सरकार को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मार्गरेट अल्वा) : (क) इन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के अन्तर्गत पहले से ही केन्द्रीय/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का दर्जा प्राप्त है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु को खाद्य तेल

7499. **श्री के० तुलसिऐया वांडायार** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु को वर्ष 1992 के लिए कितना खाद्य तेल आवंटित किया गया है;

(ख) विभिन्न राज्यों के लिए आवंटन की मात्रा निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु से अधिक आबंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो आबंटन बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 31-3-1992 तक पामोलीन की 18,000 मी० टन मात्रा का सीधे आयात करने की अनुमति दी थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त तारीख तक लगभग संपूर्ण मात्रा पहुंच चुकी थी। अप्रैल, 1992 में केन्द्रीय कोटे से तमिलनाडु को 1,500 मी० टन पामोलीन की मात्रा का आबंटन किया गया है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आबंटन खुले बाजार में उपलब्ध खाद्य तेलों की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है और ऐसा करने समय सम्बन्धित बातों जैसे आयातित खाद्य तेलों के भण्डार, देशीय खाद्य तेलों के मूल्य, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई मांग इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र और गुजरात को अल्कोहल की सप्लाई

7500. **श्री प्रफुल पटेल :**

श्री गुरुदास कामत :

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात में दवाइयों/औषधों आदि के उत्पादन हेतु अल्कोहल के अभाव से पीड़ित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) इस बारे में प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार केवल अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को अल्कोहल के अन्तर्राज्यीय आवंटनों की सलाह देती है। किसी राज्य में दवाइयों/औषधों आदि को उत्पादित करने वाले एकक सहित अलग-अलग उपभोक्ता एकक को अल्कोहल का आवंटन सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

डी० डी० ए० कालोनियों में अतिक्रमण

7501. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की लगभग सभी कालोनियों में अनधिकृत निर्माण, भूमि का अतिक्रमण तथा सभी फ्लैटों का वाणिज्यिक उपयोग किए जाने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार का डी० डी० ए० फ्लैटों, विशेषकर, लारेंस रोड आवासीय कालोनी, दिल्ली-35 के उन आबंटियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार है जिन्होंने अपने फ्लैटों से जुड़ी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा उन पर कमरे बना लिए है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है और कब तक ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में आरक्षण

7502. **श्री शरद यादव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत सर्वेक्षकों की संख्या कितनी है तथा उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से भरी गई रिक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इस समय भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत सर्वेक्षकों की संख्या 841 है। इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 133 और 60 है।

(ख) विशेष भर्ती अभियान अवधि के दौरान 47 रिक्तयों में से 26 रिक्तियों को भरा गया और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शेष 21 पदों को भरने के लिए प्रयास जारी हैं जिनके लिए सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों को मांगपत्र पहले ही भेजे जा चुके हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

सामान्य	अ० जा०	अ० ज० जा०
70	23	03

अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजन/सर्किल का सृजन

7503. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नए डिवीजन/सर्किल का सृजन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केरल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्यमान। परिमण्डल और 4 सिविल मण्डल विद्यमान कार्यभार का उत्तरदायित्व लेने के लिए पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में वनस्पति घी उत्पादक एकक

7504. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वनस्पति घी बनाने वाले एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन एककों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुरुप कच्चे खाद्य तेल की पर्याप्त आपूर्ति की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राजस्थान में छह वनस्पति एकक संस्थापित हैं।

(ख) और (ग) इस समय सरकार वनस्पति एककों को कच्चा खाद्य तेल आबंटित नहीं करती है।

(घ) वनस्पति के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले खाद्य तेलों, जिसमें गौण तेल शामिल हैं, का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वनस्पति के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने पर कुछ विलायक निष्कर्षित तेलों तथा अप्रधान/अपारम्परिक तेलों के उपयोग के लिए उत्पादन-शुल्क में भी छूट दी जा रही है।

हुडको की आवासीय इकाइयां

7505. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय और शहरी विकास निगम (हुडको) का विचार देश में गरीब लोगों को सर्वाधिक आवासीय इकाइयां देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न श्रेणियों के लाभभोगियों को घरों के निर्माण के लिए कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे समाज के निर्धनतम वर्गों के लिए आवास स्कीमों का प्रतिपादन करें। तथापि, हुडको राष्ट्रीय स्तर पर, आवास परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की आवास एजेंसियों तथा अन्य पात्र एजेंसियों के लिए ऋणों की व्यवस्था करता है और इन ऋणों का 55 प्रतिशत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों और निम्न आय समूहों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। अपने प्रारम्भकाल से और 31-1-92 की स्थिति के अनुसार, हुडको ने 49.45 लाख एककों को अनुमोदित किया है जिसमें से 38.38 लाख एकक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हैं।

(ग) हुडको ने वर्ष 1992-93 के दौरान आवास स्कीमों के लिए 660 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति का विचार किया है। इसमें से, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 30 प्रतिशत, निम्न आय समूह श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत तथा बकाया मध्यम एवं उच्च आय समूहों के लाभग्राहियों के लिए होगा।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स में कोयला खानें

7506. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री नीतीश कुमार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में कोयला खानों में उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो हजारीबाग, रांची, बोकारो, गिरिडीह और पलामू जिलों की उन खानों की संख्या क्या है जहां उत्पादन कार्य शुरू हो चुका है;

(ग) क्या इनमें से बहुत सी खानों में खनन-व्यय औसत खनन व्यय से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में प्रचलित मूल्यों के अनुसार कोयला खनन पर कितना औसत व्यय हुआ; और

(ङ) इन खानों के सम्बन्ध में खनन का अनुमानित व्यय कितना है?

कोयला मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में रांची, बोकारो, गिरीडीह और पलामू क्षेत्रों में फैली 53 कोयला खानों से प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1990-91 में, इन खानों में से 33 खानों में कोयले की औसतन प्रति टन लागत कोयले की औसतन बिक्री कीमत से अधिक थी और बकाया 20 खानों में कोयले की उत्पादन लागत कोयले की बिक्री कीमत से कम थी। वर्ष 1990-91 में सभी 53 खानों की औसतन उत्पादन लागत 250.10 रुपये टन थी जबकि इसकी तुलना में कोयले की बिक्री कीमत 268.95 रुपये प्रति टन थी।

[अनुवाद]

कोयला नीति में परिवर्तन

7507. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 का बजट पारित होने के बाद कोयला नीति में क्या-क्या परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) क्या इन परिवर्तनों से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) कोयला मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करता है कोयले की मांग का मूल्यांकन, उत्पादन कार्यक्रम को तैयार करना तथा उपभोक्ता की मांग की संतोषप्रदत्ता और उत्पादन की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन करता है। अतः सरकार की कोयला नीति का उद्देश्य, गुणवत्ता, सुरक्षा, संरक्षण और पर्यावरण को उचित महत्त्व देते हुए दक्षतापूर्ण तथा किफायती रूप में कोयले का नियोजित मात्रा में उत्पादन करके उपभोक्ताओं की कोयले की मांग को पूरा किया जाना है। वर्ष 1991-92 के बजट के बाद से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

चित्रा कोयला-खानों में श्रमिकों का आघात

7508. **श्री शाईमन मराण्डी** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दुमका, बिहार की चत्रा कोयला खान में बड़े पैमाने पर विदेशी मशीनों, कलपुर्जों, सहायक उपकरणों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त आयातित मशीनों के रख-रखाव पर वर्षवार कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या आवश्यकता को देखते हुए उक्त मशीनें पर्याप्त नहीं हैं और इस कारण वर्ष 1992-93 तक कुछ और मशीनों के आयात पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान चित्रा कोलियरी के लिए मशीनरी का आयात नहीं किया जाना है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कोयले की मांग और आपूर्ति

7509. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सिरेमिक/ग्रेनाइट उद्योगों की गत दो वर्षों के दौरान कोयले की मांग और आपूर्ति का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या घटिया "स्कीम" कोयले की आपूर्ति के कारण राज्य के कतिपय सिरेमिक/ग्रेनाइट एकक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इन एककों को कोयले की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा में सिरेमिक यूनिटों के लिए कोयले की मांग वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए रेल कार्यक्रम के अनुसार क्रमश: 33,000 टन और 28,000 टन थी। मांग की तुलना में उड़ीसा में सिरेमिक यूनिटों को कोयले का प्रेषण वर्ष 1990-91 में 12,144 टन और वर्ष 1991-92 में 12,732 टन किया गया था। इसके अलावा वर्ष 1990-91 के दौरान रेल द्वारा आपूर्ति में हुई कमी के परिणामस्वरूप 173 टन कोयले का प्रेषण सड़क द्वारा भी किया गया। इस संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उड़ीसा में ग्रेनाइट उद्योग को कोयले की आपूर्ति के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से संयोजित किया गया है।

(ख) कोल इंडिया लि० ने सूचित किया है कि उड़ीसा सिरेमिक यूनिटों को कोयले की आपूर्ति करने वाली कम्पनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, को उड़ीसा में सिरेमिक यूनिटों को आपूर्ति किए गए स्टीम कोयले की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ी श्रमिक, निर्माण मजदूरों तथा कृषि श्रमिकों के लिए बीमा योजना

7510. **डा० असीम बाला** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बीड़ी श्रमिक, निर्माण मजदूरों तथा कृषि श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना भविष्य निधि उपदान (ग्रेच्युइटी) शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उससे राज्यवार, कितने व्यक्तियों को लाभ होने का अनुमान है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) से (ग) सरकार ने बीड़ी कर्मकारों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक समूह बीमा योजना का अनुमोदन किया है जिसमें 18 से 60 वर्ष के कर्मकार शामिल होंगे। जिन बीड़ी कर्मकारों को परिचय पत्र जारी किये गये हैं और जो कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान नहीं देते हैं वे इस योजना में शामिल किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रीमियम की राशि में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि और भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि में से बराबरी का हिस्सा होगा यह योजना 1 अप्रैल, 1992 से लागू हो गई है और इसमें 14 लाख बीड़ी कर्मकार शामिल होंगे।

कृषि और निर्माण कर्मकारों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है।

असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय

7511. **श्री बी० धनंजय कुमार** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असंगठित श्रमिकों के लिए कौन से कल्याणकारी उपाय लागू किये जा रहे हैं;

(ख) देश में असंगठित श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) असंगठित श्रमिकों के लिए नियमित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) कल्याण कोष, बीमा, समूह बीमा राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से चलाई जा रही अवकाश लाभ विशेष बीमें के लाभ, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों सहित श्रमिकों की भलाई के लिए विस्मन मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (आई० आर० डी० पी०)

(2) स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राईसेम)

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)

(4) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)

(ख) 1981 और 1991 की जनसंख्या संगठित और असंगठित श्रमिकों में भेद नहीं करती।

(ग) एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और आई० आर० डी० पी० जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लक्ष्य गरीब वर्गों को जिसमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार व मजदूरी सहित रोजगार दिलाना।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण की दुकानों का कार्यकरण

7512. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण पर निगाह रखने के लिए कोई निगरानी प्रणाली बनाई गई है;

(ख) क्या कुछ मामलों में सार्वजनिक वितरण की दुकानों द्वारा खाद्यान्नों का कोटा नियमित रूप से नहीं उठाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान ऐसे दोषी दुकानों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद की बैठकों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा की जाती है। इसके सदस्यों में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों/अभिकरणों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। इस समय उक्त परिषद के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हैं; जो केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्री भी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जो अपने स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा भी करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्यान्नों का आबंटन विभिन्न बातों पर निर्भर करते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। यह सत्य है कि आबंटन और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में उठाई गई मात्रा में कुछ अन्तर रहता है। एक ऐसी प्रक्रिया में जिसमें खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा तथा वितरण केन्द्रों की बड़ी संख्या शामिल है, आबंटन और वास्तव में उठाई गई मात्रा में छोटी-मोटी कमियों को दोष नहीं समझा जा सकता।

[हिन्दी]

ताप विद्युत केन्द्र, कोटा के लिए कोयले की आपूर्ति

7513. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण "कोल इंडिया" और सिंगरेनी नार्दन तथा ईस्टर्न कोल फील्ड्स" से कोटा के ताप विद्युत केन्द्र को कितनी बार कोयले की आपूर्ति नहीं की जा सकी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कोटा ताप विद्युत गृह (कोटा टी० पी० एस०) को वर्तमान में कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लि० की तीन सहायक कंपनियों अर्थात् साउथ कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० (सिंगरोली) द्वारा की जाती है। कोटा ताप विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० अथवा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से नहीं की जाती है।

कोल इंडिया लि० से प्राप्त जानकारी के अनुसार नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० से कोठा ताप विद्युत गृह को कोयले की संयोजित मात्रा का प्रेषण वैगनों की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हुआ है। कोयले की संयोजित मात्रा का प्रेषण करने के लिए सिंगरौली कोलफील्डस की साइडिंग में अधिक खाली रेकों को लगाने के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया है। सभी विद्युत गृहों को, जिसमें कोटा ताप विद्युत गृह भी शामिल है, कोयले की आपूर्ति की नियमित रूप से मानटरिंग की जाती है तथा स्वीकृत संयोजनों में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जब भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि० के कर्मचारियों की मांगे

7514. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लि० के भूतपूर्व एन० सी० डी० सी० कर्मचारियों से सरकारी कर्मचारी पेंशन/पारिवारिक पेंशन नियमों के अनुरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन मंजूर करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पेंशन इत्यादि में इस विसंगति के क्या कारण हैं;

(ग) 1 अक्तूबर, 1956 और 8 अगस्त, 1967 के बीच नियुक्त किए गए भूतपूर्व एम०सी०डी० सी० कर्मचारियों को ही उक्त लाभ न दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि इन कर्मचारियों पर भी वही नियम लागू होते हैं/थे जो 1 अक्तूबर, 1956 से पहले कोल इंडिया लि० में कार्यरत भूतपूर्व एन० सी० डी० सी०/रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते थे; और

(घ) सरकार का उक्त विसंगति को कब तक दूर करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० के कुछ भूतपूर्व राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारी ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जोकि नियम द्वारा 1 अक्तूबर, 1956 के बाद नियुक्त किए गए थे, उनके सम्बन्ध में पेंशन सम्बन्धी लाभ दिए जाने के बारे में अभ्यावेदन करते रहे हैं। भूतपूर्व राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों का दो श्रेणियों में विभाजन था। एक श्रेणी के कर्मचारी रेलवे/सिविल नियमावली के अन्तर्गत आते थे जोकि भूतपूर्व रेलवे तथा भूतपूर्व कोयला उत्पादन विकास आयुक्त संगठन के कर्मचारी थे, जिन्हें राष्ट्रीय कोयला विकास के गठन के समय दिनांक 1-10-1956 को तैनाती आधीन लिया गया था। उक्त कर्मचारियों को विद्यमान सेवा की शर्तों के अधीन रहने की अनुमति प्रदान की गई थी जिसमें पेंशन सम्बन्धी लाभ भी शामिल है। अन्य श्रेणी के कर्मचारी वे हैं जिन्हें इसके गठन के बाद नियुक्त किया गया था। ये कर्मचारी वे हैं जिन्हें निगम के नियमों के अन्तर्गत रखा गया था और इन्हें पेंशन सम्बन्धी सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

(ग) और (घ) ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती 1-10-56 से अगस्त, 67 के बीच की गई थी उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

योजना के प्रति वैकल्पिक दृष्टिकोण

7515. **श्री सुधीर गिरि** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर योजना के प्रति किसी वैकल्पिक दृष्टिकोण का प्रस्ताव मिला है;

५((ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां । यह पश्चिमी बंगाल सरकार से उनके आठवीं योजना दस्तावेज में प्राप्त हुआ है ।

(ख) "आयोजना के वैकल्पिक दृष्टिकोण" की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं : असमानताओं को दूर करने के लिए, उत्पादन हेतु कृषि में भूमि तथा उद्योग में पूंजी में सुधारों के लिए एक योजना की आवश्यकता है । वैकल्पिक दृष्टिकोण आम जनता की क्रयशक्ति में बढ़ोतरी के आधार पर आत्म-निर्भरता एवं घरेलू बाजार के विकास पर आधारित होना चाहिए ।

विदेश पूंजी

अव्यवस्थित एव अनियंत्रित प्रविष्टि के बजाय, तुलनात्मक लाभ, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तथा समग्र सामाजिक नियन्त्रण के मानदण्ड को बनाए रखने हुए चुनिंदा प्रविष्टि होनी चाहिए ।

विदेशी प्रौद्योगिकी

ये स्थानीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही अंगीकार या स्वीकार की जानी चाहिए ।

आयात

विलासिता उपभोग के लिए सामाजिक रूप से अनावश्यक आयातों में भारी कटौती की जानी चाहिए ।

निर्यात

घरेलू तौर पर मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने की अत्यधिक आवश्यकता है । घाटा कम करने तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए । प्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कड़े प्रावधानों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए ।

रोजगार

प्रतियोगिता शक्तियों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए । इसके लिए कृषि में भूमि तथा उद्योग में पूंजी, भूमि सुधारों, गैर खेती उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी, स्थानीय संसाधन प्रयोग जैसी उत्पादन परि-सम्पत्तियों तक और अधिक समान पहुंच तथा रोजगार गहन क्रियाकलापों के लिए आर एण्ड डी प्रयासों की आवश्यकता है ।

उद्योग

औद्योगिक ढांचे में लघु उद्योग को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए ।

योजना

योजना का स्थानीय लोगों चुने हुए शासी निकायों को शामिल करते हुए विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और साथ-साथ वित्तीय प्रशासकीय और विधायी शक्तियों का केन्द्र से राज्यों के मध्य

विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली पांच मुख्य समस्याओं का हल संभव है :

1. भुगतान संतुलन की गम्भीर समस्या साथ ही आर्थिक सार्वभौमिकता को खतरा व बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज;
2. घरेलू वित्तीय असंतुलन;
3. बेरोजगारी और आम नागरिक की घटती हुई क्रय शक्ति;
4. मुद्रास्फीति; और
5. राज्य केन्द्र सम्बन्धों में असंतुलन तथा प्रौद्योगिकी के केन्द्रीयकरण की ओर जोर और योजना कार्य से साधारण नागरिक का विमुखीकरण।

(ख) भारत सरकार के विचार राष्ट्रीय एकता परिषद की अन्तिम बैठक में स्वीकृत आठवीं योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में निर्देशात्मक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए हास्टल आवास

7516. **श्री के० राममूर्ती टिंडीवनाम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अविवाहित पुरुष सरकारी कर्मचारियों को हास्टल आवास उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, जो साधारण पूल वास के लिए पात्र है, को इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में उनकी अपनी बारी पर होस्टल वास पहले से ही आवंटित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेयजल की कमी

7517. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की अत्यधिक कमी रहती है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए पेयजल मिशन के माध्यम से सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है;

(ग) इन क्षेत्रों के लिए इस मिशन के अधीन प्रस्तावित अन्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में, विशेषरूप से ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की किसी अत्यधिक कमी के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार मानदण्डों के अनुसार नियमित आबंटन कर रही है। 1991-92 और 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को पिछड़े क्षेत्रों सहित राज्य में पेयजल सप्लाई के लिए प्रत्येक वर्ष में 47.24 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) 1991-92 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की निर्जल बस्तियों/खेड़ों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए 6.70 करोड़ रुपये की विशेष सहायता रिलीज की गई थी। 1991-92 और 1992-93 के दौरान राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में "बिना जल स्रोत" वाले समस्या-ग्रस्त गांवों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 36.48 करोड़ रुपये की विशेष सहायता रिलीज की गई है।

(घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर किए जाते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष अर्थात 1992-93 के लिए 47.24 करोड़ रुपये के वार्षिक आबंटन में से कम से कम 10 प्रतिशत निधियों का उपयोग आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाना अपेक्षित है आदिवासी क्षेत्रों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य आबंटन के भीतर अतिरिक्त निधियों का उपयोग भी किया जा सकता है।

[अनुवाद]

औषध कम्पनियों द्वारा अधिक राशि के बिल बनाया जाना

7518. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधों का ब्योरा क्या है जिन्हें केलकर समिति ने बल्क औषधों की सूची से बाहर रखने की सिफारिश की है;

(ख) स्थाई समिति ने इस मुद्दे पर कितनी बैठकें आयोजित कीं;

(ग) कुछ औषध कम्पनियों द्वारा अधिक राशि के बिल बनाये जाने तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विदेशों में रखे गए बड़ी मात्रा में धन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए; और

(घ) सरकार की जानकारी में अधिक राशि के बिलों के कितने मामले लाए गए और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत प्रपुंज औषधों को शामिल करने/निकालने के सम्बन्ध में केलकर समिति की सिफारिशें इसकी मुख्य रिपोर्ट और अनुपूरक रिपोर्ट में दी गई हैं; और इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) प्रपुंज औषधों को मूल्य नियंत्रण में शामिल करने/निकालने सहित डी० पी० सी० ओ०, 1987 से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार करने लिए स्थायी समिति की 8 बार बैठकें हुई।

(ग) और (घ) औषध कम्पनियों द्वारा औषधों के आयात के अधिक मूल्य के बीजक बनाने के आरोप लगाते हुए अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये राजस्व आसूचना निदेशालय/प्रवर्तन निदेशालय को भेज दी गई थी। सम्बन्धित कम्पनियों से उनके प्रपुंज औषधों की आयात कीमतों के अन्य विदेशी संभरकों द्वारा ली गई आयात कीमत से काफी अधिक होने के कारणों/अपेक्षित स्पष्टीकरणों को प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8(3) और (4) के उपबन्धों के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिला।

इन परिस्थितियों में प्रवर्तन निदेशालय ने जब तक कि यह मन्त्रालय कोई विशेष सामग्री प्रस्तुत नहीं करता है जो इस मामले को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 8 (3) और (4) के उपबन्धों की सीमा में लायेगा मामले को बन्द का निर्णय लिया ।

खाद्य तेलों के मूल्य

7519. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991, जुलाई, 1991 और जनवरी 1992 में वनस्पति सहित खाद्य तेलों के मूल्यों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके मूल्यों को स्थिर रखने तथा सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं तथा उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें दिल्ली बाजार में वनस्पति सहित खाद्य तेलों के थोक मूल्यों का एक तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण हैं:—मुद्रा आपूर्ति में सामान्य वृद्धि, सामान्य मुद्रास्फीति और उसके साथ-साथ भुगतान शेष की कठिनाइयों के कारण खाद्य तेलों के सीमित आयात की वजह से मांग व आपूर्ति के बीच अंतर होना ।

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों को कम करने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:—राज्य व्यापार निगम के जरिए खाद्य तेलों का आयात करना तथा साथ ही कुछ राज्य सरकारों जो कुछ मात्रा आयात करने की अनुमति देना, खाद्य तेलों के विक्रेताओं/संसाधकों तथा विनिर्माताओं द्वारा रखे जाने वाले तिलहनों तथा तेलों की स्टाक सीमाएं निचले स्तर पर जारी रखना, खाद्य तेलों को रेल माल भाड़े में वृद्धि से छूट देना, पारम्परिक खाद्य तेलों में एक परिष्कृत गैर-पारम्परिक तेल के मिश्रण की अनुमति देना आदि । इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य तेलों की उपलभ्यता तथा मूल्यों पर कड़ी नजर रखें तथा जमाखोरी-विरोधी अभियान चलाएं । सरकार द्वारा किए गए उपायों से जनवरी 1992 में, जनवरी और जुलाई 1991 की तुलना में खाद्य तेलों के मूल्यों में गिरावट का रुख दिखाई दिया है ।

विवरण

दिल्ली के बाजार में वनस्पति सहित खाद्य तेलों के थोक मूल्य

	जनवरी, 1991	जुलाई, 1991	जनवरी, 1992
1. मूंगफली का तेल (रु०/क्विंटल)	3850	3820	3520
2. तिल का तेल (रु०/क्विंटल)	3050	3140	2870
3. सरसों का तेल (पक्की घानी) (रु०/15 कि०ग्रा० टीन)	485	495	425
4. वनस्पति (रु०/15 कि०ग्रा० टीन)	590	600	572

कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी भारत अमेरिकी कार्यशाला

7520. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन तथा इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स विषयक भारत-अमेरिकी कार्यशाला के सम्बन्ध में किसी विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त विचार-गोष्ठी में दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। कम्प्यूटर साधित डिजाइन (सी ए डी) कम्प्यूटर साधित प्रबन्ध (सी ए एम) तथा रोबोटिकी पर एक भारत-अमरीकी कार्यशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में दिसम्बर, 1991 के दौरान आयोजित की गयी थी।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस कार्यशाला द्वारा कुछ क्षेत्रों अर्थात् परम्परागत प्रणालियों में चरणबद्ध रूप से स्वचालन शुरू किए जाने, सूचना तथा डिजाइन के स्वचालन आदि को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सम्भावित समन्वय के लिए चुना गया है। किन्तु, इस कार्यशाला द्वारा की गई कोई सिफारिश इलेक्ट्रानिकी विभाग में औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नियुक्तियां

7521. **श्रीमती कृष्णेंद्र कौर (दीपा)** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से सरकार ने कितने व्यक्तियों का रोजगार दिया है; और

(ख) इनमें से राजस्थान के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

वर्ष	रोजगार (लाख व्यक्ति)
1988-89	42.87
1989-90	46.26
1990-91	48.87

(ख) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	रोजगार (लाख व्यक्ति)
1988-89	3.28
1989-90	3.94
1990 91	3.80

[अनुवाद]

कर्नाटक में बन्द पड़े उद्योग

7522. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने उन उद्योगों को पुन: चालू करने के लिए कोई नीति तैयार की है जो हाल ही में कावेरी जल विवाद से उत्पन्न दंगों से प्रभावित हुए;

(ख) इनसे कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हुई हैं;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य बैंक इन इकाइयों की सहायता हेतु आगे आए हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार भी राज्य को वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ङ) इन इकाइयों को केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार ने कावेरी जल विवाद के कारण हुए हाल के दंगों के कारण प्रभावित औद्योगिक एककों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा राज्य सरकार के जरिए सहायता देने हेतु एक पैकेज बनाया गया है।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उपर्युक्त दंगों के कारण 120 औद्योगिक एककों को क्षति पहुंची है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 13 फरवरी, 1992 के परिपत्र द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को कर्नाटक राज्य में दंगों से प्रभावित कर्जदार औद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयों को निम्नलिखित रियायतें देने के लिए आदेश किए हैं :

—दंगा पीड़ितों को मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमा से 25% अतिरिक्त सीमा की स्वीकृति दी जाए जो अधिकतम 10 लाख रु० होगी।

—क्रय/डिस्काऊंट किए गए बिलों की वसूली अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया जाए।

—मौजूदा आवधिक ऋणों की किस्तों के भुगतान को उपयुक्त रूप से नियत किया जाए।

व्यय में कटौती

7523. श्री मोहन रावले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् में सरकारी व्यय में कटौती करने के आह्वान के पश्चात उद्योग मंत्रालय में 31 मार्च, 1991 तक सरकारी व्यय में कितनी कटौती की गई; और

(ख) पेट्रोल की खपत, अधिकारियों द्वारा सरकारी वाहनों के इस्तेमाल व अन्य मदों में बचत करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) औद्योगिक विकास विभाग का वर्ष 1991-92 का (योजना तथा योजनेत्तर) संशोधित अनुमान 208.38 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में घटाकर 191.31 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग का संशोधित अनुमान 598.39 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में घटाकर 546.88 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है वर्ष 1989-90 की तुलना में पेट्रोल की खपत 20 प्रतिशत कटौती के बाद निर्धारित सीमा में है।

खराब खाद्यान्न

7524. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गढ़वाल क्षेत्र को सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्न 75 प्रतिशत खराब होते हैं और सप्लाई में भी कमी होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र से लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(ग) गढ़वाल क्षेत्र में जिलावार कुल कितने उपभोक्ता संरक्षण मंच हैं और यदि उनके कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की तुलना में उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण बोर्ड/समिति गठित करने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो खाद्यान्नों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है; और

(च) सरकार खाद्यान्नों की सप्लाई बन्द करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्य-वाही करेगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित मानक विशिष्टियों के खाद्यान्न जारी करता है गेहूं के मामले में 0.75% या% लगाएं और चावल के मामले में 1% तक इतर चीजों के लिए अनुमति है। अनाजों में स्वाभाविक नमी, कई किस्मों का मिला होना, क्षतिग्रस्त अनाज, टूटे अनाज आदि का होना भी विशिष्टयों में शामिल हैं जो मिलावट नहीं है। मानक विशिष्टियों के समनुरुप खाद्यान्न मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होते हैं तथा वे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अन्दर होते हैं। राज्य सरकारों या उनके नामितों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के स्टाक को जारी किए जाने से पूर्व

परखने की अनुमति दी जाती है और वे उस माल को अस्वीकार कर सकते हैं, जो निर्धारित विशिष्टियों के समनुरुप नहीं होता ।

(ग) टेहरी गढ़वाल, पौडी गढ़वाल, उत्तरकाशी और चमोली जिलों में जिला मंच कार्य कर रहे हैं । उनके कार्य-सम्पादन का कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(घ) से (च) सरकार द्वारा पहले ही दो राष्ट्रीय स्तर समितियां अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित की जा चुकी हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति की परिवीक्षा के लिए वे उपभोक्ताओं, महिला प्रतिनिधियों आदि को शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें। राज्य सरकारें, जिन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, उक्त अधिनियम के अधीन विभिन्न कदाचारों के विरुद्ध कारंवाई करती हैं ।

औद्योगिक पार्क

7526. श्री पी० सी० थामस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक पार्कों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विचाराधीन पार्कों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पार्कों के लाभ और उपयोगिता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०जे० कुरियान) : (क) इस समय देश में कोई औद्योगिक पार्क नहीं है ।

(ख) और (ग) जापान की सहायता से औद्योगिक पार्क (औद्योगिक माडल टाउन) स्थापित करने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन करने का विचार है। ऐसे औद्योगिक माडल टाउनों/पार्क का लाभ यह होगा कि इससे विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए सुदृढ़ आधार मिलेगा।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन

7527. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परिषद् के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सम्मिलित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय परिषद् के विचाराधीन परियोजनाओं को सरकार किस तरह पूरा करेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

2529. **श्री अनिल बसु** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के अन्तर्गत कितने उद्योगों के कर्मचारियों के वेतन में पिछले तीन वर्षों के दौरान संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) इन इकाइयों और इनके कर्मचारियों की संख्या के नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र का ऐसा कोई उद्यम नहीं है जिसने गत तीन वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों की मंजूरी के संशोधन करने से इन्कार किया है।

सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमों में मंजूरी समझोते 31-12-1991 को समाप्त हो गये हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के प्रबन्धकों को सलाह दी गई है कि वे अपने कामगारों की यूनियनों का तब तक कोई वचन न दें अथवा उनके साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करें जब तक सरकार मजूरी सम्बन्धी बातचीत के पांचवें दौर के लिए नई मजूरी नीति तैयार नहीं कर लेती।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

मानकीकरण हेतु संस्थायें

7531. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानकीकरण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र जैसी विभिन्न संस्थाएं हैं;

(ख) इन संस्थाओं के विलय हेतु भारतीय मानक ब्यूरो की वर्तमान प्रयोगशालाओं को अधिक समक्ष बनाने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं; और

(ग) इनके विलय से कितनी बचत होने का अनुमान है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) इन संस्थाओं के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उनता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तकनीकी जानकारी

7532. **श्री मानिकराव होडल्या गावीत** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तकनीकी जानकारी के आयात हेतु प्रति वर्ष बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई और आठवीं योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) विदेशी मुद्रा के ऐसे व्यय को स्वीकृति देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मुख्य मानदण्ड क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष-वार)) के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा राजस्व (रायल्टी) तकनीकी सेवा शुल्कों आदि के भुगतान के कारण प्रयुक्त विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	(राशि करोड़ रुपयों में)
1989-90	200.80
1988-89	172.97
1987-88	217.14
1986-87	225.37
1985-86	129.85

वर्ष 1990-91 के दौरान इसी अवधि की राशि 192.20 करोड़ रुपये है। इन मदों के आंकड़े हस्ताक्षरित सहयोग करारों की संख्या तथा उनकी किस्म तथा उनके कार्यान्वयन के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष भिन्न-भिन्न होंगे। राजस्व (रायल्टी) का भुगतान तकनीकी सहयोग करारों के लिए किया जाता है तथा इसे उत्पादन मूल्य से सम्बद्ध किया जाता है जो सामान्यतः 5% से अधिक नहीं होगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को कोयले की सप्लाई

7533. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों से और कितनी-कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की गई;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को इसकी आवश्यकता के अनुसार कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त राज्य को राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों से कोयला न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार कोयले के मूल्यों में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित कौलियरियों से की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को कोयले किये गये कुल प्रेषण का कम्पनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े 000 टन में)

आंकड़े अनन्तिम)

कोयला कम्पनी का नाम	1989-90	1990-91	1991-92 (फर.92 तक)
ई० सी० एल०	15557	1030	820
बी० सी० सी० एल०	3458	3345	3120
सी० सी० एल०	4962	3094	2878
एन० सी० एल०	17667	20253	20491
जोड़	27644	27722	27309

(ख) और (ग) स्वीकृत संयोजन के अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र के सैक्टर के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। तथापि, महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रेषण को प्राथमिकता दिये जाने के कारण गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति में कुछ कमी रह जाती है। कोयला कम्पनियों को निर्देश जारी किये गये हैं कि गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रेल अथवा सड़क द्वारा कोयले की संयोजित मात्रा का कम से कम 50% मात्रा की आपूर्ति की जाए।

(घ) राजस्थान में कुछ लिग्नाइट के भण्डार विद्यमान हैं।

(ङ) कोयला कम्पनियों, उत्पादकता तथा क्षमता उपयोगिता में सुधार लाए जाने के, प्रचालन व्यय में किफायत किए जाने के प्रयास कर रही है, और ये उत्पादन की लागत में कमी किये जाने के लिये गैर उत्पादक प्रशासनिक व्यय में कमी कर रही है और इसके परिणामस्वरूप कोयले की पिटहैड कीमत में वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

अखबारी कागज का उत्पादन/आवश्यकता

7535. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अखबारी कागज का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अखबारी कागज का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(घ) देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक आवश्यकता, उत्पादन और अखबारी कागज के आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े लाख मी० टन में)

वर्ष	आवश्यकता	उत्पादन	आयात
1989-90	5.60	2.64	2.24
1990-91	5.65	2.79	2.26
1991-92	6.25	2.60	2.15
	(अनुमानित)	(फरवरी 92 तक)	(अनन्तिम)

(घ) सरकार ने देश में अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) खोई, कृषि अवशेषों और अन्य अपरम्परागत कच्चे माल से कम से कम 75% लुगदी का प्रयोग करने वाले अखबारी कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंसीकरण उपबन्धों से छूट दे दी गयी है।

(2) सीमा शुल्क की कम दर पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज के आयात की अनुमति दी जाती है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

7536. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के निर्यात के द्वारा 1990-91 के दौरान 98.72 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है; और

(ख) यदि हां, तो वह किन किन क्षेत्रों से अर्जित की गयी थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) 1. प्रतिलोम परासरण झिल्ली की आपूर्ति—थाईलैंड

2. मैन्थाल तकनीकी जानकारी तथा संयंत्र व मशीनरी—इण्डोनेशिया

3. फीजीबिलिटी रिपोर्ट आन मिनी सीमेंट प्लान्ट इन मैडागास्कर।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में बोरी बन्द करने वाले संयंत्र

7537. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन में यंत्रिकृत बोरी बन्द करने के संयंत्र को स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) के पास कोचीन में तैयार माल के लिए यंत्रिकृत बोरी बन्द करने की सुविधाएं पहले ही उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में फैक्ट से कोई अन्य नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

डी० डी० ए० द्वारा निर्मित शापिंग सेंटर

7538. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कालोनियों में डी० डी० ए० द्वारा निर्मित शापिंग सेंटर कब तक आवंटित कर दिए जाएंगे ;

(ख) इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) देरी के कारण हो रही वित्तीय हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानें, अलग-अलग निर्मित इकाइयों के मूल्य निर्धारित करने के पश्चात, समय-समय पर आम नीलामी के माध्यम से बेचने अथवा निर्धारित कोटा के अनुसार निर्दिष्ट श्रेणियों को आवंटित करने की पेशकश की जाती है।

(ख) निर्मित इकाईयों को बेचने में विलम्ब हुआ है क्योंकि नीलामी में प्राप्त हुई बोलियां, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम थी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन निर्मित क्षेत्रों की शीघ्र बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से आरक्षित मूल्य की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

विकास मार्ग पर अतिक्रमण

7539, **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास मार्ग और उसके आस-पास के लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92 के क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या लक्ष्मी नगर, मेन मार्केट की दुकानों के आगे की पटरी को पटरी पर समान बेचने वाले घेर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भीड़भाड़ और पैदल चलने वाले लोगों के लिए असुरक्षा होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन अतिक्रमणों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) इस मामले में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जैसा कि दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है, विकास मार्ग और लक्ष्मी नगर, दिल्ली में वर्ष 1991-92 के दौरान अतिक्रमण हटाने की 29 कार्यवाहियां की गई है।

(ख) विकास मार्ग के दोनों ओर तथा लक्ष्मी नगर में बैठने एवं बेचने वाले फेरीवालों सहित सभी प्रकार के अतिक्रमणों को दिल्ली नगर निगम द्वारा हटाया गया है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जब कभी किसी प्रकार के अतिक्रमण का पता चलता है तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम शहर का औद्योगिक शहर के रूप में विकास

7540. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की विशाखापत्तनम शहर का औद्योगिक शहर के रूप में विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) सरकार का विजाग को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा ज्यादा मूल्य वसूल किया जाए

7541. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डार द्वारा ज्यादा मूल्य वसूले जाने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) दिनांक 22-4-92 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7541 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डान द्वारा ज्यादा कीमत वसूल किए जाने के बारे में सात शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी सभी शिकायतों की जांच की गई और दोषी कर्मचारिवों पर निवारक शास्ति लगाई गई। ज्यादा मूल्य वसूल किए जाने की घटनाओं की जांच के लिए आगे निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(I) स्टोरों में मूल्य सूची मुख्य स्थानों पर लगाई जाती है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी स्टोर के बाहर लगे सूचना पर मुख्य रूप से लगाये जाते हैं।

(II) केन्द्रीय भण्डार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी शाखा स्टोरों का नियमित निरीक्षण किया जाता है और इनमें से एक निरीक्षण बिन्दु स्टोरों द्वारा मूल्य सूची को मुख्य रूप में प्रदर्शित करना है।

(III) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दैनिक समाचार पत्रों में हर हफ्ते प्रकाशित किये जाते हैं।

(IV) सभी स्टोरों में ज्यादा मूल्य वसूल किये जाने की शिकायतों सहित स्टोरों के कार्य करने के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक शिकायत पुस्तिका रखी जाती है और इस तथ्य को स्टोरों में मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

(II) चालू वर्ष में केन्द्रीय मण्डल के तीन स्वतः सेवा स्टोरों में परीक्षण के आधार पर अल्फा न्यूमेटिक कैश रजिस्ट्रेक्स मशीनें लगाई जा रही हैं जो कैश मीमो में बेची गई वस्तुओं के पूरे विवरण अर्थात् वस्तु का नाम, वजन/मात्रा, मूल्य तथा राशि दर्शाएगी।

खाद्य तेल संयंत्र

7542. श्रीमति वसुन्धरा राजे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता राजस्थान में खाद्य तेल संयंत्र की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये संयंत्र लगाये जायेंगे;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराये जाने की आशा है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आंशिक सहायता से राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में छः सरसों संसाधन एकक स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता दी गई है। प्रस्तावित एककों की अवस्थिति निम्नलिखित स्थानों पर है :

जिला	अवस्थिति
1. जालौर	जालौर
2. नागौर	मेड़ता सिटी
3. श्री गंगानगर	श्री गंगानगर
4. सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी
5. झुन्झुनु	झुन्झुनु
6 उदयपुर	फतेहनगर

(ग) और (घ) परियोजना की कुल लागत 5112.7 लाख रुपये आकलित की गई है, जिसमें से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता का हिस्सा 3329.2 लाख रुपये हैं।

गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि

7543. श्री जीवन शर्मा : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगे और राज सहायता न देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मूल्य वृद्धि का निर्धन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) वेतनभोगी व्यक्तियों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि वे जीवन निर्वाह पर होने वाले अधिक व्यय को वहन कर सकें ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने 28 दिसम्बर, 1991 से चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को संशोधित किया है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु धान और गेहूं के समर्थन मूल्यों में वृद्धि के कारण चावल और गेहूं की वसूली लागत में हुई बढ़ोतरी को आंशिक रूप से खपाया जा सके ।

28-12-1991 से चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नवत हैं :—

(रु० प्रति क्विंटल)

	सार्वजनिक वितरण के प्रणाली मूल्य	समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम मूल्य
गेहूं	280	230
चावल		
कामन	377	327
फाइन	437	387
सुपर फाइन	458	408

सरकार ने चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में महज न्यूनतम स्तर पर वृद्धि की है, जो मौजूदा बाजार मूल्यों से नीचे है । जीवन यापन व्यय में वृद्धि की वजह से वेतनभोगी वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए समय-समय पर समुचित स्तर पर निर्णय किए जाते हैं ।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों द्वारा श्रम आयुक्त को भेजी गई शिकायतें

7544. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान संसद सदस्यों ने श्रम आयुक्त, दिल्ली के पास कितनी शिकायतें भेजी और उनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई;

(ख) प्रत्येक सदस्य के पत्र का अन्तिम जवाब देने में कितने धिकारियों ने अनियमितताएं बरती; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का कथित दुरुपयोग

7545. **श्री भवानी लाल वर्मा :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना की धनराशि के दुरुपयोग करने और उसे दूसरे कार्य में लगाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी०वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। जब कभी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं अथवा निधियों के दुरुपयोग/गबन के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें जांच और उपयुक्त कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों की संख्या को देखते हुए इस स्वरूप की शिकायतें अपेक्षाकृत काफी कम हैं। तथापि, दो संसद सदस्य—सर्वश्री भवानी लाल वर्मा और एस० सी० यादव से 1991-92 के दौरान निम्नलिखित दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

श्री भवानी लाल वर्मा ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में जवाहर रोजगार योजना की निधियों को शहरी क्षेत्रों में भी खर्च किया गया है जोकि कार्यक्रम केकार्यक्षेत्र से बाहर है। जवाहर रोजगार योजना की निधियों के शहरी क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की शिकायत को जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया गया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शहरी क्षेत्रों में तथाकथित इस्तेमाल हुए 48.60 लाख रुपये में से, आरोप को केवल 5.06 लाख रुपये के सम्बन्ध में ही सही पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस राशि को जवाहर रोजगार योजना को लौटाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

जहां तक श्री एस० सी० यादव, संसद सदस्य की शिकायत का सम्बन्ध है, शिकायत मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में दस लाख कुओं की योजना की निधियों के दुरुपयोग के बारे में थीं। जांच के दौरान इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का पता लगाया गया था। इन अनियमितताओं के लिए कुछ अधिकारियों, जिन्हें दोषी पाया गया था, को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने आगे आश्वासन दिया है कि जब भी इस प्रकार की कोई बात उनके ध्यान में आएगी, उस पर तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण

7546. **श्री यशवन्त राव पाटिल :**

श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध निर्माणों को नष्ट करने लिए कृतिक बल गठित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय के अधीन एक उच्च अधिकार-प्राप्त समिति ने दिल्ली में अवैध निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जांच की है। इसकी अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई में शामिल हैं :—

(i) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका के प्रत्येक जोन में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना और जनिल अधिकारी की नियुक्ति;

(ii) अनधिकृत निर्माणों के सशक्त निवारक की व्यवस्था हेतु लागू अधिनियमों में संशोधन करना;

(iii) तन्त्र के उपयोग तथा अतिरिक्त पुलिस संरक्षण द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय निकायों के गिराऊ-दस्तों को मजबूत करना; तथा

(iv) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमित कार्रवाई करना।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाट का विकास

7547. **डा० राजगोपालन श्रीधरण** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिए अनुदान राशि जारी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां। तमिलनाडु सरकार को पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (एस० सी० ए०) कार्यक्रम में शामिल क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु उन्हें प्रयासों को तेज करने के लिए दी गई है।

(ख) विशेष केन्द्रीय सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम के लिए कोई अनुरूप प्रावधान उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दी गई सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है।

[हिन्दी]

भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा व्यापार

7548. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोका कोला तथा अन्य अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या है;

(ग) इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उक्त अनुमति किस आधार पर दी गई है;

(घ) क्या इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश से भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण सरकार भारतीय उद्योगों के संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों, मुख्यत: निर्यात कार्यकलापों में संलग्न व्यापारिक कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 51% तक की विदेशी इक्विटी के लिए स्वत: मंजूरी दी जाती है। अन्य विदेशी निवेश प्रस्तावों पर सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार कर स्वीकृति दी जाती है।

स्वीकृत विदेश सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे जैसे भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, देश का नाम, सहयोग का स्वरूप और विनिर्माण की मद भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मन्थली न्यूजलैटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद-पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है।

(घ) और (ङ) पिछले 40 वर्षों में भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में हुए महत्वपूर्ण विकास को देखते हुए सामान्य लचीलेपन, प्राप्त अत्याधुनिक आकार और स्तर तथा विश्व की औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण प्रौद्योगिकी और निवेश दोनों में पिछले वर्षों की तुलना में घरेलू और विदेशी उद्योग के बीच सम्बन्ध और ज्यादा गत्यात्मक बनाने की जरूरत है। विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी अंतरण, विपणन विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबन्धकीय तकनीकों को शुरू करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई सम्भावनाओं से सम्बन्धित लाभ प्राप्त होंगे।

[अनुवाद]

औद्योगिक आधार ढांचे का कार्यनिष्पादन

7549. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के औद्योगिक आधार ढांचे का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(घ) औद्योगिक आधार का ढांचे के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) अप्रैल-जनवरी, 1991-92 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बुनियादी उद्योगों के उत्पादन आंकड़े दर्शाने

वाला एक विवरण संलग्न है। इससे यह पता चलता है कि अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान अप्रैल-जनवरी, 1990-91 की तुलना में ज्यादातर क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी सुविधाओं के सम्बन्ध में एक मंत्रिमण्डल समिति का गठन किया गया है जो अन्य समस्ताओं के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करेगी और कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उचित निदेश देगी।

विवरण

बुनियादी क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

क्रमसं० क्षेत्र	उत्पादन अप्रैल-फरवरी 1990-91	1991-92	% परिवर्तन अप्रैल-फरवरी 1991-92 / अप्रैल-फरवरी 1990-91
1. पावर (बि० यू०)	229.9	260.7	8.7
2. कोयला (मी० टन)	183.3	202.7	10.6
3. बिक्रीयोग्य इस्पात (मी० टन)	8.3	9.1	9.4
4. सीमेंट (मी० टन)	41.1	45.3	10.3
5. उर्वरक (मी० टन) (एन+पी) कुल	8 2	9.1	10.9
6. पेट्रोलियम (मी० टन)			
(i) कच्चा तेल	30.1	27.8	—7.7
(ii) रिफाइनरी थुपुट	47.3	46.6	—1.5

बि० यू० : बिलियन यूनिट एम० टी० : मिलियन टन

एफ : नाम : इंवुस 92. डब्ल्यू के० I

मध्य प्रदेश में कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन

7550. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार मध्य प्रदेश में कोई कम्प्यूटर एप्लिकेशन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में कम्प्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) योजना आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०सी०आई०)केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों और जिला प्रशासनों को कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रदान करते हुए, व्यवहार्यता अध्ययन

शुरू करते हुए, अनुप्रयोग साफ्टवेयर का विकास करते हुए तथा प्रयोक्ताओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए कम्प्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस उद्देश्य के अनुरूप, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने पहले ही मध्य प्रदेश में कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्रों की स्थापना की हुई हैं।

स्थान	स्थापित किये गये कम्प्यूटर
—विंध्याचल भवन, भोपाल	सुपर मिनी कम्प्यूटर एनडी-550
—मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल	80386-एस०एक्स० कम्प्यूटर
—मुख्यमन्त्री सचिवालय, वल्लभ भवन भोपाल	80386-सुपर कम्प्युटर
—आयुक्त बिक्री कर का कार्यालय इन्दौर	80386-एस० एक्स० कम्प्यूटर
—मध्यप्रदेश के 45 जिलों मुख्यालयों में 45 जिला केन्द्र। इसमें भोपाल जिला शामिल है जिसके लिए कम्प्यूटर, जिला मुख्यालय में जगह उपलब्ध न होने के कारण विंध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित किया गया है।	जिला शहडोल जहां 80386-एस० एक्स० कम्प्यूटर है, को छोड़कर प्रत्येक जिलों में 80386 आधारित सुपर ए०टी० कम्प्यूटर

उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के पास इस समय कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने भोपाल में एन०आई०सी०—मध्य प्रदेश राज्य केन्द्र और मध्य प्रदेश में कम्प्यूटरों के प्रयोग के विकास के लिए जिलों में जिला सूचना विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र, मध्यप्रदेश सरकार के विभागों और जिला प्रशासनों के लिए व्यवहार्यता अध्ययनों, का आयोजन करने, डिजाइन, उचित निर्णय समर्थन पद्धतियों का विकास एवं कार्यान्वयन करने तथा सूचना पद्धतियों के लिए विभिन्न साफ्टवेयर पैकेजों का विकास करने और डाटा प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि उनको कम्प्युटरों का ज्ञान हो सके और वे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित और तैयार की गई सूचना पद्धतियों का कारगर ढंग से प्रयोग कर सकें।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने मध्यप्रदेश के जिले में कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिले की आवश्यकता पर निर्भर करते कृषि, भवन एवं आवास, नागरिक आपूर्ति, पंचायत, जिला योजना, उद्योग, सिंचाई, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति विकास, समाज कल्याण, जिलाकोष, कलेक्टर के लिए एम०आई०एस० आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए सामान्य साफ्टवेयर पैकेजों का विकास किया है।

उपग्रह सूचना नेटवर्क

7551. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत को तीसरी दुनिया के देशों में स्वास्थ्य संबंधी सूचना तथा संचार संबंधी शोध के लिए एक निम्न कक्षीय उपग्रह सूचना नेटवर्क "सैटेलाइफ" का एक महत्वपूर्ण घटक बनाने के लिए प्रयत्नशील है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपग्रह स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक जानकारी तथा सूचना विकासशील देशों को उपलब्ध करवा सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

7552. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जो अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है उससे भूमि के खारेपन की समस्या का पता लगाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने और वृक्ष विहीन वन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने में सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रव्यापी मृदा लवणता मानचित्रण परियोजना के अन्तर्गत भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०-1 ए० और 1 बी०) से प्राप्त अन्तरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन आंकड़ों के प्रयोग से पन्द्रह प्रमुख राज्यों में लवणीय भूमि के मानचित्रण का कार्य पूरा किया जा चुका है। अन्य राज्यों में यह कार्य प्रगति पर है। गम्भीर रूप से प्रभावित 146 जिलों में वृक्ष विहीन वन क्षेत्रों के मानचित्रण का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा ग्रामीण स्तर पर परती भूमि की विद्यमानता का पता लगाया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा नियमित आधार पर द्विवार्षिक रूप में वन मानीटरन किया जा रहा है।

(ग) सम्बन्धित राज्यों के कृषि विभागों द्वारा, भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा विशेष रूप में कृषि के लिए लवणता प्रभावित भूमि को अधिक उत्पादक उपयोग में लाने से सम्बद्ध अपनी वार्षिक योजनाओं में 1:250,000 पैमाने के मृदा लवणता मानचित्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

146 जिलों के लिए बनाये गये परती भूमि के मानचित्रों को सभी सम्बन्धित राज्य के मुख्य सचिवों, मुख्य वन संरक्षक सहित जिला स्तर के प्राधिकारियों, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड और गैर-

सरकारी संगठनों को भेजा गया है, ताकि इन मानचित्रों को वनारोपण कार्यक्रमों में प्रभावी रूप में उपयोग में लाया जा सके।

[हिन्दी]

यमनापार क्षेत्र में सीवर

7553. **श्री राम बदन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यमुनापार की कालोनियों में डी० डी० ए० द्वारा बिछायी गई भूमिगत सीवर लाइनों में पायी गई कमियों की ओर दियाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ कमियां इस प्रकार हैं :—

(i) यमुना विहार कालोनी में कतिपय क्षेत्रों में रुके हुए सीवर।

(ii) पुरानी सीमा पुरी एवं नई सीमा पुरी और नन्द नगरी क्षेत्र न मलजल-निर्यास पद्धति में अप्राप्त कड़ी।

(ग) दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान यमुना विहार कालोनी में सीवर लाइनों की गाद निकालने, मेनहोल कवर लगाने तथा अन्य विविध कार्यों पर 12.92 लाख रुपये की धनराशि पहले ही खर्च कर चुका है। यमुना विहार में ड्रेन संख्या-1 रुके हुए 1200 कि०मी० व्यास सीवर तथा आक्सीकरण जलाशय की मरम्मत 14.60 लाख रुपये की लागत पर पहले ही जा चुकी हैं।

सीमा पुरी पुरानी तथा नई सीमा पुरी क्षेत्र में मलजल-निर्यास पद्धति को कार्यात्मक बनाने के लिए 100 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया गया है। इन कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रहीं हैं तथा कार्य आबंटन की तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर पूरा होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी जानकारी

7554. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में लघु व मध्यम क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वहां पर कुछ प्रौद्योगिकी मिशन कार्यरत हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा इन इकाइयों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केरल में छोटे और मझोले स्तर के उद्योगों की तकनीकी सुविज्ञता को तैतार करने और उसे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों के लिए विकसित की गयी तथा उपयोग की गयी कुछ प्रौद्योगिकियां केरल में छोटे और मझोले स्तर के उद्योगों के लिए हितकर हो सकती हैं।

डिलिंकिंग प्लांट सिस्टम सुविधा

7555. **श्री सी० श्रीनिवासन :**

डा० बी० राजेश्वरन : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रद्दी कागज से कागज व अखबारी कागज बनाने के लिए डिलिंकिंग प्लांट सिस्टम सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश में डिलिंकिंग प्लांट प्रणाली सुविधा उपलब्ध कराने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सरकार को यह बताया गया है कि मैसर्स लारसन एन्ड टुब्रो मैसर्स जे० एम० वायथ जी० एम० बी० एच०, जर्मनी के तकनीकी सहयोग से 25 टी० पी० डी० से 350 टी०पी०डी० रेन्ज क्षमताओं के डिलिंकिंग सिस्टम का डिजाइन तैयार करने. उत्पादन करने और इसकी आपूर्ति करने की स्थिति में हैं । यह भी समझा जाता है कि मैसर्स लारसन एण्ड टुब्रो ने इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र में मैसर्स औरंगाबाद पेपर मिल्स लिमिटेड को कुछ उपकरणों की आपूर्ति की है ।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

7556. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से मार्च, 1992 के दौरान बिहार के धनबाद जिले में कोयले की चोरी में आरोप में कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया और कितने मूल्य का कोयला प्राप्त किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) जनवरी, 1992 से मार्च, 1992 के दौरान कोयले की चोरी के अपराध में 46 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा उन्हें पुलिस को सौंप गया। इस अवधि के दौरान 4,97,367 रु० की राशि का कोयला बरामद किया गया ।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा निरन्तर सतर्कता बरती जा रही है ।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

7557. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम रुग्ण पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का इन उपक्रमों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कितना निवेश किया गया है;

(ङ) ये उपक्रम कब से घाटे में चल रहे हैं; और

(च) इन एककों को अर्थ-क्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केरल में कोचीन शिपयार्ड लि० ही केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा उद्यम है जो रुग्ण पड़ा है।

(ख) और (ग) वर्तमानतः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम की बन्दी का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 31-3-1991 तक कोचीन शिपयार्ड लि० में कुल पूंजीनिवेश 171.17 करोड़ रुपये था।

(ङ) कोचीन शिपयार्ड लि० वर्ष 1982-83 से घाटा उठाता आ रहा है।

(च) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल को सौंपा जाना अपेक्षित होता है ताकि इन उद्यमों के पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन की योजनाएं बनाई जा सकें।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इजराइल सहयोग

7558. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इजराइल के साथ सहयोग करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकिरण से कैंसर

7559. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ईंधन प्रसंस्करण संयंत्रों में काम करने वाले श्रमिकों पर विकिरण का सामान्यतः कितना खतरा रहता है;

(ख) क्या इन श्रमिकों के बच्चों में कैंसर और ल्युकेमिया होने की अधिक संभावना रहती है; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि विकिरण से प्रभावित श्रमिकों के बच्चों के स्वास्थ्य पर विकिरण का निश्चय ही असर पड़ता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) नाभिकीय ईंधन संसाधन संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों पर अलग-अलग रूप से पड़ने वाली विकिरण के प्रभाव की मात्राएं अन्तर्राष्ट्रीय वैकिरणकी बचाव आयोग तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा संस्तुत अनुमेय सीमाओं के भीतर ही हैं।

1987 से 1991 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान, भारतीय ईंधन संसाधन संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा ग्रहण की गई औसतन वार्षिक मात्राएं निम्नानुसार हैं :—

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद	— 1.86 मिलीसिवर्ट
ईंधन पुन : संसाधन संयंत्र, ट्राम्बे	— 2.04 मिलीसिवर्ट
विद्युत रिएक्टर ईंधन पुनः संसाधन संयंत्र, तारापुर	— 5.74 मिलीसिवर्ट

(ख) जी, नहीं

(ग) ट्राम्बे और तारापुर स्थित पुनः संसाधन संयंत्रों के कर्मचारी और उन पर आश्रित व्यक्ति अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आते हैं। कर्मचारियों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित पूरे रिकार्ड रखे जाते हैं। इन रिकार्डों से ऐसे किसी असर का पता नहीं चला है।

एच० एम० टी० बंगलौर और अल्वाय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

7560. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर तथा अल्वाय स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की इकाइयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक इकाई में ग्रेडवार कुल कितने खाली पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरा गया;

(ग) क्या सरकार को आवश्यक आरक्षित कोटा नहीं भरे जाने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) एच० एम० टी० द्वारा 1991-92 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की भरी गई रिक्तियों का एककवार विवरण निम्न प्रकार है :—

एकक	समूह	ग्रेड	अनु० जा०	अनु० ज० जा०
एम० एम० टी०-3 पिंजौर	"ख"	पी० एस०-3 और पी० एस-2	2	—
एच० एम० टी० कार्पो० मुख्यालय	"ख"	—वही—	6	1
एच० एम० टी० घड़ी कारखाना —5 रानीबाग	"ख"	—वही—	2	—

1	2	3	4	5
एच० एम० टी० मशीन टूल्स विपणन प्रभाग	"ख"	—वही—	1	—
एच० एम० टी०-3 पिंजौर	"ग"	पी० एस 1 से डब्ल्यू० जी-2	32	—
एच० एम० टी० डेयरी मशीनरी अहमदाबाद	"ग"	डब्ल्यू० जी-1 और आई० ए०	2	—
एच० एम० टी० कार्पो० मुख्यालय	"ख"	डब्ल्यू० जी-1 और आई० ए०	1	—
योग			46	1

कम्पनी को अपने श्रीनगर स्थित घड़ी कारखाने की इकाई के लगभग 500 प्रवासी कर्मचारियों के पुनर्वास की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, नियुक्ति योजनाओं में कटौती करके बिल्कुल आवश्यक होने पर ही भर्ती की गई, हालांकि अ० जा०/अनु० ज० जा० कर्मचारियों के संघ से इस सम्बन्ध में शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। एच० एम० टी०-4 कलमस्सेरी एकक सहित कंपनी में अनु० जा०/अनु० ज० जा० के कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या दिनांक 31-3-1992 को क्रमश: 71 तथा 9 थी।

मुम्बई परियोजना

7561. **श्री राम नाईक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1992 को "टाइम्स आफ इंडिया" (मुम्बई अंक) में प्रकाशित मुम्बई परियोजना के कार्यान्वियन सम्बन्धी समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इस परियोजना के माध्यम से किन-किन कार्यों को किया जायेगा; और

(ग) इस परियोजना का कार्यान्वयन किस ऐजेंसी के द्वारा किया जायेगा तथा इसके लिए क्या सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेटेंट कानूनों का संशोधन

7562. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेटेंट कानूनों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण युवकों के लिए रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण योजना

7563. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण युवकों के लिए किसी रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) 15 अगस्त, 1979 से शुरू की गयी है।

(ख) योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी और उद्यमशील हुनर प्रदान करना है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। चयन किए गए युवाओं को या तो प्रशिक्षण संस्था अथवा एक मास्टर कारीगर की मार्फत एक अवधि के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर यदि वे अपना रोजगार शुरू करना चाहें तो उन्हें आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है अथवा वे मजदूरी रोजगार भी कर सकते है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को वजीफा, निःशुल्क औजार किट और कच्चा माल आदि दिया जाता है। 1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 2.36 लाख प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

अवैध निर्माणों को गिराया जाना

7564. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीने के दौरान दिल्ली में कितने अवैध निर्माणों को गिराने का कार्य पूरा किया गया;

(ख) क्या अवैध रूप से निर्मित आवासों को गिराने से रोकने हेतु कई लोगों ने न्यायालयों से स्थगन आदेश ले लिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम की सूचना के अनुसार गत छः महीनों के दौरान उनके अधिकार क्षेत्र में 300 अनधिकृत निर्माणों को गिराने का कार्य किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग) को अन्तर्वलित करते हुए 108 मामलों में न्यायालयों से स्थगनादेश ले लेने की सूचना है। विभिन्न न्यायालयों से स्थगनादेश रद्द करवाने के लिए इन संगठनों द्वारा प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

आठवीं योजना के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की परियोजनाएं

7565. **श्री महेश कनोडिया** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों की निम्नांकित चार प्रमुख श्रेणियां प्रस्तावित हैं :

1. उद्योग तथा अर्थव्यवस्था-उन्मुखी कार्यक्रम

2. सामाजिक कार्यक्रम

3 मूल अनुसंधान कार्यक्रम

4. अनुसंधान समर्थन क्रियाकलाप तथा तकनीकी सेवाएं ।

(ख) रुपये 193.58 करोड़।

नेशनल टैनरी कम्पनी पं० बंगाल का अधिग्रहण

7566. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल टैनरी कम्पनी, पश्चिम बंगाल का अधिग्रहण किया गया था तथा अनेक वर्षों तक भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा इसका प्रबन्धन किया गया;

(ख) क्या बाद में इसकी अधिसूचना रद्द कर दी गई थी;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार लम्बे समय से केन्द्रीय सरकार से इसका राष्ट्रीयकरण करने तथा इसमें निर्यात की प्रचुर संभावना को देखते हुए राज्य व्यापार को निगम की सहायता से इस औद्योगिक को अर्थक्षम बनाने का अनुरोध करती रही है; और

(घ) इस कम्पनी को अर्थक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) नेशनल टैनरी कं० लि० पश्चिम बंगाल का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की शर्तों के अनुसार भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया गया था ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कुछ माननीय संसद सदस्यों और पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त अभ्यावेदनों के फलस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ नेशनल टैनरी कं० लि० के राष्ट्रीयकरण के मामले पर केन्द्र सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया गया था और किये गये विभिन्न अध्ययनों तथा एस० टी० सी०, आई०

आर० बी० आई० इत्यादि द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की जांच से यह पता लगा कि इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करना जनहित में नहीं होगा। नेशनल टैनरी कं० लि० के पुनःजीवन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इस मामले को 27-10-87 को औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड को भेजा गया था। बी०आई०एफ०आर० ने अपने 18-10-89 को लिये गये अंतिम निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला था कि नेशनल टैनरी कं० लि० के पुनःजीवन के लिए कोई स्वीकार्य पुनःस्थापना योजना तैयार नहीं की जा सकती क्योंकि यह एकक तकनीकी, आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से अजीव्य हो गया है और यह न्यायोचित जनहित में होगा कि रुग्ण औद्योगिक क० नेशनल टैनरी कं० लि० को बन्द कर दिया जाए। बी०आई०एफ०आर० ने यह भी निदेश दिया गया था कि इस संदर्भ में लिए गए निर्णय को कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेज दिया जाना चाहिए।

गोवा में खादी और ग्रामोद्योगों के लिए योजनाएं

7567. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु मौजूदा योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा में इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इन योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि की तुलना में इनसे कितना लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऋण और राजसहायता के माध्यम से इन योजनाओं के लिए गोवा को कितनी सहायता प्रदान की है; और

(घ) क्या वर्ष 1992-93 के लिए गोवा में कोई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अधीन 96 ग्रामीण उद्योग/योजनाएं हैं और इन्हें सात प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, के०बी०आई०सी० के कार्यक्षेत्र के अधीन ग्रामोद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधियों का वितरण किया गया है। फिलहाल गोवा में कोई खादी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऋण और अनुदान के रूप में इन कार्यक्रमों हेतु वितरित राशि इस प्रकार हैं : -

(लाख रु० में)

	ऋण	अनुदान
1988-89	87.56	3.72
1989-90	85.20	3.99
1990-91	30.25	0.24

(घ) के० बी० आई० सी० ने अभी तक गोवा राज्य के० बी० आई० बोर्ड सहित राज्य के० बी० आई० बोर्डों के सम्बन्ध में 1992-93 हेतु कार्यक्रम तथा वित्तीय आवंटनों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभकारिता में कमी

7568. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान 200 से भी अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल लाभकारिता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान उनके कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के समग्र निवल लाभ के सम्बन्ध में केवल वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और इसके अनुसार उक्त राशि क्रमशः 2993.53 करोड़, 3788.87 करोड़ एवं 2367.74 करोड़ रुपए थी।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों के नाम के साथ-साथ विगत पांच वर्ष के दौरान उनके निवल लाभ/घाटे से सम्बन्धित ब्यौरा 5-3-1992 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1990-91 के खण्ड-1 के विवरण सं० 7 "क" तथा 7 "ख" (विवरणी पृष्ठ सं० 43 से 50) में उपलब्ध है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सम्बन्धित सरकारी उद्यम, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा, उद्यम-विशेष की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

निदेशों के अनुसार आयोजना

7569. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीयकृत आयोजना के बजाए निदेशों के अनुसार आयोजना को अपनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जैसा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दिशानिर्देश पत्र में परिकल्पित है, विकास के प्रति अभिनव दृष्टिकोण में योजना की भूमिका अधिकांशतः उद्देश्यपरक होगी। यह प्रयास किए जाएंगे कि निधियों के अनुकूल उपयोग तथा आबंटन के माध्यम से कोर सैक्टर विकसित किया जाए, समुचित नीति पैकेजों के जरिए अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित किया जाए तथा सामाजिक सैक्टर के विकास के लिए राज्यों को अधिक दायित्व सौंपे जाएं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को पदावनत करना

7570. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरक्षित कोटा को भरने के लिए 6-12-91 और 18-12-91 के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बहुत से अधिकारियों को अवर सचिव के रूप में प्रोन्नत किया गया था परन्तु बाद में उन्हें पदावनत कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) दिनांक 4-12-91 को जारी आदेश के विरुद्ध अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि पदोन्नति के लिए मार्च, 1987 की नहीं, बल्कि नवम्बर 1987 की की पात्रता सूची को आधार माना जाए। सरकार को यह सलाह दी गई थी कि अवमानना से अपने आप को बचाने के लिए पदोन्नतियां, नवम्बर, 1987 की पात्रता सूची में से रैंकों के अनुसार ही की जाएं। तदनुसार, 30-1-92 को संशोधित आदेश जारी किए गए जिसमें पदोन्नतियां नवम्बर, 1987 की पात्रता सूची में से पूर्णतः रैंक के अनुसार ही की गई। इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ उम्मीदवारों को जो कनिष्ठ थे और नवम्बर, 1987 की पात्रता सूची में नहीं थे, हालांकि, 6-12-91 और 18-12-91 के आदेशों के अनुसार उन्हें दिनांक 4-12-91 से पदोन्नत कर दिया गया था, छोड़ दिया गया और इस प्रकार पदावनत कर दिया गया।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

7571. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक उपक्रम को हुए लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) हानि के कारण बन्द किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन उपक्रमों की रूग्णता के क्या कारण हैं और उनके पुनरुजीवन के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा क्या कामगारों/कर्मचारियों के हितों का संरक्षण किया जाएगा; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने के संबंध में दिए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा उनके निवल लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :

	निवल लाभ/हानि (करोड़ रुपयों में)		
	1990-91	1989-90	1988-89
1. मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम (भारतीय पर्यटन विकास निगम की सहायक कंपनी)	—0.33	—0.18	अनुपलब्ध
2. नेपा लि०	6.20	—3.88	—5.14
3. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० (कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनी)	22.58	—0.90	3.57
4. एन० टी० सी० (एम० पी०) लि० (धारक कम्पनी एन०टी०सी० की सहायक कम्पनी)	—19.78	—18.38	—44.66
5. साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लि० (कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनी)	—20.79	—32.32	—47.56

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को बन्द नहीं किया गया है।

(घ) वर्ष 1990-91 के कार्यनिष्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश में केवल एन०टी०सी० (एम० पी०) लि० ही केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का ऐसा उद्यम है जिसे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यम के रूप में निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त श्रमिक, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, आदि रूग्णता के प्रमुख कारण हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल द्वारा सरकारी क्षेत्र के इस उद्यम के पुनर्स्थापन/पुनर्नवीकरण के सम्बन्ध में उपयुक्त योजना बनाने हेतु विचार किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति भी इस मामले पर विचार कर रही है। सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों के कामगारों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष भी गठित किया गया है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र में नए उपक्रमों की स्थापना का निर्णय, परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा राष्ट्र के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है।

लघु उद्योगों को कोयले की सप्लाई

7572. **श्री लाल बाबू राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उद्योगों को कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लघु और मंझले उद्योगों द्वारा राज्य-वार कोयले की कितनी मांग की गई और इसकी कितनी खपत हुई; और

(ग) कोयले की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं। लघु उद्योगों को कोयले की नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को सड़क द्वारा अथवा रेल द्वारा कोयले की न्यूनतम 50% संयोजित मात्रा की आपूर्ति किए जाने संबंधी निर्देश सभी कोयला कम्पनियों को जारी कर दिए हैं।

(ख) और (ग) कोयले की मांग का मूल्यांकन क्षेत्रवार जैसे विद्युत, सीमेंट इस्पात आदि के आधार पर किया जाता है और न कि यह राज्य-वार किया जाता है। किन्तु, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा नीचे दर्शाई गई है :—

(आंकड़े' 000 टन में)

(आंकड़े अनन्तिम)

राज्य	1989-90	1990-91	1991-92 (दिस० 91 तक)
बिहार	4162	4891	3846
प० बंगाल	1934	2471	1512
उ० प्र०	5930	5268	4064
उड़ीसा	3862	3851	3397
म० प्र०	1621	2195	1928
महाराष्ट्र	1982	2180	1674
गुजरात	1429	2279	1623
राजस्थान	720	833	331
दिल्ली	388	402	370
पंजाब	870	773	415
हरियाणा	325	307	229
तमिलनाडु	90	145	95
आंध्र प्रदेश	158	288	153
कर्नाटक	78	95	33
केरल	—	4	—
जम्मू व काश्मीर	247	263	135
हिमाचल प्रदेश	84	96	104
आसाम	246	346	341
अन्य	82	95	73
जोड़ :	24208	26782	20323

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि० की परियोजनाओं के लिए ऋण

7573. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की कुछ नई परियोजनाओं के लिए 1:0 करोड़ अमरीकी डालर ऋण प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोल इंडिया लि० की कुछ नई परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण प्राप्त किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु कोल इंडिया लि० की 34 भूमिगत खानों के उत्पादन, उत्पादकता तथा वित्तीय लाभकारिता में सुधार लाए जाने का एक संयुक्त परियोजना प्रस्ताव को सम्भावित वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को संदर्भगत किया गया है । कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना परिदृश्य में इंगित प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार इस संयुक्त परियोजना पर अस्थाई रूप में कुल 425.21 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त निवेश होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से 115.10 करोड़ रुपए की राशि को विश्व बैंक की सहायता के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । विश्व बैंक से अभी एक विस्तृत मूल्यांकन किए जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

7574. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** :
श्रीमती रीता वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ख) ये कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत शामिल किये गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे कुछ और केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) जोकि इस मन्त्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्तशासी निकाय है, देश के विभिन्न भागों में अभिनव ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और प्रचार-प्रसार में मदद करता है । परिषद द्वारा किन्हीं प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है । तथापि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने स्वयं-सेवी और सरकारी संगठनों के सहयोग से 41 ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सह-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है ।

(ख) ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है । किसी भी ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र का कोई विशेष अधिकार-क्षेत्र नहीं है ।

(ग) और (घ) 1992-93 के दौरान स्वयंसेवी एजेंसियों और सरकारी संगठनों के सहयोग से 5 नए ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	2
3.	बिहार	1
4.	हरियाणा	2
5.	हिमाचल प्रदेश	1
6.	जम्मू और कश्मीर	2
7.	कर्नाटक	1
8.	केरल	1
9.	मध्य प्रदेश	2
10.	महाराष्ट्र	4
11.	मणिपुर	1
12.	नागालैंड	1
13.	उड़ीसा	1
14.	राजस्थान	2
15.	सिक्किम	1
16.	तमिलनाडु	2
17	त्रिपुरा	1
18.	उत्तर प्रदेश	7
19.	पश्चिम बंगाल	4
20.	दिल्ली	2
	योग :	41

उत्पादों के विज्ञापन पर खर्च

7575. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादों के बिक्री मूल्य में इनका विज्ञापन खर्च भी जोड़ दिया जाता है जिसका उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने उत्पादों और वस्तुओं के विज्ञापन पर खर्च की कोई सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबन्धों के अनुसार पैकेज रूप में किसी वस्तु के अधिकतम खुदरा मूल्य में अन्य खर्चों के साथ-साथ विज्ञापन पर खर्च को शामिल किया जा सकता है ।

(ख) पैकेज में रखी किसी वस्तु के बिक्री मूल्य से संबंधित किसी भी घटक के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा का निर्धारण करना बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 तथा उस अधिनियम के क्षेत्र से बाहर है, जिसके अन्तर्गत ये नियम बनाए गए हैं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा में आवास परियोजनाएं

7576. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न आवास परियोजनाओं के लिए हरियाणा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं को सहायता देने के लिए कोई नीति बनायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो हरियाणा सरकार को कितनी सहायता दी गई; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य के लिए कितनी सहायता नियत की जाने वाली है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विभिन्न आवास स्कीमों हेतु वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान हरियाणा सरकार के लिए दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	1989-90	1990-91	1991-92
राज्य आयोजना परिव्यय	773.00	875.00	915.00
एल०आई०सी०/जी०आई०सी० ऋण	1337.00	1619.00	1780.00
हुडको ऋण	870.00	1242.22	1119.00

(ख) और (ग) सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम इंदिरा आवास योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे के मुक्त हुए बन्धुआ मजदूरों वाले लक्ष्य समूह के लिए पूर्णतया आर्थिक सहायता प्राप्त मकानों की व्यवस्था करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचालन में है। इस स्कीम के अंतर्गत, हरियाणा में निम्नलिखित खर्चा किया गया है :—

वर्ष	किया गया खर्च
1989-90	149.51
1990-91	114.96
1991-92	68.52

(घ) आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान आवास के लिए परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सुपर बाजार में सेवा निवृत्ति के पश्चात सेवा जारी रखना

7577. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री नरेश कुमार बालियान : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने सेवा निवृत्त अधिकारी है जो सुपर बाजार के कुछ विभागों में अभी भी सेवारत हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह इस संबंध में सरकार के निर्देश के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो सेवा निवृत्त व्यक्तियों को सुपर बाजार में सेवा में रखे जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) इस समय सुपर बाजार में विभिन्न सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त छः अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	नाम	पद
1.	श्री एस० पी० बंसल	सलाहकार/परामर्शदाता/जांच अधिकारी
2.	श्री एस० सी० जैन	सतर्कता अधिकारी
3.	श्री आर० के० शर्मा	सहायक सतर्कता अधिकारी
4.	श्री ओ० एन० निगम	परामर्शदाता, आंतरिक लेखा परीक्षा यूनिट
5.	श्री ए० वी० एल० नारायणन	परामर्शदाता, वस्तु सूची नियन्त्रण
6.	श्री आर० के० मेहरा	लेखा एवं वित्त नियंत्रक

(ग) और (घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके अपने सेवा व आचरण नियम हैं और तदनुसार सुपर बाजार की प्रबंध समिति के अनुमोदन से व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति की आयु के बाद 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सुपर बाजार के मौजूदा कर्मचारियों में से जब किसी कार्य क्षेत्र विशेष के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता तथा पृष्ठभूमि रखने वाले कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुपर बाजार द्वारा बाहर से उक्त कार्य क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आमतौर पर सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में रखा जाता है। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि सेवा निवृत्त छः अधिकारियों की सेवाओं की उन्हें आवश्यकता है।

[हिन्दी]

आवास निर्माण हेतु सहकारी समितियों को सहायता

7578. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवास निर्माण को बढ़ावा देने हेतु सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सामुहिक आवास समितियों को 40% रिहायशी भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया है। तदनुसार; दिल्ली विकास प्राधिकरण का 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान द्वारका और नरेला में 400 सामुहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लि० का सामूहिक आवास समितियों को कुल मिलाकर 250 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया करने का लक्ष्य है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार

7579. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों के माध्यम से कितने बेरोजगार स्नातकों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने बेरोजगार गैर स्नातकों को लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है, ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) आठवीं योजना सम्बन्धी प्रस्तावों के अनुसार अनुमान है कि लघु उद्योगों की स्थापना होने से लगभग 24.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें बेरोजगार स्नातक और गैर-स्नातक दोनों ही प्रकार के लोग होंगे। किन्तु लाभान्वित होने वाले स्नातकों और गैर-स्नातकों की ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

7580. **श्री के० एच० मुनियप्पा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता संगठनों और युवकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने युवाओं तथा उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दो पुरस्कार रखे हैं। ये वार्षिक पुरस्कार हैं। उपभोक्ता संगठनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में 50,000/-रु०, 40,000/-रु० व 30,000/-रु० की पुरस्कार राशि के रूप में तीन पुरस्कार रखे गए हैं और यह उन स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को दिए हैं जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं की हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 15—35 वर्ष के आयु वर्ग के उन युवाओं को दिए जाते हैं, जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में शानदार कार्य किया है। इस पुरस्कार के तहत 20,000/- रु०, 15,000/- रु० व 10,000/ रु० के तीन नकद पुरस्कार रखे गए हैं।

(ग) पुरस्कारों के लिए चुनाव राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं। अन्तिम चुनाव केन्द्रीय चयन समिति द्वारा किया जाता है। कार्य का मूल्यांकन करते समय ग्रामीण, आदिवासी अथवा पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाले उपभोक्ता संगठनों तथा युवाओं को और उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नवीन विचारों के लिए तरजीह दी जाती है। इसी प्रकार की तरजीह महिलाओं तथा महिला संगठनों को भी दी जाती है शहरों में रहने वाले युवाओं अथवा उपभोक्ता संगठनों के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कार्य तथा उपभोक्ताओं के कल्याण पर उसके स्पष्ट प्रभाव को भी देखा जाता है।

ऊनी उद्योग में कच्चे माल की कमी

7581. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऊनी उद्योग में विशेषकर लघु इकाइयों में कच्चे माल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऊनी उद्योग को राहत देने के लिए इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) कच्चे ऊन की कोई कमी नहीं है। तथापि, : मार्च से 26 मार्च, 1992 के दौरान शाडी ऊन उद्योग में इस्तेमाल किये जाने वाले गूदड़ की कमी हुई थी इस कमी का कारण ऊनी गूदड तथा सिंथेटिक माल के आयात शुल्क में बहुत अधिक वृद्धि यानि 35% से 110% किया जाना था।

(ग) वस्त्र मन्त्रालय ने शुल्क वापस लिए जाने की सिफारिश की थी जिसे वित्त मन्त्रालय ने मंजूर कर लिया है।

[हिन्दी]

देश में कम्प्यूटर केन्द्र

7582. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ और कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार, ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) मध्य प्रदेश में चालू किए गए कम्प्यूटर केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है।

(घ) केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकार विभाग तथा जिला प्रशासनों को कम्प्यूटर-आधारित सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने नीचे दिए गए अनुसार मध्य प्रदेश में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना की है :

स्थान	स्थापित कम्प्यूटर
—विंध्याचल भवन, भोपाल	सुपर मिनी कम्प्यूटर एन० डी-550
—मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल	80386-एस० एक्स० कम्प्यूटर
—मुख्यमन्त्री का सचिवालय वलभ भवन, भोपाल	80386 सुपर ए० टी० कम्प्यूटर
—आयुक्त कार्यालय, बिक्री कर इंदौर	80386-एस० एक्स० कम्प्यूटर
—मध्य प्रदेश के 45 जिला मुख्यालयों में 45 जिला केन्द्र/इसमें भोपाल जिला शामिल है, जिनके लिए कंप्यूटर जिला मुख्यालय में स्थान उपलब्ध न होने के कारण आजकल विंध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित किया गया है।	जिला शहडोल को छोड़कर जिसके पास 80386-एस० एक्स० कंप्यूटर है, प्रत्येक जिले में 80386 बेस्ड सुपर ए० टी० कम्प्यूटर।

2. रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मन्त्रालय ने जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बिलासपुर रामपुर, गोंडा, दुर्ग तथा रीवा के रोजगार कार्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना हेतु आंशिक रूप से वित्त पोषण किया है।

3. इंदौर तथा बैतुल जिलों को छोड़कर जहां पर ये केन्द्र एन० आई० सी० जिला केन्द्रों में स्थित है, ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने 43 डी० आर० डी० ए० कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना की है। डी० आर० डी० ए० केन्द्रों में पी० सी०/ए० टी० कम्प्यूटर या पी/एक्स टी कम्प्यूटर हैं।

[अनुवाद]

जमनालाल बजाज अनुसंधान संस्थान, वर्धा

7583. **श्री राम चन्द्र घंगारे** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्धा स्थित आंगनवाड़ी में जमनालाल बजाज अनुसंधान संस्थान के वेतन रजिस्टर में कितने कर्मचारियों और कितने अधिकारियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान वेतन और भत्तों पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है और इससे क्या उपलब्धि हुई;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान इस संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं पर कितनी लागत आई और उक्त वर्ष कितनी वस्तुओं की बिक्री हुई; और

(ङ) क्या निकट भविष्य में संस्थान का विचार कोई योजना अथवा परियोजना शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[हिन्दी]

मजदूरों के लिए समान कानून

7584. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए पृथक रूप से बनाए गए कानून को समाप्त करके विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए श्रमिकों के लिए समान कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न श्रमिकों के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के कारण बढ़ रहे औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) कतिपय श्रम कानून समान रूप से सभी श्रमिकों पर लागू होते हैं बशर्ते कि संगत अधिनियमों या उनके अधीन बनाये गए नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में एकरूपता नहीं है क्योंकि ये अधिनियम किन्हीं विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार विभिन्न कानूनों में एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) औद्योगिक विवादों में वृद्धि केवल विभिन्न कानूनों की विद्यमानता के कारण नहीं है । तथापि जहां कहीं विवाद उत्पन्न होता है, वहां औद्योगिक संबंध तन्त्र द्वारा केन्द्र तथा राज्यों के अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में उनके निपटान के लिए प्रयास किए जाते हैं ।

जम्मू और कश्मीर से सरकारी कर्मचारियों का पलायन

7589. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में सरकारी कर्मचारियों के पलायन से रिक्त हुए पदों की विभाग-वार संख्या क्या है;

(ख) अपनी जीविकोपार्जन के साधन खो देने के बाद प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उन रिक्त पदों को प्रवासियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या उपचारी उपाय किए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय सरकार की रिक्तियों की कुल संख्या से सम्बन्धित विभाग-वार सभी स्तरों के सम्पूर्ण आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, समूह "ग" के विभिन्न ऐसे पदों को भरने के लिए, जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों/केन्द्रीकृत बैंकों/सामान्य बीमा निगम/जीवन बीमा निगम इत्यादि के जम्मू तथा कश्मीर स्थित उनके कार्यालयों में रिक्त पड़े हुए थे, 1991 में आयोजित विशेष भर्ती अभियान के दौरान जम्मू और कश्मीर में समूह "ग" की कुल 766 रिक्तियां आयोग को सूचित कर दी गई थीं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के ऐसे प्रवासी कर्मचारी जिन्होंने कश्मीर घाटी में अपना कार्यभार फिर से नहीं संभाला था, वे छुट्टी वेतन के लिए पात्र थे। मंत्रालयों तथा विभागों को ये निर्देश जारी कर दिए गए थे कि वे उन कर्मचारियों को, जो घाटी में वापिस नहीं जा सके थे, सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के घाटी से बाहर स्थित कार्यालयों के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों में समायोजित कर लें।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुधारात्मक उपाय विद्यमान हैं कि ऐसे प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को जो जम्मू और कश्मीर में वापिस आ जाते हैं, सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा अपने जम्मू-कश्मीर में स्थित कार्यालयों में वापिस ले लिया जाए।

[हिन्दी]

प्रधानमन्त्री आवास का निर्माण

7590. **श्री यशवंत राव पाटील** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रधानमन्त्री और अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए स्थायी निवासों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमणाधीन भूमि

7591. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मंत्री 19 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में अतिक्रमणाधीन भूमि के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सम्पदा निदेशालय के बाजारों में किए गए अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सम्बन्धित स्थानीय निकायों से अतिक्रमणों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है किन्तु उनकी अभी प्रतीक्षा है। उनके साथ मामला सशक्त रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

(ग) और (घ) अनधिकृत अतिक्रमण के ब्यौरे दिनांक 15-7-91 के अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में संसद में पहले ही बताये जा चुके हैं। कुछ मार्किटों में और सर्वेक्षण किए गए हैं और आवश्यक मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। शेष मार्किटों में सर्वेक्षण प्रगति पर हैं।

[हिन्दी]

आवास समस्या

7592. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरोत्तर योजना अवधि में काफी निवेश और प्रयास करने के बावजूद भी आवास समस्या अभी भी गम्भीर बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि में क्रमश: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किये गये पूंजी निवेश और बनाए गए मकानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान आवास के लिए किया गया आबंटन कुल बजट आबंटन का कितने प्रतिशत था; और

(घ) लोगों के अभी तक बेघर होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं एवं संसाधनों के अनुसार आवास योजनायें तैयार की जाती हैं एवं कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा भी इनकी सहायता की जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आवास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय 2458 करोड़ रुपये बताया गया है। आवास निर्माण पर विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि आवास निर्माण कार्यकलाप का बड़ा भाग निजी एवं घरेलु क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, सातवीं योजना के दौरान राज्य अधिकरों द्वारा प्रचालित 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास एवं निम्न आय वर्ग आवास के सम्बन्ध में बताई गई उपलब्धियां निम्नलिखित थी :—

(एकक लाखों में)

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास	7.14
निम्न आय वर्ग आवास	1.67

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास क्षेत्र के लिए किया गया परिव्यय कुल योजना परिव्यय का लगभग 1.5 प्रतिशत था।

(घ) शहरी क्षेत्रों में गृहविहीनता के मुख्य कारण वहनीय आवास की आपूर्ति की अपर्याप्तता एवं आवास क्रियाकलाप और वित्त की आपूर्ति में निर्धनतम वर्गों द्वारा महसूस की गई विभिन्न बाधाओं के अतिरिक्त भूमि और निर्माण की कीमतों में बढ़ोतरी है।

[अनुवाद]

पश्चिमी क्षेत्र के उद्योगों को कोयले की कम सप्लाई

7593. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र के उद्योग कोयले की कम सप्लाई होने के कारण अत्याधिक प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात और महाराष्ट्र को कोयले की सप्लाई के लिए रेल माल डिब्बों की कमी है;

(घ) स्थिति सामान्य बनाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए ग हैं; और

(ङ) औद्योगिक एककों और राज्य बिजली बोर्डों को कोयले के विपणन को कारगर बनाने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) गुजरात और महाराष्ट्र के औद्योगिक उपभोक्ता अपनी कोयला की आवश्यकताएं मुख्यतः रेल द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विद्युत आदि को प्राथमिकता के आधार पर रेल द्वारा कोयले की आपूर्ति किए जाने के कारण देश में औद्योगिक उपभोक्ताओं, जिनमें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के उपभोक्ता भी शामिल हैं, को कोयले की आपूर्ति में कुछ कमी रही है। तथापि, कोयला कम्पनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे गैरमहत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को संयोजनों के कम से कम 50% तक रेल या सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति किए जाने का सुनिश्चिय करें।

(ङ) औद्योगिक यूनिटों तथा राज्य बिजली बोर्डों को कोयले के विपणन को सुचारू रूप में किए जाने संबंधी वर्ष 1991-92 में उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं—आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा में सुधार लाये जाने की दृष्टि से कोयला नियंत्रक संगठन का सुदृढ़ीकरण किया जाना, उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर किये जाने संबंधी कोयला कम्पनी द्वारा कोयला उपभोक्ता परिषदों का स्थापित किया जाना और विद्युत उपयोगिताओं के लिये कैश एण्ड कैरी योजना की शुरूआत किया जाना।

[हिन्दी]

विपका कोयला खानें कोरबा

7594. **श्री भवानी लाल वर्मा** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा स्थित विपका कोयला खानों में खनन कार्य पुनः चालू हो गया है और यदि हां, तो कब से;

(ख) इस समय इन कोयला खानों से प्रतिदिन कुल कितना कोयला निकाला जा रहा है;

(ग) इन कोयला खानों के लिये कुल कितनी प्राइवेट भूमि अधिग्रहीत की गई है और क्या उक्त भूमि के संबंध में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो औसतन प्रति हैक्टेयर कितना-कितना मुआवजा दिया गया है;

(ङ) उक्त कोयला खानों मे खनन कार्य पुन: शुरू करने के परिणाम स्वरूप कुल कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं; और

(च) इनके पुनर्वास हेतु की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की दीपिका कोलियारी को दिसम्बर 1991 से पुन: चालू कर दिया गया है।

(ख) कथित कोलियरी से उत्खनन किये जाने वाले कोयले की मात्रा प्रति दिन औसतन 7000 टन है।

(ग) 1199.40 है० निजी भूमि का दिपिका कोलियरी के लिये अधिग्रहण किया गया है। कुछ ऐसे मामलों के अलावा, जोकि विवाद अधीन है, सभी मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) गुणवत्ता के आधार पर प्रति है० भूमि के मुआवजे की औसतन दर 44341 रुपये से 69,283 रुपये के बीच बैठती है।

(ङ) कोलियरी के पुन: चालू किए जाने के परिणामस्वरूप अनुमानत: 1814 व्यक्तियों को विस्थापित किए जाने की संभावना है।

(च) इन गांवों में प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एस० ई० सी० एल० ने चार पुनर्वास स्थल विकसित किए हैं जिनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। परियोजना द्वारा प्रभावित आवासों के एवज में प्रत्येक 6 डेसीमल के प्लाटों का आंवटन किया जाता है।

मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग की योजनाएं

7595. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग की कोई योजनाकेन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओ पर केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन से तकनीकी अनुमोदन हेतु लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तावित जलापूर्ति और मलजल योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। क्रम संख्या 3, 4 और 6 की योजनाएं जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं और अन्य मामलों में और आगे संशोधन के लिए तकनीकी टिप्पणियां राज्य सरकार को सम्प्रेषित कर दी गयी हैं।

विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	बेरसिया जलापूर्ति योजना	
	चरण-I	155.50
	चरण-II	30.13
2.	जबलपुर के लिए जलापूर्ति परियोजना की वृद्धि-चरण-III	3286.00
3.	मलजल निकासी योजना (इन्दौर) चरण-I	5480.00
4.	बृहत्तर बैरागढ़, जलापूर्ति परियोजना वृद्धि	545.00
5.	रायपुर जलापूर्ति योजनाओं की वृद्धि और सुधार के लिए परियोजना	3254.00
6.	शिवपुरी कस्बे के लिए मलजल परियोजना	896.00

[अनुवाद]

संस्कृत का कम्प्यूटरीकरण

7596. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संस्कृत के पठन-पाठन का कम्प्यूटरीकरण करने एवं संस्कृत का एक व्यापक कम्प्यूटरीकृत शब्दकोष प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा संस्कृत को एक कम्प्यूटर भाषा बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सभी संस्कृत संस्थाओं में कब तक कम्प्यूटर का प्रयोग किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक विभाग ने अपने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम(टी०डी०आई० एल.)के अन्तर्गत कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत के शिक्षण और ज्ञानार्जन से सम्बन्धित तीन परियोजनायें आरम्भ की हैं। मशीन द्वारा पढ़े जा सकने योग्य रूप में संस्कृत पाठ के मूल तत्व के विकास की एक परियोजना भी आरम्भ की गई है जिससे कम्प्यूटर पर आधारित शब्दकोष के निर्माण में सहायता मिलेगी।

हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि संस्कृत को ही कम्प्यूटर की भाषा के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन यह विचार व्यक्त किया गया है कि संस्कृत भाषा के औपचारिक ढांचे तथा संस्कृत व्याकरण से संबंधित नियमों का अनुपालन ठीक तरह से करने से कम्प्यूटरों में प्राकृतिक भाषा संसाधन की दिशा में भारी सफलता मिल सकती है। यह पाया गया है कि संस्कृत में ज्ञान के निरुपण के लिए एक आदर्श भाषा बनने तथा मशीनी अनुवाद के लिए एक सम्पर्क भाषा बनने की क्षमता है।

(ग) सरकार ने कम्प्यूटरीकृत शिक्षण तथा ज्ञानार्जन और पाठ के मूल तत्वों के विकास के लिए संस्कृत संस्थानों की सहायता करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाए किए हैं, किन्तु सभी संस्कृत संस्थानों के कम्प्यूटरीकृत का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राज्यों को खाद्य तेल की सप्लाई

7597. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार, राज्य सरकारों की मांग की तुलना में उन्हें कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेल की सप्लाई की गई; और

(ख) 31 मार्च, 1992 तक संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वस्तुतः कितनी मात्रा में इसे उठाया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) तेल वर्षों (नवम्बर से अक्तूबर) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (मार्च, 1992 तक) के दौरान खाद्य तेलों का राज्यवार तथा वर्षवार आवंटन और उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण-I

तेल वर्षों (नवम्बर से अक्तूबर), 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए खाद्य तेलों का राज्यवार आवंटन और उठाई गई मात्रा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1989-90 आवंटन	1989-90 उठाई गई मात्रा	1990-91 आवंटन	1990-91 उठाई गई मात्रा	1991-92 आवंटन	1991-92 उठाई गई मात्रा
1.	आंध्र प्रदेश	46250	37710	9360	9875	4500	**6000
2.	अरुणाचल प्रदेश	930	53	200	82	150	68
3.	असम	2500	324	950	600	600	290
4.	बिहार	10700	6882	5000	3662	4500	1400
5.	गोवा	7200	6170	2500	1703	1200	400
6.	गुजरात	78450	66443	15000	18797	4500	6106
7.	हरियाणा	7350	2538	5200	2566	1800	424
8.	हिमाचल प्रदेश	9700	6665	3550	3709	1500	1139
9.	जम्मू व कश्मीर	7500	3504	2275	2298	1555	578
10.	कर्नाटक	49950	44696	9460	9200	5600	**4456
11.	केरल	43000	36674	8560	8566	2000	**3000

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	40000	22018	9700	9761	3600	1651
13.	महाराष्ट्र	142000	135678	22600	23705	8000	2756
14.	मणिपुर	2760	1342	900	700	600	460
15.	मेघालय	2150	1321	1000	998	600	460
16.	मिजोरम	3250	943	1700	711	600	320
17.	नागालैंड	3800	2936	2600	1780	800	710
18.	उड़ीसा	23000	13835	6920	6485	4500	4000
19.	पंजाब	3950	1725	3100	3358	2100	930
20.	राजस्थान	9000	2562	3940	2898	2600	753
21.	सिक्किम	1450	504	650	422	450	300
22.	तमिलनाडु	49800	45407	9075	12724	1500	689
23.	त्रिपुरा	2300	578	800	1752	600	395
24.	उत्तर प्रदेश	16050	4913	7500	4587	4500	674
25.	पश्चिम बंगाल	67400	35021	13100	18501	4500	2800
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2550	1100	900	600	300	364
27	चंडीगढ़	760	377	400	484	300	—
28.	दादरा व नगर हवेली	700	709	290	235	150	150

विवरण-I

तेल वर्षों (नवम्बर से अक्तूबर), 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए खाद्य तेलों का राज्यवार आवंटन और उठाई गई मात्रा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 1989-90		1990-91		1991-92	
		आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1.	आंध्र प्रदेश	46250	37710	9360	9875	4500	**6000
2.	अरुणाचल प्रदेश	930	53	200	82	150	68
3.	असम	2500	324	950	600	600	290
4.	बिहार	10700	6882	5000	3662	4500	1400
5.	गोवा	7200	6170	2500	1703	1200	400
6.	गुजरात	78450	66443	15000	18797	4500	6106
7.	हरियाणा	7350	2538	5200	2566	1800	424
8.	हिमाचल प्रदेश	9700	6665	3550	3709	1500	1139
9.	जम्मू व कश्मीर	7500	3504	2275	2298	1555	578
10.	कर्नाटक	49950	44696	9460	9200	5600	**4456
11.	केरल	43000	36674	8560	8566	2000	**3000

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	40000	22018	9700	9761	3600	1651
13.	महाराष्ट्र	142000	135678	22600	23705	8000	2756
14.	मणिपुर	2760	1342	900	700	600	460
15.	मेघालय	2150	1321	1000	998	600	460
16.	मिजोरम	3250	943	1700	711	600	320
17.	नागालैंड	3800	2936	2600	1780	800	710
18.	उड़ीसा	23000	13835	6920	6485	4500	4000
19.	पंजाब	3950	1725	3100	3358	2100	930
20.	राजस्थान	9000	2562	3940	2898	2600	753
21.	सिक्किम	1450	504	650	422	450	300
22.	तमिलनाडु	49800	45407	9075	12724	1500	689
23.	त्रिपुरा	2300	578	800	1752	600	395
24.	उत्तर प्रदेश	16050	4913	7500	4587	4500	674
25.	पश्चिम बंगाल	67400	35021	13100	18501	4500	2800
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2550	1100	900	600	300	364
27	चंडीगढ़	760	377	400	484	300	—
28.	दादरा व नगर हवेली	700	709	290	235	150	150

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दिल्ली	19900	13701	7000	7324	4500	301
30.	दमण व दीव	1430	1138	460	365	300	300
31.	लक्षद्वीप	410	314	265	165	200	120
32.	पांडिचेरी	6850	6713	1150	1396	850	704
		663080	507144	154205	160009	69400	42698

*वर्ष 1991-92 के लिए आवंटन और उठाई गई मात्रा का ब्यौरा मार्च, 1992 तक के लिए है।

**इसमें अक्तूबर, 91 (तेल वर्ष 90-91) में आवंटित कोटे की उठाई गई मात्रा शामिल है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

7598. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवैधानिक उपबन्धों तथा अन्य संगत नियमों तथा आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितने समय के लिए वैध था;

(ख) वर्तमान आरक्षण नीति कितने समय तक चलेगी;

(ग) इस नीति का अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा है;

(घ) क्या सरकार का विचार आरक्षण प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की अवधि की कोई वैध सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग) आरक्षण आदेश स्वाधीनता के समय से लागू हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती, संगत समय पर लागू आदेशों के अनुसार देश भर में स्थित विभिन्न नियुक्ति/भर्ती प्राधिकारियों द्वारा की जाती है । अतः आरक्षण से अब तक लाभ पाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पशु ऊतक और कोशिका संवर्धन सुविधा

7599 **श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पशु ऊतक और कोशिका संवर्धन सुविधा में कोशिका, परजीवी, वायरस, प्लाज्मा आदि एक ही स्थान पर रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके दूषित होने और फैलने का बड़ा खतरा है;

(ग) संस्थान में स्थान की उपलब्धता और वैज्ञानिकों की संख्या में क्या अनुपात है;

(घ) क्या सरकार ने संस्थान के लिए एक नया भवन बनाने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) भवन का निर्माण सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, नहीं । राष्ट्रीय पशु ऊतक और कोशिका संवर्धन सुविधा, पुणे में कोशिकाओं, परजीवियों, विषाणुओं तथा प्लास्मिडों इत्यादि का भिन्न-भिन्न भण्डारों में अनुरक्षण किया जाता है तथा इन जैविक

सामग्रियों की साज-संभाल के दौरान प्रयोगशाला संक्रमण तथा फैलने का ऐसा कोई खतरा नहीं है। अच्छी प्रयोगशाला पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है तथा भण्डारों का अलग-अलग नियंत्रण प्रयोगशालाओं में अनुरक्षण किया जाता है। जैविक सामग्रियों के दूषित होने तथा फैलने की सम्भावना बहुत कम है।

(ग) लगभग 2900 वर्ग फुट स्थान वाली प्रायोगिक प्रयोगशाला में 13 वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इसका प्रति वैज्ञानिक अनुपात लगभग 223 वर्ग फुट बैठता है।

(घ) से (च) जी, हां। सुविधा के लिए पुणे विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 56000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के नये भवन का निर्माण किया जायेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के "निर्माण तथा सेवा दल" द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन शुरू किया जायेगा। निर्माण कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख दिसम्बर, 1994 निश्चित की गई है।

जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद

7600. **श्री अन्ना जोशी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रपति पशु ऊतक और कोशिका संवर्धन सुविधा ने मानव आवश्यकताओं के लिए जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाये हैं;

(ख) क्या संस्थान जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों व कम्पनियों को अनुसंधान के लिए मानव व अन्य कोशिकाएं सप्लाई करता है; और

(ग) यदि हां, तो संक्रमण की रोकथाम करने के लिए संस्थान ने क्या ऐहतियाती उपाय किये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) राष्ट्रीय पशु ऊतक और कोशिका संवर्धन सुविधा की स्थापना कोशिकाओं और अन्य संवर्धनों की आपूर्ति के लिए की गई थी। सुविधा ने अनेक विधियां और प्रणालियां भी विकसित की हैं जो मानव आवश्यकताओं के लिए जैव प्रौद्योगिकीय उत्पादों के विकास में सहायक हो सकती हैं। इनमें शामिल हैं :—हाथी पांव परजीवी के लिए नैदानिक कसौटियां; गिनी कृमि; गर्भस्थ बछड़े के सीरम का प्रयोग किये बिना इन्स्यूलिन प्रतिरोधी प्रतिजन स्रावी हाइब्रिडोमा; एक विशेष संवर्धन माध्यम का प्रयोग करते हुए अवयव संवर्धन विधि जो मानव कोर्निया को 35 दिनों तक रख सकती हैं और शिशनाग्रच्छद से इपिथीलियल संवर्धन तैयार करने की विधि जिसका अच्छे न होने वाले अल्सरों के प्रतिरोपण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ख) औ (ग) जी, हां। सुविधा 1988 से लेकर अब तक 1449 संवर्धनों की आपूर्ति कर चुकी है जो खतरनाक नहीं है। ये संवर्धन असंक्रामक हैं और अनजाने ही गलत ढंग से इस्तेमाल हो जाने पर कोई बीमारी नहीं पैदा करते। इन संवर्धनों की आपूर्ति में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकी सावधानियां सुनिश्चित की जाती हैं।

विकास परियोजनाओं के लिए भूमि

7601. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य सार्वजनिक कामों के लिए अधिक भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है और भूमि के मुआवजे के लिए भारी धनराशि व्यय करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में समुचित संशोधन करके मुआवजे की राशि की दर की अधिकतम सीमा तय करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) : (क) और (ख) सामान्यत: सिंचाई परियोजनायें तथा अन्य सार्वजनिक कार्य राज्यों द्वारा स्वयं अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नियोजित, जांचे, बनाये तथा कार्यान्वित किए जाते हैं। राज्य सरकारें इस प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कम से कम भूमि का अधिग्रहण करती है तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि के मुआवजे का भुगतान करती है।

(ग) और (घ) फिलहाल, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करके मुआवजे की दरों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत अधिकारों में समानता लाने में समुदाय के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में अधिनियम में 1984 में व्यापक संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम के प्रावधानों में उन भूमिधारकों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, को अधिक वास्तविक और न्यायोचित आधार पर मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था है।

नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात

7602. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नारियल जटा की वस्तुओं का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ख) वर्ष 1992 के दौरान इनका कितनी मात्रा में निर्यात करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान निर्यात किए गये कयर सामान की मात्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष अप्रैल-मार्च	मात्रा मी० टन
1988-89	24979
1989-90	27458
1990-91	27926
1991-92*	27556

*(फरवरी, 1992 के अंत तक अनंतिम)

(ख) कयर बोर्ड के आठवीं योजना प्रस्तावों के अनुसार, वर्ष 1992-93 के लिए दर्शाया गया निर्यात लक्ष्य (अनंतिम) 32970 मी० टन है।

श्रम कानूनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन

7603. **श्री श्याम बिहारी मिश्र** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम कानूनों का निर्वाचन करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों के मामलों की तरह केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों पर न्यायालय की घोषणा की तिथि से स्वत: ही लागू हो जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) न्यायालय का निर्णय प्रभावी होने की तारीख एक ऐसा मामला है जिसे न्यायालय द्वारा निर्णय देते समय विनिर्दिष्ट किया जाता है अथवा ऐसा संकेत न दिए जाने पर यह निर्णय की तारीख से प्रभावी माना जा सकता है। चाहे निर्णय श्रम कानूनों या अन्य किसी कानून के निर्वचन करने के संबंध में हो अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों या निजी क्षेत्र के संगठनों के कर्मकारों के संबंध में हो, यह स्थिति समान रहेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन

7604. **श्री प्रताप राव० बी० भोंसले** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विज्ञान के संबंध में चीन के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। भारत और चीन के बीच विज्ञान के प्रौद्योगिकी के सहयोग के बारे में एक करार पर 2? दिसम्बर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) इस करार में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

—वैज्ञानिकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं और स्कालरों के आदान-प्रदान के जरिए सहयोग;

—वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी और दस्तावेजों का आदान-प्रदान;

—द्विपक्षीय वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठियों/पाठ्यक्रमों का आयोजन;

—संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करना और कार्यान्वयन करना; और

—द्विपक्षीय सहयोग के आयोजन, समन्वयन और मानीटर करने हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में एक संयुक्त समिति की स्थापना।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग संबंधी भारत-चीन उप-समिति (जैसाकि संयुक्त समिति को कहा जाता है) की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें द्विपक्षीय हितों के व्यापक क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है, सहयोगात्मक अन्योन्यक्रिया के विषयों को मूर्त रूप देने के लिए वैज्ञानिक प्रतिनिधि मंडलों के समन्वेषी दौरे किए गए हैं और संभावित हित के अन्य क्षेत्रों में कुछेक अध्ययन दौरे भी किए गए हैं।

12.04 म० प०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर एक बात और करनी है ताकि कोई गलतफहमी नहीं रहे या माननीय सदस्य यह नहीं पूछें कि उनके किये नोटिसों का क्या हुआ। मुझे प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए, स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में सूचना मिली है।

जहां तक स्थगन प्रस्ताव की बात है यहां नियम 56, 57, 58 और अन्य नियम लागू होते हैं, मैं सभा में यह बात इसलिए कह रहा हूं ताकि जो मैं अब कह रहा हूं उसे हर वक्त दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़े। नियम 56 बहुत प्रासंगिक और मैं नियम 58 (पांच) पढ़ रहा हूं।

नियम 58 (पांच) में जो कहा गया है उसे मैं उद्धृत करता हूं :

"प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो।"

यह एक बात है। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक और बात मैं आपके ध्यान में लाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। स्थगन प्रस्ताव को जिन आधारों पर अस्वीकार किया जाता है वह हमारी संसद द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिये गये हैं। इसमें कहा गया है :

"कि उठाये जाने वाले मुख्यतः समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर तो आधारित हैं लेकिन प्रमाणित न हैं।"

यह स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का एक आधार है। मैंने दो आधार दिये हैं—एक यह कि इस मामले में उसी सत्र में चर्चा हुई हो और दूसरे आधार के हिसाब से उठाया गया मामला समाचार-पत्रों की रिपोर्टों पर आधारित हो।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : इस सभा को गुमराह किया गया है। (व्यवधान)

श्री रुपचन्द पाल (हुगली) : यह एकदम नया मुद्दा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप हर समय ऐसा करते हैं और साथ ही मेरे विचार बदलने का प्रयास करते हैं। यही सब तो मैं इस पुस्तक से पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनें। ये दो आधार हैं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आपका सामान्य कार्य का समय तो है ही। आप जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर नहीं। विनिर्णय पर हम यहां चर्चा नही करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं विनिर्णय पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि ये वे दो आधार हैं जिन पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) **अध्यक्ष जी,** प्रिवलेज मोशन के बारे में आपका क्या फैसला है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रस्ताव ? मुझे दूसरे पक्ष को भी सुनना है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो अभी सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बाद में सुनूंगा।

[अनुवाद]

आपने नोटिस दिया है। यह मेरे पास है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैंने नहीं दिया है। निःसंदेह संभवतः सभा में कोई भी इस सम्बन्ध में प्रश्न नहीं कर सकता है। आपने विनिर्णय दिया है कि यह······

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे केवल यहां से पढ़ा है।

श्री जसवन्त सिंह : आपने नियम पुस्तिका में दिये गए दो उपबन्धों की तरफ सभा का ध्यान दिलाया है जिसके अन्तर्गत सामान्यतः दो आधारों पर···**(व्यवधान)**

आपने सभा का ध्यान नियम पुस्तिका में दिये गये उपबन्धों के दो पहलुओं की तरफ दिलाया है। उनके तहत यदि यह चर्चा पहले हो चुकी है तो सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है क्योंकि आप वही चर्चा तो बार-बार नहीं दोहरायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर भी विनिर्णय हैं। यदि मामला जारी है तब भी इसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

श्री जसवन्त सिंह : बिल्कुल ठीक।

अध्यक्ष महोदय : मानलिया कि आज कुछ हो जाता है···

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यहां दो पहलू हैं। जारी मामला, वह मामला, जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और तीसरे समाचार-पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित हो। ये तीन पहलू हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रमाणित नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह : जी नहीं, यथार्थता हो ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए इसे पुनः पढ़ देता हूं ।

श्री जसवन्त सिंह : यह ज्यादातर······पर आधारित होता है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अधिकांशतया नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उठाया गया मामला मुख्यतः समाचारपत्रों की रिपोर्टों पर आधारित होता है तथा प्रमाणिक नहीं होता है ।

श्री जसवन्त सिंह : बिल्कुल ठीक ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप कैसे कहते सकते हैं कि यह प्रमाणिक नहीं होता जब तक कि कोई व्यक्ति आकर यह न कहे कि क्या हुआ है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं । यह नियम पुस्तिका में दिया गया है ।

श्री जसवन्त सिंह : मेरा निवेदन यह है कि जब तक यह प्रमाणित नहीं है तब तक यह एक अलग पहलू है और अधिकांशतया समाचारपत्रों में छपी सामग्री पर आधारित है । जारी चर्चा तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों आदि पर लागू नहीं है ।

महोदय, मेरा कहना है कि इस बोफोर्स मामले के अन्तर्गत यह निःसंदेश एक जारी रहने वाला मसला है······

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय···

श्री जसवन्त सिंह : मैं माननीय मंत्री की बात पर नहीं झुकूंगा । महोदय, फिर भी यदि आप मुझे अपनी बात मानने के लिए कहें तो में मान जाऊंगा लेकिन भूतपूर्व अध्यक्ष होने के नाते···

अध्यक्ष महोदय : कृपया ।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, अध्यक्ष के विनिर्णय पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अध्यक्ष विनिणय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री जसवन्त सिंह : मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूं कि आप इसकी चर्चा नहीं करेंगे ।

श्री जसवन्त सिंह : बिल्कुल नहीं । यह सब करने की मुझ में योग्यता ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आमतौर पर नहीं किया जाता है क्योंकि अन्यथा हर बार इसकी चर्चा होगी ।

श्री जसवन्त सिंह : इसका तो सवाल ही नहीं है । हम इसकी चर्चा कैसे कर सकते हैं ? और यह इस विशिष्ट कारण के लिए तो नहीं हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा तो सूचीबद्ध नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, ऐसा नहीं है । वह हर मामले में अग्रज हैं ।

अध्यक्ष महोदय : और वह 100 प्रतिशत ठीक भी हैं ।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, आपने ठीक कहा। वह तो यहां केवल प्रत्यक्ष रूप में ही कह रहे हैं। मैं निःसंदेह, अध्यक्ष के विनिर्णय पर चर्चा नहीं कर सकता हूं लेकिन मेरा निवेदन तीन आधारों पर है। जारी मसले के मध्य···क्या विभेद है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो···

श्री जसवन्त सिंह : यह इसलिए महोदय क्योंकि यह प्रासंगिक है लेकिन यदि आप मुझे अनुमति दें तो ही बात बनेगी।

अध्यक्ष महोदय : पुनः विनिर्णय पर चर्चा करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : यह विनिर्णय पर चर्चा नहीं है। मेरा निवेदन है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में आपकी बात अपने कक्ष में सुन सकता हूं। आप मुझे समझायें मैं आपकी बात मान लूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : लेकिन, केवल तभी यदि आप मुझे अपने विचार रखने देंगे। (**व्यवधान**) मैं स्थगन प्रस्ताव की ही बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके सम्बन्ध में तो आपने बोलने की गुंजाइश ही नहीं रखी है। आपने कहा था कि "मैं स्थगन प्रस्ताव आदि स्वीकृत नहीं करूंगा।" लेकिन मैं तो मूलतः अन्य पहलुओं की बात कर रहा हूं। यह स्थगन प्रस्ताव के विनिर्णय के सम्बन्ध में नहीं है और मैं भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय की बुद्धिमता के आगे नतमस्तक हूं वह मेरे अग्रज हैं और हर मामले में वरिष्ठ हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। महोदय विभेद तो यह है कि एक मुद्दा जारी है और हाल ही में घटित हुआ है। यह बोफोर्स का मामला है और निःसंदेह एक जारी आख्यान है। लेकिन इसके अन्तर्गत प्रत्येक घटना प्रत्येक नयी बात प्रत्येक नया रहस्योद्घाटन स्वयं अविलम्बनीय लोक महत्त्व का हो जाता है। जब स्वीडन रेडियो ने यह खबर दी तो यह एक अविलम्बनीय मामला हो गया। लेकिन बाद में स्वीडन के लेखा-परीक्षा ब्यूरो ने इस सम्बन्ध में कुछ जांच सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले तो यह एक अलग ही मुद्दा बन गया। और जब संयुक्त संसदीय समिति ने अपने जांच निष्कर्ष दिए तो इसने एक अलग ही रूप ले लिया महोदय, मेरा निवेदन है कि जब पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी तो चर्चा इसी मामले से सम्बन्धित एक पहलू पर चली थी। हमने भूतपूर्व विदेश मन्त्री के एक गलत कार्य के संबंध में चर्चा की थी। यह भी इसका एक पहलू था। यहां ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, जबकि इस मामले के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक नयी बात अविलम्बनीय लोक महत्त्व की दृष्टि से बहुत प्रासंगिक हो। महोदय, मेरा निवेदन है इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो यह की हाल ही में 24 अप्रैल को जब दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होनी थी तो जिस तरह से सरकार ने इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले की 24 अप्रैल की सुनवाई के प्रति रुख अपनाया वह भी एक नयी घटना है। महोदय दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने पहले भी पिछली चर्चा में कहा था कि इसके सम्बन्ध में जोर दिया गया और हमने काफी धैर्य रखा···

श्री बूटा सिंह (जालोर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जसवन्त सिंह : सभा में इस वक्त कोई भी कार्य सूची नहीं है। इसलिए, कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है। (**व्यवधान**)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, क्या मैं एक बात कहूं ? प्रत्येक मुद्दा कहीं न कहीं से आरम्भ होता है······(**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : हमारी चिन्ता का विषय यह है कि यह नयी बात क्यों हुई ? हमारी चिन्ता इस दावे से आरम्भ हुई—मैं केवल समाचार पत्रों पर ही निर्भर नहीं हूं।

श्री बूटा सिंह : मेरा नियम 58 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। उन्हें मुझे सुनने दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : यह हमारा शून्यकाल चल रहा है। अब मैं शून्यकाल के ही निवेदन कर रहा हूं। बूटा सिंह जी मैं शून्य काल की ही बातें कर रहा हूं।

श्री बूटा सिंह : आप वह बात उठा रहे हैं जो अप्रासंगिक है। मैं वह बात उठा रहा हूं जो प्रासंगिक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस काल में सब कुछ अव्यवस्थित ही मान कर चलें।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, यह शून्यकाल का निवेदन है। इसे सत्ता पक्ष के लोगों को समझना चाहिए।

मैं यह अनुरोध शून्यकाल के दौरान कर रहा हूं और यहां पर सभी संसद सदस्यों का यह अधिकार है। (व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह भी नियमों के तहत है। इसलिए मैं तो नियमों के उल्लंघन पर आपत्ति कर रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, हमारी चिन्ता का मुख्य बिन्दु यह है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने इस सभा में हस्तक्षेप के दौरान सभा को गुमराह किया है। हमारी चिन्ता का मुख्य कारण यह है कि भूतपूर्व माननीय विदेश मंत्री ने सभा के बाहर गुजरात में यह कहा है : "यदि मैं बोलूंगा तो विस्फोट हो जायेगा, मैंने तो केवल अपने कर्त्तव्य का निर्वाह किया है, इत्यादि इत्यादि।" महोदय, इससे संदेह उत्पन्न होता है। हमारी चिन्ता का मुख्य कारण क्या है ? हमारी चिन्ता का मुख्य कारण यह है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से पूर्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एक पत्र था इसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि श्री सोलंकी ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह पत्र दिया था और यह मामला नया है और अभी हुआ है और यह हमारी चिन्ता का मुख्य कारण है क्योंकि यह पत्र विशेषाधिकार का मुद्दा भी है जिसका कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है और यह सभा को भी गुमराह करता है और औचित्य तथा सरकार के मुख्य कार्यकारी के व्यवहार का भी मामला है। महोदय, हम क्या कह रहे हैं ? हम कह रहे कि यह पत्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास यह पत्र है और जब कहा गया था तब भी उसके पास यह पत्र था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे प्रधानमंत्री के तहत है।

दूसरे, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है तथा अन्य ने भी यह कहा था कि वह नहीं चाहते कि इस मामले में उनकी सरकार किसी के अधीन चले। यह शक्ति पुनः आ गई है। यह नई घटना है और इस शक्ति के आने से इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे अनुरोध पर गौर करें ताकि हम यह मामला उठा सकें। तीसरे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने इस सभा के अन्दर कहा है कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा इस मामले के संचालन में निजी रूचि लेंगे। अब क्या मुख्य कारण कार्यकारी के पद से निजी रूचि के बारे में निजी आश्वासन दोनों के लिए है ? अर्थात 24 अप्रैल के मामले के बारे में तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पत्र के बारे में जो सभा में पहले ही चर्चा से पूर्व भी था। प्रधानमंत्री का नाम शामिल है, विदेशी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख किया है प्रधानमंत्री के नाम के बारे में भारत को सरकारी तौर पर बताया गया है और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी थी और इसके बावजूद सरकार तथा प्रधानमंत्री ने सभा को अन्धेरे में रखा है। अगर नियम पुस्तिका में हमें उपलब्ध माध्यमों और तरीकों से विचार हेतु आवश्यक लोक महत्व के पहलुओं पर विचार के लिए यदि हम आप के पास न आएं तो कैसे अपनी चिन्ता व्यक्त कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप सही कह सकते हैं कि मैं आपके भाषण में व्यवधान डाल रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी नियम के तहत बोल रहे हैं तो मुझे नियमों की व्याख्या करनी है जिससे भविष्य में कठिनाई न हो।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, बिल्कुल ठीक है। आप बहुत उदार हैं आपने मुझे नहीं रोका है। आपने मुझे कहने की अनुमति दी और मैंने ऐसा किया। यहां पर दो मामले शमिल हैं. औचित्य के बारे में, इस सरकार के मुख्य कार्यकारी के अच्छे नाम का मुद्दा, वक्तव्य देने और निश्चित कथन में विदेशी अधिकारियों द्वारा उनके नाम का उपयोग इस सफा में जो कुछ कहा गया है उसके तथा संसद के पूर्ण विशेषाधिकार के मुद्दे के विपरीत हैं। यह सभी इस नई घटना के पहलू हैं। ये सभी बोफोर्स के मामले के तहत आते हैं जिसमें अनेक दुष्कर्म निहित हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यह एक नया दुष्कर्म है और यह ऐसा महत्वपूर्ण व गम्भीर दुष्कर्म है कि इस पर नए सिरे से विचार की जरूरत है और इसी कारण हम इस मामले में आपको तकलीफ दे रहे है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैं प्रश्नकाल के तहत नहीं बोल रहा क्योंकि यह समाप्त हो चुका है, न ही मैं स्थगन प्रस्ताव के तहत बोल रहा हूं क्योंकि मैंने स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा है। मैं शून्यकाल में बोल रहा हूं। मैंने आज सुबह आपको लिखा था, क्योंकि समाचारपत्रों में आज जो कुछ छपा है वह बहुत अशांत करने वाला है और यह किसी के लिए भी अशांतकारी होगा। आपने यह नियम सही उद्धृत किया है जिसमें कहा गया है कि अगर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाया गया मामला ऐसे समाचारपत्रों की रिपोर्ट पर आधारित है जो प्रभावित नहीं है तब उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस नियम पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता सिवाय तब जबकि समाचारपत्रों पर आधारित कोई मुद्दा न तो प्रमाणित किया जा सकता है अथवा अप्रमाणित कहा जा सकता है अगर प्रशासन का कोई अधिकारी ऐसी स्थिति में है कि वह समाचार पत्र की रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सके और वह ऐसा करने की पहल करता हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भूतपूर्व विदेश मंत्री द्वारा स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को पत्र देने का कार्य पहले समाचारपत्रों में ही प्रकाशित हुआ था। पहले यह समाचार पत्रों में छपा और इस रिपोर्ट के आधार पर इस सभा ने यह मामला उठाया कि क्या यह सच है कि उन्होंने वहां के विदेश मंत्री को एक पत्र दिया था। तब तक यह समाचारपत्रों की अप्रमाणित रिपोर्ट थी। केवल बाद में स्वयं मंत्री ने एक वक्तव्य देते हुए यह स्वीकारा कि उन्होंने एक पत्र दिया था जिसका विवरण वह नहीं जानते और यह भी नहीं जानते कि उन्हें इसे किसने दिया था। यह तो कोई शक्तिहीन बेनाम व्यक्ति था। उन्होंने क्षमां मांगी; उन्होंने सभा में खेद प्रकट किया कि उन्होंने ऐसा किया है। इसके बाद ही यह स्पष्ट हुआ कि समाचारपत्रों की रिपोर्ट अप्रमाणित नहीं थी।

मैं आपको यह कह रहा हूं कि अब समाचारपत्रों में कुछ नया छपा है जिसमें विस्तृत ब्यौरा उद्धृत है और मैं समझता हूं कि हमें यह अधिकार है कि इसे आपके, सभा के तथा देश के ध्यान में लाएं। यह बहुत गम्भीर मामला है। पहली बार इस मामले में प्रधानमंत्री का नाम शामिल किया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। मुझे विश्वास है कि आपने इस समाचार पत्र की रिपोर्ट का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं और जो आज सुबह **'दि स्टेट्समैन'** में छपी है। इसमें कहा गया है कि एक बार नहीं बल्कि तीन बार स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री को यह नोट देते समय कहा गया था कि उन्हें दिए गए नोट के पीछे भारत के प्रधानमंत्री का समर्थन और प्रेरणा है। यह सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह बहुत गम्भीर मामला है। यदि यह सही नहीं है तो प्रधानमंत्री यहां आएं और

ऐसा कहें। हम सरदार बूटा सिंह के शब्दों पर यकीन नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर एकदम प्रत्यक्ष रूप में गम्भीर आरोप लगाए जा रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि सभा के साथ बहुत ही विचित्र व्यवहार हो रहा है। सोलंकी घटना को तीन सप्ताह हो चुके हैं। आज तक उस शक्ल-हीन बेनाम व्यक्ति की शिनाख्त नहीं की गई है जिसने विदेश मंत्री को वह पत्र दिया था। क्या हम यह मानें कि सरकार को यह नहीं पता; प्रधानमंत्री को नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन था? वह एक वकील हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : रोबोट।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वह रोबोट था तो हम इस पर सन्तुष्ट हो जाएंगे। यह अत्यन्त दूरी से नियंत्रित रोबोट था।

फिर भी, यह बहुत ही विचित्र है कि इतने दिनों के बाद भी संसद नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, उसने विदेश मंत्री को स्विट्जरलैंड में वहां के विदेश मंत्री को एक नोट देने का कार्य किस प्रकार किया। इस नोट के विवरण बाद में समाचारपत्रों में छपे हैं। यह सही नहीं हैं तो इस संबंध में इन्कार किया जाए। यदि कोई यह कहना चाहता है कि यह उस नोट का सही रूप नहीं है तो वह ऐसा कहे। अभी तक किसी ने यह नहीं कहा है। समाचारपत्रों में छपे इस नोट के विवरण से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इस नोट का उद्देश्य यह था कि स्विटजरलैंड के अधिकारियों को बाध्य किया जाए कि इस बोफोर्स मामले में आगे जांच को गम्भीरता और तेजी से न किया जाए।

अब इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि प्रधानमन्त्री का नाम जोड़ने से भी अधिक उनके नाम को इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जा रहा है, उनके कहने पर यह किया गया, यह नोट दिया गया।

क्या यह एक गम्भीर मामला नहीं है? क्या इसे सिर्फ तकनीकी आधार पर ही टाला जा सकता है? यह सब निर्णय आपको करना है।

मैं इसे किसी भी नियम के तहत नहीं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा। माननीय सदस्यगण अपने अपनी सीटों से मुझे बार-बार सलाह और दिशा-निर्देश देते रहते है। परन्तु इस पर आसीन होकर मैं यह नहीं कह सकता कि कानूनी स्थिति क्या है। और अगर मैं इस प्रकार की बहस में शामिल होता हूं तो आप जानते हैं यह एक सम्मानजनक बात नहीं होगी। इसलिए, मैं बहुत ही आदरपूर्वक माननीय सदस्य, जिनके प्रति मेरे मन में काफी आदर है, से निवेदन करता हूं कि वह मुझे हमेशा दिशा-निर्देश न दें। मैं आपके दिशा-निर्देश का अपने कक्ष में आदर करूंगा लेकिन इस सदन में नहीं क्योंकि मैं यहां आपके साथ इस तरह के वार्तालाप में संलग्न नहीं हो सकता कि मैं किस प्रकार सही हूं और आप किस प्रकार सही नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने तो आपको दिशा-निर्देश देने की बात रत्ती भर भी नहीं सोची है।

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा कहे गये प्रत्येक शब्द का मैं आदर करता हूं। मैं आपको बहुत ही उदारतापूर्वक सुनूंगा। आप जानते हैं कि मेरे मन में आपके प्रति कितना आदर है। लेकिन कृपया अपनी बेंच से मुझे यहां हमेशा दिशा-निर्देश न दें क्योंकि इससे मुझे परेशानी हो जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे बहुत दुःख है कि आपको मेरे टिप्पणी में दिशा-निर्देश छिपा नजर आया।

अध्यक्ष : नहीं, गुस्से में नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विभाग में इस तरह की बात आ ही नहीं सकती। मुझे तो उन बेंचों को आपके माध्यम से ही सम्बोधित करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह बात सब पर लागू होती है यह सिर्फ आप पर ही लागू नहीं होती। चूंकि आप सब मुझे हमेशा यह करो और वह न करो कहते रहते हैं। मैं जब कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो आप सब कहते हैं यह सही नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपको कुछ भी करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको कुछ भी करने के लिए कैसे कह सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आपके मन में मेरे लिए काफी स्नेह है और मेरे मन में भी आपके लिए काफी आदर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम लोग पुराने मित्र हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं आपको दिशा-निर्देश देने की चेष्टा कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी यह टिंप्पणी सदन के सभी सदस्यों पर लागू होती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं तो यही कह रहा हूं कि आपके माध्यम से ही उस तरफ बैठे लोगों को सम्बोधित करना होगा। इसके लिए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। जो मैं कह रहा हूं, मेरा मुद्दा बहुत ही छोटा है।

श्री बूटा सिंह : आप तो हमेशा बात कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम लोग हमेशा ही बात कर सकते है। मैं बात-चीत जारी ही रखता हूं। लेकिन आप जब जरूरी हो तो बात ही नहीं करते हैं। तब एकदम से चुप्पी साध लेते हैं।

मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि कोई भी अप्रमाणित प्रेस रिपोर्ट को तब तक जांच या प्रमाणित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस रिपोर्ट से सम्बन्धित व्यक्ति या जिसके बारे में रिपोर्ट है, वह स्वयं आगे आकर यह स्पष्ट नहीं करता कि वह रिपोर्ट प्रमाणित है या नहीं, वह सत्य है या झूठ। अबकी बार तो यह बहुत ही गम्भीर मामला है क्योंकि इसमें प्रधानमन्त्री का नाम सीधे जुड़ा हुआ है। हम सभी श्री सोलंकी के नोट के बारे में जानते हैं लेकिन हम नहीं जान पाए कि वह व्यक्ति कौन है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अब तक तो उस व्यक्ति को जरूर जान गयी होगी। आखिर वह अति-विशिष्ट व्यक्ति कौन है जिसकी पहचान इतनी गोपनीय रखी गयी है और जो दाओस में या स्विटजरलैंड में मन्त्री से मिलकर वह नोट उन्हें सुपुर्द करने में सक्षम था। क्या उसके बारे में जानने का हमें अधिकार नहीं है? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो आपके माध्यम से उन लोगों से पूछ रहा हूं। क्या उन लोगों को हमें बताना नहीं चाहिए?

यह तो उन पर निर्भर है। अगर उनका रवैया यही रहा तो जनता के दिमाग में उठ रही शंकाएं हजार गुना ज्यादा हो जाएंगी। उनकी प्राथमिकता यही है तो उनका स्वागत है। अगर वे स्थिति साफ नहीं करना चाहते हैं तो यह उनकी बात है।

इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। उन्हें तो हमसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए क्योंकि प्रधानमन्त्री का नाम इसमें आ रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कोई चिन्ता नहीं है।

तो मुझे यही सब कहना है। मैं आशा करता हूं कि इन विचारों के आदान-प्रदान का कुछ परिणाम निकलेगा और हमें उम्मीद है कि प्रधानमन्त्री स्वयं ही इस मामले में आगे आयेंगे क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो अगर चाहें तो रहस्य से पर्दा हटा सकते हैं। अगर वह पर्दा नहीं उठाना चाहते तो उनका अपने ढंग से चलने और कार्य करने का स्वागत है। अगर वे लोग राजनीतिक आत्महत्या ही करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है कि वे लोग ऐसा करें। मैं उन लोगों को ऐसा करने से रोक नहीं सकता। लेकिन मैं सोचता हूं कि संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्र के दोनों के हित में यह बेहतर है कि इस विवादमय मामले को एकबार में ही हमेशा के लिए रफा-दफा कर दिया जाये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमने प्रश्नकाल स्थगित करने के लिये नोटिस दिया हुआ है। लेकिन फिर भी वह चला हम प्रश्नकाल को स्थगित करवाना चाहते थे लेकिन आपने हमारी मांग अनसुनी कर दी।

दूसरे, स्थगन प्रस्ताव को आपने खारिज कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी जो बहस होने वाली है उसे खारिज नहीं कर रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तीसरे, हमारे अन्य प्रस्ताव भी हैं और यह नियमों की तकनीकी से संबंधित नहीं हैं। यह एक तथ्यगत मामला है। अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया है कि आज के समाचार पत्रों में जो कुछ भी प्रकाशित हुआ है उसमें कुछ न कुछ नई बात जरूर है। अगर वे या कोई भी यह कहता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है तो मुझे आश्चर्य होगा। हममें से किसे मालूम था कि प्रधानमंत्री को स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को दिये जाने वाली नोट की जानकारी थी ? हमें तो पता नहीं था। क्या हममें से कोई यह जानता था कि स्विटजरलैंड से सी० बी० आई० को भेजे गये सन्देश में उसी के बारे में सूचना दी गई थी। हमें तो यह पता नहीं था। श्री जसवन्त सिंह ने कहा है कि उन्हें उस सन्देश की जानकारी थी। वे जानते होंगे। लेकिन हमें तो इसकी जानकारी बिल्कुल ही नहीं थी। यह तो इस पूरे प्रकरण में नये मुद्दों का एक नया अध्याय हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

महोदय, पिछली बहस तक प्रधानमंत्री की एक सन्त की भांति बेदाग छवि थी। अब उन पर भी एक कीचड़ के छींटे पड़ चुके हैं। क्या लोगों की शंका दूर करने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की नहीं है ? इसको छिपाने से प्रधानमंत्री संसद, सरकार और संसद के बीच सम्बन्ध तथा देश सभी की छवि धूमिल हो रही है और यहां बैठे हुए हम लोग इतना मूर्ख नहीं है कि एक सरकारी प्रवक्ता द्वारा गुमराह कर दिये जायें हम तो यह जानना चाहते हैं कि ये तथ्य जो इस रूप में सामने आये हैं, वे सत्य है या नहीं। हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम लोगों ने तो सोच रखा था कि जब तक इस तथ्य को स्पष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक इस सदन में कोई अन्य मुद्दा नहीं उठने देंगे। यह हमारे देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है हमारे देश की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। महोदय, आप बहस की अनुमति भले ही न दें, लेकिन प्रधान मंत्री को अपना वक्तव्य देने दें। अगर हम उस वक्तव्य से सन्तुष्ट हो जायेंगे तो फिर दूसरे मुद्दे लिये जा सकेंगे अन्यथा हम उस पर पूरी बहस चाहेंगे और उसके बिना इस सदन का चलना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे ऐसा कहने का बहुत दुःख है। यह इस सदन की गरिमा का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस है कि जो स्थगन प्रस्ताव आपके सामने रखा उसको आपने लेने से इन्कार कर दिया है। लेकिन आपने कहा कि इस पर आप कोई तर्क नहीं सुनना चाहेंगे। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपके सामने तर्क रख कर आपकी राय बदलने का काम कर सकते हैं। लेकिन आपके आदेश को हम मानते हैं। आपके चैम्बर में आ कर इस पर आप से बहस होगी।

अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ने एक अप्रैल को जब सदन में अपनी बातें रखी तो उनके पहले जो तीन-चार वाक्य हैं उसमें एक वाक्य यह है—

[अनुवाद]

"वास्तव में, मैं बहुत अधिक गहराई से यह अनुभव कर रहा हूं कि पिछले दो या तीन दिनों में जो कुछ हुआ है, उससे सरकार के सामने परेशानी उत्पन्न हुई है। इस परेशानी से उबरना होगा···"

[हिन्दी]

ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमन्त्री के शब्द हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो आज अखबार में आया है, उनका जो निवेदन था सदन में, इस अखबार में और अन्य अखबारों में खबरें आयी थी, उनसे अम्बैसमेंट हुआ था, उसी अम्बैसमेंट का उन्होंने यहां पर उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा—

[अनुवाद]

"अगर श्री सोलंकी के द्वारा उस नोट को सुपूर्द किए जाने के परिणामस्वरूप कोई गलत-फहमी या गड़बड़ी पैदा हुई है, तो उसे नजरअन्दाज कर दिया जाना चाहिए और हमारी स्थिति स्पष्ट है···"

[हिन्दी]

अब अध्यक्ष जी, बात अम्बैसमेंट से बहुत आगे बढ़ गयी। चूंकि कई सबूतों के साथ यह बात स्पष्ट हो गयी। अगर आपका आदेश हो तो मैं इस अखबार की इस रिपोर्ट को ओथेंटीकेट करने के लिए तैयार हूं, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं ऐसे नहीं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्योंकि तथ्य की जब बात आती है तो यह सवाल हमेशा आ जाता है कि अखबारों की खबर पर कैसे जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में जो भी आपको कहना है, उसे मैं ऐसा करने से आपको मना नहीं कर रहा हूं। मैं तो इसे कतिपय नियम के अन्तर्गत रद्द कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : ठीक हैं। इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ओथेंटीकेशन का सवाल हो कि जिसको लेकर आपको, सदन को, किसी को भी, इस बात को, जो यहां पर अभी उठाई जा रही है,

इसके पीछे आधार क्या है, तो उस आधार का अगर प्रश्न हो तो हम दस्तखत करके इसको सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके आदेश को हम मानेंगे उसके आगे हम नहीं जायेंगे। लेकिन आज एक बात की सफाई होना इसलिए जरूरी है कि दो-तीन बातें सामने आई है। एक, बहुत परेशानी और बहुत कष्ट से मैं इस बात को कह रहा हूं कि पहली अप्रैल को प्रधान मन्त्री जब सदन में खड़े हो गए और बोले कि जैसे ही अखबार से हमको जानकारी हुई, भयानक चीज है, अम्ब्रैसमेंट है, इसको दूर करना चाहिए। तब अध्यक्ष जी, प्रधानमन्त्री ने कुछ तथ्यों को सदन में रखने से इन्कार कर दिया था।

स्वीटजरलैंड में इस मुकदमे को चलाने वाले भारत सरकार के एक वकील का नाम मार्क बोना है।···(व्यवधान) रक्षा मन्त्री जी आप जरा इस तरफ देख लीजिए, और सुनिए। यह सब नहीं चलेगा। आप यहां पर बोफोर्स के मन्त्री हैं। आप हमारी बात सुनिए।···(व्यवधान) वे नहीं सुन रहे है, यह सुनना जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, हम आपको सुनाने के लिए मात्र नहीं कह रहे हैं! हर बार यह चीज हो रही है। कल यहां पर जो मुद्दा उठाया गया तो उस समय चार मन्त्री आपस में मजाक कर रहे थे। तो क्या यह एम्पटी थियेटर है। हम यहां पर खड़े होकर चिल्लाते रहे और वे देखें कि हम लोगों की आवाज कैसी है, हसने रहे और मजाक करते रहे। यह गम्भीर मामला है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

मुझे तो रक्षा मन्त्री से मतलब है क्योंकि बोफोर्स मामले का प्रभार उन्हीं के पास है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब): हम लोग चिल्लाते नहीं है (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : उन्हें मुझे सुनना ही होगा। यह एक गंभीर मामला है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस सदन को एक अच्छे खासे राष्ट्रीय मजाक के रूप में लिया जाए (व्यवधान) यह सदन कोई राष्ट्रीय मजाक नहीं है। मैं नाराज हूं। (व्यवधान) सरकार के द्वारा इस सदन की अवमानना की जा रही है। मुझे यह विश्वास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा कहे जा रहे प्रत्येक शब्द रिकार्ड हो रहा है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : वह दूसरी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पक्ष से जो भी बात कही जाती है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए (व्यवधान)

श्री एम० एम० जैकब : मंत्रीगण आपका भाषण सुन रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : अन्य मन्त्रियों को सुनने की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री इसे सुनें। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : कोई दूसरा मंत्री नहीं, सिर्फ रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ही।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : वे खुश हो रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : उनकी खुशी भी हो सकती है। जो हम कह रहे हैं, उसको लेकर यह भी सम्भव है। जो हम कह रहे हैं, वे उससे भी खुश हो सकते हैं, मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में जो इस समय चल रहा है, उसकी चर्चा करने की जगह नहीं है और ये सुनते भी नहीं हैं, यह मैं मानता हूं। अगर, प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, क्या यह सही नहीं है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

क्या आपके पास केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो मुख्यालय में श्री मार्क बोना से एक पत्र प्राप्त हुआ था कि नहीं, जिसमें कहा गया है कि आपके प्रधानमंत्री ने स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को एक नोट भेजा है? प्रधानमंत्री ने स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को एक नोट भेजा है जिसमें हमसे इस मामले में और आगे कार्यवाही न करने के लिए कहा गया है। कृपया ध्यान दें, मैं अपनः प्रत्येक शब्द जानबूझ कर बोल रहा हूं। मैं आपको तारीख बताता हूं। क्या आपको केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो मुख्यालय में 23 मार्च को कोई पत्र प्राप्त हुआ था या नहीं जिसमें लिखा हुआ है कि आपके प्रधानमंत्री ने स्विटजरलैंड के विदेश मन्त्री को एक नोट भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि हम इस मामले को अति गम्भीरता से नहीं लेना चाहते हैं यह भाग (क) है।

भाग (ख) ये है कि क्या यह बात सच है या नहीं कि केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के अधिकारी प्रधान मन्त्री के पास गए और उनसे कहा कि अब हम इस मामले का क्या करें? मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने क्या कहा।

क्या यह बात सच है कि नहीं कि 23 मार्च से सरकार में प्रत्येक आदमी को इसकी भनक थी और प्रत्येक ने इस पर चिंता व्यक्त की थी प्रत्येक इस बात को जानता था कि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय पत्राचार में स्विटजरलैंड सरकार और वहां के न्यायालयों की एक इकाई से दूसरी इकाई को प्रधानमंत्री का पत्र परिचालित किया जा रहा था? अर्थात वह पत्र जो प्रधानमंत्री की सहमति से लिखा गया था, क्योंकि यह किसी का पत्र नहीं था इसे अभी भी किसी अनजान व्यक्ति का पत्र कहा जा रहा है। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है?

[हिन्दी]

फिर भी ये लोग कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। हम आपको भी सुनना चाहते हैं। हम आपसे इस बारे में जवाब चाहेंगे। आप इस तरह से सरकार को नहीं चला सकते हो। हम ठोस प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। आज 22 तारीख है और 24 तारीख को मामला सुनवाई के लिए आ रहा है।...(**व्यवधान**)

प्रधानमंत्री ने इस सदन में कहा था—

[अनुवाद]

"पूरा सदन एक बात पर बिल्कुल एकमत है कि सच्चाई का पता लगाया जाए। यह किस प्रकार से होगा और मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा।"

[हिन्दी]

और वही चुप नहीं हो गए, आगे बोले—

[अनुवाद]

"मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के प्रभावी मंत्री अब से मुझे इस मामले में हुई प्रगति से अवगत कराते रहेंगे।"

[हिन्दी]

आज हम जानना चाहेंगे कि मामला क्या है? उस दिन प्रधानमंत्री यहां से खड़े हो गए, जब हमने इस सवाल को छेड़ा था, वे आफिशियल गैलरी तक जाकर वापस आकर बोले कि वहां के और यहां के समय के बीच में साढ़े चार घण्टे का फर्क है। उस दिन 8 बजे तक बहस चली थी। 7 बजे के लगभग मैं बोल रहा था। प्रधान मन्त्री यहां आकर बोले कि साढ़े चार घण्टे का फर्क है समय में और तत्काल मैसेज जाएगा। किस ने मैसेज भेजा, प्रधानमन्त्री ने भेजा था या आपकी सी० बी० आई० के किसी आफिसर ने, कहां है वह मैसेज, क्या उसको आप सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हैं?

श्री जसवन्त सिंह : मेरे अच्छे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जिस मुद्दे को उठाया वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। मैं इस सम्बन्ध में किसी दूसरे पहलू पर नहीं बोलूंगा। हमें और सदन को सरकार ने आश्वासन दिया था कि प्रधानमन्त्री ने कहा है कि भूतपूर्व विदेश मन्त्री ने जो कुछ भी किया है, मैं श्री सोलंकी से व्यवहार को क्या कहूं, उसे ठीक करने के लिए वास्तव में एक पत्र भेजा जाएगा और पर केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा क्योंकि यह चर्चा का विषय बन गया है और इसे भारत सरकार के पत्र के रूप में भेजा जाएगा। हमें यह आश्वासन दिया गया था। सरकार ने स्वयं ही कहा था कि यह पत्र या तो विदेश मन्त्रालय से भेजा जाएगा और ऐसा नहीं हो सकने पर प्रधानमन्त्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि यह पत्र आज ही साढ़े चार घण्टे के भीतर भेज दिया जाएगा। मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज यह पूछ रहे हैं कि यह पत्र किसने भेजा और किस कार्यालय से इसे भेजा गया और उस पत्र में क्या लिखा था? 24 अप्रैल को हमारी ओर से पूर्ण जांच के लिए प्रधानमन्त्री का नाम इत्यादि संगत और महत्व-पूर्ण हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सूचना उसी दिन भेज दी गई थी प्रधानमन्त्री ने दूसरे सदन में समय की घोषणा की थी। जहां तक मुझे याद है यह संदेश दो घण्टे के भीतर ही विदेश मन्त्रालय से भेज दिया गया था। उसमें क्या लिखा था इसका उल्लेख विदेश मन्त्रालय करेगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, हमारा आग्रह है कि उसके टैक्स्ट को सदन के समान पेश करना चाहिए। किसकी तरफ से गया क्या उसका कंटेन्ट है? हम प्रधानमन्त्री जी से जानना चाहेंगे जब उन्होंने यह बात कही थी, आज से—

अनुवाद]

"जैसाकि मैंने प्रस्ताव किया है कि केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के प्रभारी मन्त्री मुझे इस मामले में हुई प्रगति से निरन्तर अवगत कराते रहेंगे।"

[हिन्दी]

24 तारीख को मामला आ रहा है और आज स्वीट्जरलैंड में सभी लोग यह कह रहे हैं कि 24 तारीख को अकाउंट खुल जायेगा, अपना-अपना पैसा लेकर जा सकते हैं, यानि पिछले एक अर्से से दिल्ली के हाई कोर्ट से लेकर हर एजेंसी के माध्यम से इस प्रश्न को दबाने का प्रयास चला था उसमें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं हुआ है।

अध्यक्ष जी, दो बातें हैं, जिन पर हम चाहेंगे कि आप सदन में बाकायदा बहस करायें। नम्बर 1, प्रधानमन्त्री के बारे में आज जो कहा गया है और उसके साथ नम्बर 2 1 अप्रैल यहां बोलने के पहले जो जानकारी उनके पास थी, हम मार्क बोना का पत्र चाहते हैं, हम सी० बी० आई० और प्रधानमन्त्री के बीच हुई बातचीत की रिपोर्ट सदन में चाहते हैं।··· (**व्यवधान**) बहुत से लोग एल० एल० बी० होते हैं, लेकिन वकालत नहीं करते हैं और कामों में लगे रहते हैं। इसलिए वकील कौन है उसकी चर्चा करना बेकार है।

श्री गुलाम नबी आजाद : जो ज्यादा बोले वह वकील हो गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसा नहीं है। इसलिए हम प्रधानमन्त्री जी से दो-तीन चीजों का, सबूत के साथ स्पष्ट निवेदन चाहेंगे। मेरी प्रार्थना है कि आप इस मुद्दे पर सदन में बाकायदा बहस करने की हमें इजाजत दीजिये।

[**अनुवाद**]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमन्त्री ने दूसरे दिन अर्थात पहली अप्रैल को जो कुछ कहा है उसका उल्लेख करने के सिवाय मेरे साथियों ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि पिछले दो-तीन दिनों में जो कुछ हुआ है उससे सरकार बहुत उलझन में पड़ गई है। उन्होंने केवल पिछले दो-तीन दिनों का उल्लेख किया है। बोफोर्स मुद्दे का नहीं। दो तीन दिन का अर्थ है सोलंकी प्रकरण और उसका पता लगना। सरकार ने सोलंकी जी को मन्त्री पद से हटाकर इस उलझन से छुटकारा पा लिया है।

मुझे आश्चर्य है कि आज तीन सप्ताह बाद 22 अप्रैल को भी यह स्थिति हो गई है कि सिर्फ न केरल सरकार ही बल्कि पूरा देश इस स्थिति से उलझन में है आज सुबह के 'स्टेट्समेंन' से पता चलता है कि पूरा राष्ट्र उलझन में है। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि हम इस मुद्दे पर लगभग दो घण्टे से चर्चा कर रहे हैं और प्रधानमन्त्री अभी तक सदन में नहीं आए हैं।

मुझे याद है कि उन्होंने अपने उसी भाषण में सोलंकी वाले नोट का भी उल्लेख किया था और कहा था कि यह नोट एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सौंपा गया नोट है एक सरकार का दूसरी सरकार को सौंपा गया नोट नहीं है। यह। यह थोडा हटकर है। मुझे विश्वास है कि वह आज सुबह के 'स्टेट्समेंन' की खबर से सहमत होंगे। या तो यह झूठ है और सरकार को यह सब कहने का हक है और प्रधानमन्त्री को निश्चित रूप से यह कहने का हक है यह बिलकुल झूठ है तथा तथ्य कुछ भी हो लेकिन इस का कोई आधार नहीं है कि 23 मार्च को केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को कोई पत्र लिखा गया था जिसमें भारत सरकार से कहा गया था कि हमें जो नोट दिया गया था वह प्रधानमन्त्री के द्वारा भेजा गया था। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है यह निंदनीय अभ्यारोपण है। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल श्री सोलंकी पर ही शक नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि उस समय प्रधानमन्त्री ने कहा था कि अपने सामान्य अनुभव और सार्वजनिक कार्यों में अपना काफी जीवन बीता होने से वह जानते हैं कि शक हो जाने के बाद कोई सरकार चल नहीं सकती है। स्पष्ट रूप से वह श्री सोलंकी के आचरण और उन्हें मन्त्रिमण्डल से हटाए जाने का जिक्र कर रहे थे और शक भी दूर हो गया था। पहली अप्रैल को इस तरह का विचार लोगों के मन में आया। आज प्रधानमन्त्री सहित पूरी सरकार पर शक किया जा रहा है। विशेष रूप से प्रधानमन्त्री पर।

महोदय, आप मेरे साथ श्री इन्द्रजीत जी को कह रहे थे कि उन्हें आपको इस सदन में सार्वजनिक रूप से गाइड नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हर समय नहीं। कभी-कभी। हां हम इसकी बहुत सराहना करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह तो मैं भी पसंद नहीं करूंगा। परन्तु मैं इस बात को बहुत अधिक महसूस करता हूं कि इस तरह की परिस्थितियों में पीठ की भी जिम्मेदारी है। मैं आप से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि बिना और विलम्ब के आगे चर्चा के लिए कोई विषय लिए बगैर प्रधानमंत्री सदन में आएं और सभी बातों को स्पष्ट करें। अन्यथा हम संसद में कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि धुंधलका अब पूरे देश पर है, पूरी संसद पर है, उलझन सामूहिक रूप से हम सब के लिए है और हम सभी इस उलझन से छुटकारा पाना चाहेंगे। सरकार ने सोचा था कि श्री सोलंकी जो मन्त्रीमण्डल से हटाकर उसे इस उलझन से छुटकारा मिल गया है। परन्तु देश के भूतपूर्व विदेश मन्त्री अहमदाबाद गए और वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसके दस दिन बाद मैं अहमदाबाद गया उसी दिन मैंने गुजराती भाषा के समाचारपत्रों के मुख्य पृष्ठों पर उनका दिया हुआ वक्तव्य विस्तृत रूप से छपा हुआ देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है। इस नोट को सौंप कर उन्होने क्या कर्त्तव्य पालन किया है?

मैंने बहुत से हवाई अड्डे पर साइन बोर्ड देखे जिन पर लिखा है "सावधान, किसी अनजान व्यक्ति से कोई पैकेट न लें।" ये दे साइन बोर्ड हैं और साथ ही है विश्व भ्रमण करने वाले श्री सोलंकी जिन्होंने इनकी उपेक्षा करके एक अनजान वकील से नोट लिया, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। यह विश्वास करने योग्य नहीं है। इसलिए उसके तुरन्त बाद प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने कहा था कि आपने जो कुछ कहा हमने उसे मान लिया है अर्थात सरकार इस मामले की यह देखने के लिये जोरदार तरीके से जांच करेगी कर्त्तव्य पालन हो गया है और सच्चाई का पूरी तरह से पता चल गया है। परन्तु सुबह जो हुआ है उससे हमारा विश्वास डगमगा गया है, उससे पूरी संसद गम्भीर उलझन में पड़ गई है, उससे पूरा राष्ट्र उलझन में पड़ गया है। मैं आप से इस मामले में हस्तक्षेप करने, प्रधानमन्त्री से सारी हबातें स्पष्ट करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगता है, स्विस के विदेश मंत्री रेने फ्लेयर ने कहा है कि भारत के विदेश मन्त्री ने सब से कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया पत्र है। एक दूसरे देश का विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के सम्बन्ध में कहता है कि यह पत्र जो दिया गया है वह प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है मैं आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि यह पत्र जो दिया गया, वह भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया कि नहीं। दूसरा जो वहां का विदेश मंत्री कह रहा है, वह सही है या नहीं? यदि वह सही नहीं है तो भारत सरकार को कहना चाहिए चूंकि सारी चीज रिकार्डिड है और उसमें यह भी लिखा है कि एक बार नहीं, अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं थी इसलिए उसये दोबारा पूछा कि आप इसको कहिए कि ठीक है या नहीं। तो उसने दोबारा पूछा और दोबारा कहा कि विदेश मंत्री ने नहीं, प्रधानमंत्री ने पत्र दिया है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि वहां का विदेश मंत्री गलत कहता है तो भारत सरकार को बतलाना चाहिए कि यह बात सही नहीं है। इतना ही कहने से नहीं चलेगा। फिर जितनी चीजें हैं वह सारी रिकार्ड हुई हैं। वह कहता है कि सब चीज रिकार्ड पर है और उसके आधार पर वहां की पुलिस को सी०बी०आई० ने भेजा है। इसलिए कहने से काम नहीं चलेगा। वहां पर जे०पी०सी० को जाना पड़ेगा और सारे फैक्ट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा और यदि यह बात सही है, वहां का विदेश मंत्री सही कहता है तो फिर

प्रधानमंत्री को बतलाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने भेजा है कि नहीं, और यदि प्रधानमंत्री ने भेजा है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने से कोई रोक नहीं सकता है, भगवान भी रोक नहीं सकता है। और यदि प्रधानमंत्री ने नहीं रोका है तो फिर सोलंकी के खिलाफ क्रिमिनल केस चलना चाहिए, सिर्फ इस्तीफे से मामला रफा दफा होने वाला नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है। मै ज्यादा डीटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब सदस्यों ने कहा है, लेकिन एक विदेश मंत्री अपने रिकार्ड में इस बात को दर्ज करता है भारत के विदेश मंत्री के सम्बन्ध में कि भारत का विदेश मंत्री हमसे कहता है कि प्रधानमंत्री ने पत्र दिया है। कौन है वह लायर, वह एडवोकेट कौन है? वह एडवोकेट प्रधानमंत्री है? इसलिए यह कोई मामूली चीज नहीं है। हम इस बारे में आपसे गंभीरता से कहना चाहेंगे और मैं कहूंगा कि एडजर्नमेंट के लिए कोई फिट केस था तो इससे बढ़िया केस नहीं था, लेकिन आपकी रूलिंग है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से ले और जब तक इस सदन में चर्चा नहीं होगी हम आपसे आग्रह करेंगे कि दूसरा कोई गम्भीर सवाल नहीं है। आप सदन के सदस्यों की राय को जान चुके हैं और हम समझते हैं कि आप हमारी भावना को समझेंगे। प्रधानमंत्री यहां आएं, प्रधानमंत्री इस पर तलब दें, तब सदन की कार्यवाही आगे चलेगी। (व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष एक सवाल उठाना चाहता हूं उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के बारे में। मैं इस बारे में हाउस की और आपकी गाइडेंस चाहता हूं। मैं आपकी गाइडेंस चाहता हूं कि करप्शन इन हाइ प्लेसेस का जो मसला है देश के सामने, उसके बारे में एक तरीके से बहस हो इस सदन में। अथवा महोदय, एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, हम सब लोग उनके आभारी हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये उन्होंने संस्थानम कमेटी की सिफारिश की थी कि दस विधायक या संसद सदस्य इस बारे में लिखकर देंगे तो भ्रष्टाचार के बारे में तुरन्त कार्रवाई हो जाएगी, जांच हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के पूर्व प्रधानमन्त्री के जरिये वह संस्थानम कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन यह सरकार वहां उस पर बहस नहीं कराती है। पूर्व जनता दल सरकार ने लोकपाल बिल लाने के बारे में सोचा था और सरकार उसके आने से पहले ही खत्म हो गयी। लेकिन सरकार ने इस बजट सत्र में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के बारे में, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर करप्शन के बारे में रोकथाम के लिये लोकपाल बिल लाने का कार्यक्रम नहीं किया है। मैं इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को उठा रहा हूं क्योंकि इस सवाल से कई खतरनाक चीजें हमारे सामने आती हैं, जिन्हें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इससे भ्रष्टाचार की गन्ध आती है, वहां जो ए०ई० बैंक एकाउन्ट वगैरह रखे हुए हैं, जो इसके रैसिपीयेंटस हैं, वे जाकर जेनेवा कोर्ट मे कहते हैं, रैसिपीयेंटस आफ किक बैक्स, कहते हैं कि आप जरा ठहर जाइये, हिन्दुस्तान की सरकार से एक नोट आने वाला है। अब आप सोचिये कि जो रैसिपीयेंटस हैं, पे-आफ के, वहां जो सारे बड़े लोग हैं, वहां जो सारे नुमाइन्दे बैठे हुए हैं जेनेवा मे, वे जेनेवा कोर्ट के समक्ष जाकर कहते हैं कि आप रुक जाईये, कोई फैसला मत कीजिये क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक नोट आयेगा।

फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्विटजरलैंड के जो फौरैन मिनिस्टर हैं, मिस्टर फैलबर उनके पास हमारे विदेश मंत्री जाते हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि डागोम डैलीगेशन में हिन्दुस्तान के विदेश मंत्री के जाने की क्या जरूरत थी। प्रधानमंत्री के जाने से, तीन दिन पहले वे वहां गये थे। मतलब साफ है कि अभी जो चीज सामने आई है, जिस तरीके से अप्रैल के शुरू में जो डिबेट हुई थी, उस डिबेट में जो कुछ हुआ, मैं यहां प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं मगर प्रधानमंत्री को उसके लिये जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं, सारी डिबेट को जिस ढंग से जिस तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने एक

मोड़ दिया, उसमें लगता था कि उनको पता था उस समय, कि विदेश मंत्री को बलो पर चढ़ा दो तो काम ठीक हो जायेगा।

मेरा कहना यह है कि जब इस तरह की चीजें सामने आयी हैं, फैलबर साहब खुद नोटिंग करते हैं कि सोलंकी जी ने विदेश मंत्री को बोला स्विटजरलैंड के कि यह पत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ है। इसके साथ, स्विटजरलैंड के आफिसर्स यहां की सी०बी०आई० को कहें कि इस तरह का पत्र आया है तो अध्यक्ष महोदय, अप्रैल की पहली तारीख को इस सदन को, देशवासियों को प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, उन्होंने जानबूझ कर गुमराह किया है यदि अखबार में जो कुछ निकला है, उसे सही मान लिया जाता है, तो फिर देश में इस बारे में जो कन्फ्यूजन है, उसे क्या साफ करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की नहीं है, क्या वे इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं। उन्हें सदन के सामने आना चाहिये, यह उनका पहला कर्तव्य बनता है कि सदन को देशवासियों को विश्वास में लें कि इस मामले में क्या हुआ है।

मैं यहां कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं बल्कि साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इंगलिस्तान में जो एक बड़ा स्केंडल हुआ था—प्रोफ्यूमो कांड, उसमें प्रोफ्यूमो ने हाउस आफ कामन्स में असत्य बोला था। कन्जर्वेटिव पार्टी उस समय शासन में थी जिसमें वे डिफेंस मिनिस्टर थे। इसके बाद कन्जर्वेटिव पार्टी की, बाकायदा बैठक बुलायी गयी जहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके, मिस्टर प्रोफ्यूमो से कहा गया कि वे संसद के सामने आकर, जो उन्होंने गलती की थी, असत्य बोला था उसे मान लें। उसके बाद, आप जानते है कि उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। मामले की जांच हुई और अन्त में प्रोफ्यूमो को जाना पड़ा, डिफेंस मिनिस्ट्री से ही नहीं जाना पड़ा, बल्कि राजनीति से भी जाना पड़ा।

इसलिये हिन्दुस्तान में, अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब संसदीय प्रजातन्त्र के प्रति हमें खतरा नजर आता है, वह खतरा भ्रष्टाचार को लेकर है, वह खतरा खासकर हाई लेवल भ्रष्टाचार के कारण है क्योंकि यह जो बोफोर्स काण्ड है, इसमें हाई लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसकी गंगोत्री को ही हम साफ नहीं कर देंगे। भ्रष्टाचार की गंगोत्री को साफ करने का काम हम सब का है और आज जिस तरीके के तथ्य सामने आये हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है, उन्हें सारा पता था और पता ही नहीं था, उन्होंने विदेश मन्त्री के जरिये जो चिट्ठी दी थी, वहां जो पे-आफ के रेसिपीयेंटस हैं, वे कोर्ट के सामने आकर कहते हैं कि एक चिट्ठी आने वाली है—यह एक कान्सपीरेसी है। जब तक सदन में इस षडयंत्र का खुलासा नहीं किया जायेगा तब तक बाहर के लोग इस सदन के बारे में क्या सोचेंगे। हम इस तरीके से जो नमूना देश के सामने रखेंगे, उससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, जब तक कोई खुलासा यहां से नहीं होगा, कोई बहस यहां नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : बहस तो हो रही है, दो घण्टे से बहस हो रही है।

श्री रवि राय : मेरा कहना यह है कि किसी दूसरे आईटम को लेने से पहले, प्रधानमन्त्री जी का यहां आना चाहिए, प्रधानमन्त्री जी अभी सदन में आये नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह बात अलग है।

श्री रवि राय : मैं आपसे फिर कहता हूं क्योंकि कल हम लोगों ने जो स्टेट टेक्नोलोजी का सवाल उठाया था, क्या उसके सम्बन्ध में आज कोई बयान यहां आया। आपने कहा था और मन्त्री जी ने भी कहा था कि बयान देंगे, बयान देने के लिये कहा था। वह बयान नहीं आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री जी ने मुझ से कहा था कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री रवि राय : आज ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आज या कल।

श्री रवि राय : मेरा कहना है कि हमें लगता है कि सदन को गुमराह किया गया है। सदन को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह जो एक समस्या उलझ गई है, उसको सुलझाने के लिए प्रधान मन्त्री सदन में आएं और दूसरे सवालों को लेने से पहले वे इसका खुलासा करें। आपसे मेरी यही विनती है।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित समाचार के दो पहलू हैं। एक पहलू प्रधानमंत्री का इसमें शामिल होना है। दूसरा पहलू बोफोर्स मामले की जांच से संबंधित है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर क्रमिक रूप से तीन लोक सभाओं और राज्य सभा में इस सदन में शोर-शराबा हुआ। या तो देश इस संबंध में द्विविधा में है या पूरे देश के लोगों को अब इस बारे में प्रशासन पर संदेह है। यदि आप घटनाओं के परिवर्तन को देखें तो, यहां तक कि श्री सोलंकी द्वारा कथित पत्र दिए जाने से पहले भी जनेवा की अदालत में वकील ने यह कहते हुए इस मामले को स्थगित करना चाहा था कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में संदेश भेजेगी। वे लोग न्यायालय में थे और स्थगन लिया गया था।

दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा यहां पर यह घोषणा करने के बाद भी कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और पूरे मामले को सामने लाया जाएगा जिस तरह से केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले पर कार्यवाही कर रहा है उससे संदेह और बढ़ता है। केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो इस मामले पर उच्च न्यायालय में उस ढंग से कार्यवाही नहीं कर रहा है जिससे कि यह मामला उच्च न्यायालय में समाप्त हो जाए। मैं यह भी कहता हूं कि केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो ये सब अपने आप नहीं कर रहा है। इस तथ्य के बावजूद भी कि इसे उच्चतम न्यायालय को भेजा जाना चाहिए था, विशेष रूप से उस परिस्थिति में जबकि उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में फैसला दिया हो, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो अभी तक उस बिन्दु पर नहीं पहुंचा है। अतः स्वभाविक है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सील किए गए बैंक खातों को उन्मुक्त किया जाए और ये उसी तरह से चलते रहें जैसे कि पिछले 27 महीने से चल रहे थे।

इससे यह भी पता चलता है कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को छुपाने की कोशिश कर रही है और पूरे देश को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री यहां पर बोले थे उस समय एक संदेह था कि श्री सोलंकी ऐसा पत्र कैसे सौंप सकते हैं। अब इस समाचार से उस संदेह की पुष्टि की जाती है कि प्रधान

मंत्री ने उन्हें इस बारे में कहा था। यही उन्होंने स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को कहा है। स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है और यह बात रिकार्ड में भी है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। इसलिए इन परिस्थितियों में क्या यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वे आकर कहें कि उन्होंने यह नहीं किया है तथा उन्होंने श्री सोलंकी को कभी भी कथित पत्र वितरित करने के लिए नहीं कहा है और वह इसमें एक पक्ष नहीं हैं। उन्हें ऐसा करना चाहिए था जब कि यह मामला अनावश्यक रूप से पूरे देश को उत्तेजित कर रहा है।

मैं दूसरी ओर बैठे हुए अपने साथियों को सचेत करना चाहता हूं कि यदि आप इस मामले का निपटारा नहीं करते तो इससे देश में केवल और अधिक राजनैतिक संकट ही नहीं पैदा होंगे, अपितु देश की जनता पर भी इसका बहुत ही गलत असर पड़ेगा। लोग यह मानने लगेंगे कि प्रशासन जानबूझकर तथ्यों को छिपा रहा है। यदि सच्चाई का पता नहीं लगाया गया तो यह ऐसा रूप धारण कर लेगी जो बात निश्चित रूप से हमारी संसद के भी विरूद्ध होगा।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, बोफोर्स के इस हौवे ने पुनः अपना घिनौना सिर ऊपर उठाया है। पहली बार 1989 में इसने अपना सिर ऊपर उठाया था। इस समय तो राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं था। विपक्ष ने इस मुद्दे को पूर्णतया सिद्ध करने के लिए इसे अत्याधिक महत्व दिया और परिणाम यह हुआ कि देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई जून 1991 में हमने देखा है कि बोफोर्स मामले के कारण उन्होंने देश को दिवालिया होने के कगार पर ला पहुंचाया। इसके पश्चात हर चीज सुचारू रूप से चल रही है। हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार, जिसे उन्होंने कम करके 2000 करोड़ रुपये पहुंचा दिया था जो अब 16000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। फिर जब श्री सोलंकी द्वारा लिखे गये पत्र पर चर्चा होने लगी तो बोफोर्स नाम के इस हौवे ने एक बार फिर अपना घिनौना सिर ऊपर उठाया। इस समय लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इसमें श्री सोलंकी वास्तविक लक्ष्य नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री वास्तविक लक्ष्य है। मैं समझता हूं कि उनके ऐसा कहने का एक मात्र कारण यह है कि वे एक बार फिर देश को अस्थिरता की स्थिति में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रधानमत्री जी के कुशल नेतृत्व में यह देश इस समय सुचारू रूप से चल रहा है।

श्री लोकनाथ चौधरी : आप लोग इसे अस्थिर करने वालों में है।

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : प्रधानमंत्री आकर कहें कि यह गलत है।

श्री सुधीर सावन्त : पिछली बार भी वह रेज किया गया और प्रधानमंत्री जी ने आकर विस्तार-पूर्वक आपकी बात का जवाब दिया। आज भी यही होगा। मेरा ईशू यह है कि आप इस सदन का समय कितनी बार लेंगे। आज आपने क्वश्चन आवर नहीं होने दिया। उस दिन आपने पूरे चार घण्टे लिए। इससे क्या होता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है जो सदन में डिस्कस होना चाहिए वह डिस्कल नहीं होता है।

[**अनुवाद**]

और एक गैर मुद्दे को मुद्दा बनाकर बार-बार उस पर चर्चा की जा रही है। यह मेरी चिन्ता का कारण है।

पिलली बार भी जब सभा में इस मामले पर चर्चा की गई थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार को संकट में डालने की कोशिश की गई है और श्री सोलकी द्वारा पत्र लिखा जाना सरकार का

अपमान है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह सच था। लेकिन आज वे लोग जोड़ तोड़ कर रहे हैं; वे समाचारपत्र में प्रकाशित विवरणों में से कुछ निचोड़ निकाल रहे हैं। मुझे तो इस बात की आपत्ति है कि हर समय इसी बोफोर्स हौवे को उठाकर एक अनावश्यक बात के लिए सभा का समय यों ही व्यर्थ गवाया जा रहा है जबकि हम लोगों ने रक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करनी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग उदारता का परिचय दें और हमें सहयोग दें ताकि वास्तविक मुद्दों पर चर्चा हो सके और सभा का समय आवश्यक बातों पर व्यर्थ न हो।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के ऐसे किसी भी माननीय सदस्य से सहमत हूं, जो ऐसे किसी भी मामले पर हमारी गम्भीर चिन्ता को व्यक्त करने के लिए जन प्रतिनिधि के नाते सचेत होकर कार्य करने में आपको हस्तक्षेप करने के लिए कहते, जिससे जैसाकि आडवाणी जी ने कहा है, देश का सरकार का अथवा संसद सदस्यों का अपमान होता हो। लेकिन महोदय, मैं इस बात को अत्याधिक महसूस करता हूं कि उस दिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुनने के बाद भी, एक समाचार के आधार पर इसी मामले को आज दोबारा उठाकर हमें सभा का समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिये था। महोदय मैं किसी समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार की भर्त्सना करने का इरादा नहीं रखता बल्कि मैं तो केवल श्री सामन्त जी की भावनाओं का आदर कर रहा हूं कि उस दिन इतनी व्यापक चर्चा होने के बाद भी अगर समाचार पत्र में आज कोई बात प्रकाशित हुई है तो हमारे लिए विवेकपूर्ण रास्ता यह होता कि हम इस बारे में अध्यक्ष महोदय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करते; उस पर सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते और केवल तभी ही इस मामले को दोबार उठाते महोदय दुर्भाग्य की बात यह है कि आज का कार्यसूची में बहुत ही मदें शामिल हैं, हम फिर भी इसकी कतई परवाह नहीं कर रहे हैं और हम लोग इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना केवल इस कोशिश में ही लगे हैं कि सरकार के विरुद्ध निर्णय लिया जा सके।

महोदय, हमें यह पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव आज हमारे देश में आये हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को यह पता नहीं था कि यह समाचार आज ही के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होगा। उनका कार्यक्रम तो पहले से ही निर्धारित था। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री जी सायं 5.00 बजे सभा में पधार रहे हैं। महोदय दो से अधिक······

श्री गुलाम नबी आजाद : जी नहीं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, किसी भी सूरत में हमें यह मामला आज नहीं उठाना चाहिए था। हमें सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी···**(व्यवधान)**

महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मुझे अपनी बात यहां पर कहने का समय देंगे।

महोदय, यह मामला यहां पर अनेकों बार उठाया गया है। संदेहास्पद संकट के संदर्भ में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कोई कृत्रिमता भी हो सकती है, परन्तु जिस अधीरता से उन्होंने भाषण दिया था, और जिस तरह से उन्होंने यह वायदा किया था कि वे स्वयं इस मामले को देखेंगे, उसमें इस किस्म के संदेह की गुजांइश नहीं रह जाती कि सरकार के इरादों के खिलाफ उंगली उठायी जा सके। और आज एक समाचार प्रकाशित हुआ भी है, तो मेरा विनम्र अनुरोध यही है कि हमें सभा का समय व्यर्थ गंवाने के लिए इस तरह से जल्द-बाजी नहीं करनी चाहिए थी······।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रधानमंत्री जी को जल्दी करनी चाहिए। वे वक्तव्य देने के लिए सभा में क्यों नहीं आ रहे हैं ?

श्री पवन कुमार बंसल : क्या उन्हें यह पता था कि यह समाचार आज ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित होगा ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या उन्होंने समाचार-पत्र नहीं पढ़े ?

श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो बात मेरे साथियों द्वारा आपके ध्यान में लाई गई हैं, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता । लेकिन मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि मुझे अपने इस कथन के लिये कि आज की घटनाओं से ऐसा पता चलता है कि सरकार ने एक अप्रैल को इस माननीय सदन को, जोकि संसदीय लोकतन्त्र की सर्वोच्च संस्था है, जानबूझ कर मूर्ख बनाने की कोशिश के लिए क्षमा किया जाये ।

महोदय, इससे यह आभास होता है कि पूरी सच्चाई के साथ सरकार को इस बात के लिए आगे आना चाहिये कि अगर यह झूठ है तो इस समाचार का खण्डन कर सके ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं भी एक बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा और इस विषय के बारे में एक स्वच्छ स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरी बात यह है कि 8 अप्रैल को स्विटजरलैंड सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज श्री विन चड्ढा की याचिका के सम्बन्ध में हमारे देश की सरकार से एक और स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहा था । आप जानते है कि इस याचिका के बारे में किसी किस्म की कोई सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं थी । लेकिन इस याचिका की एक प्रतिलिपि और याचिका से संबद्ध अन्य जानकारी उन्हें भेजी गई थी जिनके भेजने का एकमात्र उद्देश्य अंतिम निर्णय में विलम्ब करना, और उसमें रूकावट डालना ही है । यद्यपि इस सभा में इस मुद्दे पर एक अप्रैल से लेकर आज तक चर्चा जारी है, तथापि भारत सरकार ने इस याचिका के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है । मैं यह चाहता हूं कि यह सरकार तथ्यों का खासतौर पर उल्लेख करे ।

महोदय, जब तक प्रधानमन्त्री जी इन बातों को स्पष्ट नहीं करते —उस दिन मैंने कहा था कि संदेह की सुई की नोक उनकी ओर ही रहेगी—तो इस सरकार के पास सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहेगा । केवल यही मेरा विनम्र अनुरोध है ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा और उसी बात की दलील नहीं दूंगा जोकि मेरे कई जाने-माने साथियों द्वारा दी गई है आवश्यकता इस बात की है कि प्रधानमन्त्री जी को सभा में उपस्थित होकर, हमारी बात को सुनना चाहिए और हमारी शंकाओं को दूर करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हर समय यही बात न दोहरायी जाए। मैंने आपको बताया है कि महा-सचिव जी आये हुए हैं । प्रधानमन्त्री जी उनके साथ हैं ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मुझे केवल तीन संक्षिप्त बातें कहनी हैं । मैं एक कूटनीतिज्ञ रह चुका हूं और मुझे एक राजदूत के नाते अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । महोदय, राजनयिक शिष्टाचार में यह आवश्यक है कि जब कभी किसी देश का विदेश मन्त्री किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री से भेंट करता है, तो उनका राजदूत भी सदैव उनके साथ होता है । अन्यथा इससे राजदूत की विश्वसनीयता और उसके पद पर बुरा असर पड़ता है ।

रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मंत्री जी जब कभी भी स्विटजरलैंड के मंत्री से मिले, तो सदैव अकेले ही मिले । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है, और यदि यह सत्य है, तो ऐसा

किसलिए किया गया ? क्या ऐसे अवसरों पर कोई खास बात होती रही है और स्विटजरलैंड सरकार से संबद्ध अपने इस देश के राजदूत को पर्दे के पीछे रखा जाता रहा है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बारे में खासतौर पर अपना वक्तव्य दे कि क्या राजदूत उन अवसरों पर उपस्थित था अथवा नहीं और अगर वह उपस्थित नहीं था, तो उसके क्या कारण है ? यह मेरी पहली बात है।

मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में दो दिन की देरी के बाद रखा जा रहा है। यह बहुत ही गभीर बात है। स्विटजरलैंड की कार्यवाही इस बात पर निर्भर करेगी कि यहां पर क्या होता है।

हमारे पास अपने सरकारी वकील हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार हमें इस बात से अवगत कराये कि इस मामले के सम्बन्ध में 24 अप्रैल को होने जा रही सुनवाई के दृष्टिगत सरकार द्वारा अपने सरकारी वकीलों को जो जानकारी दी गई है, इसका संक्षिप्त विवरण क्या है। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि क्या माननीय प्रधान मन्त्री जी ने सभा को दिए गए आश्वासन को पूरा किया है।

तीसरी बात को लेकर मैं आपका ध्यान स्विटजरलैंड से प्राप्त किए गए कथित स्पष्टीकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अब यह तो मुझे पता नहीं है कि यह सुझाव किस ने प्राप्त किया है। किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है, क्या स्विट्जरलैंड में हमारे वकील, स्विटजरलैंड में हमारे दूतावास अथवा स्विट्जरलैंड सरकार ने इस नोट पर भारत सरकार से अथवा सी० बी० आई० सहित भारत सरकार के किसी अन्य अधिकारी से 8 अप्रैल को स्पष्टीकरण मांगा था; और क्या भारत सरकार ने अभी तक उस स्पष्टीकरण के बारे में कोई उत्तर भेजा है अथवा नहीं और यदि सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है तो प्रधानमन्त्री जी के उस आश्वासन का क्या हुआ जोकि उन्होंने कहा था कि आज से वे इस मामले को अपने निजी प्राधिकार में लेंगे और वे इस बात की कोशिश करेंगे कि सभी संदेह दूर हों।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : अध्यक्ष जी, यह हाउस सुप्रीम है. यहां के हाउस के जो लीडर हैं ये कोई पार्टी के नहीं बल्कि सारे देश के प्रधानमन्त्री हैं और इनका ईज्जत देश का ईज्जत है। इनके एक वचन से देश का सारा उलट-पुलट हो सकता है और यह हाउस के लीडर हैं न कि कांग्रेस के लीडर हैं इसलिए यहां जो बात आई है कि प्रधानमन्त्री ने चुपचाप से किसी के जरिए चिट्ठी भेजा, यहां पर अभी जो एक स्टेटसमैन में आया है यह सारे देश और हाउस के गौरव के लिए ठीक नहीं है। आप यहां के अध्यक्ष हैं (व्यवधान) यह तो मानना ही पड़ेगा कि वे लीडर हैं और आप अध्यक्ष हैं, हम लोग आपकी आड़ में रहते हैं और हमारा प्रधानमन्त्री जब हमें नहीं कहता, कांग्रेस का प्रधानमन्त्री, देश का प्रधानमन्त्री, स्टेट्समैन ने अगर कोई मनगढंत समाचार छापा है तो स्टेट्समैन के आदमी पर भी क्यों नहीं चार्ज किया गया।* है, सोलंकी को भी कहा जाए कि वे डिनाई करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी : वे यहां पर हैं वे भी कहें, सोलंकी जी यहां मौजूद हैं मेरा कहने का मतलब

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह है कि हम लोग देहात से आते हैं, यह देहाती भाषा है और देहात के लोग इसको समझते हैं। **(व्यवधान)** मेरा कहने का मतलब यह है कि सोलंकी जी ने रिजाइन किया, वे विदेश मंत्री थे, वे भी मौजूद हैं वे भी डिनाई करें कि मैंने स्टेट्समैन को कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वे भी कह सकते हैं या तो सरकार कहे कि सारी बात झूठी है और यह स्टेट्समैन के ऊपर चार्ज भी लगाया जा सकता है, सब दरवाजे सरकार के लिए खुले हैं किन्तु प्रधानमंत्री कुछ कहें तो सही।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : पूरा देश सभा की कार्यवाही सुन रहा है और देख रहा है। माननीय सदस्य, श्री वी० पी० सिंह भी प्रधानमन्त्री थे। उनके कार्यकाल में भी यह कार्यवाहियां हुई थीं। यह नई बात नहीं है। इस मामले को एक मोहरे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जब कभी भी आवश्यकता होती है वे विपक्ष के समक्ष यह मोहरा चला देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि न तो शासक दल और न ही विपक्षी दल बोफोर्स मामले की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं।

आठवीं लोक सभा में विपक्ष के सदस्यों ने बोफोर्स मामले पर त्यागपत्र दिया था। आंध्र प्रदेश में तेलगुदेशम के 33 सदस्यों ने बोफोर्स मामले में लोकतन्त्र को खतरे की बात उठाई थी फिर भी उनमें से 30 सदस्य हार गये।

जनता नहीं चाहती है कि यह मामला/मुकदमा वर्षों तक चलता रहे क्योंकि आज विश्व में देश की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है।

अत: महोदय, क्या वे सचमुच इस बात में रुचि रखते हैं ? मैंने इस मामले पर चर्चा सुनी है और जिस जोश के साथ यह चर्चा पहले होती थी उससे भिन्न रवैया अपनाकर अब वे इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध संकल्प पारित किया गया था और अब वे अधिक शक्ति के साथ इस माननीय सभा के समक्ष वाद-विवाद कर रहे हैं।

उन्हें इस प्रकार कार्य करने दें। जनता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की इस मांग को भी देख रही है। उन्हें मांग करने में तो सही रुख अपनाना चाहिए। **(व्यवधान)**

मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं दोनों पक्षों को बता रहा हूं। मैं दोनों पक्षों पर आरोप लगा रहा हूं। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से सभा को यह आश्वासन दिया था कि हर कार्य ठीक प्रकार से किया जाएगा और यदि समाचारपत्रों में कुछ प्रकाशित हुआ है, तो प्रधानमंत्री को आने दें और वक्तव्य देने दें। हम उसे सुनेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब बंसल जी बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो चर्चा हुई थी, सोलंकी जी के सम्बन्ध में, तो उस वक्त किसी ने प्रधानमंत्री जी पर आरोप नहीं लगाया था और उस वक्त प्रधानमंत्री जी की गरिमा पर कोई आंच नहीं आई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी कटघरे में खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, अगर यह बात सही नहीं है तो क्या भारत सरकार स्विटजरलैंड सरकार को विरोध पत्र भेजने के बारे में सोच रही है। इस तरह का गंभीर आरोप एक सम्मानित पत्र में छपा था और उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज भी सम्मानित पत्र में छपा है, वह गलत है या सही, यह समय बताएगा। अध्यक्ष महोदय, सदन की परिपाटी के अनुसार. पांचवीं लोकसभा में जब लाइसेंस स्कैंडल हुआ था और मंत्रियों पर चार्जेज लगाए गए थे. उस समय सरकार ने सारे के सारे दस्तावेज अध्यक्ष महोदय को दिए थे और

अध्यक्ष महोदय ने वे दस्तावेज विरोधी दल के नेताओं को दिखाए थे। तो क्या आज मैं यह मांग कर सकता हूं कि जितने आरोप लगाए गए हैं और देश के प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हैं, पी० सी० आई० उस समय भी जांच कर रही थी, आज जब प्रधानमंत्री जो कटघरे में खड़े हैं, जब प्रधानमंत्री पर कोई छाया पड़ती है तो देश की गरिमा पर भी छाया पड़ती है, सारा राष्ट्र लज्जित होता है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अप्रतिष्ठा होती है, इसलिए क्या सरकार इससे संबंधित सारे के सारे दस्तावेज आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी और क्या वे दस्तावेज विरोधी दल के नेताओं को दिखाए जाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, आज के दि स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार ने इस मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है क्योंकि इनमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम शामिल कर दिया गया है। इसमें श्री फेवर जो एक मित्र देश के विदेश मंत्री हैं, का नाम भी शामिल किया गया है मैं मांग करता हूं कि हमारे प्रधानमन्त्री यहां वक्तव्य दें ताकि देश और विश्व को सच्चाई का पता लग सके।

यह बताया गया है कि श्री फेबर ने श्री सोलंकी के इस वक्तव्य को रिकार्ड किया था कि जो पत्र उन्होंने वहां के मन्त्री को दिया था वह हमारे देश के प्रधानमन्त्री की ओर से था। यह भी बताया गया कि श्री फेवर ने भारत सरकार को इसकी जानकारी दी थी।

मेरा प्रश्न यह है कि यदि सरकार को भी श्री फेवर से ऐसी जानकारी मिली थी और वह जानकारी सरकार के पास है, तो क्या सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है कि यह बताया जाए कि यह बात गलत है ? क्या उसने श्री फेबर से उन परिस्थितियों के बारे में पूछा जिनमें उन्होंने यह वक्तव्य दिया। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बताया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कनिष्ठ अधिकारियों ने स्वीडन की सरकार से यह अनुरोध किया था कि हमारी सरकार मामले पर आगे कार्यवाही करने के लिए उत्सुक है। यह अनुरोध सरकार के प्रतिनिधि विशेषरूप से प्रधानमन्त्री जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभारी हैं तथा इस मामले के भी प्रभारी हैं, ने क्यों नहीं किया ? उन्होंने सभा को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेंगे अतः मैं इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि जानने के लिए दो स्पष्टीकरण चाहता हूं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, एक मुद्दे पर मेरा माननीय सदस्य से मतभेद है। पहले की गई चर्चा और अब की जा रही चर्चा में कोई अन्तर नहीं है। (**व्यवधान**) आपने भी विनिर्णय दिया है कि जिस विषय पर एक सत्र में चर्चा हुई हो उस पर दुबारा उसी सत्र में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। एक बात है कि जब तत्कालीन विदेश मन्त्री श्री सोलंकी ने वहां के विदेश मन्त्री को पत्र सौंपा था तब यही माना जा रहा था कि वह पत्र भारत के प्रधानमन्त्री ने भेजा है। ऐसा माना गया था। उस समय यह बात साबित नहीं हो सकी थी। इसीलिए श्री सोलंकी ने त्यागपत्र दिया। उन्होंने त्यागपत्र दिया क्योंकि उन्होंने इस सभा और राज्य सभा में यह बताया था कि किसी ने उन्हें यह पत्र दिया था और इसे उन्होंने वहां के विदेश मन्त्री को दे दिया। यही वास्तविकता था। इस समाचार में यह कहा गया है कि श्री सोलंकी ने उन्हें जो पत्र सौंपा था वह श्री सोलंकी प्रधानमन्त्री ने दिया था। यह बात रिकार्ड में है। श्री सोलंकी अब दूसरी सभा के माननीय सदस्य हैं। माननीय प्रधानमन्त्री भी एक वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार इस सभा में इस मामले पर चर्चा करने से इंकार नहीं किया गया है। हर कोई इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। विपक्ष के माननीय सदस्य इस बारे में काफी गंभीर हैं। लेकिन इस

मामले में कोई गंभीरता है ही नहीं जब माननीय प्रधानमन्त्री इस पर सभा में वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं तब इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है । मेरा यही विनम्र निवेदन है ।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । उच्च न्यायालय में 24 अप्रैल की तारीख निश्चित की गई है हमें चावला निर्णय का अनुभव है जिसमें उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया था तथा कहा था कि कोई मामला है ही नहीं । मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 139(क) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन देना चाहिए और मामला वहां हस्तांतरित कर देना चाहिए । क्या सरकार इस बारे में तत्काल कदम उठाएगी ? अन्यथा हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं ।

यदि उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया, जैसाकि उसने पहले किया था, तो पूरा वाद-विवाद व्यर्थ हो जायेगा । सत्तारूढ़ पक्ष इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं । अतः मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे आज ही अनुच्छेद 139(क) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में मामला ले जाने के लिए वहां एक आवेदय दें । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है ।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । आपने अनेक बातें सुनी हैं । अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है । बोफोर्स कांड में जांच के बारे में अनेक पहलू हैं, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है कि प्रधानमन्त्री के शामिल होने का आरोप लगाया गया है । हम जानते हैं कि प्रधानमन्त्री इस समय देश के अन्य मामलों में पहले से ही व्यस्त हैं । माननीय रक्षा मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री यहां उपस्थित हैं । जहां तक प्रधानमन्त्री के नाम का संबंध है सरकार की ओर से कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया गया है । इसी प्रकार मेरे मित्र श्री गुमान मल लोढा द्वारा उठाए गये विधिक सुझाव तथा श्री जार्ज और श्री शहाबुद्दीन द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में प्रधानमन्त्री को स्वयं वक्तव्य देना चाहिए । लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रधानमन्त्री शामिल नहीं हैं । श्री सोलंकी आदि से संबंधित मामले बाद के मामले हैं क्योंकि शायद सोलंकी ने उस समय गलत कहा था । दोनों सही बात क्यों नहीं बताते ? उसके बाद अन्य बातें होंगी । (व्यवधान) अतः सरकार यह कहे···(व्यवधान) यही एक तरीका है । हम प्रधानमन्त्री की देश के अन्य कार्यों में व्यस्तता को समझते हैं । सरकार के दो वरिष्ठ मन्त्री यहां उपस्थित हैं । वे खड़े होकर कहें कि प्रधानमन्त्री इसमें शामिल नहीं हैं । अन्य सभी पहलुओं के बारे में प्रधानमन्त्री शीघ्र ही वक्तव्य दें ।

श्री ई० अहमद : महोदय, ये लोग प्रधानमन्त्री से एक वक्तव्य की मांग कर रहे हैं । हम भी चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री स्पष्ट रूप से एक वक्तव्य दें । लेकिन अब वे अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और कह रहे हैं कि मन्त्री वक्तव्य दें । प्रधानमन्त्री ही इस पर वक्तव्य दें । (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, हम सभा में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप भी इन्वाल्व होंगे···(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : अगर मैं होऊंगा तो आप जरूर होंगे, आप मेरे साथ रहते हो और मैं आपके साथ सब चीज शेयर करता हूं । सीक्रेट बात करते हैं तो ये जरूर फसेंगे, उसमें ।

[अनुवाद]

महोदय, पिछले पांच सालों में इस मुद्दे पर हम सभा में अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। इस मुद्दे पर दो संसदीय चुनाव लड़े जा चुके हैं। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

आप लोग दो घण्टे बोले, हम गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनट के लिए बोलते हैं तो उसमें आपको बड़ी परेशानी होती है (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

नहीं, नहीं यह बहुत गलत बात है। जब हम आपको दो घण्टे तक सुन सकते हैं तब आप भी हमें धैर्य से सुनें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : लेकिन वह तर्कसंगत होना चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने कहा है, 'एक मिनट'···(**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, दो संसदीय चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े गए हैं और इस मुद्दे ने संसद के भीतर और बाहर बहुत विवाद भडकाया है। अंततः इसके परिणाम क्या रहे? जहां तक इस मामले की जांच का संबंध है पिछली सरकार ने उस पर करोड़ों रुपया व्यय किया।

महोदय हाल ही में इस मुद्दे पर दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई थी। निवर्तमान विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया था और उसके बाद माननीय प्रधानमन्त्री ने दोनों ही सदनों में चर्चा का उत्तर दिया था। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने प्रधानमन्त्री के उस उल्लेख को कुछ भी नहीं सुना जिससे उन्होंने भारत सरकार से स्विस सरकार को दिये गए जाने वाले संदेश के बारे में वादा किया था। जैसाकि मैंने पहले ही बताया है कि माननीय प्रधानमन्त्री के दूसरे सदन में चर्चा का उत्तर देने के तुरन्त बाद दो घण्टे के अंदर भारत सरकार ने स्विस सरकार को संदेश दे दिया।

श्री चित्त बसु : उस संदेश को किसने भेजा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप शब्द पर ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा "भारत सरकार"।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसलिए यह सच नहीं है कि हमने उस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रधानमन्त्री ने जैसाकि अपने भाषण में कहा था उसे उन्होंने अत्यन्त कम समय में पूरा कर दिया— मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर उत्तर देने के लिए भारत सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों पर जवाब देने के लिए दो घण्टे का समय बहुत कम होता है।

महोदय, हमें कुछ भी छिपाना नहीं है। जब राजीव जी के समय हम सत्ता में थे हमने यह कई बार स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं राजीव जी ने भी इस सभा में यह स्पष्ट किया था। तत्पश्चात् वर्तमान प्रधानमन्त्री ने यह इस सभा में और दूसरे सदन में भी स्पष्ट कर दिया था। आज इस मुद्दे पर हमारा दृष्टिकोण एकदम साफ है। जहां तक बोफोर्स मुद्दे का संबंध हमें कुछ भी नहीं छिपाना है। (**व्यवधान**) आपने यह मांग की है कि माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं इस सभा में आएं। प्रधानमन्त्री कल इस सभा के समक्ष उपस्थित होंगे। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें आज ही आना चाहिए, कल नहीं।

श्री गुलाम नबी आजाद : ऐसा संभव नहीं है कि जब आप चाहें प्रधानमन्त्री यहां आ जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी उस चर्चा का जवाब दे रहे हैं जो करीब ढाई घण्टे तक चली है। आप कम से कम पांच मिनट के लिए भी उन्हें सुन लें।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भी स्पष्टीकरण मांगे हैं···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह कहना अत्यन्त अपमानजनक है कि प्रधानमंत्री कल आएंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) सभा को बरगलाइए नहीं। **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद : जब मैं यह कह रहा हूं कि वह कल सभा में आएंगे इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह आज नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री उन स्पष्टीकरणों का उत्तर यहां देंगे जिसकी मांग की गई है। आप जिस तरह चाहते हैं उस तरह भी जवाब दिया जा सकता है या विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप के रूप में भी यदि आप अलग वक्तव्य चाहते हैं तो प्रधानमंत्री वह देने के लिए तैयार है, परन्तु कल। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें अभी यहां आना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं नहीं जानता कि संसदीय कार्य मंत्री के इस तरह के वक्तव्य का क्या प्रभाव पड़ेगा उसे सरकार जानती है या नहीं। आज सुबह के संस्करण के एक प्रमुख समाचारपत्र में कुछ दस्तावेजों के आधार पर खुलेआम आरोप लगाया है जिसे विभिन्न पक्षों ने इस सभा में उठाया है और आज सरकार ने उसका खंडन भी नहीं किया है। रक्षा मंत्री जो बोफोर्स जांच के प्रभारी हैं वह यहां उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में सरकार के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि इस विषय पर जो भी कहा जाना है वह प्रधानमत्री कल कहेंगे। यह दृष्टिकोण अपनाकर सरकार ने स्वयं अपनी ही निंदा की है। इसके क्या तात्पर्य हैं ? मेरा यह मानना है कि आज आप स्वयं अपनी ही सरकार की निंदा कर रहे हैं। इसलिए जैसा कि हमारे सहयोगी मित्र ने आपको सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री द्वारा विवरण दिया जा सकता है। लेकिन महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्री सोलंकी ने जब स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को उक्त नोट (दस्तावेज) दिया था क्या उसमें प्रधानमंत्री की स्वीकृति निहित थी अथवा व्यक्त की गई थी। यह महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। यदि आज आपने यह कहा है कि श्री सोलंकी ने वह नोट दिया था जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया जिस पर प्रधानमंत्री की कोई स्वीकृति नहीं थी यदि ऐसा कहा जाता तो एक बात होती। आप यह भी कहने को तैयार क्यों नहीं हैं ? मुझे अत्यन्त खेद है कि इस सरकार ने स्वयं की निंदा की है और प्रधानमंत्री की निंदा की है और इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रही।

हम ऐसे रवैये को नहीं सह सकते। संसद एकदम से अस्तित्वहीन नहीं बनाया जा सकता। सुबह के 11.00 बजे से दिन के 2.00 बजे तक हम एक ही मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगते रहे कि क्या प्रधान-मंत्री······

श्री गुलाम नबी आजाद : यह स्पष्टीकरण राजनीति प्रेरित है और शरारतपूर्ण है। (**व्यवधान**)

1. 1 म० प०

इस समय श्री लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार सामने आए। मैं सरकार को आगे की कार्यवाही चलाने नहीं दूंगा (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी को अपना यह कथन कि "राजनीति प्रेरित है" वापस लेना होगा (**व्यवधान**)

आप कल तक के लिए सभा स्थगित कर दें (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभा 3 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

1.42 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.00 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को यहां बुलवाइए। जब तक प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, हाउस को आप एडजर्न करिए। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : जब अध्यक्ष महोदय चेयर में थे तो हम लोगों ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी को बुलाइए और यदि इतने बड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर प्रधानमंत्री नहीं आते है तो आप हाउस को एडजर्न करिए। (**व्यवधान**)

3.02 म० प०

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन के बीचोबीच आ गए।

श्री मदन लाल खुराना : इसमें प्रधानमंत्री का नाम आया है, इसलिए उनको स्वयं यहां आना चाहिए। आप हाउस को एडजर्न करिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 4.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

3.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 4.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

4.00 म० प०

लोक सभा 4.00 म० म० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम बिलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने आज सुबह 11.00 बजे से ही, क्वेश्चन आवर से ही, इस बात की मांग की है कि आज के स्टेट्समैन अखबार में जो कुछ निकला है, जिस प्रकार उसमें प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख किया गया है, स्विस विदेशमंत्री के द्वारा जो कहा गया है, भारत के विदेश मंत्री के द्वारा नोट देने की बात कही गई है, वह नोट प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था, और जिसको लेकर मैंने सवेरे कहा था कि इसमें चार चीजें हो सकती हैं या तो अखबार की न्यूज गलत हो सकती है, यदि अखबार की न्यूज सही है तो सरकार की ओर से ऐसा बयान आना चाहिए कि जैसा वहां के विदेश मंत्री ने कहा है, भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा नहीं कहा। चूंकि स्विस विदेश मंत्री ने कहा है कि न सिर्फ रिकार्ड पर है बल्कि उसे उन्होंने दोबारा चैक किया है, डबल चैक किया है, जो इस तरह की बातें आई हैं, वे सारी की सारी चीजें सी० बी० आई० को पास की गई हैं। इससे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री सिर्फ कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है और इस सदन के नेता हैं। इसलिए उस समय हम लोगों ने यह मांग की थी कि कम से कम आज सिर्फ सदन में आप कहें कि भारत के प्रधानमंत्री का किसी भी रूप में, जो नोट सोलंकी जी द्वारा वहां दिया गया है, जिसके कारण उन्हें जाना पड़ा, उसमें हाथ नहीं है और न उनके नौलेज में है। बाकी प्रधानमंत्री जी कल सदन में आकर स्टेटमैंट करें और उस स्टेटमैंट के बाद, यदि माननीय सदस्य कुछ शंकाएं जाहिर करें, यदि आवश्यकता हो तो उन्हें आप एलाव करें। लेकि आज कम से कम सरकार की तरफ से इतना अवश्य आना चाहिए कि प्रधानमंत्री का किसी भी रूप में न तो कोई हाथ था, न उनकी एप्रूवल थी, और न उनकी नौलेज में था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सभा का नियम यह है कि जब अध्यक्ष महोदय बोल रहे हों तो श्री आचार्य नहीं बैठते और जब श्री आचार्य बोल रहे होते हैं तो अध्यक्ष महोदय चुप रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कम-से-कम सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कुछ कहने दें। हमारे कहने के पश्चात् यदि आप उससे संतुष्ट न हों तो कह सकते हैं।

[हिन्दी]

देखिए, आज सदन की सभी पार्टियों के नेताओं के साथ मेरी चर्चा हुई है और जैसा अभी पासवान जी ने कहा, वैसा करने में आप सब की उसमें मान्यता है। इसलिए मैं श्री गुलाम नबी आजाद साहब को या जो भी कोई गवर्नमैंट की तरफ से बोलना चाहें, उनको इजाजत दे रहा हूं, वे जो कुछ गवर्नमैंट की तरफ से कहना चाहते हैं, कहें। जैसा जसवंत सिंह जी ने शुरू में कहा था और कल हमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहां स्टेटमैंट करेंगे, उसके बाद अगर कुछ होगा, हर पार्टी की तरफ से सिर्फ

एक सदस्य बोलें आप डिसाइड कर लें कि आप कौन बोलने वाले हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब रिप्लाई करेंगे। अब कैसे कानून के मुताबिक, रूल्स के अनुसार, इसे कर सकते हैं वह मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पहले कहा है वह मैं दुहराता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री कल या तो अलग वक्तव्य देंगे या विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए...(**व्यवधान**)···यही समस्या है। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : हमें अलग वक्तव्य चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री गुलाम नबी आजाद : अलग वक्तव्य ठीक है। मैंने दो बातें कही थी। आप में से कोई एक यह कह सकता था। लेकिन चूंकि आप वक्तव्य देने पर बल दे रहे हैं तो वक्तव्य ही दी जाएगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। जहां तक हमारे मित्र श्री राम बिलास पासवान का सम्बन्ध है, उन्हें जो भी जानकारी लेनी है ले सकते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह आपको स्पष्ट बता देता हूं कि भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी ने जो नोट श्री फेल्बर को दिया था प्रधानमंत्री नरसिंह राव को उसकी कोई जानकारी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे।

———

4.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं शहरी विकास मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1804/92]

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1805/92]

श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेक्नोलोजी, त्रिवेंद्रम का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (i) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेक्नोलाजी त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेक्नोलाजी, त्रिवेन्द्रम के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(iii) श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिट्यूट फार मेडिकल साइंसिस एण्ड टेक्नोलाजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1806/92]

(2) उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (i) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंसिस, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंसिस, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1807/92]

(5) (i) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1808/92]

( ) (i) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रति-वदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, इलाहाबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपयुक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1809/92]

(9) (i) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1810/92]

(11) अंतरिक्ष विभाग के वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1811/92]

(12) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1812/92]

(13) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1813/92]

(14) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1814/92]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखा तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री पी० जे० कुरियन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (i) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(ii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1815/92]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1816/92]

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (i) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1817/92]

म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन आने वाली कोयला खानों में भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री वल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन कोयला क्षेत्रों में नई नियुक्तियां करने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिसके परिणामस्वरूप रिक्तयां नहीं भरी जा रही हैं और नए खादानों में कार्य करने हेतु आवश्यक व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। अतः कोयला उद्योग की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा कोयला क्षेत्र में भूमि से बेदखल कर दिए गए लोगों तथा युवाओं में असन्तोष और क्रोध बढ़ रहा है।

अतः मैं सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने और शीघ्र ही इस प्रतिबन्ध को उठा लेने का तथा इस उद्योग और कोयला क्षेत्र दोनों के ही हित में रोजगार प्रदान की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध करूंगा।

(दो) कालीकट रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : मैं कालीकट रेलवे स्टेशन की शोचनीय दशा की ओर ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं। यह दक्षिण रेलवे के पुराने स्टेशनों में से एक है। आज भी इसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। लोगों में एक आम धारणा बन गई है कि मालाबार क्षेत्र दक्षिण रेलवे का एक उपेक्षित भाग है।

यद्यपि कि कालीकट में दूसरे दर्जे और वातानुकूलित कुर्सीयान के टिकटों के लिए भारी भीड़ रहती है फिर भी अधिकारीगण कंम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू करने में काफी समय ले रहे हैं। अधिकारीगण इस क्षेत्र के प्रति अपनी उपेक्षा दर्शा रहे हैं क्योंकि विद्यमान सुविधाओं को भी वहां से हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने वहां पेयजल तथा अन्य मौलिक सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। वर्तमान में सभी रेलगाड़ियां कालीकट में रुकती है। रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए कुछ गाड़ियों को जो कालीकट में रुकती हैं; काल्लची स्टेशन पर रोका जा सकता है।

(तीन) **आंध्र प्रदेश में एल्युमीनियम संयंत्र स्थापित किए जाने की आ श्यकता**

श्री रामकृष्ण कोंताला (अनकापल्ली) : पूर्वी घाट विशेषकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी और विजयनगरम जिलों में बाक्साइट के भंडारों का पता वर्ष 1970 में चला है। आंध्र प्रदेश औद्योगिक निगम आयोग ने बाक्साइट भण्डारों पर आधारित एल्युमीना/एल्युमीनियम स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया तथा 1977 में 6 लाख टन क्षमता की एल्युमीना संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की तथा इसके लिए विशाखापतनम जिले में कृष्णाथिभिपेटा के निकट कोनुकोंडा गांव को चुना एल्युमीना/एल्युमीनियम संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने किया तथा दो स्थानों एक उड़ीसा में कोरापुट के निकट और दूसरा आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम जिले के निकट कृष्णाथिभिपेटा के निकट तथा विजयनगरम जिले के बोड्डारानु को चुना। उड़ीसा में प्रस्तावित संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन फ्रांस की एक कम्पनी को सौंपा गया और कृष्णाथिभिपेटा में दूसरे का सोवियत कम्पनी को सौंपा गया था। सोवियत विशेषज्ञों ने भारत एल्युमीनियम कम्पनी लि० के साथ ही इस परियोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट वर्ष 1970 में प्रस्तुत कर दिया। राज्य सरकार पहले ही कुल 2,433 एकड़ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर चुकी थी तथा इसने जल विद्युत तथा अन्य आवश्यकताएं, यदि कोई हो, जैसी मूलभूत सुविधाओं की पेशकश की थी।

वर्ष 1986 में नेल्को तथा राज्य और केन्द्र सरकार के विभागों ने संयुक्त रूप से इसका दौरा किया तथा सम्पूर्ण कारखाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया और इसकी सम्भावना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य नेल्को को सौंपा गया था जोकि इसने भारत सरकार को प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने भी खनिज अधिकार करके भुगतान में छूट की अवधि बढ़ा दी है और 1988 से अब तक इस संयंत्र को शुरू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं केन्द्र सरकार से इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्तावित एल्युमिना/एल्युमिनियम कारखाने को जल्द से जल्द नेल्को अथवा बाल्को को सौंपा जाए।

(चार) **पान की खेती को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, उ० प्र० के झांसी एवं ललितपुर जनपद के एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्रों मे पान की खेती होती रही है। इस क्षेत्र में पान की खेती आर्थिक आय का प्रमुख स्रोत भी है। लेकिन विगत 3-4 वर्षों से पान की खेती करने वाले किसानों को भी क्षति उठानी पड़ रही है। ऐसी बीमारियों ने जन्म ले लिया है कि पान की फसल फलने-फूलने के बाद नष्ट

हो जाती है जिससे किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ती है और निर्यात पर काफी असर पड़ता है अतः कृषि मंत्री जी से मांग है कि पान की खेती पर बीमा योजना लागू की जाए, इसे उद्योग का दर्जा दिया जाए और खेती करने वालों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदार करें।

(पांच) टोंक जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या पर काबू पाने के लिए राजस्थान सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम नारायण बैरवा (टोंक) : राजस्थान राज्य में पीने के पानी की भयंकर समस्या सर्वविदित है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोंक जिले में पिछले सालों में औसत से कहीं बहुत कम वर्षा होने की वजह से पूरे जिले के तालाब, पोखर एवं सार्वजनिक कुओं का पानी सूख गया है तथा पानी का जलस्तर भी बहुत कम होने के साथ-साथ पानी के स्रोतों में पानी की आवक बहुत कम होने के कारण तथा पानी में खारापन तथा फ्लोराईड की मात्रा बढ़ने से जल समस्या में और बढ़ोतरी हो रही है।

राजस्थान सरकार समस्या के समाधान हेतु प्रयत्नशील है परन्तु सीमित धन होने की वजह से पूर्ण समस्या का समाधान राज्य सरकार नहीं कर पा रही है।

अतः टोंक जिले की पानी की समस्या के समाधान हेतु निम्न सुझावों के अनुरूप कार्यवाही करना आवश्यक हैं :

(1) राजस्थान के अन्य जिलों की तरह टोंक जिले में पशुओं की जल आपूर्ति हेतु जल योजनाएं बनाई जाएं।

(2) खारा पानी तथा फ्लोराईड से प्रभावित ग्रामों हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 318 ग्रामों के लिए भिजवाए गए प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराकर आवश्यक धन उपलब्ध करवाया जाए।

यदि समय पर उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई तो पशु तथा जनहानि होने की आशंका है।

(छः) जल विवाद का शीघ्र समाधान ढूंढने लिए रिहन्द जल समझौते का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : 16 सितम्बर सन् 1973 में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जल विवाद को लेकर एक बाण सागर समझौता हुआ था। इसमें बिहार को रिहन्द जलाशय से 50 लाख एकड़ फुट पानी देने की बात कही गई थी। परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस समझौते पर अम्ल नहीं किया जा रहा है तथा रिहन्द जलाशय का पानी विद्युत परियोजनाओं में ले आया जा रहा है। इससे बिहार में 118 वर्ष पुरानी सोन नहर बेकार हो जाने की स्थिति में आ गई है तथा सोन अंचल के किसान अपने 22.50 लाख एकड़ भूमि पर अपनी सिंचाई नहीं कर पाएंगे जिसके चलते उनका खेत प्रत्येक साल परती रह जाएगा। इन खेतों में अनाज पैदा नहीं होने से देश में राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान होगा।

अतः केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाए। अगर इसमें इस विवाद का हल नहीं निकलता है तो इस मामले को उच्चतम न्यायालय या न्यायाधिकरण को दे दिया जाए।

(सात) उड़ीसा में सालबनी अथवा अन्य किसी स्थान पर मुद्रा मुद्रण प्रेस स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : विभिन्न बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के प्रधान और क्षेत्रीय कार्यालयों के अभाव में उड़ीसा राज्य में बैंकिंग क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। उस राज्य में अनेक शाखाओं के कार्य करते रहने के बावजूद ऐसा हो रहा है। मुद्रा मुद्रण प्रेस की स्थापना में अत्यधिक देर होने के कारण उड़ीसा के लोग बहुत ही क्षुब्ध हैं। मुद्रा मुद्रण प्रेस की स्थापना का प्रस्ताव बहुत लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत समय पूर्व कर्नाटक के मैसूर में तथा उड़ीसा के सालबनी में मुद्रा मुद्रण प्रेस स्थाप्ति करने का निर्णय लिया था।

तथापि उड़ीसा में मुद्रा मुद्रण प्रेस स्थापित करने के प्रस्ताव को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। नासिक और देवास के प्रतिभूति मुद्रणालय पर निर्भर होने के बदले जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना मुद्रा मुद्रण प्रेस स्थापित का निश्चय किया तो भारत सरकार ने इसकी एक इकाई उड़ीसा में स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया था। यदि सालबनी में मुद्रा मुद्रण प्रेस की स्थापना नहीं की गई तो बैंकिंग अवसंरचनाओं की और भी उपेक्षा होगी। अतः उपरोक्त प्रस्ताव के जल्द से जल्द कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यह क्षेत्रीय विसंगति को भी दूर करेगा। अतः मैं यह मांग करता हूं कि सालबनी या उड़ीसा के अन्य किसी भी भाग में जल्द से जल्द प्रस्तावित मुद्रा मुद्रण प्रेस की स्थापना की जाए।

4.16 म० प०

अनुदानों की (मांगें सामान्य) 1992-93 (जारी)

विदेश मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आगे चर्चा करेगी। श्री पी० जी० नारायणन अपनी बात जारी कर सकते हैं।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, इस समय सोवियत संघ अस्तित्व में नहीं है। भारतीय उप-महाद्वीप के सम्बन्ध में रूसी गणराज्य में नए विचारों को समझना कठिन नहीं है। सोवियत संघ के विधिवत अस्तित्व में न रहने से पूर्व भी उसने नाभिकीय-अस्त्र-मुक्त क्षेत्र के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के संकल्प के पक्ष में मतदान किया था। रूसी उपराष्ट्रपति ने अपने हाल के पाकिस्तानी दौरे के दौरान आशा व्यक्त की थी कि अन्तरराष्ट्रीय समझौतों के आधार पर कश्मीर के मुद्दे का समाधान भारत और पाकिस्तान के मध्य परस्पर बातचीत द्वारा शांतिपूर्वक किया जाएगा उनके दौरे की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में भी दोनों देशों के मध्य सैनिक सहयोग के बारे में उल्लेख किया गया था। इन गतिविधियों का यह अभिप्राय नहीं है कि संयुक्त संघ के स्थान पर बने रूसी गणराज्यों अथवा दूसरे गणराज्यों के सम्बन्ध भारत के साथ मित्रतापूर्ण नहीं होंगे। परन्तु वे यह सुझाव अवश्य देते हैं कि भारत इन गणराज्यों से अब उसी प्रत्युत्तर, रुख की आशा और अधिक नहीं कर सकता जो सोवियत संघ द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में घटने वाली घटनाओं के प्रति प्रकट किया

गया था। अब हमारे लिए उचित समय आ गया है कि हम स्वयं को उन परिवर्तनों के अनुरूप ढालें जोकि उसी आधार पर हुए थे जिस आधार पर पिछले चालीस वर्षों में भारत सोवियत सम्बन्ध स्थापित हुए थे।

इस समय अमरीका द्वारा आपत्ति उठाने के कारण भारत को राकेट प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण न करने का समाचार एक और गम्भीर संकट उत्पन्न कर रहा है। अमरीका की मांग यह है कि यदि रूस भारत के साथ अनुबन्ध को तुरन्त रद्द नहीं करेगा तो अमरीका को उसके साथ व्यापार सम्बन्धी अपनी स्वीकृति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। यदि भारत को राकेट प्रौद्योगिकी प्रदान नहीं की जाती अथवा प्राप्त होनी बन्द हो जाती है। इससे हमारे अन्तरिक्ष कार्यक्रम बुरी तरह से प्रभावित होंगे। हम यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हम रचनात्मक उद्देश्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा और दूसरी संबंधित प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। तब फिर अमरीका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अपनी आपत्ति क्यों उठा रहा है? यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। अतः सरकार को इस मुद्दे पर अवश्य कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

कश्मीर का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। 1947 से यह मुद्दा चला आ रहा है। हमने शिमला समझौता किया था और उसके पश्चात् हमें आशा की कि पाकिस्तान कम से कम उस समझौते का पालन करेगा जिस पर उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे। यद्यपि अक्तूबर और दिसम्बर, 1991 तथा फरवरी, 1992 में आयोजित अपनी बैठकों के पश्चात् भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने तनाव कम करने और इन मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय रूप से और शांतिपूर्वक करने की आवश्यकता दोहराई थी, फिर भी द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदम उसके दिए गए बयानों के अनुरूप नहीं है। अब पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अमानुल्लाह खान और उसके जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा संगठन का इस्तेमाल वहां पर विद्रोह की आग भड़काने में कर रहा है। यद्यपि घाटी में विद्रोहियों की संख्या कम हो रही है परन्तु वह वास्तविक नियंत्रण सीमा रेखा के उस पार पाकिस्तान द्वारा भड़कायी गई गतिविधियों का मुकाबले करने की भारतीय सशस्त्र बलों की योग्यता द्वारा ही ऐसा सम्भव हो सका है। परन्तु हमारे राजनैतिक नेताओं को राजनैतिक और राजनयिक दोनों प्रकार से पाकिस्तानी चुनौती का मुकाबला करने का तरीका ढूंढ़ना होगा।

महोदय, इससे भी अधिक दुःखप्रद बात श्रीलंका के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी। श्रीलंका की सरकार 'लिट्टे' को समाप्त करने की योजना बना रही है। उन्होंने इसके लिए सैन्य योजना बनाई है और इसका कार्यान्वियन भी सेना ही करेगी। भारत अभी भी श्रीलंका में जातीय मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का इच्छुक है। भारत ने श्रीलंका की एकता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के दायरे में ही बातचीत के माध्यम से राजनैतिक समाधान करने की आवश्यकता के प्रति पुनः अपना विश्वास दोहराया है ताकि इस जातीय समस्या का स्थाई रूप से समाधान हो सके।

श्रीलंका की सरकार ने 1974 की भावना के विपरीत कार्यवाही की है जिसके अन्तर्गत तमिलनाडु के मछुआरों को मछलीपालन के अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार से 1974 के समझौते को रद्द करने की मांग की है ताकि मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए हमें कछाथीवु पुनः मिल सके।

1996 के समझौते को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है। यदि श्रीलंका ने इस समझौते को ठीक से लागू किया होता तब तमिलनाडु में हमारे समक्ष 'लिट्टे' की समस्या उत्पन्न नहीं होती

[श्री पी० जी० नारायणन]

हमने राजीव गांधी को उनकी हत्या होने से बचा लिया होता। इस समय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पुरुत्थी थलैवी जयललिता को लिट्टे आतंकवादी जान से मारने की धमकी दे रहे है। जैसाकि मुख्यमंत्री ने सूचना दी है एक आत्मघाती दस्ता उन्हें जान से मारने और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल के मुख्यालय को बम से उड़ा देने की योजना से तमिलनाडु में पहले ही प्रवेश कर चुका है। गुप्तचर ब्यूरो द्वारा इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। अत: सरकार को और अधिक विलम्ब किए बिना तुरन्त 'लिट्टे' पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।

इस सबके बावजूद भारत दोनों देशों के मध्य पारम्परिक और ऐतिहासिक सम्बन्धों को बनाए रखते हुए श्रीलंका के द्विपक्षीय सम्बन्ध और मजबूत करने के प्रति वचनबद्ध है जुलाई 1991 में भारत-श्रीलंका आयोग की स्थापना करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीलंका के शरणार्थियों की उनकी मातृभूमि में स्वेच्छापूर्वक वापसी श्रीलंका की सरकार से प्राप्त आश्वासनों के आधार पर 20 जनवरी, 1992 को शुरू हो गई थी।

अब मैं अपनी विदेश व्यापार नीति के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। हमने अपनी औद्योगिक नीति में काफी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। व्यापार नीति में भी परिवर्तन किए गए हैं। विदेशों ने हमारी औद्योगिक और व्यापार नीति के प्रति अपनी आशंका और चिंता व्यक्त की है। उन्हें स्वयं के लिए यह संदेह हो रहा है कि क्या भारत इस नीति को जारी रखेगा अथवा नहीं। हमें विदेशों में यह विश्वास उत्पन्न करना है ताकि बिना किसी संकोच के वे हमारी सहायता के लिए आगे आएं। मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में हमारी क्या योजनाएं हैं। विदेशों में स्थित हमारे राजदूतों को वहां पर विश्वास का वातावरण बनाने की दिशा में प्रभावकारी ढंग से कार्य करने के लिए उचित निर्देश दिए जाने चाहिए। केवल तभी हमें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो हम अपनी नई औद्योगिक और व्यापार नीति से प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ देशों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या भारत राजनैतिक रूप से इतना मजबूत है कि वह देश को एक करके रख सके क्योंकि अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्व इस समय कुछ भागों में देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पंजाब, असम और कश्मीर पहले ही काफी प्रभावी ढंग से आतंकवादियों की गिरफ्त और चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा केन्द्र में इस समय अल्पमत सरकार सत्तारूढ़ है। विदेशों को यह नहीं समझना चाहिए कि हम कमजोर हैं और अलगाववादियों तथा आतंकवादियों तथा आतंकवादियों द्वारा खड़ी की गई समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हैं। अतएव हमें अपनी विश्वसनीयता और शक्ति सिद्ध करनी है। भारत ने सदैव सतत रूप से अन्य देशों के साथ सद्भावपूर्ण और घनिष्ठ आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध बनाए रखे हैं और इससे उन देशों के साथ व्यापार समझौता करने का रास्ता खुला है। विदेशों में गए भारतीय शिष्टमंडल में हमारे वाणिज्यिक अधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिए निर्यात में तेजी लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अन्त में, मैं अपने अन्य पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों में काफी उल्लेखनीय सुधार हुआ है विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में अपने तरह की पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की स्थापना होने के पश्चात्। तथाकथित चीन के नाम का इस्तेमाल करने के पुराने दिन अब समाप्त हो गए हैं और राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनयिक कई मोर्चों पर दोनों देशों ने और घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है। कई क्षेत्रों जैसे नदी के जल की व्यवस्था में सहयोग करने की काफी गुंजाइश है।

बंगलादेश में लोकतन्त्र की स्थापना होने के कारण वातावरण में काफी सुधार आने के बावजूद भी बंगलादेश के साथ हमने अपनी परस्पर समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया। परस्पर सद्भाव स्थापित करने जैसे विषयों पर व्यापार के समान दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है यदि हम बंगलादेश के स्वतन्त्र होने के समय पर बीस वर्ष पूर्व आरम्भ की गई मित्रता की भावना को पुन: काबिज करना चाहते हैं।

किसी भी स्थिति में समय की कसौटी पर खरी उतरी विदेश नीति जारी रहनी चाहिए। हम सभी देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की स्थिति में हों और किसी की भी चापलूसी न करें। हमारी नयी विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के लिए यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : महोदय, जब हम विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा करतें हैं, अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक स्थितियों में और दूसरे परिवर्तन भी होते रहते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य परस्पर सम्बन्धों में नये आयाम बने हैं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका और तत्कालीन सोवियत संघ विश्व में दो सन्तुलनकारी महाशक्तियां हैं। परन्तु इस समय भूतपूर्व सोवियतसंघ के विभिन्न गणराज्यों में बंट जाने के पश्चात् अमरीका सम्पूर्ण देश के रक्षक की भूमिका निभा रहा है। जब हम अमरीका की नीति पर एक नजर डालते हैं, यह देखा जा सकता है कि अमरीका कभी भी किसी का स्थायी मित्र बनकर नहीं रहा है। परन्तु इसकी दूसरों में रुचि हमेशा रही है। हमारी सोवियत संघ के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी मित्रता थी और हमारे संकट के समय सोवियत संघ हमारे साथ था। परन्तु मेरे विचार से राजनैतिक परिदृश्य और स्थिति में परिवर्तन होने के साथ ही भारत को विश्व राजनीति में एक सुदृढ़ और अग्रणी भूमिका का निर्वाह करना है।

मैं महसूस करता हूं कि विश्व में राजनैतिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अमरीका द्वारा उठाये गये कदम यह दर्शाते हैं कि जब तक कि विकासशील देश और तीसरे विश्व के देश एक नहीं होते, हमारे हित संकट में रहेंगे। कुवैत में अमरीका द्वारा लिए गये निर्णय को आपने देखा है। सद्दाम हुसैन को निकाल बाहर करने के नाम पर उन्होंने कुवैत में हस्तक्षेप किया और युद्ध छेड़ दिया जिसमें इसे काफी लाभ हुआ। पुन: कुवैत का पुनर्निमाण करने के नाम पर वह दुबारा दखल कर रहा है और इससे काफी लाभ उठा रहा है। भूतपूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी और समाजवादी देश सम्पूर्ण देश को एक राजनैतिक सन्तुलन प्रदान करने में समर्थ थे। परन्तु दुर्भाग्य से वह ताकत इस समय अब मौजूद नहीं है। मेरा यह विचार नहीं है कि साम्यवाद की समाप्ति हो गई है। मुझे विश्वास है कि विश्व राजनीति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे एक नयी व्यवस्था जन्म लेगी ताकि मानवीय समस्याओं का समाधान एक लोकतांत्रिक तरीके से हो सके। वर्तमान रूस में भी नयी घटनायें यह दर्शाती हैं कि लोकतांत्रिक तरीके और लोकतांत्रिक मान दण्ड ही अधिक उपयुक्त हैं।

जहां तक भारतीय उपमहाद्वीप का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू और माओ-तसे-तुंग के समय में हमारे 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' वाले सम्बन्ध थे। सन् 1962 में इन सम्बन्धों का अन्त हो गया। लेकिन इसके पश्चात् 25 वर्षों के बाद हमने श्री राजीव गांधी को चीन की यात्रा करते देखा और कुछ दिनों पहले हमारे उपराष्ट्रपति जी भी चीन गए। अत: दोनों देशों के बीच नए सम्बन्ध बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने के नाते पिछली कड़वाहट को भूल जाना चाहिए और अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

[प्रो० के० वी० थामस]

जहां तक कि पाकिस्तान का सम्बन्ध है, पाकिस्तान ने हमें हमेशा कठिनाई में डाला है। लेकिन फिर भी वे हमारे भाई हैं। हमें परस्पर सहमति से किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए।

अब हम श्रीलंका की बात लें हमने हमेशा श्रीलंका के लोकतन्त्रात्मक ढांचों के भीतर श्रीलंका में बसे हुए अपने तमिल भाईयों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की है। लेकिन दुर्भाग्यवश श्रीलंका में कुछ ताकतवर तमिल जातीय समुदाय राजीव-जयवर्द्धने समझौते के साथ सहयोग नहीं देते। मैं समझता हूं हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि श्रीलंका में जातीय मुद्दे को शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा सुलझाया जाए।

विश्व के सम्मुख कुछ मुद्दे हैं। एक समस्या जिसका पूरा विश्व सामना कर रहा है वह है आतंकवाद। भारत भी आतंकवाद का शिकार है। जो कुछ भी पंजाब और कश्मीर में हो रहा है वह कोई पृथक मुद्दा नहीं है। इसी तरह से आतंकवादी गतिविधियां इंग्लैंड तथा अन्य स्थानों में भी हो रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत को पहल करनी चाहिए, ताकि विश्व के सभी देश एकजुट होकर आगे आयें और एक विश्वव्यापी मुद्दे के रूप में आतंकवाद से लड़ें।

आज हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। लेकिन यह ग्रह पृथ्वी अनेक पर्यावरण समस्याओं का सामना कर रही है ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। इस सीमा तक वनों का नाश हो रहा है कि पहले से विद्यमान वनों में से एक तिहाई भाग लगभग नष्ट हो गया है। अतः इस पर्यावरण की समस्या को सम्पूर्ण विश्व की समस्या के रूप में देखना चाहिए।

तत्पश्चात् हमारी एक और समस्या है, वह है गरीबी की समस्या। एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में लाखों बच्चे गरीबी का शिकार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व की समस्या है और इसे केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को ही हल करना चाहिए। इसी तरह से निरक्षरता भी सम्पूर्ण विश्व की समस्या है और इसे भी सम्पूर्ण विश्व को हल करना चाहिए।

यहां एड्स जैसे स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे भी हैं। इस बीमारी का खतरा भारत में इस तरह से फैल रहा है कि यह एक ऐसा बहुत बड़ा स्वास्थ्य सम्बन्धी संकट उत्पन्न कर देगा जिसका कि हमारा देश को सामना करना पड़ेगा। सामान्यतः मादक तथा नशीली दवाओं सम्बन्धी समस्या को भी सम्पूर्ण विश्व की समस्या के रूप में हल किया जाना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा जोकि मैं उठाना चाहता हूं वह खाड़ी देशों से सम्बन्धित है। मैंने अनेक बार खाड़ी देशों की यात्रा की है। यू०ए०ई० और खाड़ी के देशों में काफी अधिक संख्या में भारतीय काम कर रहे हैं। हमें उन देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाने के प्रयत्न करने चाहिए। इन देशों में कार्य कर रहे लोगों की अनेक समस्याएं हैं। इन खाड़ी देशों में दूतावासों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके, उनकी समस्याएं हल हों। हमें मुस्लिम देशों के साथ भी बेहतर सम्बन्ध बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की महत्वपूर्ण विदेश नीति व

भारत के आस-पास के राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध और विश्व के समस्त राष्ट्रों के सम्बन्ध में आज जो स्थिति है, उसके बारे में विचार करते समय, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था व हमारे मित्र पड़ौसी राष्ट्रों के साथ हमारे सम्बन्ध और उसकी आधारशिला महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय की गम्भीरता के बारे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी की हत्या व श्रीलंका से सम्बन्धित हमारी जो नीति थी, उससे सम्बन्धित लिट्टे का जो प्रादुर्भाव हुआ, वह एक अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है। इस प्रकार से पाकिस्तान ने जबसे शिक्षा देकर, पैसा देकर, शस्त्र देकर के विभिन्न प्रकार के आतंकवादियों को पंजाब में भेजना शुरू कर दिया तभी से हमारे पंजाब की शांति को धक्का लगा। पंजाब की समस्या के कारण हमें भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी को खोना पड़ा। मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण इसको गम्भीरता के बारे में चिन्तन करना चाहिए। आज भी स्थिति यह है कि हम बंगलादेश को आने वाले समय में अपनी तीन बीघा भूमि को देने जा रहे हैं ताकि हमारे पड़ौसी राष्ट्र के साथ अच्छे सम्बन्ध हों।

इस कारण से यह छोटा सा त्याग यदि हमें तीन बीघा का करना पड़ा तो वह सम्बन्ध की मधुरता के लिए आवश्यक है। परन्तु मैं ;आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बंगलादेश के अन्दर आज एक नहीं अनेक आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के, शस्त्र देने के और उन्हें तैयार करके भारत के विभिन्न प्रदेशों के अन्दर वहां की शांति व्यवस्था को भंग करने के षड़यंत्र आज भी जारी हैं। उल्फा के लिए माइमेंनसिह, जयतीपुर, जोयदपुर, आदमपुर, भानुगच, श्रीमंगल जो मौलवी बाजार में है वे सब बंगलादेश के वे स्थान हैं जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है।

4.41 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन]

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यह ये उल्फा के लोग वहां प्रशिक्षण लेकर हमारे असम की शांति को भग करते रहे हैं जिसके कारण वहां खून-खराबा होता रहा है। कई प्रकार के लोगों के एस्टोर्शन होते रहे हैं करोड़ों रुपये के, यहां पर जो वहां पेट्रोलियम विभाग है, गैस का विभाग है, तेल का विभाग है उनके अधिकारियों को अपहृत किया जाता है. उनका वहां कत्ल भी किया गया है। ये सब आतंकवादी बंगलादेश के उल्फा ट्रेनिंग कैम्प्स से ही सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार से मुला जो दूसरा बोडो आतंकवादियों का संगठन है उनके लिए भी बंगलादेश में नीलफामारी आर्मी कैम्प और गैबन्डा आर्मी कैम्प भी वहीं स्थित हैं। इसी प्रकार से मुला के जो दूसरे आर्मी कैम्प्स हैं जो मैंयमनसिह जयन्तीपुर के अन्दर और ढाका के अन्दर जोयदपुर है, यह भी बंगलादेश में स्थित है। यही नहीं अन्य स्थानों पर सलोपी और चटगांव के हिल्स एरिया के अन्दर इसी प्रकार के कैम्प हैं। पी० एल० ए० के कैम्प छोटाधामी नयापट्टन, लोंगला, रामनगर, अम्बरखान, आदमपुर, सोना रूपा टी इस्टेट और भानुगच्च जो मौलवी बाजार में है, ये सब भी बंगलादेश में स्थित हैं।

इसी प्रकार से ए० टी० टी० एफ० के कैम्प रेजा, कासलोंग, मयान्नी, जोपुरी, थानागंज जो चिटगांव में स्थित है, ये भी बंगलादेश में स्थित हैं। इसी प्रकार से एम० एन० एफ० के कैम्प अलीकदम चिटगांव के हिल्स एरिया में स्थित है। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं इससे पता लगेगा कि बंगलादेश में कम से कम चालीस-पचास जगहों पर भारत के विभिन्न स्थानों के अन्दर आतंकवादियों को ट्रेंड करके और असम में शांति भंग की जा रही है।

[श्री गुमान मल लोढा]

नार्थ-ईस्टर्न क्षेत्र में नागालैंड, मिजोरम हैं तथा अन्य स्थान हैं वहां भी खून की होली खिलवाने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए यह कहना कि मित्रों से सहानुभूति के लिए तीन बीघा जमीन देना चाहते हैं मैं समझता हूं यह अपने आप को धोखा देना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय मैत्री हुई थी, यह ठीक है जब हमने बंगलादेश का उद्धार कराया, स्वतन्त्र कराया उस समय शेख मुजीबुर्रहमान वहां के प्रधानमन्त्री थे और उनको प्रधानमन्त्री बनाने में हमने मदद की, इमदाद दी। उनके साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे और मधुर थे। इसीलिए शेखमुजीबुर्रहमान और इन्दिरा गांधी पैक्ट 1974 हुआ। परन्तु समय-समय पर सम्बन्ध बिगड़ते रहे, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। अब बंगलादेश को तीन बीघा जमीन देने की बात करना और वह इसलिए कि सम्बन्ध अच्छे रहें, मैं समझता हूं हमारी राजनीतिक भूल होगी। स्थिति यह है कि तीन बीघा एरिया के अन्दर यदि हम बंगलादेश के लोगों को आने की इजाजत देते हैं, जैसा कि हमारे भूतपूर्व विदेश मन्त्री सोलंकी साहब ने कहा और यहां पर स्टेटमेंट भी दिया जिसके कारण हमारे पश्चिम बंगाल में असन्तोष है। वहां पर आज भी ह्यूमैन चेन बनाई गई है, सत्याग्रह, आन्दोलन और धरने दिए जा रहे हैं। वहां की जनता त्रासित है, उत्पीड़ित है। यदि यह भूमि बंगलादेश को दे दी गई, इसके कारण हमारा जो कुसलबाड़ी एरिया है जहां पचास हजार के करीब भारतीय रहते हैं उनके जीवन को खतरा हो जायेगा। मैं यह समझने में आज भी असमर्थ हूं कि यदि बंगलादेश के लोगों को रास्ता ही देना है। केवल उनको पैसेज देना है तो क्या कारण हैं। कि फ्लाईओवर नहीं दिया जा सकता है। हमने उस समय मन्त्री महोदय को सजेस्ट किया था और बंगाल के हम ही नहीं बल्कि कई अन्य दल हैं जो सी०पी० एम० के साथ हैं इस प्रश्न पर आन्दोलित हैं और उन्होंने भी कहा कि वहां पर केवल रास्ता देने की बात है तो रास्ता फ्लाई ओवर देकर बनाया जा सकता है। जो भारत की भूमि है, उसे देने की क्या आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि यह कहा जाता है कि वहां एक सिपाही खड़ा हो जायेगा जो सब रेगूलेट करेगा जिसमें एक घण्टा एक तरफ हाथ कर देगा तो भारत के लोग और दूसरी तरफ हाथ कर देगा तो बंगलादेश के लोग जायेंगे। बंगलादेश की सीमा के ऊपर भी हमारे मिलिट्री के जवान हैं, फिर भी आज लाखों बंगलादेशी लोग आकर न केवल पश्चिमी बंगाल के अन्दर बल्कि देश के अन्य स्थानों पर इल्लिगल इम्मीग्रेशन के नाते घुसपैठ की है तो सिपाही उनको कैसे रोक सकेगा? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह इल्लिगल इम्मीग्रेशन की समस्या बड़ी गम्भीर है। ऐसे लोग देश के अन्य भागों में दिल्ली और लखनऊ में बस गये हैं। उनकी एक्टिविटीज कलकत्ता में बड़ी भारी मात्रा में हैं जहां वे आकर बसे। वे वहां पर वोटिंग का अधिकार चाहते हैं दूसरी ओर तीन बीघा जमीन देने के बाद केवल रास्ता ही नहीं दिया जायेगा बल्कि इस सन्धि में यह भी है कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स, टैंट्स, मिसाइल्ज, आर्म्ड गार्ड्स भी ले जाना चाहेंगे। वे उसको उस रास्ते से ले जायेंगे यह कितना आत्मघातक है इसकी कल्पना इसलिए की जा सकती है कि हम अपनी भूमि पर उनको आने देंगे तथा दूसरी स्थिति यह है कि जब रेडक्लिफ् अवार्ड हुआ था तो उसके अन्दर ईस्ट पाकिस्तान और अब बंगलादेश के 12 पुलिस थानों की जमीन हमें मिलनी थी लेकिन हमारी कमजोर निर्बल सरकार ने आज तक उस भूमि को वहां के रहने वाले लोगों की दया पर छोड़ रखा है।

हम उस समय गृह मन्त्री जी से मिलने गये थे और उनको कहा था कि रेडक्लिफ् अवार्ड को पालना कराइये। इस अवार्ड के द्वारा जो जमीन दी गयी है, वह लेते नहीं और इधर आप उदार बनते जा

रहे हैं। क्या आप उनको जमीन देने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति के अन्दर आसपास के देशों को ऐसा परिचय मिलना चाहिए कि भारत के पास केवल शांति की बात ही नहीं है, शांति के पीछे शक्ति भी है। केवल शांति का नारा हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि शांति के साथ में शक्ति है और यदि शक्ति का भय होगा तो शक्ति की भक्ति सब करेंगे।

इस शांति के रहते हुए ही चीन ने भारत पर हमला किया। जबकि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री उदारता के साथ चीन के लिए हिन्दी-चीनी भाई भाई का नारा लगाया था और यह सोचा था कि चीन हमारी रक्षा के लिए आएगा लेकिन रक्षक भक्षक बन गया। उसने हमारी सेना को गाजर-मूली की तरह काट दिया और हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया। आज तिब्बत हमारे पास नहीं है तिब्बत के नौजवान जब यहां आते हैं तो बोट क्लब पर चारों ओर पर्चे देते हैं। आज दलाईलामा और उनके साथी यहां पर भिखारी की तरह घूम रहे हैं। तो इस प्रकार तिब्बत हमने खोया और चीन के हमले के समय हम कुछ नहीं कर सके। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने जिन भूभाग पर पर कब्जा कर रखा है, आज भी वहां पर वही स्थिति है तो मेरा निवेदन है कि शांति के साथ शक्ति को साथ लेकर कार्य करना चाहिए और वास्तविकता को समझना चाहिए। भावुकता को नहीं दिखाया जाना चाहिए। वह तो केवल ढोंग है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमें ड्युल सिटिजनशिप देनी चाहिए। अमरीका, इंग्लैंड में रहने वाले जो भारतीय हैं, आज उनको कठिनाइयां हैं। उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए यदि ड्युल सिटिजनशिप देंगे तो आर्थिक रूप से हमें लाभ होगा और सब प्रकार से वहां पर फारेन एक्सचेंज में भी लाभ होगा। उन नागरिकों को जब हमने इंडस्ट्रियल पालिसी में, फिस्कल पालिसी में, कामर्शियल पालिसीज में, फाइनेंशियल मैटर्स में, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में सब प्रकार के परिवर्तन किए हैं और उन परिवर्तनों के द्वारा हमने लिबरलाइजेशन का नारा दिया है और यह कहा है कि देश की खुशहाली के लिए, इकनामिक अपलिफ्ट के लिए, इंडस्ट्रियल अपलिफ्ट के लिए हम सब एन० आर० आईज को मौका दे रहे हैं। उन एन० आर० आईज का कहना यह है कि अगर आप न्यौता देते हैं तो न्यौता भूखा-सूखा मत दीजिए। हमें यहां पर रहने का अधिकार दीजिए। हम भारत के मूल नागरिक हैं। मेरा निवेदन यह है कि भारत के नागरिकों को जो बाहर गए हुए हैं, उनको डुअल सिटिजनशिप देने के बारे में भी सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अफगानिस्तान में जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, हम केवल मूक दर्शक और निष्क्रिय बनकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान वहां अपने कार्ड्ज प्ले कर रहा है, यू० एन० वहां अपने कार्ड्ज प्ले कर रहा है। दुनिया के सब राष्ट्र अफगानिस्तान की राजनीति में किस प्रकार से भावी शासन बनेगा उसकी चिन्ता कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं करते। आखिर हमारे जितने पड़ोसी हैं, उनके बारे में हमें सजग रहना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम की शक्ति बन चुकी है। इसकी कई बार स्वीकृति हो चुकी है और परीक्षण हो चुका है। लेकिन हमें उस बारे में जितना सजग होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम उसका मुकाबला कर सकें, उत्तर दे सकें, हम उतने सजग नहीं हैं। इस प्रकार की शक्ति हमें भी अपने राष्ट्र में तैयार करनी चाहिए। इन्हीं मुकाबलों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी इस नीति की आधारशिला वास्तविकता होनी चाहिए, ग्राउण्ड रियलिटी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि इस विशिष्ट भूभाग के अन्दर हमारी फारेन पालिसी में या

[श्री गुमान मल लोढा]

दुनिया के अन्य राष्ट्रों के साथ न कोई हमेशा के लिए मित्र होता है और न कोई हमेशा के लिए शत्रु होता है। हमारे कुछ परमानेंट इंटरस्ट हो सकते हैं अन्यथा परमानेंट इंटरस्ट के साथ जो इंटरस्ट सबसे बड़ा है वह है हमारी सार्वभौमिकता, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सीमाएं और हम चाहते हैं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें। यह सबसे बड़ी बात है और विश्व के अन्दर भारत का नाम हमेशा उज्ज्वल रहे, धवल रहे, उसके बारे में भावना अच्छी बनी रहे। लेकिन यह तभी सम्भव है जब हम शक्ति के साथ चलें। आज रूस के विघटन के बाद एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। रूस का विघटन हुआ। राजनैतिक दृष्टि से हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन भारत के लिए कम से कम यह एक बहुत चिन्ता का विषय इसलिए हो गया है कि अब अमेरिका अपने आपको एकमात्र सुपर पावर समझता है और बैलेंस आफ पावर जो दोनों में होता था, वह समाप्त हो चुका है।

अब यदि अमेरिका चाहे तो कभी ईराक के अन्दर अपनी शक्ति का नग्न प्रदर्शन करता है, चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो, यह दूसरा प्रश्न है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन यह अवश्य है कि अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में दखल करेगा कि रूस हमारे साथ क्या करना चाहता है, समें राकेट टैक्नालाजी देना चाहता है, हमारी उसके साथ मित्रता है, इसके लिए वह अमेरिका से डिक्टेशन लेगा, अमेरिका से आदेश लेगा ? हम अमेरिका से भीख मांगने नहीं जाएंगे। इसलिए यह भी आवश्यक है कि बदली हुई परिस्थिति में जो नए डायमेंशंस नए हाराइजन्स हैं, उनके अनुसार हमें अपनी सारी नीति को बनाना चाहिए।

अब हमें ऐसी स्थिति में आना चाहिए कि अमेरिका से भीख मांगने की आवश्यकता न रहे। हमारा देश इतना सबल हो, सुदृढ़ हो, सशक्त हो, कि अमेरिका को भी लगे कि जिस प्रकार से जिस समय बंगलादेश की मुक्ति कराने के लिए हमारी सेनाएं चली थीं, और अमेरिका ने धमकी दी थी कि मेरी नौसेना आ रही है, नौसेना में अटामिक और न्यूक्लियर सारी टैक्नीक लगी हुई है और भारत को ध्वंस कर दिया जाएगा, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा उस समय के हमारे सेनापतियों को, हमारे नेतृत्व को भी कि हम अमेरिका की गीदड़ भभकी में आकर सरेण्डर नहीं किया और बंगलादेश को पूर्णतया स्वतन्त्र कराने में अमेरिका की धमकी के बाद भी अपना योगदान उसी प्रकार से दिया और हम बंगलादेश को स्वतन्त्र कराने में सफल हुए। उसके साथ यह बात अवश्य है कि रूस उस समय एक बैलेंसिंग फैक्टर था। यदि अमेरिका अपने नौसैनिक बेड़े को भेजकर हमारी कोस्ट के ऊपर हमला करता तो हमें आशा थी कि रूस अवश्य आकर उसका विरोध करके हमारा समर्थन करेगा। इसलिए आज हमें अपनी अटामिक शक्ति को बढ़ाना है, ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो उसका प्रयोग कर सकें, हमें उसकी तैयारी रखनी चाहिए। आज दुनिया के कई राष्ट्र जिनके पास रूस के विघटन के कारण न्यूक्लिर अटामिक शक्तियां हैं, वह भिन्न-भिन्न राष्ट्र हो गए हैं। पहले केवल यू०एस०एस० आर० से हमें डील करना पड़ता था, अब कई राष्ट्र बन गये हैं। उन राष्ट्रों की अपनी अपनी नीतियां हैं और वे राष्ट्र सभी अपने-अपने तरीके से चल रहे हैं। यह सम्भावना है कि उनमें से यद्यपि आज तक अधिकतर हमारे साथ हैं और यू० एस० एस० आर० से हमारे जैसे सम्बन्ध थे, वैसे ही सम्बन्ध रखना चाहते हैं लेकिन आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो जाये, जैसा परिवर्तन बंगलादेश में हुआ। एटामिक मैटर्स में सन्धि के लिए हमें बाध्य किया गया, बंगलादेश ने उसमें हमारा समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान और बंगलादेश ने अमेरिका का समर्थन किया।

उपाध्यक्ष महोदय; इन परिस्थितियों में, तथ्यों को सामने रखते हुए, हमें सजग होकर इस पर

विचार करना है कि कौन हमारा साथ देने वाले हैं, कौन साथ देने वाले नहीं हैं। इसी कारण अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें पूर्ण रूप से तैयारी करनी चाहिए। वैसी ही हमारी रीति और नीतियां हों और जो हमारी एम्बैसीज हैं, बाहर हमारे लोग हैं जो भारत की नीतियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें इस प्रकार के इंसट्रक्शन्स होने चाहिए कि वे चाहे अमेरिका में हो, इंगलैंड में हों या अन्य किसी स्थान पर हों, वहां पर वे भारत की ईमेज को सुदृढ़ सशक्त राष्ट्र के रूप में बनायें।

इन शब्दों के साथ मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये और तीन-बीघा करार को हमें बर्खास्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और भारत के साथ आत्मघात न किया जाये—अन्यथा पश्चिमी बंगाल तो खड़ा हो गया है। वहां आन्दोलन हो रहा है लेकिन भारत भर में इसका विरोध होगा। अपनी पवित्र मातृभूमि को हम बंगलादेश को समर्पित नहीं करने देंगे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं विचार-विमर्श के लिए कुछ मूलभूत सुझाव रखना चाहूंगा।

मेरा पहला मुद्दा भारतीय विदेश नीति के दृष्टिकोण तथा मूल सिद्धान्त से सम्बन्धित हैं। पंडित नेहरू ने हमें गुट-निरपेक्षता की वर्तमान नीति दी और राष्ट्रपति टीटो और नासिर के साथ गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सहनिर्माता बने। हम तब से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं। आजकल, अनेक लोग गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जहां तक मेरा विचार है, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अभी भी प्रासंगिक है और हमें गुट-निरपेक्षता की नीति को जारी रखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि गुट-निरपेक्षता का निश्चय ही यह अर्थ है कि देश के भीतर तथा विदेशी मंचों पर भी हमारी स्वाधीनता बनी रहे।

अतः हमें प्रत्येक मामले का उसके गुण व दोष के आधार पर तथा देश में हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। उसके साथ ही हमें इस तथ्य को भी नजर-अन्दाज नहीं करना चाहिए। कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का मूलतः जो उद्देश्य था, वह आज नहीं रह गया है। यह बहुत खेदजनक हैं, वास्तव में दुखद है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का निर्माण करने वाले और उनके उत्तराधिकारियों ने सदस्य संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया और इस सौदे में उसके स्तर की बलि चढ़ा दी। इसने बहुत बेतुकी स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसमें वे देश जो कि किसी न किसी महाशक्ति के पक्षधर थे, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य बन गए। एक स्थिति में यहां तक कि सोवियत आक्रमण के पश्चात् अधिकृत अफगानिस्तान को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बने रहने की अनुमति दे दी गई थी। इन सब बातों ने आन्दोलन को तथा उसकी विश्वसनीयता को दुर्बल बना दिया है।

याद करें कि नेहरू ने कहा था कि गुट-निरपेक्ष देशों की कोई सैनिक शक्ति तथा आर्थिक शक्ति नहीं थी। चूंकि, वे नैतिक शक्ति प्राप्त कर सकते थे, बशर्ते कि वे कुछ मूलभूत सिद्धान्तों पर टिके हों और बिना किसी डर अथवा पक्ष के निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्तर की बजाए संख्या को अधिक तरजीह देने के हमारे इस निर्णय में इसके मनोबल को वर्षों से बहुत दुर्बल बना दिया है।

यह मेरा सौभाग्य था महोदय, कि मुझे सन 1985 में बाहामास में राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन के लिए स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ जाने का मौका मिला। क्यूबा और उनके महान नेता फीडल

[श्री इन्द्र जीत]

कैस्ट्रो का जितनी तारीफ की जाय कम है। फिर भी, उन्होंने हमेशा मुझे इस बारे में जिज्ञासा दिखाई कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के निर्माता के रूप में भारत, यूगोस्लाविया और मिस्र ने किस तरह क्यूबा को गुटनिरपेक्ष देश के रूप में स्वीकार किया है।

भविष्य में क्या होगा ? जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमें गुट-निरपेक्ष रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें यथार्थवादी और व्यावहारिक होने की जरूरत है।

5.00 म० प०

हमें केवल यह याद करना है कि नेहरू के समय के दौरान क्या हुआ, यह देखने के लिए गुट-निरपेक्षता के सबसे बड़े पुजारी ने किस तरह से हमारे राष्ट्र के हित में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। मुझे वे दिन याद आते हैं, जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण करके निर्लज्जता से अपना कब्जा कर लिया था। लोक सभा में इसका कड़ा विरोध हुआ था। मैं ऊपर प्रेस दीर्घा द्वारा इन सब घटनाओं तथा सभा में चारों तरफ से पन्डित जी तथा लोक सभा द्वारा सोवियत आक्रमण के लिए कड़ी निन्दा करने की मांग किए जाने का गवाह था। यह आश्चर्यजनक है, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। नेहरू बोले लेकिन उन्होंने आक्रमण की निन्दा नहीं की। क्या कारण है ? नेहरू जी का स्पष्ट विचार था कि भारत को अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इतने बड़े निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिए जा सकते।

जब हम गुट-निरपेक्षता के लक्ष्य की सशक्त रूप से वकालत करें, तब हमें यह सब याद रखना चाहिए। हमें भारत के राष्ट्रीय हित को तथा आज की वास्तविकता को ध्यान में रखे बिना आदर्शवाद की बात नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के कुछ सदस्यों के लिए यह अच्छा हो गया है कि वे बिना परिणामों को ध्यान में रखे इस बात का दावा कर सकते हैं कि भारत को यह करना चाहिए था वह करना चाहिए यह महत्वपूर्ण है कि यह वह विचार नहीं है जिसकी कि इनमें से कुछ मित्रों ने सोवियत यूनियन के अच्छे दिनों के दौरान वकालत की थी। उन्होंने स्वयं यथार्थवाद की वकालत की थी।

यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको महान अथवा परम सत्ता के आगे झुकने का सुझाव दे रहा हूं। हमें उन्हें इस बात का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हित को महत्व देना चाहिए। लेकिन हमारे निर्णय आज की वास्तविकता पर आधारित होने चाहिए। अतः मैं यथार्थवाद के साथ गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन करता हूं जैसा कि हमने कुछ परिवर्तन करके निरन्तरता की अन्तरिक नीति को अपना लिया है।

मैं इस सम्पूर्ण विषय पर दो अन्य मुद्दे रखना चाहूंगा। पहला यह कि इस एक-ध्रुवीय विश्व में जो प्रस्ताव अब हमने रखा है, उसे मैं स्वीकार नहीं करता। मैं श्री वाजपेयी का बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मैं अटल जी के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि अमेरिका इस समय महानतम शक्ति हो गया है। यह सच है कि अमेरिका शिखर पर पहुंच गया है। फिर भी दूसरे शक्ति केन्द्र भी उदित हो रहे हैं।

एकीकृत यूरोप तथा एकीकृत जर्मनी नई आर्थिक महाशक्तियों के रूप में उदित हो रहे हैं। जापान ऐसा एक अन्य शक्ति केन्द्र है। वास्तव में लगता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ जापान भी शक्ति केन्द्र के रूप में उदित हो रहा है। अनेक पर्यवेक्षकों का विचार है कि भारत, चीन और जापान मिलकर

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्र के रूप में उदित हो सकते हैं । मैं नहीं समझता कि इस चीज में विश्वास करने के लिए कोई गुंजाइश है कि इस क्षेत्र में कोइ स्थान है ।

दूसरा मुद्दा हमारी कार्य की प्रकृति और कार्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण से सम्बन्धित है । पिछले कुछ दशकों में हमारी समस्याओं का मूल कारण यहीं रहा है कि हमने सम्भावित घटनाचक्र का अनुमान लगाए बिना कार्य किया । यह बहुत दुःखपूर्ण बात है कि हम हमेशा पीछे बैठे और प्रतिक्रिया व्यक्त करते देखे गए हैं । मैं इस सम्बन्ध में कितनी ही घटनाएं गिनवा सकता हूं, जिसमें मुझे लगभग 40 वर्षों से, ऊपर के समय में प्रेस दीर्घा से इस सदन की कार्यवाही को देखने का अवसर मिला हो । हमें अपनी कार्य संस्कृति को बदलना चाहिए और सही अनुमान लगाने के पश्चात कार्य करना चाहिए ।

मेरी राय में हमारी विदेश सेवा के अधिकारियों की योग्यता का कोई मूलभूत मापदन्ड होना चाहिए । जिन लोगों में सही अनुमान लगाने और तदनुसार कार्यवाही करने की क्षमता है, वे ही उचित पहचान तथा उचित पुरस्कार के योग्य हैं । मेरी राय में व्यापक विश्व में ऊंचे पदों पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिनमें विश्लेषण करने और अनुमान लगाने तथा तदनुसार कार्यवाही करने की अपेक्षित योग्यता हो । हमें चापलूसों और कृपापात्रों का पक्ष लेने के मोह को छोड़ना चाहिए । इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति ने पहले ही इस सेवा के साथ, इसके मनोबल तथा इसकी क्षमता के साथ काफी विध्वंस कार्य किया है ।

आज विश्व बार-बार एक नई विश्व व्यवस्था की बात कर रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले हमें ही एक नई विश्व व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात करने का अवसर मिला था । लेकिन यह काफी नहीं हैं । मेरे विचार में, हमें विदेश मन्त्रालय में एक ऐसा उच्च शक्ति प्राप्त प्रभाग स्थापित करना चाहिए, जो इस प्रकार की व्यवस्था की अवधारणा को स्वरूप दे सके और इसके पश्चात इस कार्य में तीसरी दुनिया और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए । दूसरे शब्दों में, यह सही अनुमान लगाने और तदनुसार कार्यवाही करने का समय है । वास्तव में इस उच्च शक्ति प्राप्त प्रभाग को बाहर के विशेषज्ञों और विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की भी मदद लेनी चाहिए ।

मुझे पता है कि विदेश मन्त्रालय में एक नीति योजना मण्डल या नीति योजना प्रकोष्ठ है । एक समय तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ था । इसकी अध्यक्षता कैबीनेट मन्त्री के स्तर के व्यक्ति द्वारा होती थी और श्री जी० पार्थसारथी को शुरू में इस नीति योजना प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया था और कैबीनेट मन्त्री का दर्जा दिया गया था । लेकिन यह प्रकोष्ठ निष्क्रिय हो गया है । यह कार्य नहीं कर रहा है । मैं समझता हूं कि अब उचित समय है जब या तो हम इस प्रकोष्ठ को पुनः चालू करें या आने वाली नई विश्व व्यवस्था के लिए योजना बनाने और तैयार करने हेतु एकदम नया प्रकोष्ठ बनाएं ।

हमारी समय पर परखी हुई नई विश्व व्यवस्था को जारी रखते हुए भी हमें उत्तर दक्षिण वार्ता को प्रोत्साहन देने के बुनियादी व महत्वपूर्ण मुद्दे पर काफी समय प्रदान करने और ध्यान देने की जरूरत है । मुझे बहुत खेदपूर्वक यह कहना है कि इस मामले में लगता हैं कि हम कम कार्य कर रहे हैं । 1983 में इन्दिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में, न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित कर एक माहसिक पहल की थी ।

इस शिखर सम्मेलन में लगभग सत्ताईस सरकारों के प्रमुखों ने भाग लिया था और इससे सुखद समय की आशा और आश्वासन मिला । आज उत्तर अपनी निरन्तर समृद्धि के नियोजन के लिए बहुत

[श्री इन्द्र जीत]

परिश्रम कर रहा है। ऐसा कोई दिन ही जाता है जब कि इसके सदस्य गुटों में बैठक न करते हों। लेकिन दक्षिण तो निष्क्रिय प्रतीत होता है। जापान, चीन और 'एशियान' गुट के देश अपनी तरफ से दक्षिण-दक्षिण के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन काफी कुछ करना बाकी है।

कुछ दिन पूर्व ही जी-15 देशों के विदेश मन्त्री जेनेवा में मिले। इससे बहुत आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ीं। हमने समझा कि उत्तर-दक्षिण वार्ता का मुद्दा लिया जाएगा। लेकिन मुझे बाद में यह जानकर दुःख हुआ कि इन जी-15 देशों के विदेश मन्त्रियों की पूरी बैठक इण्डोनेशिया के अगले गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अन्त में जारी होने वाली विज्ञप्ति के प्रारूप को अन्तिम रूप देने में लगी थी। कुछ बुनियादी तौर पर ही गलत है। दक्षिण को जाग्रत होना चाहिए। अन्यथा हम बहुत मुसीबत में होंगे।

विश्व में शान्ति और स्थिरता के हित में एक सार्थक उत्तर-दक्षिण वार्ता तथा इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वित्तीय व्यवस्था के पुनर्गठन की बहुत आवश्यकता है। उत्तर तो विश्व में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में निरस्त्रीकरण तथा परमाणु अप्रसार सन्धि अर्थात एन० पी० टी० का मुद्दा ही उठाता रहता है। लेकिन अगर यह वास्तव में गम्भीर है तो इसे तीसरे विश्व के विकास की बुनियादी जरूरत तथा विकास और निरस्त्रीकरण के बीच सम्बन्ध को मानना चाहिए।

उत्तर को यह समझना चाहिए कि विश्व में तब ही स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है, जबकि गरीबी के बढ़ते स्वरूप को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। मेरे विचार से आज विश्व को एन० पी० टी० अर्थात परमाणु अप्रसार सन्धि की बजाए एन० पी० पी० अर्थात गरीबी के अप्रसार की अधिक जरूरत है। मुझे गत वर्ष सितम्बर में वाशिंगटन में नई विश्व व्यवस्था पर सांसदों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मन्च में शामिल होने का सौभाग्य मिला। तब मैंने एन० पी० टी० की बजाए एन० पी० पी० का पक्ष लिया। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस मन्च में सांसदों ने मेरे तर्क का बहुत समर्थन किया।

हमें यह भी ध्यान में रखना है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन स्वयं उत्तर-दक्षिण वार्ता के मामले में सफल नहीं हो सकता। हमें ब्राजील, मैक्सिको तथा अन्य देशों का सहयोग लेने पर भी विचार करना है। इसलिए हमें इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और मैं विदेश राज्य मन्त्री से अपील करूंगा कि वह तीसरे विश्व के देशों का एक प्रमुख गुट बनाने की सम्भावना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें, जो इस पूरे मुद्दे पर कार्य करे।

अब मैं बहुत संक्षेप में पाकिस्तान पर और भारत-पाकिस्तान संबंध पर बोलना चाहूंगा। यह खेदजनक है कि ये सम्बन्ध गत वर्षों के दौरान बिगड़े हैं। वास्तव में आज पाकिस्तान जैसाकि प्रधान-मन्त्री श्री नरसिंह राव ने उचित ही कहा है, भारत से अप्रत्यक्ष रूप में युद्ध कर रहा है, ये शब्द मैंने पिछली लोक सभा तथा गत वर्ष यहां पर उपयोग किए थे। लेकिन एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की निंदा ही पर्याप्त नहीं है। हमें इस बढ़ते हुए संकट से कारगर रूप से निपटने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए। हमें पाकिस्तान पर दबाव डालने और इसके द्वारा राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद रोकने के लिए विश्व का मत तैयार करना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि कश्मीर में पाकिस्तान की कुटिल भूमिका को अमेरिका और ब्रिटेन अब

अधिक स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। वे हमें ऐसी कार्यवाही से मना करते हैं जो मामले को और बिगाड़ दे। भारत ने इस सलाह को माना है। लेकिन अब वाशिंगटन और लन्दन दोनों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि हमें दी गई उनकी सलाह को देखते हुए उनका यह विशेष नैतिक दायित्व है कि पाकिस्तान इस अप्रत्यक्ष युद्ध को समाप्त करे। वे पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहें कि वह भारत में जो भयानक खेल खेल रहा है, वह खेल नई दिल्ली भी पाकिस्तान में उतने ही भयानक रूप में खेल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास करने चाहिए। वास्तव में हमारे देश परस्पर वार्ता के प्रति वचनबद्ध हैं। सौभाग्य से पाकिस्ताम में अभी भी ऐसे नेता हैं जो शिमला समझौते तथा परस्पर वार्ता के पक्षधर हैं तथा बढ़ते हुए टकराव को समाप्त करने के इच्छुक हैं। मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहूंगा कि मुझे वाशिंगटन में सांसदों के अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर बेगम बेनजीर भुट्टो से संक्षेप में भारत-पाकिस्तान समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर मिला।

इस संक्षिप्त बैठक के बाद हमारे बीच पत्राचार हुआ। मैं यहां पर इस वार्ता का एक महत्वपूर्ण सक्रिय भाग कहना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि यह सभी माननीय सदस्यों की रूचि के अनुरूप होगा मैंने तब उन्हें कहा था :

> "मैं पूर्ण रूप से यह आशा करता हूं कि नया वर्ष पाकिस्तान और भारत के लिए सुखद समय लाएगा और दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए टकराव को समाप्त करेगा।"

मैंने आगे कहा : "अब समय है जब हमें वास्तविकता को समझना चाहिए, समझदार होना चाहिए और अपनी दुश्मनी को समाप्त कर देना चाहिए।" मैंने उन्हें मेरे द्वारा 1982 में "फ्रोम शिमला टू इस्लामाबाद" शीर्षक के तहत लिखे एक लेख की एक प्रति भी भेजी ओर कहा : "मुझे आशा है कि आप इसे उपयोगी पाएंगी क्योंकि इसमें द्विपक्षी रूप के प्रति शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों की आपसी वचनवद्धता को सही रूप में पेश किया है।" मैंने उन्हें कहा : मुझे आपका उत्तर प्राप्त होने पर खुशी होगी।

मैंने 16 जनवरी को उन्हें यह लिखा था और उन्होंने 13 फरवरी को एक पत्र में जवाब दिया और अन्य बातों के अलावा जो कहा, मैं उद्धृत करता हूं :

> "विभिन्न राजनीतिक विचारों वाले पाकिस्तानी आपकी इस उम्मीद के पक्ष में है कि 1992 में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टकराव का अन्त होगा।
>
> उन्होंने आगे कहा :
>
> "मैंने आपके दोनों लेख बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े। द्विपक्षी रूप शिमला समझौते का मुख्य अंश है। शिमला समझौते से ही द्विपक्षी रूप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मुख्य सिद्धांत रहा है।"

उन्होंने द्विपक्षी स्वरूप पर जो कुछ कहा है वह महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए गत 13 फरवरी को मुझे मिला यह मत निःसन्देह बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि ऐसे समय जबकि श्री नवाज शरीफ इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश में व्यक्तिगत रूप में बहुत लोकप्रिय है, उनका यह मत अच्छा है कि वह इस तथ्य के प्रति वचनबद्ध हैं कि द्विपक्षी स्वरूप शिमला समझौते का मुख्य अंश है।

इस्लामाबाद आज यह मानता है कि दोनों देशों ने शिमला समझौते के तहत यह तय किया है कि "अपने मतभेदों को द्विपक्षी वार्ताओं के जरिए शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान किया जाए।" लेकिन इसके

[श्री इन्द्र जीत]

ही यह तर्क भी देता है कि वे इससे पूर्णतः नहीं बंधे हैं और यह मुद्दा शिमला में ही तय हो गया था सच क्या था ? सब यह है कि भारत ने शिमला समझौते के प्रारूप में प्रस्ताव किया था कि दोनों देश अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से "पूर्णतया द्विपक्षी वार्ताओं के माध्यम से" हल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति की और "पूर्णतया" शब्द छोड़ दिया गया।

अन्ततः दोनों देश शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षी वार्ताओं से अथवा "दोनों के बीच सहमति से किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से" अपने मतभेद हल करने के लिए सहमत हो गए।" किसी भी अन्त शांतिपूर्ण तरीके से शब्द भारत द्वारा दिए गए दोनों के बीच परस्पर सहमति से" शब्द पाकिस्तान द्वारा दिए गए। अन्य शब्दों में संशोधित प्रारूप भी बहुत स्पस्ट था कि इसने द्विपक्षी आधार पर कार्य करने के लिए दोनों देशों को वचनबद्ध किया। यदि द्विपक्षी आधार से घटना था तो ऐसा आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाना था।

यह महत्वपूर्ण है कि द्विहक्षी स्वरूप के हमारे मत को वाशिंगटन, लन्दन तथा विश्व के कई अन्य देशों में बहुक सही समझा गया है। मुझे हाल के महीनों में श्री डागलस हर्ड से उनकी यहां पर हाल की यात्रा के दौरान तथा कुछ अन्य विदेश सचिवों तथा विदेश मन्त्रियों से बात करने का अवसर मिला। उन्होंने मेरे सम्मुख यह स्वीकारा कि द्विपक्षी स्वरूप के प्रति भारत का मत मजबूत है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे समय जबकि कश्मीर अधिक अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है भारत अपने मत को और अधिक तीव्रता से विश्व की राजधानियों में बताए। अब कश्मीर का मामला दबा हुआ नहीं है। हम अपनी कठिनाई उत्पन्न करके ही इस वास्तविकता को अनदेखा कर सकते हैं।

वे मानते हैं कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला भी है। लेकिन इसे भी तीव्रता से रखा जाए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब न्यूमार्क के अपने पिछले दौरे से लौटे तो उन्होंने भी यही मत व्यक्त किया था। इस मत का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपना मत और अधिक तीव्रता से रखना चाहिए। मुझे खेद है कि हमारा मामला पहले ही गलत चल रहा है।

हमें आज जीवन के एक बुनियादी तथ्य को ध्यान में रखकर अपनी कार्य योजना ध्यानपूर्वक तैयार करनी चाहिए। आप इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज यह माना जाता है कि आप कैसे प्रतीत होते हं। चाहे गलत हो, लेकिन आपको दर्शाया जाता है। मैं इसलिए सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह सार्वजनिक और समाचारपत्र सम्बन्ध की ओर अधिक समय दे तथा प्रयास करे। महोदय, ऐसा नहीं हो रहा है हमारा मामला अच्छा है, हमें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे अधिक तीव्रतापूर्वक रखे।

महोदय, हम अक्सर अपना शिष्टमण्डल संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे सदस्य इन अवसरों का बेहतर उपयोग करें। उन्हें कहा जा सकता है कि वे अमेरिका, कनाडा और अन्य स्थानों पर विभिन्न केन्द्रों का दौरा करें। अन्य शब्दों में यह महत्वपूर्ण है कि अपने मामले को तीव्रता से रखने के लिए कोई व्यावहारिक योजना तैयार की जाए इस मामले को कुछ अग्रणी देश स्वीकार करते हैं लेकिन इसे रखा नहीं जा रहा।

महोदय, मैं आपका काफी समय ले चुका हूं। लेकिन मैं कश्मीर समस्या पर एक और मुद्दा रखना चाहूंगा। और आपसे कुछ मिनट और चाहूंगा। पाकिस्तान अनेक बार कह चुका है कि यह मामला अभी

हल किया जाना है। महोदय, हमें यह तथ्य सामने रखना चाहिए कि यह मामला वस्तुतः हल हो चुका है। शिमला समझौते में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के दर्जे के तहत वास्तविक नियन्त्रण रेखा बताई गई है, जिसका किसी भी माध्यम द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाना है।

महोदय, हां एक बात रहती है शिमला समझौते में अन्तिम समाधान का उल्लेख है। महोदय, मेरे विचार से जब एक पत्रकार के रूप में मैंने जो सूचना एकत्र की, उसके अनुसार अन्तिम समाधान बहुत सीमित पहलू तक सम्बन्धित था और वास्तविक नियंत्रण रेखा को तर्कसंगत बनाने का पहलू था। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा आज मुख्यतः सैन्य कारणों पर आधारित है।

यह भौगोलिक या अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित नहीं है। कश्मीर के बारे में केवल एक बात का समाधान किया जाना शेष है और वह यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को युक्तिसंगत बनाया जाए क्योंकि शिमला समझौते के अन्तर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा दिया गया है।

मैं एक बात और कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। महोदय, मैं एक आम बात करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। विश्व आज अनेक संकटों का सामना कर रहा है क्योंकि इसमें राजनीतिज्ञों का जमघट तो गया है परन्तु इसमें राजनेताओं की कमी है। जैसाकि हम सभी जानते हैं एक राजनीतिज्ञ केवल आज के बारे में सोचता है। दूसरी ओर एक राजनेता आने वाले समय के बारे में भी सोचता है। यदि मुझे ऐसा कहने की इजाजत हो तो मैं कहूंगा कि भारत में दुर्भाग्य से हमारी समस्या बदतर है।

हमारे पास राजनीतिज्ञ तो बहुत हैं लेकिन राजनेता बहुत थोड़े हैं। इससे अधिक क्या हो सकता है कि हममें से अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति उसी क्षण के बारे में सोचने की है यहां तक कि हम उस पूरे दिन के बारे में भी नहीं सोचते हैं। सौभाग्य से प्रधानमन्त्री ने हाल के महीनों में यह दिखा दिया है कि वह एक राजनेता के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा उन्होंने समय-समय पर इसका प्रमाण दिया है। मुझे केवल यही एक आशा है कि यह दृष्टिकोण बना रहेगा और सरकार के सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार होगा और विशेषरूप से भारत के विदेशी मामलों में। हमें अपने सामने आने वाली नवीनतम चुनौतियों का निर्भीकता और चतुराई से सामना करना चाहिए। हमें पूर्वानुमान लगाना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए अवसर के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। खतरा मोल लेकर ही हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के साथ ही मैं कुछ टिप्पणियां भी करना चाहूंगा।

विश्व की बदली हुई परिस्थितियों में भारत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारी विदेश नीति में किस बात पर अधिक बल दिया जाए। विदेश नीति पर कोई चर्चा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक हम जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने हमारी विदेश नीति की नींव रखी थी, के महान योगदान के प्रति आभार प्रकट न करें।

महोदय, प्रत्येक देश अपने अधिकाधिक राष्ट्रीय हितों के लिए विदेश नीति पर विचार करता है और हम भी कुछ हद तक हमारे महान नेता श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा निर्धारित विदेश नीति का अनुसरण करते रहे हैं। परन्तु विश्व की बदली हुई परिस्थितियों में, जिनमें कि बहुत तेजी से परिवर्तन हुए हैं जैसे गोबचिव का पतन और बोरिस येलत्सिन का उभर कर सामने आना सोवियत संघ का विघटन और स्वतन्त्र राज्यों का अस्तित्व में आना, शीत युद्ध की समाप्ति और संयुक्त राज्य अमेरिका का

[श्री ई० अहमद]

सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरना, भारत को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारी विदेश नीति किस बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। आज की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति महत्त्वपूर्ण है और यथार्थवाद के कारणों से हमें भी इसको मानना चाहिए। परन्तु साथ ही अमेरिका के साथ भी गैर-बराबरी के संबध नहीं रखे जा सकते क्योंकि भारत एक विशाल देश है। हमारी अपनी शक्ति है, हमारी अपनी स्थिति और हमारी अपनी परम्पराएं हैं। जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है खुशी की बात है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इस सम्बन्ध में व्यापक राष्ट्रीय सहमति है।

महोदय, गुटनिरपेक्ष देशों में भारत ने अपनी स्थिति महत्त्वपूर्ण बनाए रखी है। अतः मैं यह कहने का साहस करता हूं कि भारत को किसी भी कीमत पर अपनी यह स्थिति बनाए रखनी चाहिए तथा उसे यह भी सिद्ध करना चाहिए कि हम विश्व मामलों गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। इस सन्दर्भ में एक बात का जिक्र करते हुए मुझे बहुत खेद है यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि पश्चिम एशिया नीति, जिसमें कि भारत 1950 से शामिल है, अब महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने की प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है। भारत की पश्चिम एशिया नीति में पश्चिम एशिया क्षेत्र के देशों में अच्छे सम्बन्ध बनाने की मांग की गई थी तथा यह मांग की गई थी कि उस क्षेत्र में राजनीतिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध कायम हों। पश्चिम एशियाई देशों में तेल में हुई सहसा वृद्धि ने भी क्षेत्र में हमारे पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों को और बढ़ावा दिया है। इन परिस्थितियों में, इस सदन में सामने मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि इस समय भारत का इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि इजराइल वहां रह रहे फिलीस्तिनियों और 1967 से इजराइल की सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों, जिसे अधिकृत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, में इजराइलियों के साथ निरन्तर बहुत अधिक भेदभावपूर्ण कार्यवाइयां करता रहा है। अधिकृत क्षेत्र में इजराइलियों को आतंकित करने और उनके साथ हिंसा करने की छूट के भी प्रमाण हैं जिसे अमेरिकी सूत्रों ने भी प्राप्त किया है और यह प्रमाण निर्णायक और झकझोर देने वाला है तथा यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिलेखों का एक हिस्सा भी है। अधिकृत क्षेत्र में अरबों के साथ इजराइल का अमानवीय व्यवहार संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का घोर उल्लंघन है। परन्तु दुर्भाग्य से हमने इजराइल के साथ पूर्ण राजनायिक सम्बन्ध स्थापित किए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इजराइल के साथ सम्बन्ध रखते हुए भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।

महोदय, माननीय विदेश राज्य मंत्री ने इस सदन के समक्ष ये अनुरोध किया है कि भारत को पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने की सम्भावना है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई अरब देश भारत को पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है और वो भी तब जब कि हमने इजराइल को पूर्ण रूप से राजनीतिक मान्यता देने का निर्णय लिया है। अपने रास्ते से भटक कर हमें अपने मित्र अरब राष्ट्रों को गलत संकेत नहीं देना चाहिए तथा हमें उन्हें इस बात का भी आभास नहीं देना चाहिए कि हम इजराइल के साथ आतंकवाद विरोधी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग करने के इच्छुक हैं। मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूं कि इजराइल इससे क्या प्राप्त कर सकता है। परन्तु मेरी समझ में नहीं आया कि भारत को इससे क्या लाभ

होगा। इसी तरह से लीबिया के मामले में भी, जबकि हम सरकार समर्थित और किसी अन्य प्रकार के आतंकवाद की एक स्वर में निंदा करते हैं, हम यह भी चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून और परम्परागत कूटनीतिक प्रथाओं को उचित सम्मान देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाए रखा जाए। हम राजनयिक माध्यमों से समस्याओं को हल करना चाहते हैं सैनिक हस्तक्षेप से नहीं। मेरे विचार में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिबिया के विरुद्ध लगाए गए सभी प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है।

महोदय. चाहे यह ईराक के खिलाफ खाड़ी युद्ध समाप्त होने के बाद प्रतिबन्ध जारी रखने का मामला हो या कुछ औरमामला हो, अमेरिका फिलहाल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों में अपनी प्रभुत्व जमाने के लिए शक्ति प्रदर्शन का सहारा ले रहा है मैं सद्दाम हुसैन का समर्थक नहीं हूं। कुवैत को हथियाने के मामले में उसने जो कुछ भी किया वह एक निंदनीय मामला था। परन्तु खाड़ी युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी इराक के खिलाफ प्रतिबन्ध जारी हैं। यहां तक कि रूस द्वारा भारत को राकेट तकनीकी अन्तरित करने के मामले में, लीबिया के खिलाफ मौजूदा प्रतिबन्धों के मामले भी संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति प्रदर्शन की नीति का सहारा ले रहा है। मैं कहूंगा कि भारत को इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए। यह दुभाग्यपूर्ण है कि भारत किसी समय दबाव में आ जाता है और इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ हो लेता है। भारत को गुटनिरपेक्ष देशों और अरब राष्ट्रों के प्रभुल्वसंपन्न अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन राष्ट्रों को अमेरिका के खिलाफ खड़े होने में भी उनका नेतृत्व करना चाहिए। भारत को नेतृत्व सम्भालना चाहिए तथा बातचीत के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के तहत समस्याओं को हल कराना चाहिए।

मैं अफगानिस्तान के बारे में एक अनुरोध करता हूं। मैं अफगानिस्तान के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करता हूं। अफगानिस्तान में वहां की लोगों की इच्छाओं के अनुरूप उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए। एक दशक तक विश्व को इस धोखे में रखा गया कि जिन लोगों ने अफगानिस्तान में शासन किया उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था। अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया कि जिन लोगों ने अफगानिस्तान में राज किया वे तत्कालीन सोवियत संघ की सरकार के हाथों की कठपुतलियां थे। अतः हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना चाहिए। साथ ही हमें अफगानिस्तान के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाए रखने में राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ईरान के शाह के पतन के बाद ईरान में क्या हुआ, उसके बाद ईरान के साथ अमेरिकी सम्बन्धों में जो हुआ वह विश्व के लिए एक सबक है। दीवारों पर इस सम्बन्ध में कुछ लिखा हुआ है और हमें अफगानिस्तान से वर्ताब करते समय निश्चित रूप से दीवारों पर ऐसे लेखों को पढ़ना चाहिए। हमें अफगानिस्तान के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाए रखने और अफगानिस्तान में वहां के लोगों को अपनी सरकार बनाने में मदद देने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि खाड़ी देशों के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत करने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की आगामी भारत यात्रा का उपयोग दोनों देशों और जनता के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। मैं सरकार से खाड़ी क्षेत्र में अपने दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कारगर उपाय करने का भी अनुरोध करता हूं। हमारे दूतावासों के कर्मचारियों को खाड़ी देशों में हमारे उच्चायोगों में प्रतिदिन हजारों लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। दुर्भाग्य से इन देशों में हमारे कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है।

विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक करोड़ 12 लाख भारतीय विदेशों

[श्री ई० अहमद]

में रह रहे हैं। मेरे कुछ मित्रों ने मताधिकार प्राप्त नागरिकता देने का अनुरोध किया है। मैं कहना चाहूंगा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को विधायिका और देश की संसद के लिए होने वाले चुनावों में मतदान करने का अधिकार दिया जाए। इसके महंगा पड़ने पर भी भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए कि जब कभी भी चुनाव हों विदेशों में रह रहे भारतीय को उनमें अपना मतदान करने की सुविधा प्राप्त हो।

मैं इस अवसर पर सरकार से यह भी अनुरोध करुंगा कि वह हज यात्रियों की सहायता के लिए सभी आवश्यक उपाय करे। भारत से हजारों की संख्या में लोग हज के लिए जाते हैं। हज के मौसम के दौरान यह हमारे देश के लिए इस देश में मुस्लिम सम्प्रदाय के बारे में जोरदार प्रचार करने का एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच है।

भारत विरोधी निहित स्वार्थी तत्व देश में अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में घिनौना प्रचार करते हैं। भारत को इस देश के प्रति ऐसी धारणाओं को दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए।

मैं सरकार से अपने पड़ोसी देशों विशेषरूप से पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने के कठिन प्रयास करने का भी अनुरोध करुंगा।

सरकार को लोगों में आपसी सहयोग और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन सम्बन्ध बनाने के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा सुझाई गई योजना तैयार करने पर भी विचार करना चाहिए। यह केवल भारत के ही हित में नहीं है बल्कि पाकिस्तान के भी हित में है कि पाकिस्तान अपने निकट पड़ोसी देश भारत के साथ अति मधुर सम्बन्ध बनाए रखे।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी।

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, भारत की विदेश नीति की चर्चा इस सदन के अन्दर हो रही है और मैं इस चर्चा का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि भारत की विदेश नीति भारत की आंतरिक कमियों के कारण है। जो लोग इस सदन में भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की 78 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि आज पाकिस्तान के अधिकार में है और 38 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के अधिकार में है यह भारत को विदेश नीति का कारण नहीं तो और क्या है। यह कहा जा रहा है कि विदेश नीति पुराने समय से नेहरू जी के टाईम से एडोप्ट की गई है। मेरा मानना है कि हमें विदेश नीति अस्पष्ट और पंगु मिली है। हमें वही अस्पष्ट और पंगु विदेश नीति विरासत में मिली है। मेरा यह भी मानना है कि भारत की जो आंतरिक समस्याएं हैं, वे समस्याएं भारत को किसी खराब घटिया मोड़ की ओर ले जा रही हैं। पंजाब के अन्दर आतंकवादी प्रवृत्तियां हैं और काश्मीर के अन्दर जंगजू आदि विघटनकारी तत्व सक्रिय हैं तथा देश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। हिन्दू-मुस्लिम की भावनाएं बहुत अधिक चरम सीमा को प्राप्त कर रही हैं और विदेशों के अखबार भारत के प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन बातों से क्या हमारी सरकार पूरी तरह से अवगत है।

मैं समझता हूं कि अवगत नहीं है। कुछ मात्र चंद नेता इस प्रकार के हैं जो पड़ौसियों से अच्छे

सम्बन्धों की बातें करते रहे हैं और केवल प्रचार की बात करते हैं तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। मेरा मानना है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं चाहे पाकिस्तान, चाइना, बंगलादेश, नेपाल या श्रीलंका है, इनके साथ हमारे सम्बन्ध खराब है, लेकिन उनको कहा नहीं जाता है। मेरा मानना है कि उनमें कहीं न कहीं हीन भावना छिपी हुई है। चीन की शैली और रूतबा अलग है। पाकिस्तान का जन्म भारत से घृणा के कारण हुआ है। बंगलादेश का जन्म भारत के सैनिकों के बाहुबल के कारण हुआ है। श्रीलंका के पटटीकलोआ जैसे नगर हैं वह जो तमिल और सिंहली समस्या को लेकर हिन्दुस्तान की तरफ देखते रहते हैं। पाकिस्तान का जो स्वरूप है या पाकिस्तान की जो स्थिति है, वह मात्र काश्मीर को हिन्दुस्तान से काटकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं।

जब कभी शिमला समझौते जैसे अन्य समझौते होते हैं उस समय टेबल पर बैठकर अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, बड़ा सद्भावनापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जब समझौता खत्म हो जाता है और नुमाइदे अपने-अपने देश लौट जाते हैं तो फिर वही दुर्भावनापूर्ण व्यवहार आरम्भ हो जाता है। इसलिए इन समझौतों से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

चीन के साथ हमारे किस प्रकार के सम्बन्ध हैं। कांग्रेस के लोग 42 साल से शासन में हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि विदेश नीति अगर बहुत अच्छी थी तो चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसको हल क्यों नहीं किया गया। क्योंकि उसके कारण ही चीन के साथ हमारा सम्बन्ध खराब है। समय-समय पर समझौते किये गये हैं, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। मैं यह भी बता देना चाहता हूं सरकार को कि वह ज्यादा मदहोश न हो, क्योंकि बोफोर्स जैसे कांड सरकार में बैठे हुए लोग करेंगे तो भारत नष्ट हो जायेगा। भारत का दुर्भाग्य है कि देश में भ्रष्टाचार बड़ी तेजी के साथ पनप रहा है जिसको सामने बैठी हुई सरकार और उसके लोग नकार नहीं सकते। चीन से हमारा सम्बन्ध जो चल रहा है, चीन कुछ समय तक भारत से परमाणु शक्ति के निर्माण में पीछे था, लेकिन आज चीन परमाणु शक्ति के निर्माण में भारत से कहीं आगे हो चुका है और उसके पास इस प्रकार की शक्ति है कि वह किसी भी देश पर कम से कम दो बार परमाणु अस्त्रों से हमला कर सकता है। इस प्रकार की शक्ति उस ने प्राप्त कर ली है और पाकिस्तान भी चोरी-छिपे परमाणु अस्त्रों की तैयारी कर रहा है, रासायनिक अस्त्र भी तैयार कर रहा है। अगर ये दोनों देश मिलकर भारत को धमकाने लगें तो सरकार में बैठे हुए लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 1962 का इतिहास कहीं दोहरा न दिया जाये। कहीं रक्षा मंत्री का इस्तीफा न हो जाए, फारेन मिनिस्टर का इस्तीफा न हो जाए। इसलिए में आगाह कर देना चाहता हूं कि आजकल अति आधुनिक युद्ध सामग्री तैयार हो चुकी है, हमें इराक के युद्ध से सबक लेना चाहिए वहां जो युद्ध हुआ था वह बहुत ही आधुनिक था। हम इसी प्रकार से बैठे हुए सोचते रहे तो आगे चलकर कोई झटका या धोखा खा सकते हैं जो राजनीतिक पारदृश्य है विश्व का वह बहुत तेजी से बदल रहा है।

हमारा एकमात्र मित्र राष्ट्र रशिया जो हमें हथियार और अन्य उपकरण देकर हमारी सहायता करता था वह अब टूट चुका है समाप्त हो चुका है और अमरीका की दादागिरी पूरे विश्व के अन्दर राजनैतिक कूटनीति बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मैं यह समझता हूं कि यह साधारण बात नहीं है, इसको गम्भीरता से लेना चाहिए कि सोवियत रशिया किस प्रकार से टूटा मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध यदि मधुर नहीं बनाए गए, अगर यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, बिहार और उड़ीसा में जनता दल की सरकारें हैं इसलिए इनको कम से कम पैसा दिया जाए, कम से कम सहायता दी जाए और विपदाओं तथा संकटों में सहायता न की जाए तो मैं समझता हूं कि अलगाव की भावना प्रत्येक राज्य के अन्दर लोगों में बलवती होने लगेगी और लोग उस दिशा में सोचने लगेंगे।

[डा० एस० पी० यादव]

इसलिए आपको इस पर सतर्क रहना चाहिए। जिस समय समाजवादी जनता पार्टी की सरकार थी उस समय तमिलनाडु की सरकार को तोड़ा गया, अभी नागालैंड के बारे में बहुत तेजी से चर्चा हो रही है, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार को पूरे राज्यों के बारे में समानरूप से सोचना पड़ेगा चाहे वहां किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, क्योंकि अब यह भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि पूरे हिन्दुस्तान के राज्यों में कांग्रेस (आई) की सरकार बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता है।

अब परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गई हैं, लोग राजनैतिक दृष्टिकोण से जागरूक हो गए हैं। इसलिए आवश्यक हो गया है कि सरकार को पूरे हिन्दुस्तान और सभी राज्यों पर नजर रखनी पड़ेगी, न्यायपूर्ण नीति रखनी पड़ेगी भेदभाव नहीं अपनाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से भेदभाव अपनाया गया तो जो सोवियत रशिया का हाल हुआ है, हमारे देश में भी कहीं उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए।

मैं इस सदन के अन्दर अपने साथियों को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है, उसकी जो नीति है वह केवल हिन्दुस्तान के साथ घृणा और विषाद पैदा करना ही नहीं है, वहां के जितने भी सैनिक शासक रहे हैं उनका एकमात्र उद्देश्य यही रहा कि वे केवल हिन्दुस्तान के साथ लड़ाई झगड़े और युद्ध का माहौल क्रियेट करके अपने देश की राजनीति करते रहें।

आज की परिस्थिति में हमारे पड़ोसी देशों के साथ अगर कहा जाए और मेरा ऐसा मानना भी है कि सम्बन्ध मधुर नहीं हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर हम उन सम्बन्धों को मधुर बताते हैं तो हम कमजोर माने जाते हैं और यदि उनको मधुर नहीं बताते हैं तो हम खराब माने जाते हैं कि हम सम्बन्धों को मधुर नहीं बना रहे हैं। इनमें बड़ी कमी है जिसमें हिन्दुस्तान की इस प्रकार की मजबूरी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सबसे पहले वे देश के आन्तरिक हालात को सही करने का प्रयास करें। देश के अन्दर जो हालात खराब हो रहे हैं, जगह-जगह आए दिन बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन कत्ल हो रहे हैं, आए दिन अपहरण हो रहे हैं परन्तु सरकार उन सब को सुनकर नकार देती है। कल इसी सदन में एक चौदह साल की बालिका के साथ हुए बलात्कार की घटना पर एक साथी ने रोष व्यक्त किया था लेकिन उसके बारे में सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। इस हाउस के अन्दर बात होती है, बात उठती है, प्रश्न उठाया जाता है लेकिन वे नकार दिए जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि सरकार इस तरह से उपेक्षापूर्ण नीति अपनाएगी, आन्तरिक हालात को मजबूत करने का प्रयास नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि देश के लिए आगे आने वाला समय बहुत खराब होगा। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि आन्तरिक स्थिति को मजबूत करें। इस 1992 के साल में आन्तरिक स्थिति को मजबूत करना और येन-केन-प्रकारेण किस प्रकार से भी हो पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध मधुर कर लेने चाहिए। तो मैं समझूंगा कि भारत की विदेश नीति अच्छी दिशा में बढ़ रही है अन्यथा जो पिछले 42 सालों का इतिहास रहा है, वह इतिहास इस हाउस का भी रहेगा।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटील (इरनदोल) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्व का नक्शा बड़ी तेजी से बदल रहा है। जर्मनी जैसे छोटे-छोटे देश मिलकर फिर से एक हो गए हैं और रूस जैसा बड़ा देश विघटित होकर कई देश बन गए हैं। इस बदलती हुई स्थिति में हमारी विदेश नीति में पूरी तरह बदलाव की आवश्यकता है।

जैसाकि मेरे साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने विदेश मन्त्रालय में, नीति बनाने वाली एक समिति के पुन: गठन की आवश्यकता पर जोर दिया है मैं भी उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सोचने का समय आ गया है और इस मन्त्रालय में एक नीति विषयक समिति होनी ही चाहिए। इस सदन के बहुत से सदस्य और बाहर के लोगों ने रूस के विघटित हो जाने के बाद से यह सोचना शुरू कर दिया है कि अब अमरीका एक ध्रुवीय विश्व का नेता बन गया हैं। वह वास्तव में नेता तो नहीं हो गया है लेकिन विश्व नेता होने का स्वांग जरूर कर रहा है। इस स्थिति में, विश्व के घटना-क्रम में भारत की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति महज इस बात से अपना महत्व नहीं खो चुकी है कि वह मुख्यत: शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित है। भारत का विकासशील देशों में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के सन्दर्भ में विभिन्न देशों के बीच उठे विवादों के परिप्रेक्ष्य में अपना एक दृष्टिकोण अपनाने की हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है और यह कार्य हमें अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना होगा।

हमने भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ही तरह दक्षेस का गठन किया है। लेकिन दक्षेस के सदस्यों के कार्यों और गतिविधियों में तेजी नहीं आ पायी है और वे एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे हैं जैसी कि आशा की गई थी। कृषि, नशीली दवाओं पर नियन्त्रण, पर्यटन, जैव-तकनीक और दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में इसके सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हमारे बीच अधिकाधिक सहयोग हो तो हम अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं और बहुपक्षीय मुद्दों पर हमारी सौदे-बाजी करने की शक्ति में भी वृद्धि होगी।

दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी देश हमसे ज्यादा समस्याग्रस्त हैं यही कारण है कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन चीन जैसे देश हमारे मददगार हो सकते हैं और हमने हाल के वर्षों में देखा भी हैं कि चीन भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए प्रयत्न कर रहा है। लेकिन तिब्बत के बारे में निर्णय मुख्य रूप से आंख की किरकिरी है। हमारा विचार है कि तिब्बत को स्वतन्त्र होना चाहिए लेकिन अब यह सम्भव नहीं प्रतीत होता क्योंकि 60 लाख से भी ज्यादा चीनी लोग वहां बस चुके हैं।

अत: तिब्बत को चीन से आजाद कराना एक दूर का सपना बन गया है। लेकिन अगर हम इस नीति पर पुनर्विचार करके चीन के साथ ज्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे रक्षा-व्यय में कटौती हो सकती है। जैसाकि देखा जा रहा है, चीन इस क्षेत्र में स्थायित्व और शांति चाहता है, इसलिए उसके साथ सम्बन्ध सुधारना हमारे लिए लाभप्रद होगा। लेकिन साथ ही चीन को समुद्री क्षेत्र में किसी प्रकार की नौसैनिक गतिविधि से बहुत ही आपत्ति है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में उसके कई छोटे-छोटे द्वीप हैं। इसलिए, समुद्री क्षेत्र में किसी भी तरह की नौ-सैनिक गतिविधि को शंका की दृष्टि से ही देखेगा। और हमारा अमेरिका के साथ साझा-नौ-सैनिक अभ्यास भी चीन के द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। अत: हमें उस सन्दर्भ में बहुत चौकस रहना होगा।

बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। भारत में समस्या उत्पन्न करने की पाकिस्तान की नीति के बारे में सभा के सभी पक्ष एकमत हैं। लेकिन एक बात हमें और जाननी होगी कि वह भारत में सिर्फ उपद्रव ही नहीं भड़का रहा है बल्कि अपने शक्तिशाली टी० वी० और रेडियो माध्यम से झूठा प्रचार द्वारा कश्मीर, पंजाब और भारत की दूसरी नीतियों के सम्बन्ध विश्व की राय भी बदलने में सफल हो रहा है। हमें भी मीडिया को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सेना पर तो इतना खर्च करते ही हैं। पूरे विश्व में, खासकर अपने पड़ोसी देशों और दूरस्थ देशों को अपने विचारों और रवैयों से अवगत कराने

[श्री विजय एन० पाटील]

और उनमें अपने नीति का प्रचार करने के लिए हमारे टी० वी० और रेडियो को भी अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।

हमने देख लिया है कि अमेरिका रूस को भारत को राकेट तकनीक प्रदान करने से किस प्रकार रोकने की कोशिश कर रहा है। इस सम्बन्ध में, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 19×0 के बाद से ही हमने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है। एस० एल० वी० II का सफल प्रक्षेपण और उसके बाद हो रहे अनुसंधान से भारत इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। हम अब उन छः देशों में शामिल हो गए हैं जिनके पास काफी उच्च अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी मौजूद है। एस० एल० वी० प्रक्षेपण ही अपने आप में अधिक भार ढ़ोने की क्षमता बढ़ा सकता है। 50 किलो भार वहन करने वाले अन्तरिक्ष यान को एक दिन 500 किलो भार वहन करने वाले यान में भी विकसित किया जा सकता है। भारत जमीन से जमीन पर मार करने वाली अन्तर्महादेशीय प्रक्षेपास्त्र का विकास करने में भी सक्षम है इसलिए अमेरिका का रूस को इस प्रौद्योगिकी को भारत को देने से रोकने का हम पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हां लेकिन उससे हमें अमेरिफा जैसे बड़े देशों का विकासशील देशों के प्रति रवैया देखने का अवसर जरूर मिल जाता हैं।

अन्त में मैं कहूंगा कि विश्व राजनीति में बदलती हुई परिस्थिति को हम देख ही रहे हैं। धर्म को अब राजनीति का आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी भी अब जो अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के लिए कोई चुनाव होता है, तो मुस्लिम राष्ट्र किसी मुस्लिम महानुभाव को वोट देना चाहते हैं तो ईसाई राष्ट्र किसी ईसाई महानुभाव को। वहां धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है। धर्म के आधार पर देशों का विभाजन हो रहा है। साइप्रस जैसे छोटे देश को भी जिसका आकार हमारे एक जिले के बराबर ही होगा, ग्रीक और मुस्लिम साइप्रियोटस में बांट दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में जहां विश्व व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और धर्म ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दी है हमारे धर्म-निरपेक्ष देश और जापान और चीन जैसे बौद्ध धर्म वाले देशों को रूस के विघटित हो जाने के कारण हो सकता है कि भविष्य में एक हद तक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़े। इसके कारण भी भारत की स्थिति अद्वितीय हो जाती है। जब धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा हो, ऐसे में भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते जहां बुद्धिजीवियों की एक बड़ी संख्या है, निरस्त्रीकरण के मामले में ही नहीं बल्कि विभिन्न गुटों के बीच खासकर ईसाई और मुस्लिम गुटों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिरता के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इन सभी बातों के कारण मैं एक बार फिर निःसंदेह अपनी गुट-निरपेक्षता नीति को कायम रखते हुए अपनी नीति में पूर्णतया बदलाव लाने की आवश्यकता पर जोर देता हूं।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं। जैसाकि मुझ से पहले वक्ता कह ही चुके हैं कि भारत सरकार दिशा-ज्ञान खो चुकी है और महाशक्ति के इशारे पर नाच रही है, जो धमकी, भयादोहनः परोक्ष-युद्ध, प्रति-क्रांति आदि के द्वारा पूरे विश्व पर हावी होने की चेष्टा कर रहा है।

अमेरिका जोकि इस एक ध्रुवीय विश्व में एकमात्र महाशक्ति है, वह अपनी तरफ से तीसरी दुनिया के देशों पर हावी होने की हरसम्भव कोशिश कर रहा है। हमारी सरकार तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-

कोष और विश्व बैंक की शर्तों को बिना किसी विरोध के पहले ही मान चुकी है। वह अब हम पर डंकल प्रस्ताव और परमाणु अप्रसार संधि आदि के रूप में अपमानजनक शर्तें थोप रहा है।

आखिर उसका विकल्प क्या है? अमेरिका यह सब करने की कोशिश इसलिए कर रहा है कि विश्व में कोई समाजवादी खेमा नहीं है। समाजवादी खेमा के धराशयी होने के साथ ही अमेरिका यह सोचने लगा है कि वह किसी भी देश या प्रत्येक देश को कोई भी शर्त मानने का आदेश दे सकता है। वह लीबिया पर प्रतिबन्ध लगा सकता है, इराक को ध्वस्त कर सकता है, इत्यादि। अब एकमात्र विकल्प यह है कि भारत को दक्षेस, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन आदि जैसे मन्चों का प्रयोग करना होगा। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने होंगे। हमें खुशी है कि भारत चीन सम्बन्धों में बहुत हद तक सुधार हुआ है। आज से सिर्फ 30 साल पहले, जब हम सभी ने भारत-चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की मांग की थी, तो हमें देशद्रोही करार देकर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब भारत और चीन दोनों ने ही अपनी सीमा-विवाद शांतिपूर्ण तरीके और वार्ता के माध्यम से सुलझाने की इच्छा व्यक्त की है। इतना ही नहीं, हमने चीन के साथ कुछ व्यापार-संधि पर हस्ताक्षर भी किए हैं और चीन के प्रधान मन्त्री, श्री ली पेंग भारत की यात्रा पर भी आ चुके है। यह निर्णय किया गया है कि हमारे बीच अधिक से अधिक व्यापार, एक दूसरे के यहां यात्रा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान होना चाहिए। भारत और चीन का यह अच्छा सम्बन्ध निश्चय ही स्वागत योग्य है क्योंकि इससे हम अमेरिका साम्राज्यवाद के दबावों को झेल पाने में सक्षम हो सकेंगे। जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान के मामले में हमें जन-सम्पर्क कूटनीति को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग वस्तुस्थिति से परिचित नहीं हैं।

पाकिस्तान की सरकार उनके बीच हमेशा ही यह विचार फैलाती रहती है कि भारत की भ्रष्ट और व्यापारी सरकार पाकिस्तान को अपने चपेट में लेने को आतुर है। लेकिन हमारे जन-संचार माध्यमों को बाहर के देशों में यह विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है जहां का हर दूसरा नागरिक मुसलमान है और यहां मिली-जुली संस्कृति है। भारत में मुसलमानों को भी मूलभूत मानवीय स्वतन्त्रता प्राप्त है यह पाकिस्तान की जनता को नहीं मालूम है। इसलिए हमें एक दूसरे के देशों में यात्राओं का बढ़ावा देना चाहिए, यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को खत्म करना चाहिए और व्यापार, वाणिज्य आदि की स्थिति में सुधार लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि भारत के विदेश सचिव के द्वारा पांच सुरक्षा परिषद सदस्यों के प्रतिनिधियों को भारत की रवैये की पुष्टि के खातिर बुलाया जाना एक बेवकूफी भरा कदम था। भारत ने बिना सोचे समझे ही स्थिति का अन्तर्राष्ट्रीकरण कर दिया। हमें कहना चाहिए कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से ही सुलझाया जाना चाहिए। कश्मीर हमारे धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह मिली-जुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस लिए वह भारत का एक अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को कह देना चाहिए कि किसी भी परोक्ष युद्ध से यह समस्या नहीं सुलझ सकती। अगर हम अपने सम्बन्ध सुधारने की कोशिश करते है तो निश्चय ही भारत और पाकिस्तान दोनों में ही खुशहाली आयेगी क्योंकि इससे हमारे रक्षा व्यय में कमी आएगी और उस पैसे का प्रयोग देश के आर्थिक विकास में हो सकेगा।

जहां तक बांग्लादेश का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहूंगा कि वहां एक लोकतांत्रिक सरकार के स्थापित होने से अब स्थिति कुछ ज्यादा उत्साहवर्द्धक हो गई है। हमें उसे तीन बीघा का हस्तांतरण कर

[डा० सुधीर राय]

देना चाहिए क्योंकि हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। जहां तक गंगा के जल का उपयोग का मुद्दा है, वह सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। जहां तक बड़े पैमाने पर होने वाले घुसपैठ का सवाल है, यह सही है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ जाते हैं लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसा हमेशा गलत अभिप्राय के कारण नहीं होता बल्कि इसका मुख्य कारण भीषण गरीबी है जिससे बांगलादेश के लोग पीड़ित हैं। मेरा विनम्र सुझाव यह है बांगलादेश के साथ सीमा-व्यापार को कानूनी रूप से वैध करार दे देना चाहिए। सामान्य व्यापार नियमों को वैध बना दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सदन···

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)** सद स्थगित होना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाईक की इच्छानुसार सदन को स्थगित करना पड़ेगा।

अब सभा कल 23 अप्रैल, 1992 के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 23 अप्रैल 1992/3 वैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटिंग प्रेस, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

ll. 16/2003

© 2003 By Lok Sabha Secretariat

ıed under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha
(Tenth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.